


DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE



श्रीमद-बे-दू बोस

नेताजी

117880

संपूर्ण वाङ्मय

खंड 9

संपादक

शिशिर कुमार बोस

रुगता बोस

अनुवादक

श्रीप्रकाश भगत



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

1998 (शक 1920)

© नेताजी रिसर्च ब्यूरो कलकत्ता

ISBN . 81-230-0636-

मूल्य 105 रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित।

विक्रय केन्द्र • प्रकाशन विभाग

- पटियाला हाउस तिलक मार्ग नई दिल्ली- 110001
- सुपर बाजार (दूसरी मजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
- हॉल नं 196, पुराना सचिवालय दिल्ली-110054
- कामर्स हाउस, करीमबाई रोड, बालार्ड पायर मुंबई-400038
- 8 एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069
- राजाजी भवन, बेसेंट नगर चेन्नई-600090
- बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
- प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम-695001
- पहली मजिल, एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामगला, बंगलौर-560034
- 27/6, राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ-226001
- राज्य पुरात्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डंस, हैदराबाद-500004

विक्रय काउंटर

- द्वारा/ पत्र सूचना कार्यालय, सी जी ओ क्वाप्लेक्स ए विंग ए बी रोड, इंदौर (मप्र)
- द्वारा पत्र सूचना कार्यालय 80 मालवीय नगर भोपाल-462003
- द्वारा पत्र सूचना कार्यालय, के-21, मालवीय मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001

NETAJI SAMPURNA VANGMAY, Khand IX, Eds Shshir Kumar Bose & Sugata Bose, Publications Division, Ministry of I & B Patiala House, New Delhi- 110001
मुद्रण बी एम प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स नई दिल्ली-3, फोन 4632395

खंड 9

भाषण, लेख और वक्तव्य
जनवरी 1938-अप्रैल 1939

विषय-सूची

आभार	IX	
सपादकीय	XI	
भाषण, लेख और वक्तव्य		
जनवरी 1938-अप्रैल 1939		
1	कांग्रेस और संविधान, फासीवाद और साम्यवाद पर 24 जनवरी, 1938 को लंदन के डेलीवर्कर मे प्रकाशित आर पाम दत्त के साथ बातचीत की रिपोर्ट	1
2	हरिपुरा भाषण फरवरी 1938 म हरिपुरा मे सपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51ये अधिवेशन के अवसर पर अध्यक्षीय भाषण	3
3	नगरपालिका समाजवाद 10 मई, 1938 को बंबई महापालिका मे भाषण	26
4.	चीन के लिए कांग्रेस-चिकित्सा-मिशन बोस का सार्वजनिक भाषण तथा अपील, 28 जून, 1938 यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट हॉल मे बोस का भाषण 12 अगस्त, 1938	30
	चीन जाने वाले कांग्रेस-चिकित्सा-मिशन के लिए बोस का दिव्याई सन्देश	32
5.	संघीय योजना के बारे मे 9 जुलाई 1938 को जारी वक्तव्य	33
6	विज्ञान और राजनीति मेघनाद साहा के प्रश्नो के उत्तर, 21 अगस्त, 1938	36

- 7 भारत की औद्योगिक समस्याएँ 2 अक्टूबर, 1938 को दिल्ली में उद्योगमंत्रियों के सम्मेलन में दिया गया भाषण 40
- 8 छात्र आंदोलन 29 अक्टूबर, 1938 को उत्तर प्रदेश छात्र-सम्मेलन में दिया गया सदेश 45
- 9 हमारी आवश्यकताएँ और हमारे कर्तव्य अक्टूबर 1938 के नेशनल फ्रंट में प्रकाशित लेख 47
- 10 यूरोपीय सकट विध्वंस का विश्लेषण अक्टूबर 1938 में द कांग्रेस सोशलिस्ट में प्रकाशित लेख 49
- 11 कमाल अतातुर्क के बारे में नवंबर 1938 में अतातुर्क के निधन पर श्रद्धांजलि 51
- 12 राष्ट्रीय योजना समिति उद्घाटन भाषण, 17 दिसंबर, 1938 52
- 13 न्यूनतम सुस्पष्ट कार्यक्रम 17 जनवरी, 1939 को जारी वक्तव्य 54
- 14 त्रिपुरी अध्यक्षीय चुनाव बहस वक्तव्य तथा प्रति-वक्तव्य, 21 जनवरी से 4 फरवरी, 1939 56
- 15 त्रिपुरी भाषण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में मार्च 1939 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण 77
- 16 मेरी अजीब बीमारी *माडर्न रिव्यू*, अप्रैल 1939 में प्रकाशित लेख 81
- 17 कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर जारी वक्तव्य 29 अप्रैल, 1939 93

प्रमुख राजनीतिक पत्राचार

1	बोस-जिन्ना का पत्र-व्यवहार	97
	जिन्ना को, 14 मई, 1938	97
	जिन्ना को 15 मई 1938	98
	जिन्ना की ओर से, 16 मई, 1938	99
	जिन्ना की ओर से, 6 जून 1938	99
	जिन्ना को, 21 जून, 1938	100
	जिन्ना को, 27 जून, 1938	100
	जिन्ना को, 25 जुलाई, 1938	101
	जिन्ना की ओर से, 2 अगस्त, 1938	102
	जिन्ना को, 16 अगस्त, 1938	104
	जिन्ना को, 2 अक्टूबर, 1938	105
	जिन्ना की ओर से, 9 अक्टूबर, 1938	105
	जिन्ना को, 16 दिसंबर 1938	106
2	बोस-गांधी का पत्र-व्यवहार	106
	महात्मा गांधी के लिए, 21 दिसंबर 1938	106
	महात्मा गांधी के लिए, 24 मार्च, 1939	110
	महात्मा गांधी की ओर से, 25 मार्च, 1939	110
	महात्मा गांधी के लिए, 25 मार्च 1939	110
	महात्मा गांधी के लिए, 25 मार्च 1939	110
	महात्मा गांधी के लिए, 25 मार्च, 1939	111
	महात्मा गांधी की ओर से, 24 मार्च 1939	113
	महात्मा गांधी के लिए, 26 मार्च, 1939	114
	महात्मा गांधी की ओर से, 26 मार्च, 1939	114
	महात्मा गांधी के लिए, 29 मार्च 1939	114
	महात्मा गांधी के लिए, 29 मार्च 1939	115
	महात्मा गांधी की ओर से 30 मार्च, 1939	116
	महात्मा गांधी की ओर से, 31 मार्च 1939	116
	महात्मा गांधी के लिए, 31 मार्च 1939	118

महात्मा गांधी की ओर से, 1 अप्रैल 1939	118
महात्मा गांधी के लिए, 31 मार्च 1939	118
महात्मा गांधी के लिए, 1 अप्रैल 1939	124
महात्मा गांधी की ओर से, 2 अप्रैल 1939	124
महात्मा गांधी की ओर से, 2 अप्रैल, 1939	127
महात्मा गांधी के लिए, 3 अप्रैल, 1939	127
महात्मा गांधी की ओर से 4 अप्रैल 1339	127
महात्मा गांधी के लिए, 5 अप्रैल 1939	127
महात्मा गांधी की ओर से, 5 अप्रैल 1939	128
महात्मा गांधी के लिए, 5 अप्रैल 1939	128
महात्मा गांधी के लिए, 5 अप्रैल 1939	128
महात्मा गांधी की ओर से, 5 अप्रैल, 1939	128
महात्मा गांधी के लिए, 6 अप्रैल, 1939	129
महात्मा गांधी के लिए, 7 अप्रैल, 1939	134
महात्मा गांधी की ओर से 7 अप्रैल, 1939	134
महात्मा गांधी की ओर से, 7 अप्रैल 1939	135
महात्मा गांधी के लिए, 10 अप्रैल, 1939	135
महात्मा गांधी की ओर से 10 अप्रैल 1939	141
महात्मा गांधी के लिए, 13 अप्रैल, 1939	142
महात्मा गांधी के लिए 14 अप्रैल 1939	148
महात्मा गांधी की ओर से, 14 अप्रैल, 1939	148
महात्मा गांधी की ओर से 14 अप्रैल 1939	148
महात्मा गांधी के लिए, 15 अप्रैल 1939	148
महात्मा गांधी के लिए, 15 अप्रैल, 1939	149
महात्मा गांधी की ओर से 17 अप्रैल, 1939	151
महात्मा गांधी के लिए, 18 अप्रैल 1939	151
महात्मा गांधी की ओर से 18 अप्रैल, 1939	151
महात्मा गांधी की ओर से, 19 अप्रैल 1939	152
महात्मा गांधी के लिए 20 अप्रैल, 1939	152
महात्मा गांधी के लिए 20 अप्रैल, 1939	152
महात्मा गांधी के लिए, 20 अप्रैल, 1939	153
महात्मा गांधी के लिए 22 अप्रैल, 1939	154
महात्मा गांधी की ओर से, 29 अप्रैल 1939	155

	महात्मा गांधी के लिए, 5 मई, 1939	155
	महात्मा गांधी की ओर से, 6 मई, 1939	155
3.	बोस-नेहरू का पत्र-व्यवहार	156
	नेहरू की ओर से 23 अप्रैल, 1938	156
	नेहरू के लिए, 19 अक्टूबर, 1938	156
	नेहरू की ओर से, 4 फरवरी, 1939	157
	नेहरू के लिए, 10 फरवरी 1939	162
	नेहरू की ओर से, 1 मार्च 1939	163
	नेहरू की ओर से 16 मार्च 1939	164
	नेहरू की ओर से, 22 मार्च 1939	165
	नेहरू के लिए, 28 मार्च 1939	165
	नेहरू की ओर से, 3 अप्रैल 1939	185
	नेहरू के लिए, 15 अप्रैल, 1939	199
	नेहरू की ओर से, 17 अप्रैल 1939	201
	नेहरू के लिए, 20 अप्रैल 1939	202
4	बोस-टैगोर का पत्र-व्यवहार	202
	टैगोर की ओर से, 20 नवंबर, 1938	202
	टैगोर के लिए, 14 दिसंबर 1938	203
	टैगोर की ओर से, 20 दिसंबर, 1938	203
	टैगोर की ओर से, 14 जनवरी, 1939	204
	टैगोर की ओर से, 19 जनवरी, 1939	204
	टैगोर का बोस के लिए आह्वान, 21 जनवरी, 1939	205
	बोस की प्रतिक्रिया, 21 जनवरी, 1939	208
	टैगोर की ओर से, 27 जनवरी, 1939	211
	टैगोर का <i>देशनायक</i> वक्तव्य	211
	टैगोर की ओर से, 2 अप्रैल, 1939	214
	टैगोर की ओर से, 27 मई, 1939	215

अन्य पत्र :

1	ई बुइस के लिए, 16 जनवरी, 1938	216
2	नाओमी सी वैटर के लिए, 21 जनवरी, 1938	216
3	रासबिहारी बोस की ओर से 25 जनवरी, 1938	217
4	बासती देवी के लिए, 6 फरवरी, 1938	220
5	एच वी कामथ के लिए, 12 फरवरी, 1938	221
6.	विल रिचर की ओर से, 4 मार्च, 1938	221
7	श्रीमती धर्मवीर के लिए, 22 मार्च, 1938	223
8.	सीता धर्मवीर के लिए, 22 मार्च 1938	224
9	नाओमी वैटर के लिए, 26 मार्च, 1938	225
10.	नाओमी वैटर के लिए, 9 अप्रैल, 1938	226
11.	सतोष सेन के लिए, 20 मई, 1938	227
12.	सीता धर्मवीर के लिए, 21 मई, 1938	227
13	अतुल चद्र कुमार के लिए, 3 जून, 1938	228
14.	सीता धर्मवीर के लिए, 23 जून 1938	228
15.	बी सी रॉय की ओर से, 18 जुलाई, 1938	229
16.	विश्वनाथ दास के लिए, 15 अगस्त, 1938	230

- | | | |
|-----|--|-----|
| 17. | अपर्णा देवी की ओर से,
23 अगस्त, 1938 | 230 |
| 18. | बी सी रॉय के लिए,
2 सितंबर, 1938 | 231 |
| 19. | अमिता पुरकायस्थ (गुहा) के लिए,
3 सितंबर 1938 | 232 |
| 20 | बी सी रॉय की ओर से,
10 सितंबर 1938 | 234 |
| 21 | सीता सेन के लिए,
10 अक्टूबर, 1938 | 234 |
| 22. | (अस्पष्ट) जमनालाल बजाज के पत्रों में,
21 अक्टूबर, 1938 | 235 |
| 23 | एम एन रॉय की ओर से,
22 अक्टूबर, 1938 | 236 |
| 24 | दैनिक दूरबीन के लिए,
23 अक्टूबर 1938 | 239 |
| 25 | अमला नदी (शकर) के लिए
11 नवंबर, 1938 | 240 |
| 26 | एम एन रॉय की ओर से,
1 फरवरी, 1939 | 240 |
| 27. | मुस्तफा एल नाहस पाशा के लिए,
7 फरवरी, 1939 | 245 |
| 28 | अ भा का क के कार्यकारी महासचिव
को मिश्री प्रतिनिधिमंडल के विषय में,
28 फरवरी, 1939 | 245 |
| 29 | एम एन रॉय की ओर से,
5 मार्च, 1939 | 246 |
| 30. | जैकब गुणानिधि विश्वास के लिए
14 अप्रैल, 1939 | 247 |
| 31 | अमियनाथ बोस के लिए,
17 अप्रैल, 1939 | 248 |
| 32. | एम एन रॉय की ओर से,
18 अप्रैल, 1939 | 250 |

33. अ भा का क के कार्यकारी
महासचिव के लिए,
18 अप्रैल, 1939 251
34. सीता सेन के लिए,
19 अप्रैल, 1939 252

आभार

प्रोफेसर कृष्ण बोस और प्रोफेसर लियोनार्ड ए गॉर्डन ने इस ग्रंथ के लिए जो सहायकीय सुझाव दिए हैं, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। श्री कार्तिक चक्रवर्ती ने सचिव के रूप में और श्री नाग सुंदरम ने पुरातत्व संबंधी जो हमारी मदद की है, उसके लिए हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं।

शिशिर कुमार बोस
सुगता बोस

संपादकीय

रजनी पाम दत्त को जनवरी 1938 में दिए गए साक्षात्कार में सुभाषचंद्र बोस ने कहा था आज मेरी राय यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का व्यापक आधार साम्राज्यवाद-विरोध होना चाहिए तथा इसका उद्देश्य दोतरफा हो। पहला राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना और दूसरा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना।

कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोस कुछ अरसे के लिए लंदन गए। केंब्रिज में विद्यार्थी के रूप में अध्ययन पूरा करने के बाद यह उनकी पहली लंदन यात्रा थी। 1938 में 15 जनवरी को उनकी मुलाकात आयरलैंड के राष्ट्रपति डी वेलेरा से हुई, जो साम्राज्यवाद-विरोधी थे। लंदन प्रवास के दौरान यह कई ब्रिटिश राजनेताओं, विशेष रूप से लेबर पार्टी के नेताओं से मिले। *मैनचेस्टर गार्जियन* ने एक जगह लिखा है

सुभाष बोस से मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके शांत और सौम्य व्यवहार से तथा भारतीय मसलों पर दृढ़ निश्चय के साथ बात करने की कला से प्रभावित हुए बिना न रह सका।

23 जनवरी, 1938 को अपने 41वें जन्मदिवस पर बोस भारत लौटे। कांग्रेस के अध्यक्ष काल में जो दोहरे लक्ष्य उनके सामने थे, उसके अनुरूप उन्होंने कार्य शुरू किया।

इस सकलन में जनवरी 1938 से लेकर 29 अप्रैल, 1939 में तब तक के - जब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया - भाषण लेख पत्र आदि राकलित हैं। इनमें उन्होंने साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद राष्ट्रीय योजना विज्ञान, सविधान, हिंदू-मुस्लिम संबंध, महिलाओं की भूमिका यूरोपीय राजनीति आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किया है।

इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख दस्तावेज हरिपुरा में फरवरी 1938 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण है। हरिपुरा के लिए कलकत्ता से रवाना होने से पूर्व एक दिन में लिखा गया यह भाषण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विश्वव्यापी ढांचे की कमियों और शक्तियों का विस्तृत विश्लेषण है। साथ ही यह स्वतंत्र भारत के सामाजिक व आर्थिक पुनर्निर्माण का समाजवादी दृष्टिकोण भी है। जिन साम्राज्यवादी नेताओं को उन्होंने स्वतंत्र राज्य बनाने की चेतावनी दी है, उनके प्रति इसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना या विद्वेष नहीं है। ब्रिटेन, को, शक्तिशाली, और अन्य देशों, को, गुलाम, बनाने, की, प्रतिक्रिया, में, लेनिन, का उल्लेख करते हुए बोस ने कहा

हम जो भारत तथा ब्रिटिश राज्य के अधीन देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत हैं, ब्रिटेन से आर्थिक मुक्ति के प्रति भी संघर्षरत हैं। एक बार दृढ़ निश्चय कर लेने के पश्चात् ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम ब्रिटिश लोगों के साथ मधुर

साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन को खंडित करने और उसे दबाने के उद्देश्य से बनाए गए साम्राज्यवादी संविधान को स्वीकार करने के विरोध में टिप्पणी करते समय बोस ने कहा-

बटवारा करके शासन करने की नीति सराह में बैठी सरकार के लिए बरदान है।

तानाशाह राजकुमारों और नाटकीय ढंग से निर्वाचित ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधियों में बोस ने विभाजन के सिद्धांतों के प्रति झुकाव महसूस किया। इसीलिए उन्होंने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सघीय भाग का विरोध करने का आग्रह किया। बोस को आशंका थी कि यदि यह योजना किसी प्रकार असफल भी हो गई तो अंग्रेज भारत के विभाजन का कोई अन्य वैधानिक मार्ग खोज निकालेंगे और इस प्रकार भारतीय लोगों के हाथों में सत्ता देने की योजना को निष्फल कर देंगे। दूसरी ओर उनका यह भी मानना था कि अपनी विभाजक नीतियों के परिणामस्वरूप अंग्रेज स्वतंत्र ही राजनीति के द्वैतवादीजात में फटते चले जा रहे हैं - बाहे वह भारत फिलिस्तीन, मिस्र, ईराक में हा या आयरलैंड में। इसीलिए सुभाषचंद्र बोस ने भारत के अल्पसंख्यकों का प्रश्न उठाया और धार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक मुद्दों पर आपसी समझ तथा जियो और जीने दो की नीति अपनाने की सलाह दी। उन्होंने तथाकथित दलित वर्ग को न्याय देने के मुद्दे पर भी चर्चा की। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की सांस्कृतिक स्वायत्तता का बढ़ावा देने के साथ साथ सुभाषचंद्र बोस ने हिंदुस्तानी (हिंदी और उर्दू का मिला-जुला रूप) को रोमन लिपि में आम बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। उनका कहना था कि एक गजबूत केंद्रीय सरकार के माध्यम से भारत को एकीकृत करने के लिए ऐसा सतुलन कायम करना आवश्यक है, जिसमें सभी अल्पसंख्यक वर्गों और प्रांतों को सुख-चैन से जीने दिया जाए और उन्हें सांस्कृतिक व सरकारी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए।

स्वतंत्रता के लिए तैयार रहने की जरूरत को महसूस करते हुए सुभाषचंद्र ने आजाद भारत के लिए अपने दो दीर्घकालीन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। उनके विचार में प्रमुख समस्या बढ़ती हुई आबादी थी, सबसे पहले जिसका निदान आवश्यक है। संभवतः वह भारतीय नेताओं में से पहले नेता थे जिन्होंने जनसंख्या-नियंत्रण की नीति बनाई। 'राष्ट्र के पुनर्निर्माण' के प्रश्न से जुड़ी प्रमुख समस्या यह थी कि देश से निर्धनता को खत्म कैसे किया जाए। इसके लिए हमें भूमि व्यवस्था में सुधार की जरूरत होगी। इसमें जमींदारी प्रथा समाप्त करना भी शामिल है। किसानों को ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाना होगा और गामीणों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना होगा, किंतु आर्थिक समस्याओं के निदान के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार ही पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए राज्य द्वारा निर्देशित औद्योगिक विकास की महत्वाकांक्षी योजना की आवश्यकता है। आधुनिक औद्योगिकरण को हम फिराना भी भापसद और उसके दुष्प्रभावों की कितनी ही आलोचना क्यों न करें हमारे लिए पूर्व-औद्योगिक काल में लौटना संभव नहीं। इसके लिए हमें चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। स्वतंत्र भारत में संपूर्ण कृषि और औद्योगिक ढांचे का उत्पादन और विनिमय के क्षेत्र में क्रमशः समाजीकरण करने के उद्देश्य से हमें

योजना आयोग के परामर्श से सगेकित कार्यक्रम बनाया होगा।

1938 में बोस का विश्वास था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी समाप्त नहीं हो जाएगी, बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्हें विश्वास था कि देश में कई पार्टियों की उपस्थिति और कांग्रेस पार्टी का आधार लोकतांत्रिक होने के कारण भविष्य में देश को एक-दल-वादी राज्य बनने से बचाया जा सकेगा। पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र यह भी सुनिश्चित करेगा कि नेतागण ऊपर से थोपे न जाएं, बल्कि नीचे से सर्वसम्मति से चुने जाएं। बाद में यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता के सबंध में श्री बोस के विचार ज्यादा ही आशावादी थे। कृषकों व श्रमिक संगठनों को कांग्रेस में मिलाने और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से फायदा उठाने जैसे उनके विचारों को कांग्रेस के ही कई नेताओं और उनके सहयोगियों ने स्वीकृति नहीं दी।

1938 में सुभाषचंद्र बोस ने हरिपुरा बैठक के कार्यजूल के कई मुद्दों पर कार्यवाही करनी चाही। भारत के सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए ढांचा बनाने की दृष्टि से उन्होंने कांग्रेस के राज्य-स्तरीय पार्टी प्रमुखों और उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन बुलाए तथा प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ भी बैठकें आयोजित कीं। भारतीय वैज्ञानिक संघ की बैठक में मेघनाथ साहा से बातचीत के दौरान उन्होंने 'विज्ञान और राजनीति के बीच परस्पर व्यापक सहयोग की जरूरत बताई। अतः अक्टूबर 1938 में बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति के गठन की घोषणा की। 19 अक्टूबर 1939 को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखा— "मुझे आशा है कि आप योजना समिति का अध्यक्ष बनना स्वीकार करेंगे। यदि इसे सफल बनाना है, तो आपको इसका अध्यक्ष बनना ही चाहिए।" 17 दिसंबर, 1938 को समिति का उद्घाटन करते हुए बोस ने कहा कि बड़े उद्योगों के लिए बनाई जाने वाली योजना में समानता होनी चाहिए और लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए पोषाहन दिया जाना चाहिए।

1938 में बोस के कार्यों की प्राथमिकता सूची में जो महत्वपूर्ण कार्य था, वह धार्मिक समुदाय में गधुर सबंध स्थापित करने का था। बोस को तो पहले से ही विश्वास था कि हिंदू-मुस्लिम एकता केवल साम्राज्यवाद-विरोधी सपनों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत में धार्मिक व भाषाई वर्गों में शक्ति के समान विभाजन के लिए भी आवश्यक है। मुंबई में 14 मई, 1938 को बोस ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष एम. ए. जिन्ना से बात की और हिंदू-मुस्लिम प्रश्न पर समझौता करने का एक और प्रयास किया। इराकी पृष्ठभूमि में बोस से पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर तैयार कर दी थी कि भारत में केवल दो पार्टियाँ हैं, एक ब्रिटिश सरकार और दूसरी कांग्रेस। नेहरू की दूरदृष्टि ने हिंदू-मुस्लिम समस्या को देख लिया था किंतु वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इस पुस्तक में प्रकाशित बोस-जिन्ना के पत्र-व्यवहार में स्पष्ट होता है कि जिन्ना लगातार इस बात पर बल देते रहे कि मुस्लिम लीग को भारत

में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए— तभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वार्ता व समझौता संभव हो पाएगा। कांग्रेस इस बात का स्वीकार नहीं कर सकी कि वह केवल एक सांप्रदायिक संस्था ही थी। 25 जुलाई, 1938 को बोस ने जिन्ना से कहा— “कांग्रेस केवल लोग से मैत्रीपूर्ण संघ ही स्थापित नहीं करना चाहती बल्कि हिंदू-मुस्लिम समस्या को भी सम्मानजनक रूप से हल करना चाहती है। 2 अगस्त 1938 को जिन्ना ने उत्तर दिया कि लीग भी समझौता करने को उत्सुक है, लेकिन उससे पहले वह कांग्रेस से वे आधार तय करना चाहती है जिन पर वार्तालाप आगे बढ़ सके, क्योंकि नेहरू द्वारा लीग के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगाया जा चुका है। 1938 में किए गए प्रयास निष्फल रहे जबकि कांग्रेस और लीग के बीच बातचीत का आधार ही तय नहीं हो पाया।

यह सोचना चाहते थे कि दो में से कम-से-कम एक चीज अवश्य हो जानी चाहिए—मुस्लिम लीग से अखिल भारतीय स्तर पर समझौता या मुस्लिम बहुतायत प्रांतों में कांग्रेस व मुस्लिम लीग की मिली-जुली सरकारों का गठन, ताकि कांग्रेस अंग्रेजों के सम्मुख एकीकृत राष्ट्र की मांग रखने की स्थिति में आ सके। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बोस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व वाली सरकार तथा सिंध में अल्लाखान मन्जिमडल को समर्थन देने के लिए तैयार थे। अपने प्रांत बंगाल में समर्थन प्राप्त सरकार के गठन को लेकर सुभाषचंद्र बोस व उनके बड़े भाई शरदचंद्र बोस की कांग्रेस हार्डिकमान तथा गांधीजी द्वारा भर्त्सना की गई, जिसका मुख्य कारण जी डी बिडला और नलिनीरजन सरकार का प्रभाव था। 1937 में बोस को सिद्धांततः सरकार के गठन का विरोध सहना पड़ा। किंतु रात्याग्रह का विस्तृत प्रचार न हो पाने के कारण और सात राज्यों में मन्जिमडल के गठन का निर्णय ले लिए जाने के कारण, उनका विचार था कि शेष प्रांतों में मिली-जुली सरकार के गठन में सांप्रदायिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राष्ट्रीय विरोध भी शक्तिशाली होगा। 21 दिसंबर 1938 में उन्होंने गांधीजी को लिखा

शेष तीन प्रांतों में मिली-जुली सरकार के गठन में प्रयास में अब हमें रत्ती-गर समय नष्ट नहीं करना चाहिए तथा उन हिंदू-मुस्लिम समस्याओं के विषय में, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की बातचीत पर पैदा होगी, अपने निर्णय की घोषणा कर देनी चाहिए। साथ ही हमें कांग्रेस सरकारों के प्रति मुसलमानों की शिकायत को भी सुनना चाहिए। हमारे इन दो वाद्यों से मुसलमानों को विश्वास हो जाएगा कि हम उनकी कठिनाइयों को सुनने व समझने को उत्सुक हैं और यथासंभव दूर भी करना चाहते हैं।

अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के मार्ग में धार्मिक समुदायों तथा भाषाई क्षेत्रों द्वारा पैदा की गई बाधाओं के प्रति बोस का रूपांक बिल्कुल अलग था तथा कांग्रेस के अन्य सदस्यों व नेताओं की अपेक्षा अधिक उदार भी था।

यूरोप-प्रवास के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर पैदा हुई बोस की रुचि 1938

आते-आते ओर भी गहरी होती चली गई। जापानी आक्रमण के विरोध में उन्होंने चीन में आपसी भाईचारे के नाते कांग्रेस चिकित्सा दल भिजवाया। वर्ष की समाप्ति तक वे इस निर्णय पर पहुँच चुके थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ अब ऐसी हैं कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध यदि व्यापक आंदोलन छेड़ा जाए तो लाभ हो सकता है।

बोस द्वारा बनाए गए साम्राज्यवाद-विरोधी असाहयोगी कार्यक्रम तथा स्वतंत्र भारत के समाजवादी पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को लेकर गांधीजी तथा कार्यकारिणी के अन्य सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा हो गया जिसके परिणामस्वरूप बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में लोगों ने उन्हें कांग्रेस का पुनः अध्यक्ष चुनने का विरोध किया। मौलाना आजाद ने चुनाव लड़ने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की, जिससे कार्यकारिणी के कुछ लोगों ने मिलकर हाईकमान के पसदीदा एक अन्य सदस्य पट्टाभि सीतारामैया को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। बोस की इच्छा थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष वामपंथी होना चाहिए लेकिन जब एकमत से किसी व्यक्ति का चुनाव सम्भव न हो पाया तो उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इसी प्रकार बंगाल में मिली-जुली सरकार के गठन को लेकर बोस के समर्थकों व गांधी के प्रति वफादार उदारवादियों में मतभेद हुआ दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार के विरोध के कारण राष्ट्रीय योजना समिती के समाजवादी कार्यवृत्त में भी मतभेद पैदा हुए। के. एम. मुंशी ने खुले आम गांधीजी से शिकायत की कि बोस कांग्रेस के विरोध के लिए जर्मनी की सहायता लेना चाहते हैं जबकि वह बैठक (जिसे गलत रूप में जर्मन कौंसिल के साथ षड्यंत्रकारी बैठक कहकर प्रचारित किया गया) जर्मनी के व्यापारियों के साथ एक सामान्य बैठक थी। बोस जर्मन नीतियों के कड़े आलोचक थे। जनवरी 1939 के अंत तक दो सप्ताह चली अध्यक्षीय चुनाव की बहस और उत्तम प्रत्युत्तर में जो बयान प्रेरित में प्रकाशित हुए उसमें दो बातें प्रमुख रहीं— सघीय योजना के प्रति दृष्टिकोण तथा कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र की स्थापना। 9 जुलाई 1938 को बोस ने कहा कि फेडरेशन के साथ चोरी-छिपे किया गया किसी भी प्रकार का सहयोग भारत की स्वतंत्रता के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा और वह एक भयानक खतरा सिद्ध होगा। चुनावी बहस के दौरान जब उन्होंने आम लोगों में फैली आशंका का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के उदारवादियों और ब्रिटिश सरकार के बीच फेडरल योजना पर समझौता होने की संभावना है तो उन पर अपने साथियों का अपमान करने का आरोप लगाया गया। प्राप्त अभिलेख सामग्री से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि बोस की आशंका निर्मूल नहीं थी और उस समय ब्रिटिश सरकार के उच्चाधिकारियों और पटेल के निकट सहयोगियों के बीच *गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935* के फेडरल भाग पर अन्धप्रचारिक वार्तालाप चल रहा था। उस समय चूंकि बोस कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाए इसलिए चुनाव हो जाने के बाद भी उन पर 'दोषारोपण' का आरोप लगाया जाता रहा। पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के विषय में बोस का मानना था कि कार्यकारिणी के कुछ लोग किसी व्यक्ति को मनोनीत कर दें, यह ठीक नहीं। यह अति आवश्यक है कि प्रतिनिधि अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष

मत्र रज्य सक्त । यदि उनके इतनी कर्तव्यता भी नहीं है तो कांग्रेस का राज्यात्मक लोकतांत्रिक कैरे क सकता है ?

प्रतिनिधियों द्वारा अधीनस्थ लोकतांत्रिक मत 29 जनवरी 1939 को दो सौ से अधिक मतों द्वारा सुभाषचन्द्र बास के पक्ष में तथा 131 जनवरी, 1939 में महात्मा गांधी ने मोहणा की

मोहत्या लाइन द्वारा नाम वापस ले लिए जाने पर देने से का पद-पत्रों को चुनाव खटने के लिए प्रेषित किया था अतः उपरोक्त हार मेरी तार है । यदि मैं विशिष्ट सिद्धांतों का और नीतियों का प्रतिनिधित्व करने में असफल रहता हूँ तो मैं भी खरी हूँ । अतः मुझे यह आशा है कि मैं जिन सिद्धांतों और नीतियों पर चल रहा हूँ उनके प्रतिनिधित्व स्वीकृति जारी दते । यह मेरी तार है । अखिरपर सुधीय यावु भी देश के शत्रु नहीं हैं । उन्होंने भी देश के हित में कष्ट उठाए हैं ।

4 फरवरी 1939 का अधिन प्रत्युत्तर में सुभाष ने कहा कई बार बड़े विपक्षों पर मैं महारजा गान्धी से सहमत नहीं हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी उनका अस्मितात्मक जो प्रति मेरे मन में सम्मान बना हुआ है । मेरा राय प्रकाश रहेगा कि मैं उनका विश्वासगत बना रहूँ, क्योंकि अद्य लोगों का विश्वास जीताने का बलजुब यदि मैं शकल क इत मत्तन व्यक्त का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया तो यह मेरे लिए बहुत दुःख स्थिति होगी ।

मौलाना अबुल क़ासिम का कि चुनाव के दौरान उमदत दिवारा को पक्षी छोड़ें । जो सजा है और गांधी के साथ समझौते पर भी पहुँचा जा सकता है । गांधी को वह उनके अनुयायियों से पृथक मानते थे । एम एन राय ने गांधी के मन को शोषण प्रहवाना था । उनको गांधी के बचाने की व्याख्या करत हुए लिखा था

यह तो गांधीवादी तरीके से बुद्ध की घोषणा है- कांग्रेस की उपरानी ताकतों के उपरि असहयोग करवाकर अन्ध तथा आंधके सहयोगियों के धर्म में लकावटें फैला करके अस्वभाविक स्थिति बनाता है । गांधीजी के बचाने का लक्ष्य-सौभाग्य अर्थ यही है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अपना कोट श्रावण नहीं है और अपना अनुभव का शिरोधार्य करने वाले लोगों को कांग्रेस में बने रहना चाहिए ।

फरवरी के मध्य में मेरा गरीब मन से बीमार हो गए । तब काउंसिल का सफ़ट मंडल गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तथा शरतचंद्र बास को प्रोवोकेशन कर्मचारी की एक सभा में मद्रास में 22 फरवरी 1939 को अपने व्यासपत्र दे दिए । मार्च 1939 में कांग्रेस के विपरीत अधिपेशन का कारण था कि वे अपने अधिपतीय भाषण देने में असमर्थ थे । अतः उनका भाषण उनके बड़े भाई शरतचंद्र बास ने पढ़ा । अपने सौध सफ़ट और सशिक्ष भाषण में बास ने कांग्रेस को आह्वान किया कि उपरोक्त सरकार से स्वातंत्र्यजनक उत्तर व मिल पान की स्थिति में हमें चाहिए कि हम विस्तृत अवकाश अवकाश शुरू करें और प्रिंटिंग सरकार को एक अखिरीपेशन भी दें । बास चाहते थे कि कांग्रेस

अलग-अलग रियासतों में चल रहे आंदोलनों का समेकित और व्यवस्थित तरीके से नेतृत्व करें। उन्हीं विचार थे कि साम्राज्यवाद-पिरोधी प्रत्येक आंदोलन विशेष रूप से कृषक आंदोलन और ट्रेड यूनियन सघर्ष को स्पष्ट रूप से सहयोग दिया जाना चाहिए।

अध्यक्षीय चुनाव में हुई अप्रत्याशित हार का बदला लेने के लिए सुधारवादी गुट ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुनियोजित ढंग में सफलतापूर्वक राजनीतिक चोट की। अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अनुपस्थित रहने के कारण वे लोग गोविंदवल्लभ पंत के नेतृत्व में यह प्रस्ताव पारित कराने में सफल हो गए कि कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधीजी का विश्वास व्यक्त होना आवश्यक है तथा अध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है कि वे कार्यकारिणी के सदस्यों को गांधीजी की इच्छानुसार मनोनीत करें। सत्य व अहिंसा के मनापलबिधियों तथा अन्य लोगों के आपसी मतभेद के कारण त्रिपुरी का वातावरण इतना बिगड़ गया कि अंततः बॉस के पास निराश होकर पदत्याग देने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं बचा।

गांधीजी एक छोटे-से राजा द्वारा शासित प्रदेश राजकोट के मामले में इतने व्यस्त हो गए कि त्रिपुरी अधिवेशन तक में उपस्थित न हो सके, इसलिए कार्यकारिणी के गठन की समस्या को पत्र-व्यवहार द्वारा हल करने का प्रयास किया गया। बॉस चाहते थे कि कार्यकारिणी के लिए राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र से लोगों को मनोनीत किया जाना चाहिए लेकिन गांधीजी चाहते थे कि बहुसंख्यक लोगों के समुक्त परिषद् का गठन किया जाए। बॉस का कहना था कि यदि वे गांधीजी की इच्छानुसार ससद का गठन कर भी देंगे, तो भी पंत प्रस्ताव की मांग के अनुसार वह गांधीजी के विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाएगा। गांधीजी ने अपने उत्तर में लिखा 'जितना मैं इस प्रस्ताव (पंत प्रस्ताव) को पढ़ता हूँ, उतनी ही मुझे इससे थिड़ होती जाती है।' हालांकि बॉस को इच्छा थी कि कांग्रेस के दोना गुटों से छह-छह सदस्य चुन लिए जाएं लेकिन सकट को हल करने के लिए वे यही तय तैयार थे कि गांधीजी स्वयं ही कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत कर दें। गांधीजी के इकार कर देने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी का गठन करती ही नहीं। सकट की एक ऐसी घड़ी में जबकि गांधीजी के अधिकारों को सफलतापूर्वक चुनौती दी जा चुकी थी बॉस ने कांग्रेस में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आह्वान करना उचित नहीं समझा क्योंकि इससे उनका हृदय दुखी होता। कई दिन बाद अप्रैल 1939 में सोदपुर में हुए व्यक्तिगत वार्तालाप से भी जोई ठोस परिणाम नहीं निकला। कार्यकारिणी के गठन में विफल रहने के बाद 29 अप्रैल 1939 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

जवाहरलाल नेहरू उन दिनों शरत बॉस के घर ठहरे हुए थे। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि बॉस का त्यागपत्र स्वीकार करने के बजाय उनके सामने यह प्रस्ताव रखा जाए कि वे कार्यकारिणी के सदस्यों कम से कम दो सदस्यों को अपनी इच्छानुसार मनोनीत करें। लेकिन बॉस कार्यकारिणी में अधिक

लोगों का प्रतिनिधित्व चाहते थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और बोन का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। इस सकटपूर्ण घड़ी में नेहरू ने मध्यम की भूमिका निभाई लेकिन उन्होंने पटेल के नेतृत्व की कार्यकारिणी से स्वयं को अलग रखा। इन दोनों के बीच हुए लंबे पत्र-व्यवहार से पता चलता है कि बोस को नेहरू की दो घोड़ों पर सवार होने की नीति से काफी धक्का पहुंचा। वे नेहरू को अपना बड़ा भाई मानते थे जिन्होंने प्रतिद्वंद्वियों में विरोधी भावना का सदा विरोध किया। बोस ने नेहरू को लिखा— जिस एकता की खोज में हम लगे हैं वह जिस एकता को बनाए रखना चाहते हैं वह कार्य की एकता होनी चाहिए, न कि अकर्मण्यता की एकता।" निश्चय ही बोस बहुत कटुभाषी थे और शायद निर्णायक क्षणों में नेहरू की हिचकिचाहट की आलोचना करने में अल्पसंख्यक क्रूर भी थे। किंतु कई वर्षों के बाद 1939 में तारा जिंकिन से साक्षात्कार के दौरान नेहरू ने स्वीकार किया कि सुभाष जा करना चाहते थे, वे उनसे सहमत तो थे, लेकिन उन्होंने उन्हें हमेशा नीचा दिखाया।

त्रिपुरी तथा उसके बाद की घटनाओं ने बोस की हार को इस रूप में प्रदर्शित किया कि वे स्वभाव से तथा एक सगठनकर्ता के रूप में अयोग्य थे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से लोकप्रिय हैं— फिर भी गांधी और उनके अनुयायियों की राजनीतिक चतुराई का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। इन सब घटनाओं के परिणामस्वरूप उस काल में भारत के प्रमुख व्यक्ति के रूप में गांधी का प्रभुत्व कम हुआ, जैसा कि हीरेन मुखर्जी ने लिखा भी कि गांधी का व्यवहार बोस की तुलना में निम्न और विडविडाहट भरा प्रकट हुआ। दूसरी ओर बोस को रवींद्रनाथ जैसे महान व्यक्तियों से सम्मान प्राप्त हुआ। टैंगर ने अपने एक संदेश में कहा भी

उस कठिन घड़ी में जिम साहस और गरिमा का परिचय आपने दिया, उससे मैं आपका कथित हो गया और आपके नेतृत्व में मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है। ऐसी गरिमा का परिचय अभी बंगाल को अपनी प्रतिष्ठा के लिए देना है, जो आपकी इस हार को विजय में बदलने में सहायक सिद्ध होगी।

महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता छीन लेने के बावजूद सुभाषचंद्र बोस उनका कहना मानते रहे। गुरुदेव ने उन्हें दशनाथक का संबोधन दिया। रवींद्रनाथ टैंगर सुभाषचंद्र बोस के पुनः कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के पक्षधर थे और उन्होंने 21 जनवरी, 1939 में शांति-निकेतन में सुभाष का सम्मान भी किया। उन्होंने फरवरी माह के पहले सप्ताह में कलकत्ता में सुभाष बोस का जनसम्मान करने की दृष्टि से एक सभापण भी तैयार किया, जिसे बाद में स्थगित करना पड़ा। बंगाल के कवि के रूप में रवींद्रनाथ ने लिखा

जन्मा के नेता के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ। गीता हमें यही संदेश देती है कि जब-जब देश में बुरी शक्तियों का जोर बढ़ता है, तब-तब भगवान उसका नाश करने के लिए अचानक लेंते हैं। जब राष्ट्र की आत्मा पर हर दिशा से

आक्रमण हो रहा हो तो उसकी अतरात्मा की पुकार सुनकर उस छुटकारा दिलाने वाला सामने अवश्य आता है। किसी भी व्यक्ति को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सकीर्ण प्राप्तियता के अभियान में वह देश के अन्य भागों को पृथक् समझकर उसे अलग राज्य के रूप में स्थापित करे।

आपका एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप अपने देशवासियों को दृढ़ निश्चयी बनाएँ और उगमे जिदा रहकर विजय प्राप्त करने की आशा जगाएँ तथा अपने जीवन से प्रेरणा देकर उन्हें शक्तिशाली बनाएँ। अरसे पहले मैंने एक बैठक में बंगाल के मादी नेता का संबोधित किया था। कई वर्षों के अंतराल के बाद इस बैठक में मैं एक ऐसे व्यक्ति को संबोधित कर रहा हूँ जिसे सब भली-भाँति जान चुके हैं। संभव है कि आने वाले संघर्ष में मैं उसका साथ न होऊँ। मैं केवल उसे आशीर्वाद दे सकता हूँ और यह जानकर आश्वस्त हूँ कि उसने इस देश को कष्टों को अपना कष्ट स्वीकार किया है। उसके प्रयासों का फल उसे देश की स्वाधीनता के रूप में अतंत प्राप्त होगा।

गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ-साथ सुभाषचंद्र बोस को जनसामान्य के एक बड़े हिस्से से सहानुभूति और सम्मान प्राप्त हुआ। अपने तंख 'मेरी विचित्र बीमारी' में उन्होंने उन सभी पत्रों तारों पत्रासत्ता दवाइयों के पैकटों फूला व तावाजा का जिक्र भी किया है जा उन्हें लोगों ने भजे

मैं इन पत्र-लेखकों तथा विभिन्न वस्तुओं को भेजने वाले लोगों का धार्मिक विश्वास के आधार पर विश्लेषण कर रहा था तो मैंने देखा कि इनमें प्रत्येक धार्मिक पथ का प्रतिनिधित्व है। केवल प्रत्येक धार्मिक पथ का ही नहीं बल्कि सभी चिकित्सा पद्धतियों (यदि मैं ठीक शब्द का प्रयोग करूँ, तो सभी पेशियों) का प्रत्येक लिंग का हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी आदि तथा ऐतौपैथ, होम्योपैथ, वेद्य, हकीम, प्राकृतिक चिकित्सक, भविष्यवक्ता आदि स्त्री एवं पुरुष सभी ने मुझे पत्र लिखे, अपने-अपने सुझाव दिए, कभी-कभी तो दवाइयाँ और ताबीज भी भेजे।

नैतिक रूप से धक्का पहुँचाने वाले त्रिपुरी के पातादरण के बापजूद यह प्यार ही बोस में पुनः आत्मविश्वास पैदा कर पाया। अतः उन्होंने कहा कि यही वह भारत है जिसके लिए हम लोग सघर्षरत हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यही वह भारत है, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति अपना जीवन न्यौछावर कर सकता है। यही वह वान्ताविक भारत है जिसमें किसी की अटूट आस्था हो सकती है। फिर त्रिपुरी में चाहे कुछ भी कहा या किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।

शिशिर कुमार बोस
सुगता बोस

भाषण, लेख तथा वक्तव्य

कांग्रेस तथा सविधान और फासीवाद तथा साम्यवाद पर 24 जनवरी 1938 को लंदन के डेली वर्कर में प्रकाशित आर पाम दत्त के साथ बातचीत की रिपोर्ट

सवाल राष्ट्रीय सरकार के प्रयत्नका यहाँ दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में नया सविधान काफी सफल हुआ है और कांग्रेस का सरकार में शामिल होना इसका प्रमाण है। इस नजरिये पर राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच क्या है ?

जवाब सरकार में शामिल होना इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस हमेशा के लिए सविधान को स्वीकार करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी कई आशकाओं के साथ सरकार में शामिल हो रही है।

इस तरह इसका उद्देश्य दुहरा है पहला अपनी जगह को मजबूत करना तथा दूसरा यह बताना कि वर्तमान सविधान की शर्तों पर वास्तव में कुछ बड़ा या सार्थक काम कर पाना संभव नहीं है। इस आशका के विपरीत यदि कुछ सार्थक होता है तब वह स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत जनता के राजनैतिक संगठन को शक्तिशाली बनाएगा।

सवाल क्या सविधान के सघ बातों हिस्से को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लेने की कोई संभावना है ?

जवाब कांग्रेस द्वारा अपनी सोच बदलने तथा सविधान के गणतंत्र वाले हिस्से स्वीकार कर लेने की संभावना नहीं है जैसे इसने राज्यों वाले मामले में किया था। सविधान के राज्यों वाले और सघ वाले हिस्सों में कोई समानता नहीं है।

सवाल आपकी नजर में राष्ट्रीय संघर्ष का अगला चरण क्या है ? क्या यह सच है कि किसानों में अशांति और हड़ताल व आंदोलन तजी से बढ़े हैं ?

जवाब बढ़ते हुए उत्साह के साथ जन-चेतना का विकास राष्ट्रीय संघर्ष का अगला चरण होगा। कांग्रेस का काम होगा इस ताकत को लामबंद करना और सही दिशा में बढ़ाना। दूसरे शब्दों में व्यापक गैर-साम्राज्यवादी मोर्चे पर आधारित पार्टी संगठन को खड़ा करना एक समस्या होगी यदि हम इसका हल निकाल सकते हैं तो भविष्य में आने वाले किराी भी खतरे का आशा और साहस के साथ सामना करने के लिए हम तैयार होंगे। सरकार में कांग्रेस के शामिल होने के बाद किसानों में अशांति तथा मजदूर-हड़ताल जन-चेतना के विकास की अभिव्यक्ति हैं।

सवाल क्या आप नेशनल कांग्रेस के जनाधार को इस तरह बढ़ाने के पक्ष में हैं कि यह मजदूर तथा किसान संगठनों के सामूहिक जुड़ाव से बने एक सर्वदलीय राष्ट्रीय मोर्चा की

तरह हो?

जवाब हा निश्चित ही।

सवाल आपकी नजर में हिंदुस्तान के संसद में ब्रिटेन की लेबर पार्टी या भविष्य की लेबर सरकार कौन-सी नीति अपनाएगी ?

जवाब हम चाहेंगे कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी कांग्रेस के उद्देश्यों को पूरी तरह से समर्थन दे।

सवाल आपकी किताब 'द इंडियन स्ट्रगल' के अंतिम भाग में फासीवाद के सद्वर्ष में कई सवाल किए गए हैं। क्या आप फासीवाद के बारे में अपने विचार पर कोई टिप्पणी करेंगे?

जवाब तीन साल पहले अपनी किताब लिखने के बाद अब मेरे राजनीतिक विचारों में काफी विकास हुआ है।

वास्तव में मैं कहना चाहता था कि हिंदुस्तान में हम अपनी राष्ट्रीय मुक्ति चाहते हैं— इसे हासिल करने के बाद हम समाजवाद की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। जब मैंने समाजवाद और फासीवाद के बीच 'सश्लेषण' की बात की, तब मेरा मतलब यही था। शायद जिस तरह से मैंने बात कही है, वह अच्छी न लगे, लेकिन यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब मैं वह किताब लिख रहा था, तब तक फासीवाद ने अपना साम्राज्यवादी अभियान शुरू नहीं किया था और मुझे वह सिर्फ राष्ट्रवाद के एक आक्रामक रूप की तरह लगा था।

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में साम्यवाद के समर्थक माने जाने वालों में से कइयों ने जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया है, उससे मुझे साम्यवाद ही राष्ट्रविरोधी लगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उनमें से कइयों द्वारा दिखाए गए शत्रुतापूर्ण व्यवहार ने मेरी इस समझ को मजबूत ही किया है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैंने हमेशा माना है और अपनी इस मान्यता से सतुष्ट रहा हूँ कि मार्क्स और लेनिन के लेखन और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीतियों पर आधिकारिक बयानों में जिस प्रकार साम्यवाद को अभिव्यक्त किया गया है वह राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को पूरा समर्थन देने वाला है और इसे अपने वैश्विक नजरिये के अन्तर्गत हिस्से के तौर पर स्वीकार करता है।

आज मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को व्यापक गैर-साम्राज्यवादी मोर्चे के रूप में संगठित होना चाहिए और राजनीतिक स्वतंत्रता को हासिल करने तथा साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना करने का दुहरा उद्देश्य अपनाना चाहिए।

हरिपुरा भाषण

फरवरी 1938 में हरिपुरा में सपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51वें अधिवेशन के अवसर पर अध्यक्षीय भाषण

अध्यक्ष महादय और साथियो

अगले साल के लिए मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर आपने जा सम्मान दिया है उसी में हार्दिक रूप से महसूस किया है। एक क्षण के लिए भी मुझे इसका आभास नहीं था कि मैं इतने बड़े सम्मान के लिए किसी काबिल हूँ। मैं इसे आपकी उदारता की निशानी मानता हूँ और देश के उन युवाओं की भेट मानते हुए इसका सम्मान करता हूँ, जिनके राष्ट्रीय संघर्ष में भगति योगदान के बिना हम वहाँ नहीं होते जहाँ आज खड़े हैं। एक तरह के नय और विह्वलता के साथ मैं उस मंच पर आसीन हूँ, जिसे अब तक हमारी मातृभूमि के सुविख्यात बेटे-बेटियों ने सुशोभित किया है। अपनी सीमाओं का जानते हुए मैं सिर्फ आशा और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सहानुभूति और सहायता की बदौलत इस ऊँचे पद के साथ इसाफ करन के थोड़ा-बहुत योग्य हो पाऊँ, जिसे समालने के लिए आपने मुझे बुलाया है।

सबसे पहले मैं श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू आचार्य जगदीशचंद्र बोस और डॉ. शरत्चंद्र चटर्जी के निधन पर आपके गहरे दुःख को दर्ज करते हुए आपकी भावनाओं को वापसी देना चाहता हूँ। श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू हमारे लिए सिर्फ पंडित मोतीलाल की धर्मपत्नी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदरणीया माँ ही नहीं थीं, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए उनकी पीछा त्याग और सेवा ऐसी थीं - जिस पर किसी को भी गर्व हो सकता है। उनके निधन से शोक-सतप्त परिवार के सदस्यों के लिए हमारा हृदय सहानुभूति से भरा हुआ है।

आधुनिक वैज्ञानिक दुनिया में शायद पहले देश को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए आचार्य जगदीशचंद्र बोस का भारत हमेशा आभारी रहेगा। हृदय से राष्ट्रवादी आचार्य जगदीश ने सिर्फ विज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए अपना जीवन अर्पित किया। भारत को यह मालूम है और वह इसके लिए कृतज्ञ है। हम श्रीमती बोस के लिए हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं।

डॉ. शरत्चंद्र चटर्जी के असमय निधन से हिंदुस्तान ने अपने साहित्यिक आकाश का सबसे चमकीला तारा खो दिया है। बंगाल में वरसों तक एक घरेलू शब्द रहा उनका नाम भारत की साहित्यिक दुनिया में भी कम चर्चित नहीं है। लेकिन यदि शरत् बाबू एक साहित्यकार के रूप में महान थे, तो शायद एक देशभक्त के रूप में उससे कहीं अधिक महान थे। उनके निधन से बंगाल में कांग्रेस निश्चित ही आज पहले के मुकाबले कमजोर

साम्राज्य के बाहर भी दीखता है। स्पेन के मामले में ब्रिटेन के राजनेता ऐसे ही विकल्पो, जैसे फ्रैंको और वैध सरकार के बीच बट हुए हैं। यूरोपीय राजनीति के व्यापक क्षेत्र में फ्रांस और जर्मनी के सद्वर्धन में भी यही स्थिति है।

ब्रिटेन की विदेश नीति में मौजूद विरोधाभास और विनगतिया उसके साम्राज्य के वैविध्यपूर्ण ढांचे का सीधा परिणाम है। ब्रिटेन के कबीना को यहूदियों को सतुष्ट करना ही है क्योंकि वह यहूदियों की विशाल वित्तीय क्षमता की अनदेखा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ, निकट पूर्व तथा हिंदुस्तान में साम्राज्य के हितों के मद्देनजर हिंदुस्तान के केंद्र तथा विदेशी केंद्र को अरबों को राजी करना होगा। ग्रेट ब्रिटेन के पास अपने साम्राज्य को मुक्त राष्ट्रों के गणतंत्र में बदलना ही सिर्फ एक रास्ता है, जिसके जरिए वह स्वयं को ऐसे विरोधाभासों और असंगतियों से मुक्त कर सकता है। यदि वह ऐसा कर सका, तो वह इतिहास में घमत्कार को अजाम देगा। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने उस बड़े साम्राज्य से धीरे-धीरे सदस्यों के निकलते जाने की नौबत में समझौता करना ही पड़ेगा, जिनके बारे में माना जाता है कि वहां सूरज कभी नहीं डूबता। ब्रिटेन को इन लोगों के मामले में जास्ट्रियाई-हंगरी साम्राज्य से मिली सीख को नहीं भूलना चाहिए।

आजकल बर्तानिया साम्राज्य कई वजहों से तनावग्रस्त है। साम्राज्य के अंतर्गत ही पश्चिम में एक छोर पर आयरलैंड है तथा पूर्व में एक छोर पर हिंदुस्तान। बीच में मिस्र और इराक को साथ लिए फिलस्तीन है। साम्राज्य के बाहर भूमध्य में इटली तथा सुदूर पूर्व में जापान जैसे जुझारू, आक्रामक और साम्राज्यवादी देश होने के कारण पड़ने वाला दबाव है। अशांति की इस पृष्ठभूमि के सामने रूस खड़ा है जिसका अस्तित्व ही प्रत्येक साम्राज्यवादी राज्य के सत्ताधारी वर्ग के दिल में आतक पैदा कर देता है। बर्तानिया साम्राज्य आखिर कब तक दबाव और तनाव के इस सगठित असर को नकार सकता है ?

आज ब्रिटेन स्वयं को 'समुद्रों की मल्लिका' नहीं कह सकता। 18वीं और 19वीं सदी में इसका असाधारण उत्थान इसकी समुद्री ताकत का ही परिणाम था। बीसवीं शताब्दी में इसका पतन विश्व इतिहास में एक नए कारक—वायुसेना—के उदय के परिणामस्वरूप होगा। इस नए कारक (वायुसेना) के कारण ही भूमध्य में अक्खड़ इटली ब्रिटेन की पूरी तरह से तैरा नौसेना को सफलतापूर्वक चुनौती दे सके। ब्रिटेन थल, जल तथा वायु को यथासंभव फिर से हथियारबंद कर सकता है। युद्धपोत आकाश से बमबारी के लिए अब भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन वायुसेना आधुनिक युद्धशैली के एक शक्तिशाली घटक के रूप में अपनी जगह बना चुकी है। दूरियां मिट चुकी हैं और एअरक्राफ्ट-विरोधी सारी सुरक्षा के बावजूद लंदन किसी महाद्वीपीय केंद्र के किसी बमवर्षक दल की दया पर आयाद है। संक्षेप में, वायु-सैन्य बल ने आधुनिक युद्धशैली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, ग्रेट ब्रिटेन की परिरोधकता को नष्ट किया है तथा

विश्व-राजनीति में शक्ति-संतुलन को बुरी तरह अन्त-व्यस्त कर दिया है। विशाल साम्राज्य की कमजोर बुनियाद अब अनावृत हो चुकी है, जो पहले कभी नहीं हुई थी।

विश्व-शक्तियों के इस आपसी क्रियाकलाप के बीच हिंदुस्तान पहले की अपेक्षा काफी शक्तिशाली बनकर उभरा है। हमारा देश 35 करोड़ जनसंख्या वाला एक विशाल देश है। हमारा विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या अब तक हमारी कमजोरी का स्रोत रही है। यह कमजोरी ही आज हमारी ताकत का एक स्रोत बन सकती है यदि हम सगठित रहे और अपने शासकों का सहस्र के साथ सांगना कर सकें। हिंदुस्तानी एकता के गद्देनजर पहली बात यह याद रखनी है कि ब्रिटेन-शासित हिंदुस्तान और हिंदुरतानी राज्यों के बीच विभाजन पूरी तरह कृत्रिम है। हिंदुस्तान एक है और ब्रिटेन-शासित हिंदुस्तान तथा हिंदुरतानी राज्यों की जनता की आशाएँ और आकांक्षाएँ समान हैं। आजाद हिंदुस्तान हमारा लक्ष्य है और मेरी समझ में यह लक्ष्य सिर्फ उस संघीय गणतंत्र के जरिए ही हासिल किया जा सकता है जिसमें सूबे और राज्य स्वैच्छिक साझीदार होंगे। राज्य की जनता द्वारा चर्चित हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए चलाए गए आंदोलन को कांग्रेस ने हर बार अपनी महानुभूति और सहायता दी है। इस समय ऐसा हो सकता है कि हम इतने व्यस्त हो कि कांग्रेस राज्यों के अपने हमवतनों के लिए इससे अधिक कुछ कर पाने की स्थिति में न हों। लेकिन आज भी किसी कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा राज्य की जनता के लिए काम करने तथा उनके संघर्ष में भाग लेने में कोई अडबट नहीं है। कांग्रेस में मेरे जैसे भी लोग हैं जो राज्य की जनता के आंदोलन में कांग्रेस की पहले से अधिक सक्रिय भागीदारी चाहेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आगे कदम बढ़ाना और राज्यों में अपने साथी आंदोलनकारियों की सहायता में हाथ बढ़ाना संभव होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें हमारी महानुभूति और हमारी सहायता की जरूरत है।

हिंदुस्तानी एकता की बात करते हुए जो दूरारी बात हमारा ध्यान खींचती है वह है अल्पसंख्यकों की समस्या। कांग्रेस ने इस सवाल पर अपनी नीति भी समय-समय पर घोषित की है। अक्टूबर 1937 में कलकत्ता में हुई बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपनी नवीनतम घोषणा में कहा है

हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में कांग्रेस ने दृढ़तापूर्वक फिर से अपनी नीति बनी घोषणा की है और कहा है कि वह इन अधिकारों की रक्षा करना तथा इन अल्पसंख्यकों के विकास तथा राष्ट्र के राजनीतिक आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन में इनकी पूरी तरह से भागीदारी के लिए हर समय अवसर जुटाना अपना कर्तव्य समझती है। कांग्रेस का लक्ष्य एक स्वतंत्र और संयुक्त भारत है जहाँ कोई वर्ग या समूह या बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक अपने निजी फायदे के लिए दूसरे का शोषण न कर सके तथा जहाँ राष्ट्र के सभी तत्व जनता की भलाई और उन्नति के लिए मिलकर सहयोग कर सकें। आम स्वतंत्रता के लिए एकता और आपसी सहयोग के उद्देश्य का अर्थ किसी तरह

हिदुस्तानी जीवन की उस समृद्ध शैली तथा सांस्कृतिक विविधता को समाप्त करना नहीं है, बल्कि इसे हर व्यक्ति तथा हर समूह को आजादी और अवसर देने के लिए संरक्षित करना होगा, ताकि ये निर्बाध होकर अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार विकास कर सके।

फिर भी, इस सवध में कांग्रेसी नीति की गलत व्याख्या करने के कई प्रयासों के मददेनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस नीति को दुहराना चाहती है। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर लाए गए प्रस्ताव में जोड़ा है कि

- 1 भारत के प्रत्येक नागरिक के पास विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की, स्वतंत्र संगठन तथा मेलजोल की तथा कानून और नैतिकता का विरोध न करने वाले उद्देश्य के लिए शांतिपूर्वक तथा हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है।
- 2 प्रत्येक नागरिक अपने विवेक की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करेगा और वह सार्वजनिक जीवन तथा नैतिकता से जुड़े अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन और प्रवचन करने का अधिकार रखता है।
- 3 अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई इलाकों की संस्कृति, भाषा तथा लिपि का संरक्षण किया जाएगा।
- 4 धर्म, जाति, संप्रदाय या लिंग से निरपेक्ष कानून को नज़रों में सभी नागरिक बराबर हैं।
- 5 सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान के पद या किसी व्यापार या आइडन के दौरान किसी नागरिक को उसके धर्म, जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
- 6 सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए राज्य, स्थानीय निकायों या व्यक्ति विशेष द्वारा लगाए गए कुओं, तालाबों, सड़कों, स्कूलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों के सदस्य में सभी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य समान होंगे।
- 7 सभी धर्मों के सदस्य में राज्य का निरपेक्ष नज़रिया रहेगा।
- 8 विश्वजनीन वयस्क मताधिकार का आधार ही मतदान के लिए मान्य होगा।
- 9 प्रत्येक नागरिक भारत में कहीं भी आने-जाने और इसके किसी भी भाग में रहने और बस जाने, जमीन-जायदाद का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा देश के सभी भागों में उनके साथ कानूनी मुकदमा तथा सुरक्षा के सदस्य में समान रूप से बर्ताव किया जाएगा।

मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव की ये धाराएँ यह स्पष्ट करती हैं कि विवेक, धर्म या संस्कृति के मामले में कोई दखलदाजी नहीं होगी और किसी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक द्वारा थोपे गए किसी बदलाव के बिना ही अपना निजी कानून

मानने का अधिकार होगा।

कांग्रेस के प्रस्तावों तथा अतत पिछले साल जारी चुनाव घोषणा-पत्र में सामुदायिक निर्णय के सबंध में कांग्रेस की भूमिका बारबार स्पष्ट की जा चुकी है। कांग्रेस इसे राष्ट्रविरोधी अलोकतांत्रिक और हिदुस्तान की आजादी तथा हिदुरतान की एकता में बाधक मानती है। फिर भी कांग्रेस ने घोषित कर दिया है कि सामुदायिक निर्णय में कोई बदलाव या इसका दमन सबधित दलों की आपसी रजामदी से ही किया जाना चाहिए। इस तरह से बदलाव लाने व हर अवसर का कांग्रेस ने हमेशा स्वागत किया है और इसका उपयोग करने के लिए तैयार है।

भारत में अल्पसख्यकों को प्रभापित करने वाले सभी मामलों में कांग्रेस सामूहिक उत्तरदायित्व के उनके सहयोग तथा उनकी सदिच्छा से भारतीय जनता की स्वतंत्रता तथा खुशहाली के समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहती है।

इस समस्या के निराकरण के निमित्त हमारा प्रयासों का नवीनीकरण क लिए गयी नहीं वक्त है। राष्ट्रवाद के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप सर्वसम्मत हल निकालने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करने के प्रति जब मैं उत्सुक होने की बात करता हू तो मुझे विश्वास है कि मैं सारे कांग्रेसियों की भावनाओं को अभिव्यक्ति दे रहा हू। इस समाधान के तरीकों की रूपरेखा की तरह ही मैं नहीं समझता कि इस मामले के विस्तार में जाने की जरूरत है। पिछली सभाओं तथा बातचीत में पहले ही कई उपयोगी बात तय हो चुकी हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सामूहिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों पर जोर देते हुए ही हम सामुदायिक अलगाव तथा मतभेदों के पार जा सकते हैं। धार्मिक मामलों में जिओ और जीने दो की नीति तथा आर्थिक एवं राजनीतिक मामलों में समझदारी की नीति अपनाया ही हमारा उपदेस्य होगा। यद्यपि जब कभी हम अल्पसख्यकों के सवाल पर विचार करते हैं तो मुसलमानों की समस्या काफी कठिन दिखती है और चूंकि हम हमेशा के लिए इस समस्या के समाधान के प्रति उत्सुक हैं, इसलिए मुझे यह कहना चाहिए कि कांग्रेस अन्य अल्पसख्यकों और खासतौर पर तथाकथित बहुसंख्यक दलित वर्ग के प्रति न्याय की समान रूप से डच्छुक है। इसे निष्पक्ष विवेचन के लिए मैं हिदुस्तान में अल्पसख्यक समुदायों के सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस के कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर उन्हें किसी किस्म का डर है। कांग्रेस समग्रता में जनता के राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का समर्थन करती है। यदि वह अपने कार्यक्रमों को लागू करने में सफल होती है तो हिदुस्तानी जनता के किसी अन्य वर्ग जितना ही अल्पसख्यक समुदाय भी तागान्वित होगा। इसके बावजूद राजनीतिक सत्ता पान के दाद भी यदि राष्ट्रीय पुनर्रचना समाजवादी तरीक से हुई - और इसमें मुझे कोई सदह नहीं है- तो धनिकों की कीमत पर निर्धनों को लाभ मिलेगा और हिदुस्तानी अगाम को निर्धनो

की श्रेणी में ही रखा जाएगा। लेकिन एक सवाल रह ही जाता है, जो अल्पसंख्यकों की धिता का कारण बन सकता है और वह है धर्म तथा धर्म पर आधारित सहमति का एक पहलू। इस सवाल पर कांग्रेसी नीति विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लिए सांस्कृतिक स्वायत्तता के साथ ही विवेक, धर्म और संस्कृति के मामलों में पूरी तरह धर्म-निरपेक्ष रहने तथा जिओ और जीने दो की नीति है। इसलिए मुसलमानों को हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को लेकर किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत सब कुछ मिलता ही है। जहां तक तथाकथित दलित वर्ग की धार्मिक तथा सामाजिक अयोग्यता का मामला है, सर्पिदित है कि पिछले सत्रह वर्षों के दौरान कांग्रेस ने इसके निराकरण के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी है और मुझे जग भी मदेह नहीं है कि वह दिन अब दूर नहीं, जब ऐसी बात अतीत की वस्तु बनकर रह जाएगी।

अब मैं आने वाले वर्षों में कांग्रेस द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों तथा राष्ट्रीय संघर्ष में इसकी भूमिका पर विचार करूंगा। मैं पहले से कहीं ज्यादा विश्वास करता हूँ कि यह तराका नागरिक अवज्ञा सहित सत्याग्रह या राष्ट्र के ध्यापक अर्थों में अहिंसक असहयोग होना चाहिए। अपने तरीकों को निष्क्रिय विरोध कहना सही नहीं होगा, बल्कि इसे सक्रिय विरोध कहना उचित होगा। यह गतिविधि अहिंसक चरित्र की होनी चाहिए। इस तरह अपने देशवासियों को यह याद दिलाना जरूरी है कि अहिंसक असहयोग को फिर से बहाल करना पड़ सकता है। प्रयोग के तौर पर राज्यों में पद हासिल करने का मतलब यह नहीं निकालना चाहिए कि इस तरह हमारी आगामी गतिविधियां राख्त संविधानवाद के घेरे में कैद हो जाती हैं। बहुत समावना है कि संघ के जबरदस्ती उद्घाटन के प्रति दृढ़ विरोध हमें नागरिक अवज्ञा के दूसरे बड़े अभियान में पहुंचा दे।

स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में इन दोनों विकल्पों में से हम किसी को चुन सकते हैं। जब तक हमें अपनी पूरी आजादी नहीं मिल जाती, हम लड़ाई जारी रख सकते हैं और इस बीच फूय के दौरान मिल सकने वाली किसी भी ताकत के इस्तेमाल के लिए झुक सकते हैं। दूसरी तरफ, तब हग पूर्ण स्वराज्य या सपूर्ण आजादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हुए अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। सिद्धांत के मददेनजर दोनों विकल्प समान रूप से स्वीकार योग्य हैं और प्राथमिकताओं को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हर कदम पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय उन्नति के लिए कौन-सा विकल्प बेहतर होगा। किसी भी दशा में हमारी प्रगति में अंतिम स्थिति ब्रिटेन के साथ हमारे संबंधों की कीमत होगी। जब हम यह कीमत चुका देंगे और ब्रिटेन के चर्चस्व की निशानी नहीं रह जाएगी, तब हम इस स्थिति में आ पाएंगे कि दोनों पक्षों द्वारा स्पेच्छापर्वक तैयार किए गए सधि-पत्र के जरिए भविष्य के संबंधों की रूपरेखा निर्धारित हो सके। ग्रेट ब्रिटेन के साथ भविष्य में हमारे संबंध क्या होंगे या होने चाहिए, यह बताना अभी संभव नहीं है— यह काफी हद तक ब्रिटेन के लोगों की सोच पर निर्भर रहेगा। इस मामले में मैं आइरे की राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति डी वेलेरा

की सोच से काफी प्रभावित हो चुका हू। मुझे यह भी कहना चाहिए कि ब्रिटेन की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम ग्रेट ब्रिटेन से लड़ रहे हैं और हम इसके साथ भविष्य के अपने संबंधों को तय करने की पूरी आजादी चाहते हैं। लेकिन यदि एक बार हमे आत्मनिर्णय का अधिकार मिल जाता है, तो ब्रिटेन की जनता के साथ मधुर संबंध न रखने को कोई कारण नहीं है।

मुझे इस बात का डर है कि हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के इतिहास में कांग्रेस की भूमिका को लेकर कई कांग्रेसजनों के दिमाग में तस्वीर साफ नहीं है। मैं जानता हू कि ऐसे साथी भी हैं, जो सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। ऐसी कोई सोच पूरी तरह से सही नहीं है। जो पार्टी हिंदुस्तान के लिए आजादी हासिल करती है, उसी पार्टी का पुनर्रचना के सारे कार्यक्रमों को भी अमल में लाना चाहिए। जिन्होंने यह सत्ता हासिल की है, सिर्फ वे ही इसे कायदे से सभाल सकते हैं। यदि दूसरे लोग अकस्मात् इस सत्ता पर आसीन कर दिए जाते हैं, जो उसे हासिल करने लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो क्रांतिकारी पुनर्रचना के लिए सर्वथा जरूरी शक्ति, आत्मबल तथा आदर्शवाद का उनमें अभाव होगा। यही वह कारण है जो प्रांतीय स्वायत्तता के बिल्कुल सकीर्ण दायरे में कांग्रेसी या गैर-कांग्रेसी गतिगडलों के बीच क अंतर को सामने लाता है।

नहीं, राजनीतिक आजादी मिल जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के खत्म हो जाने का कोई संभावना नहीं है। इसके विपरीत पार्टी को सत्ता सभालनी होगी, प्रशासन की जिम्मेदारी लेनी होगी तथा पुनर्रचना के अपने कार्यक्रमों को लागू करना होगा। सिर्फ तभी कांग्रेस अपनी भूमिका को पूरा कर सकेगी। युद्धोत्तर-कालीन यूरोप को देखते हुए हम पाते हैं कि सिर्फ उन देशों में ही व्यवस्थित ढंग से तथा लगातार प्रगति हुई है, जहां सत्ता हासिल करने वाली पार्टी ने ही पुनर्रचना का काम भी अपने हाथों में लिया।

मुझे मालूम है, यह बहस छिडेगी कि ऐसी परिस्थिति में राज्य के पीछे खड़ी पार्टी का बने रहना उस राज्य का सर्वसत्तावादी बना देगा। लेकिन मैं इस आरोप को नहीं स्वीकारता। यदि रूस जर्मनी और इटली जैसे देशों की तरह यहाँ भी सिर्फ एक ही दल हो, तो राज्य समभवत अधिनायकवादी बन जाएगा। लेकिन दूसरे दलों को प्रतिबंधित करने का कोई तुक नहीं है। फिर, नेता के हित-सिद्धांत पर टिकी किसी नाज़ी पार्टी के उदाहरण के विपरीत हमारे दल का अपना एक लोकतांत्रिक आधार भी होगा। एक से अधिक दलों का अस्तित्व तथा कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक आधार ही भविष्य के हिंदुस्तानी राज्य को अधिनायकवादी बनने से रोकेगा और फिर दल का लोकतांत्रिक आधार यह मुनिश्चित भी करेगा कि जनता पर नेता ऊपर से नहीं थोपे जाते बल्कि नीचे से घुनकर आते हैं।

यद्यपि पुनर्रचना की विस्तृत योजना बताना पाना कुछ-कुछ अपरिपक्व हो सकता है, लेकिन हम कुछ सिद्धांतों के बारे में विचार कर सकते हैं जिनके मुताबिक भविष्य की

हमारी सामाजिक पुनर्रचना आकार ग्रहण करेगी। मुझे अपने मन में कोई सदेह नहीं है कि गरीबी अशिक्षा और बीमारी के उन्मूलन तथा वैज्ञानिक उत्पादन एवं वितरण से संबंधित हमारी मुख्य राष्ट्रीय समस्याएँ समाजवादी रास्ते से जुड़कर ही प्रभावी ढंग से हल की जा सकती हैं भविष्य की हमारी राष्ट्रीय सरकार को जो काम सबसे पहले करना होगा वह है पुनर्रचना की संपूर्ण योजना निर्धारित करना। इस योजना के दो भाग होंगे—पड़ला तात्कालिक कार्यक्रम तथा दूसरा दीर्घकालिक कार्यक्रम। पहले भाग का खाका तैयार करते पक्का तिहरा लक्ष्य दिमाग में रखना होगा। एक तो आत्मबलिदान के लिए देश को तैयार करना, दूसरे, हिंदुस्तान को एक बनाए रखना और तीसरे, स्थानीय तथा सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए माहौल बनाना। दूसरे और तीसरे लक्ष्य परस्पर विरोधी लग सकते हैं लेकिन वस्तुतः वे वैरो हैं नहीं। एक जीवत राष्ट्र के नाते हमारी जो राजनीतिक योग्यता या श्रेष्ठता है उसको इन दो लक्ष्यों को हासिल करने में हमें इस्तेमाल करना होगा। इन देश को एक बनाए रखना होगा, ताकि किसी भी तरह के विदेशी हमले से भारत की रक्षा करने में हम समर्थ हो सकें। देश को एक बनाए रखने के दौरान एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार के जरिए सभी अल्पसंख्यक समुदायों तथा प्रांतों को अपने सांस्कृतिक और सरकारी मामलों में काफी स्वायत्तता देते हुए उन्हें समुष्ट किया जा सकता है। विदेशी वर्चस्व का बोझ हटाने के बाद लोगों की एकता बनाए रखने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि विदेशी शासन ने एक हद तक हमें हतोत्साहित तथा अरागठित कर दिया है। राष्ट्रीय एकता को जगावा देने के लिए बोलचाल की आम भाषा तथा एक लिपि का विकास करना होगा। फिर हवाई जहाज, टेलीफोन रेडियो फिल्म तथा टेलीविजन आदि जैसे आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता के जरिए हम देश के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे के और करीब ला सकते हैं तथा एक आम शिक्षा नीति के जरिए सारों जनता में समान रूप से उत्साह पैदा कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी बोलचाल की भाषा का संबंध है, मुझे लगता कि हिंदी और उर्दू के बीच फर्क करना बनावटी है। राबने सहज बोलचाल की भाषा इन दोनों का मिला-जुटा रूप होगी जैसा कि देश के बहुत बड़े हिस्से के आम जीवन में बोली जाती है और इस आम भाषा को इन दोनों लिपियों में से किसी में लिखा जा सकता है— नागरी या उर्दू। इस बात के प्रति मैं सदाधान हूँ कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो एक के निष्कासन की कीमत पर ही इन दोनों में से किसी एक लिपि का मजबूती से समर्थन करेंगे। हमारी नीति तो भी निष्कासन की नहीं होनी चाहिए। किसी भी लिपि के इस्तेमाल के लिए हमें पूरा अवसर देना चाहिए। फिर भी मैं सोचता हूँ कि अतिगंज और सबसे अच्छा समाधान ऐसी लिपि बने अपनाना होगा, जो हमें बाकी दुनिया की कतार में ला दे। शायद हमारे देशवासियों में से कुछ लोग रोमन लिपि का अपनाते के नाम पर आतंक से भरकर ताकने लगे, लेकिन मैं उनसे इस मसले पर वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने की दिवती करूँगा। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम तत्काल ही यह महसूस करेंगे कि किसी लिपि में अतिपवित्र जैसा कुछ

भी नहीं है। हम जिस नागरी लिपि को आज देखते हैं वह विकास के अनेक चरणों से होकर गुजरी है। इराक अतिरिक्त हिन्दुस्तान की उर्दू बालन वाली जनता तथा पंजाब और सिंध जैसे प्रांतों में मुसलमान तथा हिंदू दोनों समुदायों द्वारा उर्दू लिपि का खूब इस्तमाल होता है, ऐसी विविधता के मद्देनजर संपूर्ण हिन्दुस्तान के लिए एक समान लिपि का चयन वस्तुतः हर तरह की पक्षधरता से मुक्त होकर गंभीर वैज्ञानिक और मेदभावरहित भावना से किया जाना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि एक पक्ष था जब हमारे लिए एक विदेशी लिपि को अपनाना राष्ट्र-विरोधी होता लेकिन 1934 में मेरी तुर्की की यात्रा ने मेरी सोच को बदल दिया। तब मैंने पहली बार अनुभव किया कि बाकी दुनिया की तरह एक समान लिपि अपनाना का कितना फायदा है। हमारी जनता में 90 प्रतिशत से अधिक अशिक्षित हैं तथा किसी भी लिपि का नहीं समझते, तो जहां तक हमारी जनता का सवाल है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके शिक्षित होने पर उन्हें कौन-सी लिपि में परिचित कराया जाए। इसके बावजूद रोमन लिपि अपनाने से उनको एक यूरोपीय भाषा को समझने में मदद मिलेगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि रोमन लिपि को तुरंत अपनाना हमारे देश में कितना अलाकाप्रिय होगा फिर भी मैं अपने देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि वे लंबे दूर के लिए उपयुक्त सबसे कारगर समाधान पर ही विचार करें।

आजाद भारत के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम के संबंध में पहले कदम के तौर पर हमें अपनी बढ़ती आबादी के संकट का समाधान ढूँढना है। भारत की आबादी अधिक है या कम— इस तरह के सैद्धांतिक सवालों में उलझने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जब धरती पर गरीबी भुखमरी और बीमारी बढ़ रही है तब एक दशक में ही 30 करोड़ तक बढ़ चुकी आबादी का हम नहीं समाल सकते। यदि आबादी पिछले वर्षों की तरह ही बेतहाशा बढ़ती रही तो हमारी योजनाओं के विफल होने की संभावना है। इसलिए जब तक हम पहले से ही मौजूद आबादी के लिए रोटी कपड़े तथा शिक्षा का प्रबंध नहीं कर लेते अपनी आबादी को रोकना जरूरी है। इस समय आबादी रोकने के तरीकों के बारे में बतलाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि इस सवाल की तरफ जनता का ध्यान खींचना होगा।

पुनर्रचना के मद्देन में हमारी मुख्य समस्या होगी कि अपने देश से गरीबी कैसे हटाए। इसकी खातिर जमींदारी उन्मूलन के साथ ही हमारी भूमि-व्यवस्था में आमूल सुधार की भी आवश्यकता है। कृषि में कर्जदारी की समस्या का दूर करना होगा तथा प्राचीन आबादी के लिए कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था करनी होगी। उत्पादकों तथा उपभोक्तकों दोनों की भलाई के लिए सहकारिता आंदोलन का प्रसार जरूरी होगा। भूमि से पैदावार बढ़ाने का ध्यान में रखकर कृषि को वैज्ञानिक आधार देना होगा।

आर्थिक समस्या के समाधान के लिए कृषि में प्रगति ही यथार्थ नहीं होगी। राज्य स्वमित्व तथा राज्य-नियंत्रण के अंतर्गत औद्योगिक विकास की एक व्यापक योजना जरूरी होगी। देश के बाहर बड़ी मात्रा में उत्पादन तथा देश के अंदर विदेशी शासन

क परिणामस्वरूप ढह चुके पुराने औद्योगिक तंत्र की जगह पर एक नई औद्योगिक व्यवस्था बनानी होगी। गोजना आयोग को भावधानीपूर्वक विचार करना होगा और यह तय करना होगा कि आधुनिक कारखानों की प्रतिस्पर्धा में किस गृह उद्योग का पुनरुद्धार हो सकेगा तथा किस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर भी हम आधुनिक औद्योगीकरण को बहुत ही नापसंद तथा उससे पैदा होने वाली सारी बुराइयों की भर्त्सना कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें भी तो पूर्व-औद्योगिक युग में नहीं जा सकते इसलिए अच्छा यही है कि हम औद्योगीकरण तथा औजार-उपकरणों के साधना से स्वयं को जोड़ें, ताकि हम इसकी बुराइयों को दूर कर पाएँ और साथ ही कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार की उन सभावनाओं को खोज सकें जहाँ कारखानों की अपरिहार्य प्रतिस्पर्धा के दौर में उनका अस्तित्व बने रहने की गुंजाइश हो। भारत जैसे देश में कुटीर उद्योगों, खासतौर पर हथकरघों और बुनकरों के काम सहित कृषि से जुड़े उद्योगों के लिए प्रचुर अवसर हैं।

अंतिम बात, उत्पादन और उपयोग दोनों ही क्षेत्रों में हमारी समस्त कृषि तथा औद्योगिक व्यवस्था को धीरे-धीरे समाजोन्मुख बनाने के लिए योजना आयोग की सलाह पर राज्य सरकार को एक विस्तृत योजना पर अंगल करना पड़ेगा। इसके लिए अतिरिक्त पूँजी का इतना जमा करना होगा- चाहे वह आंतरिक या बाहरी ऋणों के जरिए हो अथवा मुद्रास्फीति के जरिए।

कांग्रेस पार्टी ग्यारह प्रांतों में से सात में पद भार को स्वीकृति दे चुकी है इसलिए सविधान के प्राप्त धाले हिस्से के खिटाफ होना या इसका विरोध करना अब संभव नहीं होगा। अब इसके जरिए कांग्रेस को सुदृढ़ और व्यवस्थित ही किया जा सकता है। मैं उन लोगों में से हूँ जो पद-भार लेने के पक्ष में नहीं थे। यह इसलिए नहीं कि ऐसा करने में कोई अतर्निहित बुराई है और इसलिए भी नहीं कि इस नीति में से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकेगा बल्कि इसलिए कि यह समझा गया था कि पद स्वीकार करने से उसकी बुराइयाँ अच्छाइयों को कमजोर करेगी। आज मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा पूर्वाभास निराधार था।

अब जबकि हमारे मंत्री ही पदभार ग्रहण कर चुके हों, तो कांग्रेस को हम कैसे सुदृढ़ और व्यवस्थित बना सकते हैं? पहला काम जो हमें करना है वह नीकरशाही के ढाँचे तथा चरित्र को बदलना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो सकती है। प्रत्येक देश में गत्री आते-जाते रहते हैं लेकिन रथाई सेवकों का इन्व्याती ढाँचा स्थिर रहता है। यदि नीकरशाही के ढाँचे और चरित्र में बदलाव नहीं आता है, तो अपने सिद्धांतों को व्यवहार रूप में बदलने में सरकारी पार्टी तथा इसकी भ्रष्टिपरिषद संभवतः अप्रभावी सिद्ध होगी। युद्धोत्तर जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा शायद 1924 और 1929 में ग्रेट ब्रिटेन में लेबर पार्टी के मामले में यही हुआ था। किसी भी देश में स्थाई सेवकों की वास्तव में शासन करती है। भारत में अंग्रेजों द्वारा ही ये सेवक अस्तित्व में आईं और

इस ढांचे में ऊँचे आह्वानों पर अधिकतर अंग्रेज ही रहे हैं। अधिकतर मामलों में उनका नजरिया और उनकी मानसिकता न तो भारतीय थी और न ही राष्ट्रीय। कहना न होगा कि जब तक स्थाई सेवाएँ अपने गजरिएँ और मानसिकता में राष्ट्रीय नहीं हो जाती तब तक किसी राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। निस्संदेह कठिनाई यह पेश आएगी कि संविधान के अंतर्गत स्थाई सेवाओं के ऊँचे पदों पर प्रांतीय सरकार व भारत के राज्य सचिव का नियंत्रण होने के कारण सेवाओं के ढांचे में बदलाव लाना आसान नहीं होगा।

दूसरी ओर, विभिन्न प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रियों को सरकार में जाने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मद्यनिषेध, कारागार-सुधार, सिंचाई, उद्योग, भूमि-सुधार, मजदूर-कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में पुनर्रचना की योजनाओं को शुरू करना चाहिए। इस संदर्भ में जहाँ तक समभव हो समग्र भारत के लिए समान नीति बनाने के प्रयास होने चाहिए। नीति में यह एकरूपता दो में से किसी भी एक तरीके से लाई जा सकती है। 1937 के अक्टूबर महीने में कलकत्ता में सपन्न हुई भ्रम मंत्रियों की बैठक की तरह विभिन्न प्रांतों के कांग्रेसी मंत्री साथ मिलकर एक समान कार्यक्रम का खाका खींच सकते हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस कार्यसमिति जो कांग्रेस पार्टी की आलाकमान है, अपने विशेषज्ञों से मिले मलाहों की राशनी में कांग्रेस शासित प्रांतीय सरकारों के विभिन्न विभागों को निर्देश देकर अपना सहयोग दे सकती है। इसके लिए कांग्रेस कार्यसमिति को उन समस्याओं से परिचित होना पड़ेगा जो प्रांतों में कायम सरकारों के सामने आते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनको प्रशासन के विस्तार में जाना चाहिए। उनको विभिन्न समस्याओं की एक आम समझ रखनी जरूरी है ताकि वे नीति की विरतृत रूपरेखा तय कर सकें। इस संदर्भ में कांग्रेस कार्यसमिति अब तक किए गए काम से कहीं अधिक कर सकती है और जब तक वह ऐसा नहीं करेगी मैं नहीं समझ पा रहा कि फिर वह कैसे विभिन्न कांग्रेसी मंत्रिमंडलों पर असरदार नियंत्रण रख सकेगी।

यद्यपि मैं कांग्रेस कार्यसमिति की भूमिका के बारे में कुछ और कहना चाहूँगा। मेरी नजर में यह समिति आजादी के योद्धाओं की राष्ट्रीय सेना के मस्तिष्क को सिर्फ संचालित ही नहीं करती है, बल्कि यह आजाद हिंदुस्तान की छाया मंत्रिमंडल भी है और उसी के अनुसार इसे काम भी करना चाहिए। यह कोई मेरा अपना अन्वेषण नहीं है। यह भूमिका है जो अपनी राष्ट्रीय मुक्ति के लिए समर्पण कर चुके अन्य देशों की इस जैसी समितियों को सौपी गई है। मैं उनमें से एक हूँ जो आजाद भारत की शब्दावलियों में सोचते हैं और जो अपने जीवन के सक्रिय कालखंड में ही इस देश में राष्ट्रीय सरकार को साकार करना चाहते हैं। हमारे लिए यह कहना स्वाभाविक है कि कांग्रेस कार्यसमिति को आजाद हिंदुस्तान के छाया मंत्रिमंडल की तरह साचना-विचारना तथा काम करना चाहिए। राष्ट्रपति बेलरा की रिपब्लिकन सरकार ने अंग्रेज सरकार से लड़ने और भागने के दौरान ऐसा ही किया था। सरकार बनाने से पहले मित्र की वफादारी ने भी ऐसा ही किया था। दैनिक काम निबटाते हुए कार्यसमिति के सदस्यों को उन समस्याओं का भी अध्ययन

करना चाहिए, जिनसे राजनीतिक भत्ता हासिल करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें टकराना होगा।

कांग्रेसी सरकारों की उचित कार्य शैली के सवाल से अधिक महत्वपूर्ण यह तात्कालिक समस्या है कि संविधान के सघीय भाग के उद्घाटन का विरोध कैसे करे। प्रस्तावित सघीय योजना को लेकर कांग्रेस का नजरिया 4 फरवरी, 1938 को वर्धा में हुई कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में साफ-साफ प्रकट हो गया है कि इस विषय पर निर्धारित समिति के विचार करने के बाद ही प्रस्ताव को कांग्रेस के सामने रखा जाएगा। यह प्रस्ताव कहता है

कांग्रेस ने नया प्रस्ताव खारिज कर दिया है और घोषणा की है कि जनता में स्वीकृत हो सकने योग्य भारतीय संविधान को आजादी पर आधारित होना चाहिए और यह बिना किसी विदेशी ताकत के हस्तक्षेप के एक संविधान सभा के जरिए खुद जनता द्वारा ही बनाया जा सकता है। नामजुरी की इस नीति के समर्थन के बावजूद कांग्रेस ने प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाने की अनुमति दे दी। कांग्रेस की दृष्टि में मंत्रिमंडल संघर्षरत राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएंगे। प्रस्तावित सघ के सघ में इस तरह की सोच अस्थाई तौर पर थोड़े समय के लिए भी लागू नहीं होती और इस तरह से सघ को थोपना भारत के लिए गहरा जख्म साबित होगा और यह उन बंधनों को तनावग्रस्त कर देगा, जो इसे साम्राज्यवादी वर्चस्व के अधीन रखते हैं। सघ की यह योजना वस्तुतः किसी सरकार के सबसे जीवित कार्य को ही उत्तरदायित्व के दायरे से बाहर कर देती है।

सघ की अवधारणा के खिलाफ नहीं है कांग्रेस, लेकिन उत्तरदायित्व के सवाल से अलग होकर भी ऐसी मुक्त इकाइयों से एक वास्तविक सघ बनना चाहिए— जो कंगोवेश एक समान आजादी, नागरिक स्वतंत्रता तथा चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिनिधित्व का उपभोग करती हो। सघ में शामिल हो रहे हिंदुस्तानी राज्य प्रतिनिधि संस्थानों, उत्तरदायी सरकार नागरिक स्वतंत्रताओं की स्थापना तथा सघीय सरकार की चयन-प्रक्रिया में प्रांतों के निकट ही टकराने हैं, अन्यथा, जैसा कि अपेक्षित है— तब हिंदुस्तानी एकता बनाने की जगह अलगवादी रुझानों को ही बढ़ावा देगा और राज्यों को अतंत आंतरिक और बाहरी द्वंद में फसा देगा।

इसलिए कांग्रेस प्रस्तावित योजना की फिर विदा करती है और इसका उद्घाटन रोकने के लिए प्रांतीय एवं स्थानीय कांग्रेस समितियों तथा आम जनता सहित प्रांतीय सरकारों एवं मंत्रिमंडलों का आह्वान करती है।

जनता की घोषित इच्छा के बावजूद इस थोपने के किसी भी प्रयास में स्थिति का हर तरीके से सामना किया जाना चाहिए और प्रांतीय सरकारों

तथा मन्त्रिमंडल को इनके साथ सहयोग करने से इकार कर देना चाहिए। यदि इसमें अनिश्चय की कोई स्थिति आती है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस सदस्य में आगे बढ़ने की कार्य दिशा तय करने के लिए अधिकृत तथा निर्देशित है।

प्रस्तावित सघ के लिए जबरदस्त विरोध के अपने नजरिए को समझाने के लिए मैं कुछ और दलीले देना चाहूंगा। सघीय योजना की सबसे आपत्तिजनक बातों में से एक, नए संविधान में व्यावसायिक तथा वित्तीय सुरक्षा से संबंधित है। जनता सिर्फ रक्षा या विदेश नीति पर किसी किसिम के नियंत्रण से ही नहीं बचिती होगी बल्कि खर्च का एक बड़ा हिस्सा भी घर्षित नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होगा। 1937-38 के लिए केंद्रीय सरकार के बजट के अनुसार 77 90 करोड़ रुपये (58 42 मिलियन पाँड) के कुल खर्च में सैन्य खर्च 44 61 करोड़ रुपये (33 46 मिलियन पाँड) है जो कि केंद्रीय सरकार के कुल खर्च का लगभग 57 प्रतिशत है। तागत है कि गर्वार जनरल द्वारा नियंत्रित होने वाला सघीय सरकार का आरक्षित हिस्सा सघीय खर्च के लगभग 80 प्रतिशत का संचालित करेगा। ता भी रिजर्व बैंक तथा सघीय रलवे अथॉरिटी जैसे संस्थान बन चुके हैं या बनाए जाएंगे जो उत्तराधिकार प्राप्त बड़े संस्थानों के बीच पिण्डित और स्वयं के संपूर्ण अधिकार रखने वाले संस्थानों की तरह सघीय विधानमंडल से मुक्त होकर काम करेगा। रलवे नीति की निदेशित और प्रभावित करने वाली तागत, जा इस वक्त विधानमंडल के पास है उससे वह बचिती हो जाएगा। देश के आर्थिक विकास पर एक जीवित पकड़ रखने वाली मुद्रा और विनिमय नीति को निर्धारित करने में विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होगी।

सघीय सरकार के अंतर्गत विदेशी मामला एक आरक्षित मसला होगा। यह तथ्य व्यापार समझौते को खत्म करने के हिंदुस्तानी विधानमंडल की स्वायत्तता को ही पूर्वाग्रही होकर प्रभावित करेगा और असल में यह राजकोष की स्वायत्तता को गभीरतापूर्वक बाधित करेगा। अपने समर्थन में ऐसे व्यापार समझौते को विधानमंडल के सामने रखने में सघीय सरकार किसी भी संवैधानिक इकरारनाम से नहीं बंधी होगी। अगर वे इस समय हिंदुस्तानी विधानसभा के सामने हिंदुस्तान ब्रिटेन व्यापार-समझौता रखने के प्रयास में विफल हो जाते हैं तो भी वे किसी संवैधानिक नैतिकता से नहीं बंधे हैं। तथाकथित राजकोषीय स्वायत्तता के समझौते का इस शर्त के बिना कोई अर्थ नहीं है कि हिंदुस्तानी विधानमंडल के समर्थन के बिना कोई भी हिंदुस्तान की ओर से किसी भी व्यापार-समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा। इस सदस्य में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पिघार से हिंदुस्तान को जर्मनी चेकोस्लोवाकिया इटली तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे उन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते करने चाहिए, जिनके साथ अतीत में उसके अंतरंग व्यापारिक संबंध रहे हैं। लेकिन नए संविधान के अंतर्गत सघीय सरकार पर ऐसे व्यापारिक समझौते में शामिल होने के लिए दबाव डालना सघीय विधानमंडल के सामर्थ्य

में बाहर होगा।

अधिनियम में सम्मिलित अन्यायपूर्ण तथा अनुचित व्यावसायिक सुरक्षा के उपाय भारत के राष्ट्रीय उद्योगों को बचाने तथा विकसित करने के किसी भी प्रभावी रास्ते को अपनाने को असंभव बनाते हैं, खास-तौर से वहाँ, जहाँ इन उद्योगों का ब्रिटेन के व्यावसायिक तथा औद्योगिक हितों के साथ द्वन्द्व हो सकता है और जैसा कि प्रायः होता भी रहता है। कानून में शामिल भेदभाव सबंधी धाराओं के पूरी तरह लागू होने की जाय सबंधी गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व के साथ ही भारत में आयातित ब्रिटेन की वस्तुओं को किसी तरह के भेदभाव तथा दंडात्मक व्यवहार से बचाना भी उसका कर्तव्य है। इन कठोर तथा धूर्ततापूर्ण धाराओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन बताता है कि भारत अतः ब्रिटेन के साथ प्रतिस्पर्धा में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकता, जिसे असल में गवर्नर जनरल विधायिका या प्रशासनिक दायरे में निरर्थक न घोषित कर दे या अपने विशेषाधिकार से दबा न दें। इस देश में समान शर्तों पर राष्ट्रीय लोगों के साथ विदेशियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देना निस्संदेह हास्यास्पद है और यदि भारत को राष्ट्रीय आर्थिक नीति तय करने तथा इसे अपनाने और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय तथा गैर-राष्ट्रीय में फर्क करने का अधिकार नहीं मिलता है, तो इसे सही म्बराज नहीं कहा जा सकता। 1931 में हुए गांधी-इरविन समझौते के तुरंत बाद 'द जायंट एंड द ड्वार्फ' शीर्षक से 'यंग इंडिया' में छपे अपने बहुचर्चित लेख में महात्मा गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि हिंदुस्तानी हितों तथा अंग्रेजी या यूरोपीय हितों के बीच फर्क नहीं करने की बात करना हिंदुस्तानी गुलामी को जारी रखना होगा। विशालकाय और बौने के बीच अधिकारों की आखिर बराबरी ही क्या? हिंदुस्तानी स्वामित्व वाले तथा हिंदुस्तानियों से संचालित जजमानों के लिए हिंदुस्तानी समुद्रतटीय व्यापार को आरक्षित करने संबंधी कदम उठाने के लिए इस वक्त जा भी थोड़ी ताकत केंद्रीय विधानमंडल के पास थी, वह तथाकथित संशोधित संविधान के जरिए छीनी जा चुकी है। नौ परिवहन एक जीवित उद्योग है जो सुरक्षात्मक तथा आर्थिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। अंग्रेजों के नियंत्रण में अपनाए गए कई तरीकों सहित इन मूल उद्देश्यों को विकसित करने के लिए सभी स्वीकृत तथा वैध तरीकों अब भारत के लिए असंभव बन गए हैं। पारस्परिकता तथा साझेदारी के आधार पर ऐसी सीमाओं को उचित उहराना बिल्कुल चोट लगने के बाद अपमानित करने की तरह है। संविधान के भारतीय संसद का भारतीयों के हितों के लिए जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय तथा गैर-राष्ट्रीय के बीच फर्क करने या भेदभाव करने का अधिकार बने रहना चाहिए। और इस अधिकार को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। इस संदर्भ में मैं आयरलैंड के लोगों का समान रूप से जिक्र करना चाहूंगा। 1935 में बना आयरलैंड का राष्ट्रीयता और नागरिकता अधिनियम चुनाव-व्यवस्था सार्वजनिक जीवन में प्रवेश व्यापारिक और परिवहन कानून तथा दायुयान के मामले में एक खास आयरलैंड नागरिकता का प्रबंध करता है—जैसा कि यह अधिनियम उन खास आयरलैंड के उद्योगों में सहायता के लिए

दी गई सुविधाओं के मामले में करता है, जिसे वह आयरलैंड की जनता के लिए ही आरक्षित रखना उचित समझता है। दूसरे शब्दों में आयरलैंड की नागरिकता ब्रिटेन से अलग है जो ब्रिटेन की नागरिकता के आधार पर स्टेट ऑफ आयर (आयरलैंड) में समान अधिकार का दावा नहीं कर सकता। आयरलैंड ने ब्रिटेन की नागरिकता मान्य नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि इसी तरह भारत को अपनी अलग राष्ट्रीयता को विकसित और अपनी अलग नागरिकता को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

राजकोषीय स्वायत्तता और व्यावसायिक सुरक्षा के उपायों के सवाल पर मैं सक्षम म भारत के लिए सक्रिय विदेशी व्यापार नीति की आवश्यकता का जिक्र करूँगा। हिंदुस्तान के विदेश व्यापार को लापरवाहीपूर्वक या खंडित रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जैसा कि पहले भी अक्सर ब्रिटिश उद्योगों को तात्कालिक या अस्थायी तौर पर लाभ पहुंचाने की गरज में किया गया है, बल्कि भारत के आर्थिक विकास को संयोजित करने के लिए एक तरफ उसका निर्यात व्यापार तथा दूसरी तरफ उसके विदेशी संबंधों को व्यवस्थित ढंग से संयोजित किया जाना चाहिए। भारत के निर्यात व्यापार की प्रकृति भी इसके लिए बाध्य करती है कि हिंदुस्तान को इंग्लैंड के साथ ऐसा कोई पाबंदी समझौता नहीं करना चाहिए जिससे उन विभिन्न साम्राज्यवादी देशों से उसका व्यापार शिथिल पड़े, जो कई अर्थों में इसके सबसे अच्छे खरीदार रह चुके हैं या फिर उसे ऐसे समझौते भी नहीं करने चाहिए, जिससे अन्य देशों के समक्ष भारत की मौल-भाव की क्षमता ही कमजोर पड़ जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत और ब्रिटेन में व्यापार समझौते के लिए सुरक्षित वार्ता अभी चल रही है जबकि ओटावा समझौता अपनी निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी और विधानसभा के द्वारा उसे खत्म करने के निर्णय के बावजूद अब भी जारी है और ब्रिटेन के उद्योगों के लिए सारे लाभ जुटाता है। इसमें कोई संदेह भी नहीं कि ब्रिटेन के उपलब्ध इस्पात और कपड़ों पर निश्चित करों के साथ वधित ओटावा समझौता ब्रिटेन के उद्योगों के लिए लाभ ही लाभ जुटाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इंग्लैंड और भारत के बीच कोई भी व्यापार समझौता गैर बराबरी की प्रकृति वाला होने के लिए बाध्य है क्योंकि हमारे वर्तमान राजनीतिक संबंध इंग्लैंड के पक्ष में ही जाएंगे। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ब्रिटेन की प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था अपने जन्म से राजनीतिक है। इस देश में व्यापार-समझौता की छत्रछाया में गैर-हिंदुस्तानी निहित स्वार्थों की स्थापना तथा सुदृढीकरण के लिए अनुमति देने से पहले हमें इसके राजनीतिक प्रतिघातों तथा आर्थिक परिणामों के प्रति सावधान रहना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत और ब्रिटेन के बीच वर्तमान व्यापार-वार्ता अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार-समझौते के परिणामों को बाधित नहीं करेगी और भारतीय विधानमंडल के समर्थन के बिना भारत की सरकार किसी व्यापार-समझौते पर दस्तखत नहीं करेगी।

उपरोक्त बातों में यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि प्रांतीय मंत्रिमंडलों तथा

प्रस्तावित सघीय मंत्रिमंडल के बीच कोई समानता नहीं है। फिर भी सघीय विधानमंडल का संयोजन एक हद तक प्रतिक्रियावादी है। भारतीय राज्यों की कुल आबादी पूरे भारत की आबादी का 24 प्रतिशत है। तो भी इन राज्यों के शासकों को प्रजा में नहीं, बल्कि सघीय विधानमंडल के लोअर हाउस में 33 प्रतिशत तथा अपर हाउस में 40 प्रतिशत सीटें दी गयी हैं। इन परिस्थितियों में, मेरी नजर में, सघीय योजना के बनने की प्रक्रिया में किसी समय कांग्रेस द्वारा अपने विचार बदलने की कोई संभावना नहीं है। ब्रिटेन की सरकार द्वारा धोपे जा रहे सघ के प्रतिरोध में हमारी सफलता पर ही हमारा तात्कालिक राजनीतिक भविष्य निर्भर है। हमें सघ के साथ सिर्फ संवैधानिक रास्ते से ही नहीं, बल्कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से लड़ना है तथा अंत में हमें नागरिक अवज्ञा का सहारा लेना है जो हमारे हाथ में अंतिम दंड-विधान की तरह है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि भविष्य में किसी ऐसे अभियान के आरंभ होने पर आंदोलन सिर्फ ब्रिटेन-शासित हिंदुस्तान में ही सीमित रहकर राज्यों की प्रजा तक में फैल जाएगा।

निकट भविष्य में एक प्रभावी लड़ाई की शुरुआत के लिए हमें अपने घर को ही दुरुस्त करना है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी जनता के बीच आई जगमगता इतनी व्यापक है कि हमारी पार्टी में अनेक नई समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। आजकल किसी सभा में पचास हजार मर्दा प औरतों का जमा हो जाना आम बात है। कभी-कभी यह होता है कि ऐसी सभाओं और पददर्शनों पर नियंत्रण रखने के लिए हमारी मशीनरी अपर्याप्त होती है। लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों के अतिरिक्त इस विशाल जन-उभार तथा उत्साह को गतिशील बनाना और इसे सही दिशा देना बरतुत एक बड़ी समस्या है, लेकिन क्या हमारे पास इसके लिए अनुशासित स्वयंसेवकों का कोई दल है? क्या राष्ट्रीय सेवा के लिए हमारे पास अधिकारियों का कोई संगठन है? क्या हम अपने उमरतों नेताओं तथा प्रतिभावान युवा कार्यकर्ताओं के लिए किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं? इन सवालों के जवाब इतने स्पष्ट हैं कि इस बारे में कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। हम अभी तक एक आधुनिक राजनीतिक दल की इन सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए हैं।

प्रशिक्षित अधिकारियों से लैस एक अनुशासित स्वयंसेवक दल की सख्त जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि हम भविष्य में बेहतर किस्म के नेता बना सकें। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों द्वारा गर्मी के दिनों में चलने वाले स्कूलों तथा अन्य संस्थानों के जरिए ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है और सर्वसत्तात्मक राज्य की यह एक विशेषता होती है। भारतीय संघर्ष में शानदार भूमिका निभाने वाले अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करूंगा कि हमारे दल में अभी और प्रतिभाओं के लिए भी जगह है। इस कमी को अशत कांग्रेस के लिए प्रतिभाशाली युवाओं की भर्ती करके तथा अशत पहले से भर्ती हो चुके युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण देकर पूरा किया जाना आवश्यक है। हर किसी ने यह

देखा कि किस तरह कुछ गुरोपीय देशों ने अपने गहा इस समस्या का समाधान किया। यद्यपि हमारे आदर्श और प्रशिक्षण की हमारी पद्धतियाँ उनसे बिल्कुल भिन्न हैं, किन्तु यह सब को स्वीकार्य होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक गहन वैज्ञानिक प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। फिर इसके अतिरिक्त नाजियों के श्रमिक नेवा दल जैसे संस्थान भी गंभीर अध्ययन की मांग करते हैं जो आवश्यक फंड-बदल के साथ भारत के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

अपने ही दल में अनुशासन बरतने के सवाल का समाधान ढूँढते हुए हम एक ऐसी समस्या पर भी विचार करना होगा, जो हमसे कई लोगों की चिंता और उलझन का कारण है। मैं श्रमिक संघ कांग्रेस, किसान सभाओं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनके संबंधों की बात कर रहा हूँ। इस सवाल पर दो परस्पर विरोधी विचार हैं— एक वे जो कांग्रेस के बाहर के किसी भी संगठन की निंदा करते हैं तथा दूसरे, वे जो उनका समर्थन करते हैं। मेरी निजी सोच है कि हम उन्हें नजरअंदाज या उनकी निंदा करके ऐसे संगठनों को खत्म नहीं कर सकते। वे वस्तुगत सच्चाई की तरह मौजूद हैं और क्योंकि वे अस्तित्व में आ चुके हैं तथा स्वयं को खत्म करने का कोई संकेत नहीं देते हैं इसलिए यह सिद्ध होना चाहिए कि उनके अस्तित्व के मोझे कोई ऐतिहासिक जरूरत है। फिर एस संगठन अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। मुझे डर है कि हम चाहे इमे पसंद करें या नहीं हमें उनके अस्तित्व के साथ समझौता करना होगा। सवाल सिर्फ यही है कि कांग्रेस को उनके साथ कैसे संबंध बनाना चाहिए। स्पष्ट है कि ऐसे संगठन एस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए युनायती नहीं बनने, जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए जन-सघर्ष का साधन है। इसलिए उन्हें कांग्रेस के आदर्श और तौर-तरीकों से प्रेरित होना चाहिए तथा कांग्रेस से अंतरंग सहयोग करके काम करना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अधिक-से-अधिक संख्या में श्रमिक संघों तथा किसान संगठनों में भाग लेना चाहिए। श्रमिक संघ के कार्यों के अपने अनुभव में मैं महसूस करता हूँ कि बिना द्वंद्व या सामंजस्यहीनता में पड़े यह आराम से किया जा सकता है। यदि अन्य दो संगठन प्राथमिक तौर पर मजदूरों तथा किसानों के आर्थिक परेशानियों के समाधान में जुटे तथा अपने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए संघर्षरत लोगों के लिए कांग्रेस का एक आम मंच की तरह उपयोग करें तो कांग्रेस और अन्य दो संगठनों के बीच सहयोग संभव है।

और यही हमें कांग्रेस की एस विवादास्पद समस्या से रू-ब-रू कर देती है जो मजदूर और किसान संगठनों की सामूहिक संबद्धता से संबंधित है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब कांग्रेस के प्रभाव तथा नियंत्रण तत्त्वों की प्रगतिशील तथा साम्राज्यवाद विरोधी संगठनों को लाने के लिए इस संबद्धता के तरीके तथा सीमा को लेकर हमारे विचारों में भिन्नता रहेगी तथा संबद्धता को स्वीकृति देने से पहले ऐसे संगठनों के परित्र तथा संबद्धता की हमें जाय करनी पड़ेगी। रूस में अक्टूबर क्रांति में मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों की सोपियतों के संयुक्त मोर्चे ने प्रमुख भूमिका

निभाई थी। लेकिन इसके विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में हम पाते हैं कि लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर श्रमिक सघ कांग्रेस एक हल्का दबाव बनाए रखती है। भारत में हमें सावधानीपूर्वक इस पर विचार करना पड़ेगा कि श्रमिक सघ कांग्रेस और किसान सभाओं जैसे संगठन सबद्धता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किस किस्म का दबाव डालेंगे और हमें इस संभावना को नहीं भूलना चाहिए कि यदि इन संगठनों की आर्थिक चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इन मामलों में ये कोई आधारभूत नजरिया नहीं रख सकते। किसी भी दशा में सामूहिक सबद्धता के सवाल से बिल्कुल अलग तौर पर राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य साम्राज्यवाद-विरोधी संगठनों के बीच अंतरग सहयोग होना चाहिए और यह उद्देश्य कांग्रेस के सिद्धांतों तथा तार-तरीकों को इन संगठनों द्वारा अपनाकर ही पूरा हो सकता है।

कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जैसे दल के गठन पर काफी विवाद रहा है। मैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानता और न मैं इसका सदस्य रहा हूँ। तो भी मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआत से ही मैं इसके आम सिद्धांतों तथा नीतियों को मानता रहा हूँ। पतले तो जरूरी यह है कि वामपंथी तत्व एक दल में संगठित हों— फिर यदि इसका चरित्र समाजवादी है तो इस वामपंथी खेमे का एक उद्देश्य होना चाहिए। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, जो इस खेमे को एक दल मानने से इंकार करेंगे— लेकिन मेरी समझ से यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इस खेमे को एक समूह कहे या लीग या दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भविष्य के दायरे में किसी वामपंथी खेमे के लिए समाजवादी कार्यक्रम अपनाना बिल्कुल संभव है। उस स्थिति में इस खेमे को एक समूह या लीग या दल कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या ऐसे ही किसी अन्य दल की भूमिका उस वामपंथी खेमे की ही होगी। हमारे लिए समाजवाद तात्कालिक समस्या नहीं है। फिर भी जब राजनीतिक आजादी मिल जाएगी, तब समाजवाद के निमित्त देश को तैयार करने के लिए समाजवादी प्रचार जरूरी है और यह प्रचार सिर्फ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जैसे दल ही चला सकते हैं जो समाजवाद के लिए लड़ते हैं और उसमें विश्वास करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से मैं एक समस्या में रुचि ले रहा हूँ और उसी संदर्भ में मैं आत्म-निवेदन करना चाहूँगा— मेरा मतलब, भारत के लिए विदेश नीति तथा विकासमान अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से है। मैं इसे बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत में जारी हमारे संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ समर्थन प्रदान करेंगी। हर मौके पर हमें विश्व की परिस्थितियों का सही आकलन करना होगा और जानना होगा कि कैसे हम इसका फायदा उठा पाएँ। हमारे सामने मिस्र का मसला एक नमूने की तरह है। मिस्र ने बिना कोई गोती दाने ग्रेट ब्रिटेन से मैत्री-संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मिस्र भूमध्य में ब्रिटेन-इटली तनाव का फायदा उठाना जानता था।

हमारी विदेश नीति का सद्वर्धन में पहला सुझाव है कि हम किसी भी देश की आंतरिक राजनीति तथा उसके राज्य के ढांचे से अप्रभावित रहेंगे। हम हर देश में ऐसे मर्दा और ओरतों को पाते हैं, जो भारत की आजादी से सहानुभूति रखते हैं— भल ही उनका अपना राजनैतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो। इस मामले में हम सोवियत कूटनीति से भी कुछ सीख सकते हैं। यद्यपि रूस एक साम्यवादी देश है, लेकिन उसके राजनयिक गैर-समाजवादी देशों से भी सबंध रखने में नहीं हिचकें तथा किसी भी तरफ से मिलने वाली सहानुभूति या सहायता को उन्होंने नहीं ठुकराया। ऐसा केंद्र बनाने और विकसित करने में विदेशी प्रेस, हिंदुस्तानी फिल्में तथा कला-प्रदर्शनियां भी सहायक होंगी— जैसे चीनियों ने अपनी कला-प्रदर्शनियों के माध्यम से स्वयं को यूरोप में काफी लोकप्रिय बनाया है। लेकिन व्यक्तिगत संपर्क सबसे जरूरी है। बिना ऐसे व्यक्तिगत संपर्कों के भारत को अन्य देशों में लोकप्रिय बनाना कठिन होगा। यदि हम विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखें, तो इस काम में वे भी सहायता कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विदेशों में रह रहे ऐसे विद्यार्थियों के बीच नजदीकी रिश्ता होना चाहिए। यदि हम भारत में बनी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक फिल्में विदेशों में भेज सकें तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि देश के बाहर के लोगों में भी भारत और उसकी संस्कृति की पहचान बनेगी और प्रशंसा होगी। ऐसी फिल्में भारतीय विद्यार्थियों तथा विदेशों में बसे हिंदुस्तानियों के लिए भी काफी उपयोगी होंगी, जो किलहाल हमारे गैर-सरकारी राजदूतों की तरह हैं।

मैं प्रचार शब्द को पसंद नहीं करता इसमें झूठ की बू आती है— लेकिन मैं जोर देता हूँ कि हमें दुनिया में भारत तथा उसकी संस्कृति की पहचान बनानी है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यूरोप तथा अमेरिका के प्रत्येक देश में ऐसे प्रयासों का स्वागत होगा। यदि हम इस काम को करते हैं, तो हम विभिन्न जगहों पर अपने भविष्य के दूतावासों और प्रतिनिधिमंडलों का आधार तैयार करेंगे। हमें ग्रेट ब्रिटेन को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे लिए उस देश में भी पुरुषों और महिलाओं का एक प्रभावी समूह है, जो हिंदुस्तानी आकांक्षाओं के प्रति हृदय से सहानुभूति रखते हैं। खासतौर पर उभरती पीढ़ी तथा विद्यार्थियों की हिंदुस्तान में दिलचस्पी तथा सहानुभूति तेजी से बढ़ रही है। इसे महसूस करने के लिए आप सिर्फ एक बार ग्रेट ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों का दौरा कर लें।

इस कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यूरोप, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी, मध्य व दक्षिणी अमेरिका में, जहां लोग हिंदुस्तान में गहरी दिलचस्पी लेते हैं अपने विश्वासपात्र प्रतिनिधि रखने होंगे। इस कार्य में भारत में सक्रिय सांस्कृतिक संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के क्षेत्र में योगदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के क्षेत्र में कार्यरत इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए कार्यक्रम की सहायता की जानी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की बात करते हुए मुझे उस आशका को दूर कर देना चाहिए, जो कुछ लोगों के दिमाग में बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने का अर्थ अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई कुचक्र रचना नहीं है। हमें ऐसे कुचक्रों में जाने की जरूरत भी नहीं है और हमारे सारे तौर-तरीकें लोगों के सामने होंगे। दुनिया-भर में जो प्रचार भारत के खिलाफ किया जाता है, उससे यह साबित होता है कि भारत एक असभ्य देश है और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजों की जरूरत है। इसके जवाब में हमें सिर्फ दुनिया को यह बताना है कि हम क्या हैं और हमारी सस्कृति कैसी है। यदि हम यही कर सकें तो हम अपने पक्ष में इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सहायता जुटा लेंगे कि विश्व दृष्टिकोण की अदालत में हिंदुस्तान का प्रतिरोध करना मुश्किल हो जाएगा।

मुझे उन समस्याओं, तकलीफों तथा मुकदमों का जिक्र करना नहीं भूलना चाहिए, जिनका हमारे देशवासियों ने एशिया और अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों— खासकर जाजीबार, केन्या, दक्षिण अफ्रीका मलाया और सीलोन— में सामना किया है। कांग्रेस ने उनके मामलों में हमेशा काफी गभीरता से दिलचस्पी दिखाई है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगी। यदि हम उनके लिए कुछ अधिक नहीं कर पाते हैं, तो यह सिर्फ इसलिए कि हम अपने घर में अभी मुलाम हैं। आजाद भारत विश्व राजनीति में एक ऊर्जावान और ताकतवर कारक बनेगा और विदेशों में बसे अपने लोगों के हितों की देखभाल करने में सक्षम होगा।

इसी सदर्भ में मैं अपने पड़ोसियों— जैसे ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बर्मा, मलाया राज्य, ईस्ट इंडीज तथा सीलोन— के साथ आतंरिक सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने की इच्छा और जरूरत पर भी जोर डालूंगा। यदि वे हमारे बारे में अधिक जान पाए तथा हम उनके बारे में अधिकाधिक जानकारी रखें, तो यह दोनों पक्षों के लिए अच्छा होगा। खासतौर पर बर्मा और सीलोन के साथ अपने युगो पुराने संपर्कों के कारण हमें सर्वाधिक अंतरंग सांस्कृतिक आदान-प्रदान रखना चाहिए।

साथियों, माफ करिए कि मैंने पहले तय किए गए समय से अधिक आपका समय ले लिया है लेकिन अब मैं अपना भाषण खत्म करने वाला हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल, जो आज का ज्वलंत विषय है, उसकी तरफ मुझे अब आपका ध्यान खींचना चाहिए। यह सवाल है 'तजरबेदियों तथा राजनीतिक बदियों की मुक्ति का'। हाल ही में हुई भूख हड़तालों ने इस सवाल का सामना ला दिया है और इस ओर जनता का ध्यान भी खींचा है। मुझे विश्वास है कि मैं उस वक्त कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ही आवाज दे रहा होता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मनुष्यता के स्तर पर जो कुछ भी संभव है, वह इन बदियों की शीघ्र मुक्ति के लिए किया जाना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस मंत्रिमंडलों की बात है, उनमें से कुछ लोगों की प्रगति जनता की आशाओं के मुताबिक नहीं है। जितना जल्द ये जनता की मांग को पूरा करेंगे, उतना ही यह कांग्रेस तथा गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों

द्वारा शासित प्रांतों की पीड़ित जनता के लिए बेहतर होगा। इस मामले में विशेष कुछ कहना मेरे लिए आवश्यक नहीं है और मैं उत्साहपूर्वक उम्मीद करता हूँ कि निकट भविष्य में जनता अब तक की तरह कांग्रेस मंत्रिमंडलों की प्रगति के बारे में कोई शिकायत नहीं करेगी।

अपने दुखों का बयान करने वाले सिर्फ जेलों में तथा नजरबंद राजनीतिक बंदी ही नहीं हैं। जो जेल से मुक्त हो चुके हैं कभी-कभी उनकी हालत भी अच्छी नहीं होती। प्रायः बिगड़े हुए स्वास्थ्य तथा टी बी जैसी बीमारियों के शिकार होकर वे घर लौटते हैं। भयंकर भुखमरो उन पर टकटकी बांधे रहती हैं और उनका स्वागत मुस्कानों की बजाय सगे-सबधियों के आसुओं से होता है। जिन्दगीने दश के लिए अपन उत्कृष्टतम को न्योछावर कर दिया और इसकी खातिर दुख और गरीबी पाई, क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? इसलिए हमें चाहिए कि उन लोगों के प्रति हम हार्दिक सहानुभूति दिखाएँ जिनको अपने देश-प्रेम के अपराध में सजा मिली तथा उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए हम अपने तुच्छ धन को अर्पित करें। साथियों बस एक बात और फिर मेरा भाषण समाप्त। आज हम एक गंभीर सकट का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के भीतर दक्षिण तथा वामपथ के बीच मतभेद है जिसे नजरअदाज करना निरर्थक होगा। कांग्रेस के बाहर ब्रिटेन का साम्राज्यवाद की चुनौती है जिसका हमें सामना करना है। इस सकट में हम क्या करेंगे? क्या यह कहने की जरूरत है कि रास्ते में आने वाले हर तूफान के सामने हमें अटल रहना है— साथ ही शासकों की हर चाल से अप्रभावित भी रहना है? कांग्रेस आज जन-संघर्ष का श्रेष्ठतम साधन है। इसके अपने दक्षिणपथी खेमे और वामपथी खेमे ता ह्रा राकत हैं पर भारत की मुक्ति की कामना करने वाले सभी साम्राज्य विराधी संगठनों का यह सबमुच एक सामूहिक मंच है। इसलिए हम सारे देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले आने दें। मैं देश के सारे वामपथी समूहों से अपील करूंगा कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाने तथा व्यापक साम्राज्य-विराधी आधार पर इसकी पहचान करने के लिए अपनी सारी ताकत और स्रोतों को लगा दें। यह अपील करते हुए मैं ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के दृष्टिकोण से काफी प्रेरित हुआ हूँ, जिनकी भारत के संघर्ष में आम नीति मुझे ऐसी लगती है, जैसी वह नीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हो।

अंत में मैं यह कहते हुए आपकी भावनाओं को स्पर्श दूंगा कि समूचा भारत उत्साहपूर्वक आशा करता है और प्रार्थना करता है कि अगले कई-कई वर्षों तक महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र के लिए मौजूद रहें। भारत के लिए उन्हें खाना समय नहीं हो सकता और इस घड़ी में तो बिल्कुल ही नहीं। अपनी जनता की एकता के लिए हमें उनकी जरूरत है। अपने संघर्ष को द्वेष और घृणा से मुक्त रखने के लिए हमें उनकी जरूरत है। भारत की आजादी के लिए हमें उनकी जरूरत है। और क्या कहें— मान्यता के लिए

हमें उनकी जरूरत है। हमारा संघर्ष सिर्फ ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के खिलाफ ही नहीं, बल्कि विश्व साम्राज्यवाद के खिलाफ है, जिसके लिए ब्रिटेन का साम्राज्यवाद प्रधान-प्रकार की तरह है। इसलिए हम महज भारत के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए लड़ रहे हैं। भारत की मुक्ति का अर्थ है मानवता की रक्षा।

वदे मातरम्।

नगरपालिका समाजवाद

10 मई 1938 को बर्बई महापालिका में भाषण

मेयर महोदय, महापालिका के सदस्यगण तथा दोस्तों,
इस दोपहर मुझे दिए गए इतने बड़े सम्मान के लिए मैं आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मुझे इसका बिल्कुल आभास नहीं था कि मैं इस सम्मान का किसी तरह से हकदार हूँ। अपनी निजी कमियों और सीमाओं के बावजूद इस दोपहर में आपके सामने मैं एक प्रतीक के रूप में उपस्थित हूँ। मैं यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम जनता के सेवक के रूप में मौजूद हूँ।

मेयर महोदय आपके मुख से निकले स्निहिल शब्द आपकी उदारता और आपके हृदय की विशालता के प्रतीक हैं। मेरी नजर में आपके हृदय की यह उदारता और विशालता भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा इम आंदोलन में लगे तमाम लोगों के प्रति आपकी भावनाओं का प्रदर्शन है। आज हम महत्वपूर्ण दौर में जी रहे हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों का भी जिक्र किया है। वे दिन लड़ गए, जब हिंदुस्तान सारी दुनिया से कटा हुआ देश था। वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा हमारी बौद्धिक और नैतिक विकास की बढ़ती आज सारी दुनिया एक है। वर्तमान विश्व के किसी एक कोने में जो कुछ घटता है वह सारी दुनिया में दूरगामी असर छोड़ता है। इसीलिए हिंदुस्तान के किसी एक शहर में हमारी कोई उपलब्धि होती है, तो वह सिर्फ उसी शहर के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि यदि मैं ठीक कहूँ तो वह सारी मानवता के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह सिर्फ राजनीतिक मामलों का सच नहीं है बल्कि नागरिक मामलों का सच भी यही है। मुझे याद है कि यूरोप में बिताए कुछ वर्षों के दौरान मेरे ध्यान में जो एक महत्वपूर्ण बात आई वह थी वियना की समाजवादी नगरपालिका। मुझे विश्वास है कि जिसे भी उस नगरपालिका की कुछ उपलब्धियों को देखने का अवसर मिला होगा, वह बिना इस धारणा के नहीं लौटा होगा कि नागरिक-कल्याण में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण और सार्थक उपलब्धि है, गले ही उत्तरी राष्ट्रीयता कोई हो। बारह वर्षों के दौरान वियना नगरपालिका ने कम-से-कम 2,00,000 लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराए और

200,000 लोगो की यह आवाज-व्यवस्था बिना किसी अतिरिक्त कर लगाए या बिना ऋण लिए की गई है। यह सारा खर्च राजस्व से ही लिया गया था और यह राजस्व मनोरजन पर कर लगाकर इकट्ठा किया गया था। हम जानते हैं कि इस देश में भी मनोरजन पर कर लगाया जाता है लेकिन दुर्भाग्य से शहरो को इस कराधान से कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए मुझे सबसे अधिक इसी बात ने प्रभावित किया कि अतिरिक्त कराधान और ऋण के बिना ही एक शहर में इतना कुछ उपलब्ध कराया गया। इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हू कि यदि आप किसी एक शहर में कुछ हासिल कर लेते हैं तो यह सारी दुनिया के लिए सार्थक और महत्वपूर्ण होता है।

यह जानकारी अत्यधिक सतोषजनक है कि बर्बई में आपने सीमित मताधिकार और मनोनयन को खत्म कर दिया है तथा वयस्क-मताधिकार लाने जा रहे हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा कि यह सिर्फ एक शहर के लिए सार्थक नहीं है, बल्कि सारे हिंदुस्तान तथा संभवतः हिंदुरतान जैसी परिस्थितियों वाले अन्य देशों के लिए भी सार्थक होगा। मैं सोचता हू कि इस बदलाव के लिए हम वर्तमान बर्बई सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। हम इच्छा जाहिर करते हैं कि हिंदुस्तान के सारे शहर, खासतौर पर पंजुख शहर, इस मामले में बर्बई के इतिहास से सबक लेंगे और वयस्क-मताधिकार को लागू करेंगे तथा मनोनयन की व्यवस्था को खत्म करेंगे।

महोदय बर्बई शहर के पास समुद्र से घिरा एक वैभवशाली क्षेत्र है। यह शहर सुंदर प्राकृतिक दृश्यावली के बीच स्थित है। बर्बई की गलियाँ और इमारतों- कम-से-कम बर्बई के अपेक्षाकृत अच्छे और धनी इलाकों की तुलना दुनिया के किन्हीं भी शहरों से सहज ही की जा सकती है, लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। हम शहर की गरीबी और मलिन बस्तियों को भी नहीं भूल सकते जहाँ हमारे गरीब देशवासी रहने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान के महान सपूतो में से एक सी आर दास ने कभी कहा था कि नगरीय निकायों को गरीबों की नगरपालिकाएँ बनाना ही इन निकायों का आदर्श होना चाहिए और कलकत्ता के मेयर के रूप में उन्होंने अपने भाषण में गरीबों की सेवा के लिए एक कार्यक्रम रखा। कई मायने में यह एक आदर्श कार्यक्रम था और कलकत्ता नगरपालिका और परोक्षतः अन्य नगरीय निकायों के लिए एक प्रेरणा बन गया। वास्तव में अपने नगरीय निकायों के गरीबों की नगरपालिका बनने का ईमानदारी के साथ वादा करने से पहले मैं सोचता हू कि हमें अभी काफी कुछ करना है। अभी देरों काम किया जाना है लेकिन सबसे जरूरी है- गरीबों की सेवा के लिए प्रेरणा, उत्साह और लगन। यह उत्साह और यह लगन ही यह प्रेरक शक्ति है, जो हमें सेवा के रास्ते पर चलने तथा अपने शहर को गरीबों की नगरपालिका बनाने के लिए मक्षम करती है। महोदय यहाँ बर्बई में खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफी उपलब्धि हासिल कर ली है। अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी उपलब्धि बर्बई के नागरिकों के लिए काफी लाभदायक है तथा अन्य जगहों पर नगरीय सरकार में रुचि रखने वालों के लिए प्रेरणा बन चुकी

है। मैं यह आशा तो करता ही हूँ कि आपने जितना किया है, उससे ही रातुष्ट होकर नहीं बैठेंगे, बल्कि वक्त की रफ्तार के साथ चलेगे और अपनी नगरपालिका को एक आदर्श नगरपालिका बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।

दुनिया-भर में नगरीय विकास उस दिशा में जा रहा है, जिसे हम 'नागर समाजवाद' कह सकते हैं। 'समाजवाद' एक ऐसा शब्द है जो कभी-कभी कई लोगों के लिए हौवा होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि हम समाजवाद के सही मायने का और प्वासतौर पर नागर समाजवाद का विश्लेषण करें तथा इसको समझने की कोशिश करें, तो हमें इससे सघर्ष करने तथा झिझकने की जरूरत नहीं है। जाने-अनजाने हम नागर समाजवाद की दिशा में ही जा रहे हैं। आज प्रत्येक आधुनिक नगरपालिका ने अपने कंधों पर उन बड़े कर्तव्यों का बोझ उठा रखा है जिसके बारे में आज सत्तीस-चालीस साल पहले साचना तक अज्ञान था। हम कह सकते हैं कि इन सामाजिक कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व का दायरा दिन-प्रतिदिन बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। आज किसी आधुनिक नगरपालिका को सिर्फ शुद्ध पेयजल सड़कें रोशनी आदि की व्यवस्था ही नहीं करनी है, बल्कि इसे प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भी करनी है और इसे जनता के स्वास्थ्य की देखभाल भी करनी है— साथ ही शिशु दर प्रसव तथा ऐसी ही कई समस्याओं का भी समाधान करना है, जो कुछ साल पहले की नगरपालिका ने सोचा भी नहीं था। भविष्य में आप क्या तय करेंगे कहना कठिन है। बर्मिंघम नगरपालिका की तरह आप के पास नगरपालिका बैंक है। पश्चिम में अन्य नगरपालिकाएँ भी हैं, जिन्होंने अपने कंधों पर ऐसे कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को उठा रखा है, जिनके बारे में कुछ दशक पहले न तो सुना गया था और न सोचा ही जा सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जाने-अनजाने नागर समाजवाद की तरफ चले जा रहे हैं। नागर समाजवाद और कुछ नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सेवा के लिए एक सामूहिक प्रयास है। उस आदर्श का अपने सामने रखते हुए यदि हम स्वयं को ही अपनी राह देख रहे काम की तरफ ले चले और बहुत ही सतोषजनक ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो हम सिर्फ अपने शहरों के लिए ही नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए भी काम कर पाएँगे। नगरीय मामलों में रुचि रखने वाले हमारे जैसे लोगों को सिर्फ अपनी नगरपालिकाओं से ही सीख नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें देश के बाहर यूरोप और अमेरिका तथा सुदूर पूर्व में भी यात्रा करनी चाहिए। वहाँ का भी साहित्य पढ़ना चाहिए तथा नागर समस्याओं के बारे में सूचनाएँ एकत्र करनी चाहिए ताकि हम अपने शहरों में अधिक दक्षतापूर्वक तथा सतोषपूर्वक काम कर सकें। इसीलिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि यहाँ बर्बई में आपकी उपलब्धियाँ सिर्फ आपके साथी नागरिकों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि इनका काफी व्यापक महत्व है।

नगरीय निकायों से जुड़ने से हमें नगरीय सेवा के लिए मिले अवसरों के अतिरिक्त एक अन्य सपत्तरात्मक लाभ यह भी मिलता है कि इन निकायों के साथ जुड़ा काम हमें सार्वजनिक जीवन के बड़े कामों के लिए तैयार कर देता है। मैं सोचता हूँ कि इंग्लैंड के

महान राजनीतिक चितको मे से एक द्राइस ही था जिम्ने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को लोकतंत्र का वास्तविक विद्यालय कहा है। प्रोफेसर लास्की और अन्य विद्वानों की भी सोच ऐसी ही है। आज सभी राजनीतिक चितको और नगरीय मामलों के विद्यार्थियों के सामने यह स्पष्ट हो चुका है कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ही लोकतंत्र का वास्तविक विद्यालय है। इसलिए स्थानीय निकायों से जुड़कर हम दुहरा लाभ पाते हैं। बस इस एक बात के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। विदेशियों ने हमें वारंवार कहा है कि इस दश में सामाजिक प्रगति के अन्य प्रयासों की तरह नागर विकास भी हमारे परिवर्तन कार्यक्रम का परिणाम है और 18वीं एव 19वीं शताब्दियों में यूरोप के नजदीकी संपर्क में आने से पहले नगरीय विकास की दिशा में भारत की उपलब्धियां बहुत कम थीं। महोदय मैं इस अद्यतर पर इस झूठ पर खुले-आम अभियोग लगाना चाहूंगा। नागर विकास के क्षेत्र में आज हम शून्य में से कुछ नहीं बना रहे हैं बल्कि हम प्राचीन काल की बुनियाद पर ही यह सब खड़ा कर रहे हैं। ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था के क्षेत्र में हम बहुत ही पुरानी बुनियाद पर काम रहे हैं और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के क्षेत्र में भी हम यही कर रहे हैं। इस प्राचीन धरती पर हमारे पूर्वजों ने किस ऊँचे स्तर की नगरीय उपलब्धियां हासिल की थीं इसे समझने के लिए आपको सिर्फ मोहनजोदड़ो के अवशेषों की तरफ मुड़ना पड़ेगा और मोहनजोदड़ो के बाद यदि आप मौर्य साम्राज्य की तरफ जाएं और साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के दस्तावेजों तथा निर्माण का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि पाटलिपुत्र शहर न सिर्फ काफी विकसित था बल्कि उस शहर में नागर सरकार के विभिन्न तरह के कार्य-भार थे जिनकी तुलना किसी भी आधुनिक नगरपालिका से सहज ही की जा सकती है। मेयर तथा अन्य आधुनिक नागर शब्दों के लिए आप अपनी उम्र प्राचीन भाषा में अनक ऐसे समानार्थी शब्द पाएंगे जो उस वक्त प्रचलित थे। इसके बाद वह वक्त आता है जिसे भारत के इतिहास का अधकार युग कहा जा सकता है। इस अधकार युग के दौरान न सिर्फ नागर प्रगति में ही बल्कि राष्ट्रीय जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में भी उथल-पुथल हुई। लेकिन अधकार युग के कारण ही किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि इससे पूर्व हमने नगरीय मामलों में कोई प्रगति नहीं की थी। अपने देशवासियों को यह याद दिलाना जरूरी है क्योंकि दुर्भाग्य से हमारी युवा पुरानी दामता के परिणामस्वरूप हम अपने अतीत को काफी दूरी तक भूल चुके हैं। अपने विद्वानों तथा इतिहासकारों द्वारा अतीत में किए गए या वर्तमान में हो रहे शोधों ने हमारे भूले-बिसरे अतीत को सामने ला दिया है। इन शोधों के कारण ही अब हम यह जान सकते हैं कि किसी दौर में हमारे पूर्वजों ने नगरीय मामलों के क्षेत्र में कितनी प्रगति की थी। हम दावा कर सकते हैं कि नगरीय प्रगति के मामले में हम प्राचीन बुनियाद पर ही नए निर्माण कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इससे हमें वर्तमान और भविष्य की समस्याओं से स्वयं को जोड़ने में प्रेरणा मिलेगी।

महोदय, मुझे लगता है कि मेरा छोटा-सा जवाब उपदेश जैसा हो चुका है। लेकिन उपदेश देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं मूलतः इस इरादे से खड़ा हुआ था कि आपने

मुझे जो सम्मान दिया है और जिस में मेने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए स्वीकार है, जिसका मैं एक साधारण सेनक हूँ, उसके प्रति अभार ज्ञापित कर सकूँ।

मुझे यह उत्साहपूर्ण उम्मीद है कि आपका शहर नगरीय गतिविधियों की छत्र-छाया में दिन-प्रतिदिन प्रगति करेगा और इस देश में तथा देश के बाहर भी अन्य नगरीय निकायों के लिए एक उदाहरण बनेगा। महोदय, मैं आपकी और नगरपातिका के वर्तमान तथा भविष्य में आपकी राह देख रहे इस श्रम-साध्य कार्य में हर तरह से सफलता की कामना करता हूँ। एक बार फिर मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ।

चीन के लिए कांग्रेस-चिकित्सा मिशन

गोस का सार्वजनिक बयान और अपील, 28 जून, 1938

मुझे भारत के चीनी वाणिज्य दूतावास से खबर मिली है कि चीनी सरकार ने कांग्रेस कार्यसमिति के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, जिसमें भारत ने चीन को एक एबुलेम भेजने का जिक्र किया था। अब जितना जल्द हो सके, इस सारे इतज्जाम को आगे बढ़ाना और चिकित्सा-दल को रवाना कर देना आवश्यक है।

12 जून को 'अखिल भारतीय चीन दिवस' देश-भर में धूम-धाम से मनाया गया। इस अवसर पर जनता ने अपनी शानदार प्रतिक्रिया जाहिर की है जिसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। फिर भी यह अफसोसजनक रहा कि समय से सूचना न मिलने के कारण इस अवसर के लिए सतोषजनक तरीके से धन-संग्रह नहीं किया जा सका। देश के विभिन्न हिस्सों से मित्रों ने सुझाव दिया है कि अपने चिकित्सा-मिशन के लिए धन-संग्रह के लिए जुलाई में कोई दिन या कुछ दिन तय हो।

अति आवश्यक धन

मैं हृदय से इस विचार का अनुमोदन करता हूँ तथा 7, 8 एवं 9 जुलाई को 'चीन फंड दिवस' के रूप में तय करता हूँ। जहाँ तक चीनी जनता का सवाल है, उनके लिए 7 और 9 जुलाई का महान ऐतिहासिक महत्व है। मैं देश-भर के कांग्रेस संगठनों से इस फंड को जुटाने की खातिर एक गहन अभियान में शामिल होने की प्रार्थना करता हूँ। एकत्र किया गया धन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के इलाहाबाद स्थित कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। हमें भूलना नहीं है कि उरा अवसर पर हमें 22,000 रुपये का संग्रह करना है।

चीनी जनता के प्रति हमारे सम्मान का यह एक प्रतीक होगा और इस अवसर पर

चीनी झंडे के लघु रूपों को बेचना भी धन-संग्रह में अच्छी-खासी मदद कर सकता है। यह तरीका बड़े शहरों में उपयोगी हो सकता है और मैं आशा करता हूँ कि जहाँ तक संभव हो, इन तीन दिनों को 'चीनी झंडा दिवस' के रूप में मनाया जाए।

जिन जगहों पर चीन उपसमिति के सदस्य हैं वे स्थानीय कांग्रेस संगठनों से विचार-विमर्श करके धन-संग्रह के लिए जरूरी व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। खासतौर से बंबई में चीन उपसमिति के सचिव सार्जेंट जी पी हठीसिंह को बंबई प्रांतीय कांग्रेस समिति से राय-मशविरा करके आवश्यक व्यवस्थाएँ करने के लिए अधिकृत किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा धनसंग्रह हमारे चिकित्सा-मिशन द्वारा कम से कम एक साल तक काम जारी रखने के लिए पर्याप्त होगा।

एयुलेस कार के लिए आर्डर

अतः मैं जनता को सूचित करना चाहूँगा कि उपकरणों में पूरी तरह सुसज्जित एयुलेस के लिए फोर्ड्स को पहले ही आदेश दिया जा चुका है जो उन्हें सीधे हांगकांग भेज देगा। महान चीनी जनता के लिए चिकित्सा-कर्मियों के साथ एयुलेस का इस तरह भेजा जाना इतिहास के उनके सबसे अंधेरे वक़्त में भारत की सहानुभूति तथा सदिच्छा का जीवन्त प्रतीक है। मैं गंभीरतापूर्वक आशा और विश्वास करता हूँ कि जनता की शुभकामनाएँ कांग्रेस और भारत राष्ट्र के काम आएँगी।

यूनिवर्सिटी इस्टीमेट हॉल में बोस का भाषण, 12 अगस्त, 1938 ★

भारत में हमारी निजी समस्याएँ भी हैं। हम दुःख के साथ इस तथ्य से वाकिफ हैं कि हम चीन के लिए उराकी इन कठिनाइयों के दौरान बहुत कम सहायता कर सकते हैं, लेकिन हमारा हृदय चीनी जनता के साथ है और अपनी सहानुभूति के प्रतीक के तौर पर चीन के लिए हम एक छोटा-सा चिकित्सा-मिशन भेज रहे हैं।

मुझे नहीं मालूम कि चीन के लिए इस चिकित्सा-मिशन का व्यापहारिक मूल्य क्या है। लेकिन इसका एक नैतिक मूल्य है क्योंकि यह मिशन चीन में हमारे भाई-बहनों के लिए हमारी हार्दिक सहानुभूति का प्रतीक होगा।

★ सुभाषचंद्र बोस ने चीन के जन शिक्षा निदेशक और राजनीतिक परिवर्तन के सदस्य प्रो. ताई-ची ताओ के सम्मान में दिए गए भोजन के अवसर पर यह भाषण दिया था। —संपादक

मुझे विश्वास है कि प्रो. ताओ तथा उनके देशवासी हमारी गहरी रुचि तथा सहानुभूति से याक़िफ़ होंगे जिसके साथ हम चीन में चल रहे संघर्ष का अनुसरण कर रहे हैं। चीनी जनता आज ज़िरा स्थिति से गुज़र रही है उसे हम उसके इतिहास का सबसे अधेरा दौर कह सकते हैं। हमें तथा दुनिया को अमान्य दौर जो कुछ भी दिखा रहा हो पर इसमें कोई संदेह नहीं कि चीनी जनता इस संघर्ष में अतंत गिज़यी बन कर उभरेगी। ज़ेरा कि हम जानते हैं कि चीनी सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और अपने राष्ट्रीय इतिहास में कई उतार-चढ़ावों से होकर गुज़री है। मानव इतिहास के इन उतार-चढ़ाव वाले दिनों के बावजूद चीनी जनता मानवता के सामूहिक लक्ष्य की तरफ़ ही बढ़ती जा रही है। ऐसा चीनी जनता की परंपरा है और आधुनिक चीन की शक्ति तथा चरित्र के कारण है और यही वज़ह है कि चीनी-जापानी विवाद के परिणाम के प्रति हम इतना अश्वस्त हैं।

चीन के लिए कांग्रेस चिकित्सा-मिशन को चोस का विदाई-संदेश

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संगठित चिकित्सा-मिशन की चीन के लिए खानगी एक ऐतिहासिक घटना है। हमें सदा ही उन पुराने दिनों का ख्याल आता है, जब भारत को बाहरी देशों से जोड़ने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संबध बनाए गए थे। चीन के साथ हमेशा हमारे अंतरंग और मधुर संबध रहें हैं। हमारे ये दोनों राष्ट्र शांतिप्रिय हैं और एक ज़सी ही उगाही संस्कृति और दर्शन हैं। पुराने ज़माने के हिंदुस्तानी मिशनरियों की तरह ही अब हमारे चिकित्साकर्मियों सेवा-सदिच्छा तथा प्रेम के राजदूत बनकर चीन जा रहे हैं। हम इस दुखद तथ्य से याक़िफ़ हैं कि चीन के लिए हमारा यह उपहार उसके इतिहास की इस निर्णायक ज़ड़ी में बहुत ही छोटा है। वो भी इस छोटे से सपहार के पीछे भारत की जनता की आत्मा मौजूद है। मुझे विश्वास है कि चिकित्सा-मिशन को जो छार संदेश मैं भेज रहा हूँ उसमें सारे देश की मायनाओं को स्वर मिलेगा। यह कोई छोटी बात नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज भारत साम्राज्यवादी, तानाशाही तथा आध्यात्मिक बुराई के खिलाफ़ एक ढाल की तरह मौजूद है। इसलिए हम चीन में तैनात अपने गैर-सरकारी राजदूतों में गर्मजोशी से अपनी हृदय-जताएँ, उनकी शुभ-यात्रा की कामना करें तथा उनके इस पवित्र मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करें।

डा. अटल के लिए सदेश

अपने इतिहास में सकट की सबसे बड़ी घड़ी के दौरान जब चीन अपने अस्तित्व और आजादी के लिए लड़ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आप और आपके साथियों को महान चीनी राष्ट्र के लिए भारत की सदिच्छा, सम्मान तथा सवेदना के प्रतीक के तौर पर भेजा जा रहा है। सम्भावित खतरों तथा अशुविधा के साथ आप सेवा और प्यार के अपने मिशन पर कल कूच कर रहे हैं। आपका मिशनरी उत्साह आपकी उस जीवन्तता का सूचक है, जिसने अतीत में भारतीय मिशनरियों को प्रेरणा दी है। आप अपने देश के लिए मान-सम्मान ला सकें और उसे एक अन्य उत्पीड़ित राष्ट्र के साथ जोड़ सकें, इसी आकांक्षा के साथ हम भारत के लिए ख्याति लाने वाले इस पवित्र कार्य में आपकी सफलता की कामना करते हैं—वदे मातरम्।

संघीय योजना के बारे में

संघीय योजना के बारे में नेताजी के पहले वक्तव्य से कांग्रेस के दक्षिणपथ के सदस्यों के बीच काफी तीखी प्रतिक्रिया पैदा की। दूसरा वक्तव्य उन्होंने पहले वक्तव्य के मूल भाव के बचाव में दिया था।

1

9 जुलाई, 1938

ब्रिटेन के पत्रकारिता-जगत में आए दिन ऐसे वक्तव्य या दबे स्वर में सकेत आते रहे हैं जिससे यह मनक मिलती है कि *गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट* के अतर्गत विचारार्थ संघीय योजना के मसले पर कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता अंग्रेज सरकार से समझौते की शर्तों में बातचीत कर रहे हैं। मुझे याद है कि जो अंतिम वक्तव्य मैंने पढ़ा था, वह *मानचेस्टर गार्डियन* में छपा था, जिस पर मैंने तत्काल तथा जोरदार उत्तर देकर भेज दी थी। बिना किसी साक्ष्य के मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कोई प्रभावशाली कांग्रेसी नेता कांग्रेस के पीछे से अंग्रेज सरकार के साथ समझौते की दृष्टि से बातचीत कर रहा है।

मैं तो कहूंगा कि प्रांतीय स्वायत्तता तथा संघीय योजना में कोई सादृश्य नहीं है। प्रांतों में कांग्रेस द्वारा सरकार में शामिल होने का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि यह केंद्र में संघीय योजना थोपवाने की स्वीकृति की दिशा में बड़ा कदम है। मुझे कोई सदेह नहीं है कि कांग्रेस पर संघीय योजना थोपाने का ऐसा कोई भी प्रयास अपरिहार्य तौर पर असफल सिद्ध होगा। यदि दुर्भाग्यवश सफल भी हो जाता है, तो इससे कांग्रेस में दूटन आएगी,

क्योंकि मैं नहीं समझ पाता कि जो काफी सचेत होकर सघीय योजना का विरोध कर रहे हैं, वे इसे सफल कैसे होन देगे।

व्यक्तिगत तौर पर मैं सोचता हूँ कि भारत के इतिहास की इस निर्णायक घड़ी में कांग्रेस या उसके किसी घटक के द्वारा किसी किस्म की कमजोरी दिखाना भारत लोगों के साथ काफी बड़ा धोखा होगा। हम आज इतनी अनुकूल स्थिति में हैं कि यदि सिर्फ एक होकर एक आवाज में बोल सकें तो हम अंग्रेज सरकार को अपनी सारी मांगें मान लेने के लिए राजी कर सकते हैं। सघीय योजना के बारे में हमारी सांच की संप्रति किंचित् दुर्बलता हमारे हाथों को कमजोर और अंग्रेज सरकार के हाथों को मजबूत ही करेगी। जल्द तब मैं समझता हूँ, यदि कांग्रेस के भीतर ही बहुमत द्वारा सघीय योजना अर्द्ध-यानी विरुद्ध सघीय योजना के खिलाफ खुला दृढ़ तथा अविकल-विरोध कर पाने के लिए मुक्त हो पाऊँगा।

2

15 जुलाई, 1938

इस मामले में प्रेस के विवाद में पड़ने का न तो मेरा कोई इरादा है और न ही यह मेरा कर्तव्य। मैंने वही किया है जो मैंने अपना कर्तव्य समझा है— यानी गर्वमेट ऑव इंडिया एक्ट 1935 में दर्ज सघीय योजना के बारे में कांग्रेस के नजरिए की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित किया है। 9 जुलाई को जारी मेरा वक्तव्य सभ के बारे में कांग्रेस के दृष्टिकोण की सशक्त पुनरावृत्ति के सिवा और कुछ नहीं है। अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस दृष्टिकोण को स्पष्टताय प्रतिपादित किया था और पिछले फरवरी में हरिपुरा कांग्रेस में फिर से स्वीकृत किया था।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव निम्नवत् था

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति योजना के प्रति निंदा तथा संपूर्ण विरोध दुहराती है, साथ ही वह उपलब्ध राभव तरीके से इससे टकराने के निर्णय को भी दुहराती है। राष्ट्र-सकल्प की स्पष्ट अभिव्यक्ति के बाद भी इस योजना की शुरुआत का प्रयास भारत की जनता के लिए एक चुनौती होगा। इस रांघ को लागू होने से रोकने के लिए समिति प्रांतीय तथा स्थानीय कांग्रेस समितियों और आम जनता के साथ-ही-साथ प्रांतीय सरकार तथा मंत्रिमंडलों से भी अपील करती है। यह सभ भारत को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा और साम्राज्यवादी शासन तथा उसके खिलाफत के वक्त भी भारत को जोड़े रखने वाले सूत्र को तनावग्रस्त बनाएगा। समिति का विचार है कि प्रांतीय सरकारों को अपने विधानमंडलों को भी प्रस्तावित सभ के इस विरोध को अपना औपचारिक स्वर देने और अंग्रेज सरकार को अपने प्रांतों पर इसे न थोपने की सूचना देने के लिए प्रेरित करना

चाहिए इसलिए कांग्रेस प्रस्तावित सघीय योजना के प्रति अपनी निंदा दुहगती है तथा प्रांतीय और स्थायी कांग्रेस समितियों और आम जनता और प्रांतीय सरकार तथा गवर्नरमंडलों से इसके उद्घाटन को रोक्ने की अपील करती है। इसे थोपने के किसी भी प्रयास के दौरान, जनता की पॉषित इच्छा के बावजूद ऐसे किसी भी प्रयास का हर तरह से मुक्यवला होना चाहिए और प्रांतीय सरकारों तथा गवर्नरमंडलों को इसके साथ सहयोग करने से इकार कर देना चाहिए। अगर ऐसी कोई सभावना सामने आती है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस को इस सबध में कार्य-दिशा तय करने के लिए अधिकृत और निर्देशित किया जाता है।

9 जुलाई को अपना वक्तव्य जारी करने से पहले सघीय योजना के पक्ष में कांग्रेसियों की सहानुभूति तथा सहायता हानिल करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की रिपोर्ट मेरे पास पहुंच चुकी थी। इसलिए हरिपुरा कांग्रेस के आदेश के पालन के लिए इस अनर्थकारी कदम से मिडने का पहलू मिले अवसर का उपयोग करना मेरा कर्तव्य था। यदि मेने ऐसा नहीं किया होता, तो मैं अपने पद के उत्तरदायित्व का उचित निर्वाह करने में असफल हो गया होता।

मैं वैधता के साथ दावा कर सकता हू कि मेरा वक्तव्य हरिपुरा कांग्रेस में पारित प्रस्ताव के प्रति अतर्निहित ईमानदारी के अहसास से निकला है। यदि मैंने कठोर भाषा का इस्तेमाल किया है तो यह एक हद तक इसलिए हुआ कि मैं इन मतलबों को काफी गहराई से महसूस किया और एक हद तक इसलिए भी कि कांग्रेस की अपनी सोच काफी दृढ़ है— जैसे सघीय योजना की 'पुरजोर निंदा' तथा 'संपूर्ण विरोध' की सोच। मुझे इस बात को बिल्कुल साफ करने दे कि हरिपुरा में निर्विरोध स्वीकृत कांग्रेसी प्रस्ताव में टालमटोल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है और किसी कांग्रेसी को चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो इस मुद्दे पर कांग्रेस के दृढ़ तथा अटल सोच को कमजोर करने का प्रयत्न करने की छूट नहीं दी जाएगी। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के बाद से ऐसा कुछ नहीं घटा, जो राध के वार में हमारे दृष्टिकोण को जरा भी बदलने के लिए प्रेरित कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इतनी अनुकूल दिशा में विकसित हो चुकी है कि हरिपुरा में लिए गए निर्णय पर काफी दृढ़ता से डटे रहना हमारे लिए आवश्यक हो गया है।

फिर ऐसे वक्तव्य को जारी करने की जरूरत को लेकर यदि कोई सदेह था तो इसके छपने के बाद की घटनाओं ने उस हमरा के लिए खत्म कर दिया और यदि कुछ समय के लिए हम धैर्य रख सकें, तो मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही यह मान लेंगे कि मेरा वक्तव्य वक्त से एक दिन भी पहले जारी नहीं हुआ था।

हमारे ऊपर सघीय योजना को जबरदस्ती थोपने के किसी भी प्रयास के परिणामों के सदर्थ में यह मान लेना मुश्किल है कि कांग्रेस कभी अपनी पिछली सोच को छोड़ देगी

और इस मुद्दे से जुड़े सभी लोगों के लिए यह अकलन करना ठीक रहेगा कि यदि भविष्य में ऐसी कल्पनातीत सभावना बनती है, तो क्या होगा। कांग्रेस की वर्तमान मनोदशा को देखते हुए थोड़ा भी सदेह नहीं रह जाता कि कांग्रेस के बहुमत द्वारा सघीय योजना की स्वीकृति निश्चित ही दल में ही गहरा विभाजन करा देगी। यदि हम व्यावहारिक राजनेता हैं, तो हमें परिस्थिति की सच्चाई से आख नहीं घुराना होगा और हमें इस उम्मीद में भी रहना चाहिए कि बहुमत द्वारा सघीय योजना की स्वीकृति असतुष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा विनम्रता से सह ली जाएगी।

मेरे वक्तव्य को लेकर हुई कुछ आलोचनाओं से मुझे आश्चर्य और दुःख हुआ है। सघ के बारे में कांग्रेसी नजरिए को सशक्त तरीके से उद्घाटित करने को एक धमकी की तरह चिन्हित करना अर्थहीन है। यह आरोप भी उसी तरह अर्थहीन है कि यदि दल अपनी पिछली सोच की तरफ मुड़ता है तो मैं कांग्रेस से निकल जाऊंगा। मेरी अंतिम सास के अतिरिक्त कोई भी मुझे कांग्रेस से कभी बाहर नहीं निकाल सकता। मेरे वक्तव्य पर अंतिम और उत्तनी ही अर्थहीन आलोचना यह है कि बहुमत द्वारा इस राष्ट्रीय 'आत्म बलि' के लिए तैयार होने की स्थिति में मुझे त्यागपत्र देने की आजादी नहीं है। कांग्रेस द्वारा सघीय योजना की स्वीकृति एक तरह की राजनीतिक आत्महत्या है और यदि वह कल्पनातीत सभावना बनती है कि बहुमत ही इसे तय कर चुका है, तो आत्महत्या के इस खेल में मेरे साथ होने की अतार्किक उम्मीद कोई कैसे कर सकता है? अतः मैं आशा और विश्वास और प्रार्थना करता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय मांग को कांग्रेसियों की तरफ से नुकसान पहुंचाने के सभी प्रयास हमेशा के लिए निष्फल हो जाए। हम अनचाही सघीय योजना के दिल्ली तथा व्हाइट हॉल के सशोधनों को स्वीकार करते हुए खुद को ससदीय मध्यस्थ के स्तर तक न उतारे। इसके विपरीत, हम अपने मतभेदों को खत्म करें तथा अंग्रेज सरकार से सयुक्त मोर्चा बनाकर मिलें और हम इस सकल्प में दृढ़ रहे कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद सयुक्त और पुनर्जीवित भारत की राष्ट्रीय मांग को अधिक दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकता।

विज्ञान और राजनीति

भेषनाथ साहा के प्रश्नों का उत्तर

इंडियन साइंस न्यूज एसोसिएशन ने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस को 21 अगस्त 1930 को हुई अपने एसोसिएशन की तृतीय

आनन्दन की अध्यक्षता के लिए आनवित किया था। बैठक में प्रो. मेधनाथ साहा ने नेताजी से कुछ सवाल पूछे थे। यह कुछ प्राथमिक अंश प्रस्तुत हैं

सवाल क्या मैं पूछ सकता हूँ कि भविष्य का भारत अपने प्राचीन जीवन तथा बेलगाड़ी के दर्शन और इससे सम्बन्धित गुलामी को पुनर्जीवित करना जा रहा है या अपने सार प्राकृतिक स्रोत का विकसित करके अपनी रबी अन्न तथा चुरस की समस्याओं को हल करने वाला एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनकर अन्य राष्ट्रों की कतार में सम्मानित स्थान लेगा और इस तरह सन्धता के नए दशक की शुरुआत करेगा ?

यदि कांग्रेसी आत्मकमान औद्योगिकीकरण की नीति तय करत हैं तो क्या वे औद्योगिकीकरण की सुव्यवस्थित योजना या राष्ट्रीय परिवर्तन करने और देश के वैज्ञानिक बुद्धिजीवियों को संगठित करने जा रहे हैं ? मैं इस सवाल को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस कई प्रांतों में सत्ता में आ चुकी है और भारत के नवी औद्योगिकीकरण के रास्ते में विचारों का काफी भ्रम बना हुआ है।

जवाब भारत की आजादी के लिए जारी आंदोलन अब उच्च स्थिति तक आ पहुँच है जहाँ स्वराज केवल एक सपना नहीं है और न ही उच्च आदर्श के तरह रह गया है जिस भविष्य में काफ़ी देर बाद पाना हो। इतक विस्तृत हम सत्ता के दायरे में हैं- ग्याह प्रान्तों में से सात प्रांत कांग्रेस नयिनडल के अंगीन हैं। यद्यपि उनके पास सीमित ताकत ही है लेकिन इन्हीं के जरिए उन्हें अपने क्षेत्रों में पुनर्रचना की समस्याओं का निराकरण करना है। सबसे पहले हम इस कार्य में विज्ञान की सहायता चाहते हैं।

कांग्रेस और पुनर्रचना कार्य के बारे में मेरी हमेशा से यह राय रही है और मैंने हरिपुरा कांग्रेस में अध्यक्षीय भाषण में कहा भी था कि जा दल आजादी के लिए लड़ता है वह आजादी हासिल करने के बाद खत्म नहीं किया जाएगा। इस दल का मुद्दोत्तर पुनर्रचना के कार्य को निबटाना होगा। इसलिए आजकल के कांग्रेसी सिर्फ आजादी के लिए नहीं लड़ेंगे बल्कि उनके राष्ट्रीय पुनर्रचना की समस्याओं का समाधान के लिए अपनी सांघ-समझ तथा जोश-खरोश को भी समर्पित करना होगा और राष्ट्रीय पुनर्रचना सिर्फ विज्ञान और हमारे वैज्ञानिकों की सहायता से ही सम्भव है।

आगर आपकी अनुमति हो तो मैं राष्ट्रीय पुनर्रचना की समस्याओं के बारे में अपनी सांघ बताऊँ। इन दिनों प्रायः हम इस देश में आधुनिक उद्धार की योजनाओं के बारे में सुनते हैं। अभी हाल में इसी प्रांत के एक अधिकारी ने बंगाल की उद्धार योजना पर एक नारी-नरकन पुस्तक लिखी है। पर जिस समस्या का हमें सामना करना है वह औद्योगिक उद्धार नहीं बल्कि औद्योगिकीकरण है। भारत अभी विकास के पूर्व औद्योगिक युग में ही है। जब तक हम औद्योगिक क्रान्ति की व्यापकता से नहीं गुजरते कोई औद्योगिक उन्नति सम्भव नहीं है, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि

वर्तमान दौर आधुनिक इतिहास का औद्योगिक काल है। इस दौर में औद्योगिक क्रांति से पलायन सम्भव नहीं है। हम अपनी पूरी समझ से तय कर सकते हैं कि यह क्रांति यानी औद्योगीकरण ग्रेट ब्रिटेन की तरह धीरे-धीरे हो या स्विट्जरलैंड की तरह बलपूर्वक बदलाव लाकर। मुझे तो डर है कि इस देश में बलपूर्वक बदलाव ही आना है।

मुझे कोई सन्देह नहीं है कि जब भारी देश के लिए राष्ट्रीय सरकार होगी तो भारी देश के लिए एक राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति उन पहले कामों में से एक होगी, जो हम करेंगे। वास्तव में सातों प्रांतों में हमारे मंत्रिमंडल पहले से ही समान औद्योगिक नीति और कार्यक्रम की जरूरत महसूस कर रहे हैं। इसका पूर्वानुमान लगाते हुए कांग्रेस कार्यसमिति ने एक साल पहले ही कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सत्ता में आने के तुरंत बाद एक प्रस्ताव पास किया था कि औद्योगिक मामलों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल को सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करना आवश्यक है। मई 1938 में बर्मा में मेरी अध्यक्षता में हुई कांग्रेस-प्रमुखों की सभा ने इस विचार का अनुमोदन किया है। इसके बाद कार्यसमिति की बैठक के पहले ही विशेषज्ञों की समिति की नियुक्ति हो चुकी है और जुलाई में हुई पिछली बैठक में कार्यसमिति ने तय किया है कि प्रारंभिक कदम के तौर पर मैं कांग्रेस-शासित सात प्रांतों के उद्योग मंत्रियों की सभा का आयोजन करूंगा। मैं यह सारी बात यह दिखाने के लिए बता रहा हू कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना हम आर्थिक नियोजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

यद्यपि मैं कुटीर उद्योग को खारिज नहीं करता हूँ और यद्यपि मैं मानता हूँ कि जहाँ तक सम्भव हो, कुटीर उद्योगों के संरक्षण तथा पुनरुद्धार की हर कोशिश की जानी चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि भारत के लिए आर्थिक नियोजन का मतलब है भारत के औद्योगीकरण के लिए बड़े पैमाने पर नियोजन और औद्योगीकरण का अर्थ—जैसा कि सर जान एडरसन ने समझा होगा—छाते का हँडता तथा फासे की प्लेट बनाने वाले उद्योगों की उन्नति नहीं है, इस तथ्य से आप सभी लोग सहमत होंगे।

मैं प्रामाण्यपूर्वक इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ कि आपकी पत्रिका 'साइंस एंड कल्चर' ने इस देश के बौद्धिक विचारों को औद्योगीकरण की समस्याओं की तरफ मोड़ने में महायत्ना की है। विद्युत आपूर्ति, वाद-नियंत्रण, नदी विज्ञान, राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद् बनाने की आवश्यकता आदि पर समय-समय पर प्रकाशित रचनाएँ काफी विचारोत्तेजक तथा शिक्षाप्रद हैं।

अब मैं राष्ट्रीय नियोजन के सिद्धांतों पर कुछ टिप्पणियाँ करना चाहूँगा

1. यद्यपि औद्योगिक दृष्टि से विश्व एक इकाई है, फिर भी हमें राष्ट्रीय स्वायत्तता पर, खासकर अपनी मुख्य आवश्यकताओं के क्षेत्र में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
2. हमें मूल उद्योगों यानी विद्युत-आपूर्ति, धातु-उत्पादन, मशीन और

औजार-निर्माण आवश्यक रसायनों के उत्पादन परिवहन तथा सद्यः उद्योग आदि की वृद्धि तथा विकास केंद्रित नीति को अपनाना चाहिए।

- 3 हमें तकनीकी शिक्षा तथा तकनीकी शोध की समस्या का भी समाधान निकालना चाहिए। जहां तक तकनीकी शिक्षा का मामला है, जापान के विद्यार्थियों की तरह हमारे विद्यार्थियों को भी स्पष्ट और निश्चित योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा जाना चाहिए, ताकि जैसे ही वे देश में लौटें, नए उद्योगों को खड़ा करने के काम में सीधे जुट जाएं।

जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है हम सभी सहमत हैं कि इसे हर तरह के सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। सिर्फ इसी दुर्भाग्यशाली देश में ही ऐसा है कि शाही तनख्वाह लेने के लिए सरकारी नौकर वैज्ञानिक अनुरोधान में लगे हुए हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलता है।

- 4 एक स्थाई राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद् का गठन होना चाहिए।
- 5 अतः राष्ट्रीय नियोजन की ओर प्रारम्भिक कदम के बतौर राष्ट्रीय योजना आयोग के लिए जरूरी आकड़े इकट्ठा करने की दृष्टि से वर्तमान औद्योगिक दशा का एक आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए।

सक्षम में ये सब औद्योगीकरण तथा राष्ट्रीय पुनर्रचना की समस्याओं पर मर कुछ विचार है और मुझे विश्वास है कि ये इस देश के वैज्ञानिक पुरुषों और महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप में समझे जाएंगे। हम जैसे व्यावहारिक राजनेताओं के लिए विचारों के रूप में आप वैज्ञानिकों की सहायता की जरूरत है। फिर हम लोग इन विचारों के पचार-प्रसार में सहायता कर सकते हैं और जब सत्ता की मीनार पर हमारा कब्जा हो जाएगा तब इन विचारों को यथार्थ में बदलने में सहायक हो सकते हैं। फिलहाल हम विश्वास और राजनीति के बीच दूरगामी सहयोग की आवश्यकता है।

अपने विचारोत्तेजक माण्य के दौरान प्रोफेसर साहा ने मुझसे पूछा है कि औद्योगीकरण की समस्याओं पर कांग्रेस का नजरिया क्या है। मैं कहूंगा कि सभी कांग्रेसियों का इस सवाल पर समान नजरिया नहीं है। तो श्री म विना किसी अतिशयोक्ति के कह सकता हूँ कि उभरती पीढ़ी औद्योगीकरण के पक्ष में है और उसका यह समर्थन कई कारणों से है। सबसे पहले औद्योगीकरण बेरोजगारी को सिकट को दूर करने के लिए जरूरी है। यद्यपि वैज्ञानिक दम स की गई खेती उपज में वृद्धि कर देगी और यदि प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अन्न मिले तो अच्छी खासी जनसंख्या खेती से उद्योग की तरफ आ सकती है। दूसरे, उभरती पीढ़ी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के स्वरूप को समाजवाद के ढांचे में साधती है और समाजवाद औद्योगीकरण को पहले ही स्वीकार कर लेता है। तीसरे, यदि हम

विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी है, तो औद्योगीकरण आवश्यक है।

अतः आम जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए औद्योगीकरण की आवश्यकता है।

प्रो. साहा ने दूसरा सवाल किया है कि ब्रिटेन के नियंत्रण से मुक्त होने के बाद क्या भारत एक राष्ट्र बनेगा ? इसके बारे में मेरा उत्तर यही है कि कांग्रेस के सभी लोग भारतीय एकता तथा अखंडता की प्राप्ति के मामले में अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हैं। हम चीन के रास्ते नहीं, बल्कि तुर्की के रास्ते जाना चाहते हैं। यदि हम आजादी के बाद स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में संगठित रखना चाहते हैं, तो हमें वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रसार के लिए कई चीजों की जरूरत है— जैसे आम बोलचाल की भाषा, आम पहनावा आम खानपान आदि। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस इस दश की बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदुस्तानी की वकालत कर रही है। लेकिन मेरा विश्वास है कि विदेशी वर्धस्थ खत्म होने के बाद एक राष्ट्र बनने तथा एक राष्ट्र के रूप में साथ रहने की हमारी इच्छाशक्ति सबसे अधिक आवश्यक है। इस तरह मेरी नजर में एकता की समस्या व्यापक तौर पर एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। लोगों को इतना शिक्षित और अभ्यस्त होना चाहिए कि वे स्वयं को एक राष्ट्र की तरह महसूस कर सकें। भाषा पहनावा, खानपान आदि अन्य कारक एकता के लिए सहायक हो सकते हैं, लेकिन इसे बना नहीं सकते। इस राष्ट्रीय इच्छाशक्ति के साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक अखिल भारतीय पार्टी की आवश्यकता है। वह पार्टी कांग्रेस है। इतिहास में हम पाते हैं कि प्रत्येक देश ने उस देश की जनता के एकीकरण के लिए एक पार्टी का निर्माण किया है। इस सदर्भ में रूस में कम्युनिस्ट पार्टी, जर्मनी में नाज़ी पार्टी, इटली में फासिस्ट पार्टी तथा तुर्की में कगाल की पार्टी उदाहरण हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी एकीकरण की यही भूमिका निभाएगी, जो उपरोक्त दलों ने अपने-अपने देशों में निभाई है।

भारत की औद्योगिक समस्याएँ

2 अक्टूबर, 1938 को दिल्ली में उद्योग मंत्रियों की सभा में दिए गए भाषण का पूरा पाठ

इस सभा की शुरुआत करने से पहले मेरे आमंत्रण पर ध्यान देने तथा तमाम असुविधाओं तथा रामयाभाव के बावजूद इस सभा में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। प्राचीन में कांग्रेस द्वारा सरकार का उत्तरदायित्व लेने के बाद अपनी तरह की यह पहली सभा है। जब से मंत्रिपरिषद् में पद-भार लेने के लिए कांग्रेसियों को अनुमति देना तय हुआ था, तब से अपने देश के उद्योगों के विकास की समस्या और इस

सबध मे अपने स्रोतो के साथ रायोजन का सवाल कार्यसमिति का गभीरतापूर्वक ध्यान खींच रहा है।

अगस्त 1937 मे अपनी बैठक मे कार्यसमिति ने निम्नलिखित पस्ताव स्वीकार किया था

कार्यसमिति कांग्रेसी मन्त्रिमडलो से उन अति आवश्यक तथा सर्वेदनशील समस्याओ पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की सिफारिश करती है जिनका समाधान राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा सामाजिक नियोजन के किसी भी कार्यक्रम के लिए जरूरी है। ऐसे समाधान के लिए व्यापक सर्वेक्षण तथा आकडो का संग्रह और साथ ही स्पष्टतया परिभाषित सामाजिक उद्देश्य की जरूरत होगी। इनमे से कई समस्याएँ प्रांतीय आधार पर प्रभावी ढंग से हल नही की जा सकती तथा निकटवर्ती प्रांतो के हित भी एक दूसरे से जुड रहत हं। विनाशकारी नाडो का रोकने सिन्हाई के लिए जल का उपयोग करने मुदाक्षरण की समस्या पर विचार करने, मलेरिया-उन्मूलन तथा जल-विद्युत और अन्य योजनाओ के विकास हेतु एक नीति बनाने के लिए व्यापक नदी सर्वेक्षण आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए सारी नदी-घाटी का सर्वेक्षण तथा जांच करनी होगी तथा बडे पैमाने पर राज्य-नियोजन लागू करना होगा। उद्योगो के विकास और नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रांतो की तरफ से मयुक्त तथा सयोजित कार्यवाही की भी जरूरत होती है। इसलिये कार्यसमिति विशेषज्ञो की एक अतर्प्रांतीय समिति बनाने की सलाह देती है, जो सामने आने वाली आम समस्याओ की प्रकृति तथा उन समस्याओ के निराकरण के तरीके और तरकीब पर विचार करे। विशेषज्ञ समिति हर ऐसी समस्या का अलग-अलग समझने के लिए तथा प्रस्तापित सयुक्त कार्यवाही मे सलग्न प्रांतीय सरकारो को सलाह देने के लिए विशेष समितिया या बोर्ड बनाने की भी सलाह दे सकती है।

पिछली मई मे मेने बंबई मे सात कांग्रेस शासित प्रांतो के प्रमुखो की सभा बुलाई जिरामे कार्य समिति के कुछ सदस्य तथा कई मंत्री भी उपस्थित थे। उरा अवसर पर— जेसा कि आप ने से कुछेक लोगो को याद होगा— हमने औद्योगिक मुतासल्लो की समस्याओ निजता के स्रोतो का विकास तथा विद्युत आपूर्ति सहित काग्ररी प्रांतो के बीच सयोजन और सहयोग के आम सवालो पर विचार-विमर्श किया था। यदि मैं ठीक-ठाक याद कर पा रहा हू, तो सभा मे उपस्थित लोगो का विचार था कि कार्यसमिति को उपरोक्त सवालो पर कांग्रेसी मन्त्रिमडलो को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने मे पहल करनी चाहिए।

पिछली जुलाई को कार्यसमिति ने निम्नलिखित पस्ताव स्वीकार किया था
16-17 अगस्त 1937 को उर्धा मे कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत पस्ताव के सदरम ने

अखिल भारतीय औद्योगिक कार्यक्रम की सभावनाओं की खोज के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के सबंध में यह प्रस्तावित किया जाता है कि प्राथमिक कदम के रूप में उद्योग मंत्रियों की शीघ्र ही एक सभा बुलाने तथा विभिन्न प्रांतों में चल रहे उद्योगों और नए उद्योगों की आवश्यकताओं तथा सभावनाओं पर एक रिपोर्ट देने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है।

इस प्रस्ताव के अनुसरण के लिए ही इस सभा को बुलाया गया है।

मुझे यह बताना अनावश्यक लगता है कि वर्तमान राष्ट्रीय जीवन में व्यापक तौर पर घुसपैठ कर रही गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याओं सहित अपने सभी स्रोतों का राष्ट्र के हित में अधिकतम लाभ के लिए उपयोग के सवाल में काफी महत्व हासिल कर लिया है। अपने किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार लाना तथा जन-जीवन के आम स्तर को ऊंचा करना जरूरी है और यह सिर्फ कृषि में सुधार से ही नहीं किया जा सकता। कृषि उपकरणों की दक्षता निश्चित तौर पर हगे अधिक और सरुआ अन्न दे सकती है तथा कृषि से मिलन वाली जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। लेकिन इससे गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी। यह बात परस्पर विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन थोड़ा विचार करे, तो इस वृहत्तर दक्षता का अर्थ निकलेगा कि किसानों की वर्तमान संख्या को कम करके पूर्ववत् कृषि उत्पादन किना जा सकता है। इस स्थिति में बेरोजगारी की वर्तमान समस्या वैज्ञानिक खेती के परिणामस्वरूप बढ़तर हो सकती है।

तब हम इस भयंकर समस्या का निराकरण कैसे करेंगे ? यह देखना हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष तथा बच्चा बेहतर पहने, बेहतर शिक्षा पाए और उसे मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त अपकाश मिले, यदि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो औद्योगिक उत्पादों की मात्रा में अच्छी-खासी वृद्धि हो सकती है, साथ ही आवश्यक कार्यों को सुव्यवस्थित किया जा सकता है तथा अधिकांश ग्रामीण जनता को औद्योगिक रोजगारों की तरफ मांडा जा सकता है।

भारत स्रोतों के मामले में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसा देश है। यहां खनिज संपदा तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत काफी प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। देशहित में इनके सुचारु रूप से तथा व्यवस्थित तरीके से दोहन की जरूरत है। दुनिया के प्रत्येक अमीर और समृद्ध देश ने उद्योगों के पूरे विकास के जरिए ऐसा ही किया है। मैं यहां सिर्फ एक देश का उदाहरण दूंगा। विश्वयुद्ध से पहले रूस की स्थिति भारत से अच्छी नहीं थी। वह एक कृषिप्रधान देश था और उसकी 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रायः आज के हमारे किसानों की तरह ही दयनीय तथा दुखी थी। उद्योग बंदहाली की स्थिति में थे, बिजली अविकसित थी और विलासिता की वस्तु समझी जाती थी। उसे अपने विद्युत् स्रोतों की जानकारी नहीं थी तथा उसके पास विशेषज्ञ और मिन्स्ट्री भी नहीं थे। लेकिन पिछले सालह वर्षों में वह अर्ध-भुखमरी के शिकार किसानों के समुदाय से मुख्यतया रोटी-कपड़े से तृप्त औद्योगिक

कामगारों के समुदाय में बदल चुका है। उसने गरीबी, बीमारी तथा अकाल की उन समस्याओं को हल करने के प्रयास में अच्छी सफलता पाई है जिन्होंने क्रांति-पूर्व की उसकी किसान जनता को काफी परेशान किया था। अधिकतर यह नियोजित विद्युतीकरण की योजना का पूर्वानुमान लगा चुके देश के नियोजित औद्योगीकरण के कारण हुआ। अल्पावधि में रूस की इतनी आश्चर्यजनक प्रगति इसके राजनीतिक सिद्धांतों से निरपेक्ष होकर हमारे ध्यान-मनन का विषय हो सकती है। मैंने रूस का उदाहरण सिर्फ दहा की कुछ पूर्व स्थितियों से अपनी स्थितियों की समानता दिखाने तथा यह बताने की गरज से दिया है कि एक नियोजित औद्योगीकरण की योजना हम चौतरफा समृद्धि की राह पर कितनी दूर तक ले जा सकती है।

आज के हम काग्रेसियों को सिर्फ आजादी के लिए ही नहीं लड़ना है बल्कि हमें अपनी साध और ताकत का एक हिस्सा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याओं में यह मोचन हुए लगाना है कि हम सत्ता तक पहुंचने ही वाले हैं तथा श्वराज अब कोई दूर भविष्य में पूरा होना वाला सपना नहीं है। विज्ञान और हमारे वैज्ञानिकों की सहायता से ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य संभव है। इस देश में आर्थिक उद्वार के लिए लाई जा रही योजनाओं को लेकर आजकल काफी बातें हो रही हैं। भरी नजर में मुख्य समस्या यह है कि हमें आर्थिक उद्वार का सामना नहीं बल्कि औद्योगीकरण का सामना करना है। भारत अभी विकास के पूर्व-औद्योगिक दौर में है। औद्योगिक क्रांति की पीड़ा से गुजरे बिना औद्योगिक उन्नति संभव नहीं है। यदि औद्योगिक क्रांति कोई बुराई है तो यह एक आवश्यक बुराई है। हम सिर्फ अन्य देशों में आ चुकी बुराइयों को कम करने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं और फिर हमें यह भी करना है कि यह क्रांति ग्रेट ब्रिटेन की तरह अपेक्षाकृत धीम-धीमे होगी या सोवियत रूस की तरह बलपूर्वक लाए गए बदलाव के जरिए। मुझे तो डर है कि इस देश में बलपूर्वक ही बदलाव आना है। आज की दुनिया में औद्योगीकरण का विरोध करने वाले समुदाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में दबे रहने का अवसर बहुत कम है।

इस स्थिति में मैं इसे पूरी तरह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुटीर उद्योगों तथा बड़े उद्योगों के बीच किसी द्वंद्व की जरूरत नहीं है। यदि कोई ऐसा द्वंद्व है भी तो वह किसी गलतफहमी में ही उभरता है। हमारे कुटीर उद्योगों के विकास की जरूरत में मेरा विश्वास अटल है यद्यपि मैं यह भी मानता हूँ कि हमें औद्योगीकरण से परहेज नहीं रखना होगा। यूरोप के औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित देशों में अभी भी ढेर सारे कुटीर उद्योग अस्तित्व बनाए हुए हैं तथा फूल-फूल रहे हैं। अपने देश में हम कुटीर उद्योगों जैसे हथकरघा उद्योगों के बारे में जानते हैं, जो हिंदुस्तानी तथा विदेशी मिला के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं तथा पैर जमाए हुए हैं। औद्योगीकरण का कर्नाई यह मतलब नहीं है कि हम कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान न दें। इससे बिल्कुल ही अलग इसका अर्थ सिर्फ यह है कि कौन-सा उद्योग कुटीर के आधार पर तथा कौन-सा उद्योग बड़े उद्योग के आधार पर

विकसित होना चाहिए। आज हिन्दुस्तान में मौजूद खारा अर्थव्यवस्था तथा हमारी जनता के सीमित स्रोतों को देखते हुए हमें बड़े उद्योगों के साथ-साथ कुटीर उद्योगों के भी विकास का अधिकतम प्रयास करना चाहिए।

साधारणतया उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाटा जा सकता है- भारी, मध्यम तथा कुटीर उद्योग। निःसंदेह देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए आज भारी उद्योगों का सर्वाधिक महत्व है। ये हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पर दुर्भाग्यवश जब तक हम केंद्र में सत्ता नहीं हासिल कर लेते तथा अपनी राजकोपीय नीति पर पूरा नियंत्रण नहीं कर लेते हम इस दिशा में अधिक दूर तक नहीं जा सकते। मध्यम श्रेणी के उद्योग प्रमुख व्यापारियों द्वारा सरकार के सहयोग तथा सहायता से शुरू किए जा सकते हैं। कुटीर उद्योगों के संबंध में मने पहले ही कहा है कि उनके तथा बड़े उद्योगों के विकास के बीच किसी द्वन्द्व की जरूरत नहीं है। मैं राष्ट्रीय नियोजन के सिद्धांतों के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा

- 1 यद्यपि औद्योगिक दृष्टि से विश्व एक इकाई है, फिर भी हमें राष्ट्रीय स्वायत्तता पर खामकर अपनी मुख्य आवश्यकताओं के क्षेत्र में, ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- 2 हमें मूल उद्योगों यानी विद्युत-आपूर्ति, धातु-उत्पादन, मशीन और औजार-निर्माण, आवश्यक रसायन उत्पादन, परिवहन तथा संचार उद्योग आदि की वृद्धि तथा विकास केंद्रित नीति को अपनाना चाहिए।
- 3 हमें तकनीकी शिक्षा तथा तकनीकी शोध की समस्या का भी समाधान निकालना चाहिए। जहां तक तकनीकी शिक्षा का मामला है, मेरा कहना है कि जापान के विद्यार्थियों की तरह हमारे विद्यार्थियों को भी स्पष्ट और निरिक्त योजना के अंतर्गत परिशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा जाना चाहिए, ताकि जैसे ही वे देश में लौटें नए उद्योगों को खड़ा करने के काम में जुट जाएं। जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है, हम सभी सहमत हैं कि इसे हर तरह के सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए।
- 4 एक स्थाई राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद् का गठन होना चाहिए।
- 5 अंतिम, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय नियोजन की ओर प्रारम्भिक कदम के बतौर राष्ट्रीय योजना आयोग के लिए जरूरी आकड़े इकट्ठा करने की दृष्टि से वर्तमान औद्योगिक दशा का एक आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान कुछ ऐसी समस्याओं की तरफ खींचना चाहूंगा, जिन पर आप इस सभा में विचार कर सकते हैं

- 1 प्रत्येक प्रात के लिए समुचित आर्थिक सर्वेक्षण की व्यवस्था।
- 2 कुटीर तथा बड़े उद्योगों के बीच सयोजन रखना ताकि वे एक दूसरे के लिए व्यवधान न खड़ा कर सकें।
- 3 उद्योगों के क्षेत्रीय वितरण का औचित्य।
- 4 हमारे विद्यार्थियों के लिए भारत तथा विदेशों में तकनीकी प्रशिक्षण के सवध में नियमावली।
- 5 तकनीकी शोध की व्यवस्था।
- 6 औद्योगीकरण की समस्याओं पर भविष्य में सलाह देने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का औचित्य।

यदि इस सभा में इन समस्याओं का समाधान हो सकें तो मुझे यकीन है कि इस दोपहर यहाँ हमारे मिलने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही इंगित कर दिया था हमें विभिन्न प्रांतों में चल रहे उद्योगों तथा नए उद्योगों की आवश्यकताओं और समाधानों पर विचार करना होगा। यदि हम इन सारी समस्याओं का समाधान निकालते हैं जिनमें से कुछ के बारे में मैं पहले ही इशारा कर चुका हूँ, तभी हम इस कार्य को पूरा कर सकते हैं।

अतः मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी सहायता और सहयोग से यह सभा सफल सिद्ध हो सकती है जो हमारे दरिद्र व शाशित देश के औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए एक शक्तिशाली पेरण, बन सकती है।

छात्र-आंदोलन

29 अक्टूबर 1930 को इलाहाबाद में हुए स प्र छात्र सम्मेलन में दिए गए संदेश का पाठ

मैं हमेशा कई कारणों से भारत के छात्र-आंदोलनों के निकट संपर्क में रहा हूँ। एक विद्यार्थी के तौर पर मेरे अनुभवों ने मुझे वर्षों पहले ही जता दिया था कि यदि छात्रों का स्वामिनी इंसान के रूप में बने रहना है और एक महान देश के नागरिक के रूप में अपने भावी जीवन की तैयारी करनी है, तो छात्रों को अपना संगठन बनाना चाहिए। जब मैं शब्द के सीमित अर्थों में एक छात्र बनने में रह गया तब मैंने भीतर-ही-भीतर सकल्प किया कि जब और जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं छात्रों की भावी पीढ़ी की सहायता के लिए हर तरह से प्रयत्नशील रहूँगा।

सारी दुनिया के छात्र, चाहे उनकी राष्ट्रीय सीमाएँ कुछ भी हों भाईचारे तथा न्यायप्रियता के नाते खुद को देखते हैं। यह सिर्फ किसी एक पीढ़ी की बात नहीं है कि

आज के छात्र कल के नेता हैं और वे राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं के जीवित रूप हैं। छात्र नियमानुसार राष्ट्र के सबसे अधिक आदर्शवादी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और सारे सारा के छात्र अपने स्वाभाविक आदर्शवाद के कारण यह अनुभव करते हैं कि वे एक बड़े भाईचारे के सहभागी हैं। अपने छात्रों के बीच भाईचारे की इस भावना को फैलाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ताकि उनके जरिए हिंदुस्तानी जनता भविष्य में सदा के लिए एक राष्ट्र में बंध जाए।

किसी आजाद देश में छात्रों को वही अधिकार मिलते होते हैं जो स्वतंत्र स्त्री-पुरुष के पास होते हैं लेकिन हमारे छात्रों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे छात्रों को उन अडचनों का सामना करना पड़ता है, जिनसे किसी पराधीन समाज के सदस्य बच नहीं सकते। अपने अभिभावकों की नजर में वे घर में और बाहर भी बच्चे की तरह होते हैं तथा सत्ता की नजर में वे राजनीतिक तौर पर प्रायः सदिग्ध। कांग्रेस सरकारों के आने के बाद स्थितियाँ कुछ बेहतर हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में छात्रों को अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। उन्हें अपने साथ वयस्क स्त्री-पुरुषों जैसे व्यवहार के लिए जोर देना चाहिए और किसी स्वतंत्र देश के नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों की मांग करनी चाहिए।

शैक्षणिक तथा सरकारी दोनों तरह की सत्ता से छात्रों का लगातार द्वन्द्व नहीं रहना। शैक्षणिक प्राधिकरणों से द्वन्द्व सामान्यतः तब होता है, जब वे छात्र होने के कारण अपने अधिकारों से वंचित किए जाते हैं। इसी तरह जब वे अपने नागरिक अधिकारों से वंचित किए जाते हैं तब सरकारी प्राधिकरणों से उनका द्वन्द्व होता है। दोनों में से किसी भी स्थिति में छात्र केवल तभी अपने-आप को प्रमाणित करने की उम्मीद कर सकते हैं, जब वे भली-भाँति सगठित हों। इसलिए सगठन उनका पहला और प्रमुख काम है। छात्र समाज सिर्फ तभी कारगर हो सकती है जब वे शक्तिशाली और प्रेरक हों। सिर्फ छात्र-अधिकारों को न्यायसंगत ठहराने वाला सगठन ही पर्याप्त नहीं है। सगठन को शारीरिक बौद्धिक तथा नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से बेहतर मनुष्य तथा बेहतर नागरिक बन सकें।

मेरा निश्चित तौर पर यह विचार है कि छात्र-आंदोलन के मंच को व्यापक आधार पाना होना चाहिए तथा उसे विभिन्न विचारों वाले छात्रों के लिए खुला होना चाहिए। यदि किसी खास दल समूह या विचारधारा के छात्र अन्य छात्रों को बाहर कर सगठन पर कब्जा का प्रयास करते हैं तो काफी सिकट खड़ा हो जाएगा। यदि यह होता ही है तो छात्र-आंदोलन में विभाजन होगा और कई छात्र-संघ बन जाएंगे। छात्रों को चाहिए कि अपने विचार-विमर्श में वे अपनी नजरे मुक्ति, बराबरी, भाईचारे और प्रगति पर टिकाए रखें तथा हमेशा याद रखें कि मुक्ति का अर्थ हर तरह के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बंधनों से छुटकारा है।

हमारी आवश्यकताएँ और हमारे कर्तव्य

अक्टूबर 1930 के 'नेशनल फ्रंट' में स्वलिखित रचना का गूरा पाठ

यदि हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पभाव और ताकत के रहस्य का विश्लेषण करें तो हम इसके तीन कारक पाते हैं

- 1 कांग्रेस की वृहद सदस्य संख्या
 - 2 कांग्रेस का संगठन तथा अनुशासन तथा
 - 3 पिछले 53 वर्षों के दौरान कांग्रेसियों द्वारा की गई सेवा तथा त्याग की भावना।
- 1885 में अपने जन्म के समय से आज कांग्रेस काफी आगे बढ़ चुकी है तथा भारतीय जनता को उसने स्वराज या स्वतंत्रता के लक्ष्य के काफी नजदीक ला दिया है। लेकिन आज हम यद्यपि सत्ता के समीप हैं फिर भी हमारे सामने लंबा संघर्ष है।

यदि हम इस संघर्ष को स्वतंत्रता की दिशा में जारी कूच की अंतिम बाधा के तौर पर लेना चाहते हैं तो हमें तीन काम करने होंगे। कांग्रेस की सदस्य संख्या इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वह हमारे देशवासियों के व्यापक बहुमत को समेट सके। हमारा संगठन तथा अनुशासन सुव्यवस्थित होना चाहिए और अंत में रावरा महत्वपूर्ण यह कि हमें गहरी पीड़ा तथा बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस छोटे-से लेख में मैं मुख्यतः इन्हीं तीन सप्ताहों में से पहले पर बात करना चाहता हूँ।

राजसूत्र संघर्ष की जगह अहिंसा के तरीके को अपनाए जाने वाले राजनीतिक संगठन में संख्या का सवाल काफी महत्वपूर्ण होता है। किसी अहिंसक संघर्ष में अंतिम हथियार सत्याग्रह या नागरिक अवज्ञा है जिसका अर्थ ही होता है- एक झुंडे तले जनता को इकट्ठा करना। कांग्रेस अपने संगठन में जिस अनुपात में लोगों को लाती जा रही है उसमें इसकी असरकारी और ताकत बढ़ी है।

1885 में बर्बई में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, तब मध्य तथा उच्च वर्ग के सिर्फ मुट्ठी-भर बुद्धिजीवी इस अवसर पर इकट्ठा हुए थे लेकिन आज कांग्रेस का एक अधिवेशन जितना चाड़े उतने लोगो को खींच सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस का इस देश की आम जनता से अंतरंग सम्पर्क कराने वाले पहले नेता महात्मा गांधी हैं। आम जनता को कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने वाले महात्मा गांधी के व्यक्तित्व तथा कार्यक्रम के विश्लेषण की बात मैं नहीं कहता। महात्मा गांधी ने जिस पकिया की शुरुआत की, उसके फल देने का अब वक़्त आ गया है। यह कैसे हो सकता है? कई कृत्रिम तथा पिथयेतर मुद्दे ऐसे हैं, जो करोड़ों ग़ुगो

जनता को गलत दिशा दे सकते हैं, अतः गाव और असतोष पैदा कर सकते हैं तथा विघटनकारी रुझानों को बढ़ा सकते हैं। इनके खिलाफ हमारा हथियार दौतरफा है— एक तो राजनीतिक तथा दूसरा सामाजिक-आर्थिक। राजनीतिक पक्ष से हमें सकीर्ण सांप्रदायिक कुचक्र के खिलाफ राष्ट्रवादी अपील पर जोर देना चाहिए।

हम सभी को राष्ट्र के पक्ष में सोचना तथा महसूस करना चाहिए, एक समूह या संप्रदाय के रूप में नहीं। सामाजिक-आर्थिक पक्ष के लिए हमें अपनी निरक्षर जनता को इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए कि धर्म, जाति और भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद हमारी आर्थिक समस्याएँ और तकलीफें समान हैं जो तभी हल हो सकती हैं, जब हम स्वतंत्र हो और हमारी सरकार वास्तव में रूनाकाक्षा की प्रतिनिधि राष्ट्रीय सरकार हो।

आर्थिक मुद्दों पर जोर देना बहुत आवश्यक है जो सांप्रदायिक विभाजनों और बाधाओं को अलग-थलग कर देते हैं। गरीबी और बेरोजगारी, निरक्षरता और बीमारी, कराधान और कर्जदारी की समस्याएँ हिंदू, मुस्लिम तथा जनता के अन्य वर्गों को भी समान रूप से प्रभावित करती हैं और जनता को यह समझाना आसान है कि उनकी समस्याओं का समाधान राजनीतिक समाधान होने यानी राष्ट्रीय लोकप्रिय तथा लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना पर ही निर्भर करता है।

इन मुद्दों पर व्यवस्थित जन-प्रचार पर यदि जोर दिया जाता है, तो सभी धर्म और जातियों के लोगों को स्वराज के झंडे तले लाना निश्चित हो जाएगा। जब लाखों की तादाद में हमारी जनता कांग्रेस में आती है, तो उसी अनुपात में कांग्रेस की असरदारी और ताकत भी बढ़ती है। तब सिर्फ इतनी बड़ी सदस्यता को संगठित और अनुशासित करने तथा स्वराज के भावी संघर्ष के लिए अपरिहार्य तकलीफ तथा त्याग की दृष्टि से उनको तैयार करने की समस्या शेष रह जाएगी।

फिर भी एक प्रासंगिक सवाल रह ही जाता है, जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। व्यवस्थित तरीके से किए गए प्रचार के परिणामस्वरूप जो नए सदस्य कांग्रेस में आएंगे, वे बेजुबान पशुओं की तरह नहीं होने चाहिए। यदि सदस्य पहल लेने में असमर्थ हैं, तो वे नित्त समितियों को बनाएंगे, उनमें भी सक्रियता का अभाव रहेगा। इस तरह लोकतंत्र असफल सिद्ध हो सकता है। भारत में लोकतंत्र की सफलता व्यक्तिगत पहल तथा सहायक कांग्रेस समितियों की सक्रियता पर निर्भर करती है। यदि यह पहल ऊपर से होती है परंतु निचले स्तर से नहीं होती, तो लोकतंत्र प्रायः सर्वसत्तावाद में ही बदल सकता है। लेकिन हम इसलिए तो सक्रिय नहीं हैं। अतः हमें याद रखना है कि व्यक्तिगत पहल को लगातार प्रोत्साहित तथा विकसित करना होगा और सहायक कांग्रेस समितियों को हमेशा चौकस तथा सक्रिय रखना होगा।

फिलहाल हमारी आवश्यकताएँ तथा हमारे कर्तव्य वास्तव में साधारण हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमें भगीरथ प्रयत्न करने होंगे। अक्सर खोने का वक्त नहीं है, इसलिए हमें इसी क्षण से काम में जुट जाना है।

यूरोपीय सकट विध्वंस का विश्लेषण 117880

अक्टूबर 1938 में 'द काग्रस सोशलिस्ट' में छपे हरताक्षरित लेख का पूरा पाठ

वर्तमान यूरोपीय सकट का विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न नजरिए से अध्ययन तथा व्याख्या किया जा चुका है। यहाँ पाठको के लिए ऐसा ही एक अध्ययन प्रस्तुत है।

19 जनवरी 1938 का मैं प्राग से होकर गुजरा और चेकोस्लोवाक गणतंत्र के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. बेनेस द्वारा आर्यानों के सौभाग्य मुझे मिला था। इससे पहले भी जब वे राष्ट्रपति मसारीक के शारानु-काल में विदेशमन्त्री थे, तब मुझे उनसे दो बार मिलने का सौभाग्य मिला चुका था। डॉ. बेनेस ने एक घंटे की बातचीत में मुझसे कहा था कि अब से पहले चेकोस्लोवाकिया ने स्वयं अपने सुरक्षित कभी नहीं पाया। आग राय में डॉ. बेनेस यूरोप के सर्वाधिक चतुर राजनेता हैं लेकिन वे भी नहीं समझ पाए कि वे प्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। वास्तव में हमारे बीच के ऊई चलते लोग कभी कभी भारी गलती कर बैठते हैं। चेक मैगीनाट लॉइन तथा नवदिकसित वायुसेना ने राष्ट्रपति को सुरक्षित होने का भ्रम पैदा कर दिया था।

अगले दिन मैं वियना से होकर गुजरा। सब कुछ शांत था। जैसा कि आमतौर पर आस्ट्रिया में रहता है। टुरनिंग आसानी से चांसलर बन गए लगते थे और उनके पीछे काले चोगवाले पादरी तथा काली कमीज वाले फामीवादी लोग बिना रुठिनाई के आस्ट्रिया का राज-काज चला रहे थे। इसका उन्हें खोश नहीं था कि कुछ ही महीनों में नाज़ी आस्ट्रिया में आन वाले ह तथा उन आस्ट्रियाई समाजवादीगो की तरह ही उनको कैदी बना दिया जाएगा जिनका उन्होंने जेल में डाल दिया था।

नाज़िया ने इससे पहले ही ब्रसेल्स-संधि को खत्म कर दिया था तथा सैन्यबल द्वारा रिनलैंड पर आधिपत्य के लिए कूच कर दिया था। फ्रांस की गुप्तचर सेना ने फ्रांस सरकार को सूचना दी कि रेश्हेर (जर्मन सेना) को हिटलर का संदेश निर्देश मिला है कि फ्रांसीसी सेना यदि जर्मनी पर आक्रमण करती है तो रेश्हेर को पीछे लौट जाना है तथा युद्ध को टाल देना है। ब्लन के पास हिटलर के धोस का जवाब देने की सामर्थ्य नहीं थी।

आस्ट्रिया की स्वतंत्रता को महाशक्तियों द्वारा मान्यता मिल चुकी थी। लेकिन जब नाज़ियों ने आस्ट्रिया पर आक्रमण किया और अधिकार जमा लिया तब किसी के पास विरोध दर्ज करने का साहरा नहीं था। जुलाई 1934 में डाल्फस की हत्या के बाद इटली ने जर्मनी को आस्ट्रिया में घुराने पर आक्रमण की धमकी दे दी थी लेकिन 1938 में इटली पूरी तरह बदल गया था। फिर एक आश्चर्य यह भी घटित हुआ कि कुछ ही महीनों में आस्ट्रिया को इथियोपिया के बाद भी सतुष्ट न हो पाए जर्मनी ने सेडेनेलैंड को

भी अपने अधिकार में ले लेना चाहता। एक बार फिर हिटलर ने सोचा कि कोई भी उसकी धौंस को चुनौती देने का साहस नहीं करेगा। हिटलर का फिर आक्रमण का इरादा क्यों बना ? उसे मालूम था कि इटली इसका विरोध नहीं करेगा तथा महाशक्तिगत उसके साथ युद्ध का जोखिम नहीं उठाएगी। उनकी खासतौर पर इंग्लैंड की, युद्ध तैयारी तैयार नहीं थी। इसलिए अभी या कभी नहीं हिटलर का आदर्श वाक्य बन गया।

यह बात फेली कि वेन्डरलिन जब हवाई जहाज में हिटलर से मिलाने गए, तो वह चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण की तैयारी कर चुका था। यह प्रक्षेपित आक्रमण एक घोखा था या सच्चाई ? यदि आप मुझमें पूछें, तो मैं यही कहूंगा कि यदि जर्मनी को अपने खिलाफ ग्रेट ब्रिटेन की ब्यूह रचना का पता होना, तो उसने युद्ध का जोखिम कभी न उठाया होता। इसलिए मेरी समझ से ब्रिटेन के राजनेताओं को या तो हिटलर ने मूर्ख बनाया या उन्होंने जानबूझकर इस महाद्वीप पर जर्मन प्रभुत्व की सहायता की। हिटलर के सामने अंग्रेजों के समर्पण का अर्थ था एंग्लो फ्रेंच मैत्री की जगह एंग्लो-जर्मन मैत्री की अप्रत्यक्ष प्रतिस्थापना। कैबिनेट में फ्रांस समर्थक खेमे जो कैबिनेट के जर्मन समर्थक खेमे ने देखखल कर दिया था। लेकिन फ्रांस ने इस ब्लैकमेल के सामने समर्पण क्यों किया ? यह ऐसा सवाल है, जिसका जवाब देना मेरे लिए कठिन है। महायुद्ध के बाद महाद्वीप पर फ्रांसीसी प्रभुत्व रातो-रात खत्म हो गया है और फ्रांस अब द्वितीय श्रेणी की यूरोपीय शक्ति हो चुका है। मैं नहीं सोचता था कि फ्रांसीसी साम्राज्यवादी बिना लड़े ही हार मान जाएंगे और फ्रांसीसी समाजवादी क्यों आदेश पालन के लिए तैयार हो गए ? मुझे लगता है कि वे हीन-ग्रथि के शिकार हैं। इसीलिए वे हिटलर के सामने टिक नहीं सकें। वे ब्लम युद्ध के आसार से इतना डर गए कि सही कदम नहीं उठा पाए।

लेकिन फ्रांस चेकोस्लोवाकिया को और उसी वक्त युद्ध को भी रोक सकता था। फ्रांस ने इटली के ब्रिटेन तथा जर्मनी से चेकोस्लोवाकिया के प्रति अपनी पक्षधरता जाहिर की होती, तो रूस भी साथ देता और चूंकि ब्रिटेन की सरकारें अब रिने तक हैं, इसलिए उसने फ्रांस को कभी धोखा नहीं दिया होता। यूरोप से अभी हाल में लौटे एक दोस्त से पता चला है कि बेल्जियम में युद्ध की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। इस तरह 1914 के इतिहास ने स्वयं को दुहराया होता। मैं नाजी जर्मनी के बारे में भली-भांति जानता हूँ कि 1914 जैसी स्थिति के सामने नाजी हिम्मत डार गए होते।

मेरी यह सुविचारित मान्यता है कि यदि ब्रिटेन ने फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया के साथ रहने के आसार का किंचित भी संकेत जर्मनी को दिया होता, तो यही संकेत चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करने की अपनी गारी गोजनाएँ छोड़ने के लिए हिटलर को बाध्य करने की खातिर पर्याप्त हुआ होता।

ब्रिटेन तथा फ्रांस को धोखे के सामने चेकोस्लोवाकिया क्या कर पाया ? लगता है कि यदि उसने जर्मन-आक्रमण का सामना किया होता तो फ्रांस और रूस ने अतः ग्रेट

ब्रिटेन को भी जग के मैदान में ला दिया जाता। लेकिन अतल यह एक अनुमान-मात्र ही है। डॉ. बेनेस की नजरों के सामने अबिसीनिया की नियति थी। शायद उन्होंने साचा कि नेगस जैसे व्यावहारिक राजनेता के लिए होएर-लावाल-मधि के प्रस्तावों को स्वीकार करवाना ही बेहतर होता। यही वजह है कि उन्होंने स्टैंटनलैंड को जर्मनी को समर्पित कर दिया और मोलैड तथा हंगरी का खुश कराने के बाद अपने देश के बाकी बचे भाग से ही सतोंष कर लिया। हम लागों ने जो अभी-अभी देखा, वह नाटक का पहला दृश्य है-सम्भवतः जिसका अंत चार अवधियों की मधि, फ्रांस की जीत तथा यूरोपीय राजनीति से रूस के निष्कासन के साथ ही होगा। सारे यूरोप के फासीवादी राजनेताओं की किसी कीमत पर यही योजनाएँ हैं। क्या वे सफल होंगे ? कौन बता सकता है ?

एक बात साफ है। यदि सोवियत रूस वापसी चाहता है तो उसे सबसे पहले महाशक्तियों को यह समझाना होगा कि उसकी युद्ध तकनीक भी उतनी ही शक्तिशाली है, जितनी फ्रैंको-सावियत-मधि में लावाल के दरार डालने के वक्त थी।

कमाल अतातुर्क के बारे में

नवंबर 1938 में तुर्की के नेता के निधन पर श्रद्धांजलि

महायुद्ध से निकलने स्वयंदाश्यों में कमाल पाशा नि सदैव सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में से एक थे। प्रसिद्धि तथा लोकप्रियता की ओर उनकी आसक्तिजनक उन्नति समयमय इतिहास में दुर्लभ है। इसके बावजूद कमाल पाशा स्वयंदाश्रय या विजगी नागरिक से अलग भी बहुत कुछ थे। एक ही समय में वे एक चतुर व्यूहनीतिज्ञ तथा प्रखर कूटनीतिज्ञ थे। जीवन में उनकी जो अपूर्व सफलता थी, वह उनके दिलोदिमाग की बहुस्तरीय खुबियों के अद्वितीय मेल के बिना सम्भव न होती। कमाल पाशा सिर्फ अनातोलिया के युद्धस्थल में ही क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के क्षेत्र में भी वे क्रांतिकारी थे।

इस उक्ति के वे उत्कृष्ट उदाहरण थे कि जो मुक्ति के लिए लड़ते हैं तथा उसे पाते हैं उनको ही युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के कार्यक्रम लागू भी करना चाहिए। जनरल, कूटनीतिज्ञ, समाज सुधारक राजनेता याददा तथा निर्माता कमाल पाशा या कमाल अतातुर्क नि सदा इस शताब्दी के महानतम व्यक्तियों में से थे। यूरोपीय शक्तियों के जबड़ों से अपने देश को बचा लेने और पुराने ऑटोमन साम्राज्य के अवशेषों पर नए तुर्की का निर्माण करने का श्रेय उन्हीं को है। अब यूरोपीय शक्तिप्रति यदि फिर कभी एशिया को उजाड़ने की कोशिश करती हैं तो कमाल का तुर्की हमारे महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा करेगा। ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व की मृत्यु सारी दुनिया, खास तौर पर हमारे जैसे दलित तथा शोषित देशों को गहराई से उद्देलित कर सकती है।

मानवता और स्वतंत्रता के इस महान पुजारी के प्रति अपनी सम्मानजनक भद्राजलि अर्पित करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। इसलिए मैं राय देना चाहता हूँ कि आगामी 19 नवंबर को 'कमाल दिवस' मनाया जाए तथा इस अवसर का उपयोग ऐसी बैठके करने में किया जाए जिनमें कमाल अतातुर्क की स्मृति में सम्मानजनक श्रद्धाजलि अर्पित करने तथा उनके प्रिय देश के स्वाधीन जनता को मित्रवत शुभकामनाएं और उनके राष्ट्रीय शोक में अपनी हार्दिक सहानुभूति देने के प्रस्तावों को पारित किया जा सके।

राष्ट्रीय योजना समिति

17 दिसंबर, 1938 को बंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति की पहली बैठक पर उद्घाटन भाषण

शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुभाषचंद्र बोस ने देश में औद्योगिक संभावनाओं का एक खाका खींचा तथा समिति द्वारा इस बात पर नजर रखे जाने के लिए जोर दिया कि देश को औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए राय देते वक्त लघु ग्रामीण उद्योगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था

पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान खास क्षेत्रों, विशेषकर अखिल भारतीय बुनकर सघ तथा अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग सघ के तत्वावधान में क्रमशः खादी उत्पादन तथा कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए 1921 से चल रहे आंदोलन पर हमारी औद्योगिक योजना के प्रयासों के सभावित प्रभाव के बारे में मेरी एक खास समझ बनी है। याद किया जा सकता है कि दिल्ली में मैंने अपने उद्घाटन भाषण में ही कुटीर तथा बड़े उद्योगों के बीच कोई अतर्निहित द्वंद्व न होने की बात की थी। तथ्यों के आधार पर मैंने उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाटा था— कुटीर उद्योग, मध्यम तथा बड़े उद्योग। मैंने ऐसी योजना की गुजारिश भी की थी जो इन तीनों श्रेणियों के लिए अवसर जुटाए। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय योजना आयोग में भारतीय ग्रामीण उद्योग सघ के प्रतिनिधि के लिए हमने एक सीट आरक्षित कर दी है और ऐसी ही एक और सीट की व्यवस्था राष्ट्रीय योजना समिति में भी हो सकती है। यह निश्चित ही अत्यंत अन्यायपूर्ण होगा, यदि लोग ऐसा कहे या समझे कि राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रवर्तक ही कुटीर उद्योग के पुनरुद्धार के आंदोलन असफल कर देंगे।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है या उरो जानना चाहिए कि यूरोप और एशिया के औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित देशों जैसे जर्मनी और जापान में भी काफी संख्या में कुटीर उद्योग अच्छी दशा में चल रहे हैं। फिर हमें अपने देश के सबंध में ऐसी कोई

बात क्यों रोचनी चाहिए ?

मुझे कुछ बातें कुटीर तथा बड़े उद्योगों के संबंधों पर कहनी हैं। बड़े उद्योगों के बीच मूल उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्पादन के साधनों का उत्पादन करते हैं। वे शीघ्र तथा सरल उत्पादन के लिए कारीगरों के हाथों में जरूरी उपकरण तथा औजार थमा देते हैं। उदाहरणस्वरूप यदि बनारस शहर में प्रति यूनिट आधा आना की दर से बिजली के साथ विद्युत्चालित करघों की आपूर्ति की जाए, तो कारीगरों के लिए अपने घरों में ही विभिन्न तरह की साड़ियों तथा कशीदाकारी किए गए वस्त्रों का वर्तमान उत्पादन दर से पाच-छह गुना अधिक उत्पादन करना संभव हो सकता है और यह उनको इस तरह के विदेशी सामानों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। एक अच्छे विपणन संगठन तथा कच्चे मालों की आपूर्ति हेतु संगठन के साथ ही ऐसे कदमों के जरिए इन कारीगरों को उस गरीबी और दरिद्रता से बाहर निकाला जाए, जिसमें वे फंसे हुए हैं।

सिर्फ यही इकलौता उदाहरण नहीं है जिसे मैं बताना सकता हूँ। यदि राष्ट्र की मलाई के लिए राज्य द्वारा ऊर्जा उद्योग तथा कल-पुर्जा-निर्माण उद्योगों को नियंत्रित कर लिया जाता है तो इन देशों में परिवारों के साथ एक इकाई की तरह काम करते हुए कारीगर वर्गों से पुरुषों द्वारा साइकिलों, फाउटेनपेन तथा खिलौनों के निर्माण जैसे हल्के उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। यही काम जापान में हुआ है। सफलता पूरी तरह इसी तथ्य पर निर्भर करती है कि बिजली तथा कल-पुर्जे काफी सस्ते हों। जापानी सरकार ने कच्चे माल की सुचारु आपूर्ति तथा सुव्यवस्थित विपणन के लिए बोर्ड गठित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि अपने देश के रेशम उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए भी सिर्फ यही एक रास्ता है।

राष्ट्रीय योजना समिति को खास किस्म की समस्याओं का समाधान निकालना होगा। इसे पहले मूल उद्योगों की तरफ ध्यान देना होगा— यानी ऊर्जा उद्योग, धातु-उत्पादन के लिए भारी रसायन, मशीनरी कल-पुर्जे के उद्योगों तथा रेलवे, तार दूरभाष और रेडियो जैसे संचार उद्योगों की स्थापना करनी होगी जिनसे अन्य उद्योग मुचारु रूप में चलते हैं।

औद्योगिक रूप से विकसित अन्य देशों की तुलना में हमारा देश ऊर्जा आपूर्ति के मामले में पिछड़ा है, खासतौर पर विद्युत् ऊर्जा के क्षेत्र में हिंदुस्तान के पिछड़ेपन का आकलन महज इस तथ्य से किया जा सकता है कि हमारे पास जब अभी प्रति व्यक्ति सिर्फ सात यूनिट ही बिजली है, तो मेक्सिको जैसे पिछड़े देश में प्रति व्यक्ति 96 यूनिट बिजली उपलब्ध है। विद्युत् ऊर्जा के विकास में सरकार ने किजूलखर्ची की है। नदी हाइड्रो इजेक्टिव योजना का उदाहरण लें, जिस पर सरकार ने दूसरे देशों की ऐसी योजनाओं पर हुए खर्च से दस गुना अधिक खर्च किया है। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता

हू कि युद्ध या किसी अन्य कारण से विदेशों से संचार में आए व्ययधान के चलते आपूर्ति के संबंध में कल-पुर्जा के निर्माण की जाच की जा सकेगी। ईंधन उद्योग धातु-उत्पादन तथा भारी रसायन उद्योग जैसे मूल उद्योगों की भी जाच शुरू करनी चाहिए। इस तरह देश के खोले को व्यवस्थित तरीके से परखा नहीं गया है और जो थोड़े बहुत उद्योग हैं, वे भी विदेशियों के नियंत्रण में हैं, जिससे काफी क्षति हो रही है— खासतौर से ईंधन उद्योग के लिए जो यह एकदम सच है।

अंतिम मूल उद्योग है— परिवहन तथा संचार— जिसमें रेलवे, आप से चलने वाले जहाज, विद्युत, संचार रेडियो इत्यादि शामिल हैं। रेलवे फिलहाल रेलवे बोर्ड के नियंत्रण में है। यह रेलवे बोर्ड पूरी तरह से यूरोपीय प्रबंधन के अंतर्गत है तथा रेलवे की आवश्यकताओं का सिर्फ छोटा-सा हिस्सा ही देश में तैयार किया जाता है। समुद्रतटीय ट्रैफिक को छोड़ कर वायुचालित नौपरिवहन के मामले में सारा संचार अनुचित तौर पर गैर-हिंदुस्तानियों के हाथों में है। विद्युत सामग्री की आपूर्ति तो पूर्णतः विदेशों से होती है। जहां तक रेडियो की बात है मैं इस बारे में दूसरी समझौताओं की जाच करने वाली विशेष उपसमितियों के गठन का सुझाव देना चाहूंगा।

अंत में हम अपनी औद्योगीकरण की योजना के लिए आवश्यक धन तथा कर्ज जुटाने की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को तरफ ध्यान देना होगा। जब तक यह समस्या हल नहीं हो जाती सभी योजनाएँ सिर्फ कागजी कार्यवाही बन कर रह जाएगी और हम अपनी औद्योगिक प्रगति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

न्यूनतम सुस्पष्ट कार्यक्रम

17 जनवरी 1939 का मसौदा से जारी प्रस्ताव का प.७

पिछले कुछ महीनों से जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें जाड़ने के लिए मेरे पास कुछ खास नया नहीं है। आज जब मैं देश की स्थिति का विश्लेषण करता हूँ तो दक्षिणपथ का सविधानवाद की तरफ झुकाव पाता हूँ जबकि वामपथ का झुकाव गैर-जिम्मेदारी तथा अस्पष्टता की तरफ है।

सरकार में शामिल होने से निम्नदेह कांग्रेस की शक्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ी है। लेकिन साथ ही इसने राष्ट्रीय चरित्र में कमजोर तत्वों को महत्त्वपूर्ण बनाने में मदद की है। मैं देखना हूँ कि आज तमाम लोग हैं जो आगे की लड़ाई को लड़े बिना ही पूर्ण स्वराज को हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने का सपना देख रहे हैं और इस बारे में सोच रहे हैं।

कांग्रेस को एक सुरक्षित संगठन समझने वाले अथवा समझौताओं के अपने-अपने

समाधान रखने वाले अन्य लोग भी अब कायस में आ रहे हैं। इसमें विभिन्न प्राता में पाए जाने वाले फर्जी सदस्यों को नामांकित करने की प्रवृत्ति का भी काफी बल मिलेगा।

वामपथ की तरफ देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वहाँ कई क्षुद्र मतभेद तथा आपत्तियाँ हैं। कायेस के वामपथी तत्व पिछले कुछ महीनों के दौरान आम बढ़ने की जगह मैदान छोड़ चुके हैं। खाम अवसरों पर सदस्य इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वे अपने आलोचकों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे चाहें या अनचाहे हिस्सा को बढ़ावा दे रहे हैं।

निश्चित तौर पर मेरी यही मान्यता है कि पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के क्रम में इस अवसर को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्र के जीवन में ऐसा अवसर दुर्लभ होता है। इस मोड़ पर जहाँ तक संभव हो सके वामपथ के साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन जब वे इतने असंगठित और अनुशासनहीन हैं तो सहयोग क्या कर सकते हैं? वामपथ में आस्था रखने वाले विचार करेंगे कि एक सुस्पष्ट कार्यक्रम के आधार पर कायेस में मौजूद सभी अतिवादी तत्वों को संगठित तथा अनुशासित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएँ। जब वे संगठित और अनुशासित हो जाएंगे तब वे पूर्ण स्वराज्य के कार्य में दक्षिणपथ को सही सहयोग देने के योग्य हो पाएंगे।

हमारी सबसे पहली जरूरत है कि सभी कांग्रेसी एक आवाज में बोलें तथा एक इच्छारक्ति से सोच-विचार करें। मुझे दुःख है कि अभी हाल में कुछ कांग्रेसी सदस्यों में कांग्रेस के सघ-पस्ताव का दृढ़ता से विरोध करने का असर क्रम करने की प्रवृत्ति पनप रही है। मैं इस एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी कांग्रेसी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रयास भविष्य में नहीं किया जाएगा। मैं यह भी आशा करता हूँ कि ऐसे गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा अंग्रेज सरकार को दी गई किसी भी बिना मांगी सलाह से कोई भी किराी गलतफहमी में नहीं पड़ेगा।

मैं कहना चाहूँगा कि यदि सघीय योजना जबरदस्ती लागू होती है तो इस मार्च पर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी और यदि ऐसी लड़ाई शुरू होती है तो मुझे विश्वास है कि यह ब्रिटेन-शासित हिंदुस्तान की जनता तक ही सीमित नहीं रहेगी। फिर भी हम इस स्थिति तक पहुँच चुके हैं, जहाँ मुख्य समस्या यह नहीं है कि सघ से कैसे जुड़ा जाएगा बल्कि यह है कि, यदि इस सघ को पूरी तरह हमारे ऊपर लाद दिया जाता है या इसका प्रवर्तन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तब हम क्या करना चाहिए। यह सिर्फ मेरी ही सोच नहीं है कि सघीय योजना को पूरी तरह से ठाक पर रख दिए जाने की हर संभावना है बल्कि हाल में ऐसी ही सोच की तरफ लार्ड मेस्टन ने भी इशारा किया है। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का त्रिपुरी कांग्रेस में उचित जवाब मिल जाएगा। इस मामले पर मेरी निजी सोच बिल्कुल साफ है और मैं इसकी चर्चा पहले ही कर चुका हूँ। बिना सघर्ष के आजादी नहीं मिल सकती- ईमानदारी से ऐसा सोचने वाले लोग कांग्रेस

के मूल सिद्धांतों के अनुसार भावी विकास के लिए इसे हर तरह से तैयार करना अपना पुनीत कर्तव्य समझेगा। इसका अर्थ न्यूनतम सुस्पष्ट कार्यक्रम के आधार पर कांग्रेस में महान सेवा, त्याग, आत्मशुद्धि और सभी क्षुद्र मतभेदों का खात्मा तथा साम्राज्यविरोधी तत्वों का सगठन होगा। ऐसे सगठन एक तरफ भौतिक रूप से धारा को सविधानवाद की तरफ मोड़ने में सहायक होंगे, तो दूसरी तरफ गैर-जिम्मेदारी तथा अनिर्णय की ओर।

त्रिपुरी अध्यक्षीय चुनाव बहस

वक्तव्य तथा प्रति-वक्तव्य, 21 जनवरी से 4 फरवरी, 1939

सुभाषचंद्र बोस का पहला वक्तव्य

21 जनवरी, 1939

गोलाना अबुल कलाम आजाद के अलग होने से बनी परिस्थिति में तथा उनके द्वारा जारी वक्तव्य का पढ़न के बाद मेरे लिए अध्यक्षीय चुनाव के बारे में कुछ कहना जरूरी हो जाता है। इस मुद्दे पर चर्चा करते वक्त झूठी शालीनता की सारी समझ एक तरफ रख देनी होगी, क्योंकि यह मुद्दा व्यक्तिगत किस्म का नहीं है। भारत की साम्राज्य-विरोधी प्रगतिशील धार तेज होने से नए विचारों, सिद्धांतों, समस्याओं तथा कार्यक्रमों का जन्म हुआ है। परिणामस्वरूप जनता लगातार इस सोच की तरफ मुड़ रही है कि अन्य स्वतंत्र देशों की तरह भारत में भी अध्यक्ष का चुनाव निश्चित समस्याओं तथा कार्यक्रमों के आधार पर लड़ा जाना चाहिए, ताकि मुकामले से मुद्दों को स्पष्ट करने में मदद मिल सके तथा जनता की सोच का साफ सकेत प्राप्त हो। ऐसी परिस्थितियों में कोई चुनावी मुकामला अवाछनीय नहीं हो सकता।

अब तक मुझे किसी भी प्रतिनिधि की तरफ से मुकामले से हटने को लेकर कोई सलाह या सुझाव नहीं मिला है। इसके विपरीत मेरी जानकारी या सहमति के बिना ही कई पार्टों से एक उन्मीदवार के तौर पर मेरा नामांकन हो चुका है। देश के विभिन्न इलाकों से समाजवादी तथा गैर-समाजवादी दोनों ही समान रूप से मुझसे सेवानिवृत्त न होने का अनुरोध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक आम भावना भी दीखती है कि मुझे एक और सत्र के लिए पद पर बने रहना चाहिए। यह संभव है कि मेरी यह धारणा सच न हो और प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा मेरा चुनाव चाहा न जाए, लेकिन यह 29 जनवरी को मतदान के दौरान ही सत्यापित होगा, उससे पहले नहीं।

एक कार्यकर्ता के नाते मेरी स्थिति पूरी तरह साफ है। मुझे किरा तरह कार्यरत

रहना चाहिए, यह बताना मेरा काम नहीं है। यह मसला मेरे देशवासियों तथा इस खास मामले में मेरे साधी प्रतिनिधियों द्वारा तय होना है, लेकिन यदि किसी खास काम के लिए मुझे आदेश मिले, तो मुझे उस काम से इकार का कोई अधिकार नहीं है। सौंपे गए उत्तरदायित्व से यदि मैं भी चुराता हूँ, तो मैं वास्तव में अपने काम में ही असफल रहूँगा। बढ़ते अनर्गल्रीय सकट तथा सघ के सवाल पर भावी सघर्ष के दृष्टिकोण से नववर्ष हमारे राष्ट्रीय इतिहास में यादगार बनेगा। इस तथ्य तथा अन्य कारणों से यदि प्रतिनिधियों का बहुमत मुझे पद पर बनाए रखना चाहता है तो फिर मैं किस आधार पर मुकाबले से हट सकता हूँ? जब किसी भी कीमत पर यह मुद्दा व्यक्तिगत नहीं है तो भी यदि मौलाना आजाद जैसे प्रमुख नेताओं की अपील के परिणामस्वरूप प्रतिनिधियों का बहुमत मर पुनर्निर्वाचन के खिलाफ मतदान करता है तो मैं निष्ठापूर्वक उनके निर्णय को स्वीकार करूँगा और कांग्रेस तथा देश के आम सिपाही की तरह सेवा करता रहूँगा। इन सभी विचारों की दृष्टि से मैं यह महसूस करने के लिए बाध्य हूँ कि मेरे पास इस मुकाबले से हटने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं निःसंकोच स्वयं को अपने साधी प्रतिनिधियों के सामने रखता हूँ और मैं उनके निर्णय को स्वीकार करूँगा।

24 जनवरी 1939 को कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य पल्लभभाई पटेल तथा शरत चद्र बोस के बीच तार-सदेशों का आदान-प्रदान

1 पटेल द्वारा बोस के लिए

सुभाष बाबू के वक्तव्य को महसूस किया। अध्यक्ष के चुनाव के लिए इस साल पुनर्निर्वाचन को अनावश्यक मानने वाले कार्यसमिति सदस्यों के प्रतिवक्तव्य की जरूरत है। सक्रिय वक्तव्य तैयार है। इसके मुताबिक पुनर्निर्वाचन खास परिस्थितियों में ही संभव है। सुभाष बाबू के पुनर्निर्वाचन के लिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। यह सुभाष बाबू के सघ आदि के बारे में दावे का खंडन करता है और बताता है कि कार्यक्रम और नीतियाँ अध्यक्ष द्वारा नहीं तय होतीं, बल्कि कांग्रेस या कार्यसमिति द्वारा तय होती हैं। प्रतिवक्तव्य निर्वाचन के लिए डॉ. पट्टाभि की सिफारिश करता है और सुभाष बाबू से अध्यक्षीय निर्वाचन के सवाल पर कांग्रेसियों में विभाजन न करने की अपील करता है।

2 बोस द्वारा पटेल के लिए

इसी सुबह तार मिला। रिलेट से यात्रा के दौरान मौलाना तथा सुभाष का बयान पढ़ा। मेरी दृष्टि से मौलाना के हटने के बाद डॉ. पट्टाभि की बात करना आपत्तिजनक होगा। 1937 की अपेक्षा आने वाला साल हर दृष्टि से अधिक सकटपूर्ण और खास है। मैं पूरी समझ से महसूस करता हूँ कि सहकर्मियों के बीच मुकाबले में कार्यसमिति के किसी सदस्य को पक्षधरता नहीं करनी चाहिए। आपका प्रस्तावित बयान वामपंथी तथा दक्षिणपंथी खेमों के बीच मनमुटाव बढ़ाएगा जिसे टाला जाना चाहिए। भावी सघर्ष में डॉ. पट्टाभि देश के आत्मबल को प्रेरित नहीं करेंगे। कृपया कांग्रेस को न बाँटे।

3 पटेल द्वारा बोस के लिए

आपके तार-सदेश की प्रशंसा करता हूँ— वक्तव्य को पीछे और कुछ नहीं, बल्कि कर्तव्य की मायना है। व्यक्तियों के बीच मतभेद नहीं है बल्कि सिद्धांतों के बीच है। यदि मुकाबला अपरिहार्य है तो आशा करता हूँ कि यह कटुता तथा लक्ष्योपरता पर लक्ष्य के बिना सफल हो। देश के लिए पुनर्निर्वाचन हानिकारक होगा।

अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्य सर्वश्री बल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, जयराम दास, दौलत राम, जे. वी. कृपलानी, जमनालाल बजाज, शंकरराव देव तथा भूलाभाई देसाई का वक्तव्य

24 जनवरी, 1939

हमने सुभाषबाबू के वक्तव्य को यथायोग्य सावधानी बरतते हुए पढ़ा है। जहां तक हम जानते हैं अब तक अध्यक्षीय चुनाव निर्विरोध हुए हैं। सुभाषबाबू ने एक नई मिसाल रखी है, जिसका उन्हें पूरा अधिकार था। उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की अकामदी सिर्फ अनुभव से ही समझ में आती है। इस बारे में हमें काफी संदेह है। कांग्रेस के अध्यक्षीय चुनाव का विवादग्रस्त बनाने से पहले हम कांग्रेस के पक्ति-क्रम की पहले से अधिक एकजुटता, एक दूसरे के दृष्टिकोणों के प्रति पहले से अधिक सहनशीलता तथा अधिक सम्मान के लिए प्रतीक्षा कर सकते थे। वक्तव्य पर कुछ भी करने से हम प्रसन्नतापूर्वक बच सकते हैं। लेकिन हम महसूस करते हैं कि जब हम भागी चुनाव के बारे में पत्रके विचार रखते हैं तो फिर हम अपने स्पष्ट कर्तव्य को भी नजरअंदाज करेंगे।

यह हमारे लिए गहन दुःख का विषय है कि मौलाना साहब ने मुकाबले से हटने की बात को वापस बुला लेने की तरह लिया है। लेकिन जब वह अंतिम तौर पर हटने की बात सोच चुके हैं, तो उन्होंने हम लोगों से राय-मशवरे के दौरान डॉ. पट्टाभिराव के निर्वाचन की एकालत की है। यह निर्णय काफी विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। हम मानते हैं कि ऐसा किन्हीं खास परिस्थितियों के बिना उसी अध्यक्ष का पुनर्निर्वाचन न करने के नियम से बंध रहने की स्पष्ट नीति को नतीजतन है।

अपने वक्तव्य में सुभाषबाबू ने सच के प्रति अपना विरोध दर्ज किया है। इस विरोध में कार्यसमिति का हर सदस्य शामिल है। उन्होंने विचारधाराओं, नीतियों तथा कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है। हम समझते हैं कि ये सब बातें कांग्रेस अध्यक्ष के चयन के विचारार्थ प्रासंगिक नहीं हैं।

कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम इसके क्रमिक अध्यक्षों द्वारा तय नहीं होते हैं। यदि ऐसा होता, तो पद-भार संविधान को एक वर्ष के लिए ही रीमित नहीं करता। कांग्रेस की

नीति तथा कार्यक्रम स्वयं कांग्रेस द्वारा भी नहीं बल्कि कार्यसमिति द्वारा तय होते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष की स्थिति वस्तुतः समाप्त जैसी होती है। इसके अतिरिक्त, संवैधानिक राजतंत्र की तरह यह राष्ट्र की एकता तथा अखंडता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह पद एक बड़े सम्मान की तरह ठीक ही देखा जाता है और इस तरह राष्ट्र वार्षिक निर्वाचनों के जरिए इस सम्मान को अपने राष्ट्र के अधिक से अधिक संपूर्ण को देने के लिए वचनबद्ध है। निर्वाचन- जैसा कि इस ऊंचे पद की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त भी है- हमेशा ही विरोध रहा है। चुनाव के मामले में कोई भी विवाद या वह नीतियों और कार्यक्रमों पर ही आधारित हो निरिदानीय है। हमें विश्वास है कि डॉ. पट्टाभि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। यह कार्यसमिति के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं तथा जनसंघ का एक लंबा और अखंड रिकार्ड भी उनके नाम है। अतः इस चुनाव के लिए हमलोग कांग्रेस प्रतिनिधियों से उनके नाम का अनुमोदन करते हैं। उनके सहयोगी के नाते सुभाषदासू से भी हमलोग अपेक्ष करते हैं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और डॉ. पट्टाभि सीतारमैया के निर्वाचन को विरोध सम्पन्न होने दें।

सुभाषचंद्र बोस का दूसरा वक्तव्य

25 जनवरी, 1939

मेरे लिए कार्यसमिति के अपने कुछ विशिष्ट सहकर्मियों के साथ सार्वजनिक विवाद में ललझना काफी पीछादायक मामला है। लेकिन जैसी समस्या मौजूद है उस सदस्य में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इसी महीने की 21 तारीख को जारी मेरा बयान मोलाना अबुल फलाम आजाद साहब के वक्तव्य के प्रतिक्रियारूप है और अब मैं जो कह रहा हूँ, वह सरदार पटेल तथा अन्य नेताओं के चुनावी भर वक्तव्यों का आवश्यक जवाब है। इस सार्वजनिक विवाद की शुरुआत की जिम्मेदारी मेरी नहीं बल्कि मेरे खास सहकर्मियों की है। कार्यसमिति के दो सदस्यों के बीच चुनावी मुकाबले में अन्य सदस्यों द्वारा सगठित तरीके से पक्षधरता करने की उम्मीद कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। क्योंकि वह स्पष्टतः उचित नहीं है। सरदार पटेल और अन्य सदस्यों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के नाते वक्तव्य जारी किया है व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेसियों के नाते नहीं। मैं पूछता हूँ कि जब कार्यसमिति में इस सवाल पर अभी बातचीत न हुई तो क्या यह उचित है कि वक्तव्य में हमें पहली बार बताया जाए कि डॉ. पट्टाभि के निर्वाचन का समर्थन देने का निर्णय काफी विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। न तो मुझे और न मेरे सहकर्मियों को ही इस विचार-विमर्श या निर्णय की कोई समझ है और न कोई जानकारी। काश / हस्ताक्षर करने वालों ने कार्यसमिति के सदस्यों के नाते नहीं बल्कि

व्यक्तिगत हैसियत से कांग्रेसियों के नाते वक्तव्य जारी किया होता।

यदि अध्यक्षीय चुनाव को अपने नाम के अनुरूप ही 'चुनाव' होना है, तो बिना किसी नैतिक दबाव के मतदान की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन क्या इस तरह के वक्तव्य नैतिक दबाव के बराबर नहीं हैं ? यदि अध्यक्ष का प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन होना है, कार्यसमिति के प्रभावशाली सदस्यों द्वारा उसे मनोनीत नहीं होना है, तो क्या सरकार पटेल तथा अन्य नेता अपना क्लिप वापस ले लेंगे और मतदान का मामला प्रतिनिधियों की मर्जी पर छोड़ देंगे ? यदि प्रतिनिधि अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करते हैं, तो चुनावी मुकाबले के सदर्भ में जरा भी सदेह नहीं रह जाएगा- अन्यथा चुनाव प्रक्रिया को ही क्यों न खत्म कर दिया जाए और अध्यक्ष को कार्यसमिति द्वारा मनोनीत होने दिया जाए ?

मेरे लिए यह खबर है कि खास परिस्थितियों के बिना कोई व्यक्ति पुनर्निर्वाचित नहीं होगा- ऐसा नियम है। यदि कांग्रेस का इतिहास देखें तो हम पाते हैं कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक बार चुना गया है। मुझे इस टिप्पणी पर भी आश्चर्य है कि अब तक अध्यक्षीय चुनाव निर्विरोध हुए हैं। मुझे याद है कि मैंने कई अवसरों पर एक की तुलना में दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। सिर्फ इधर के वर्षों में चुनाव निर्विरोध हुए हैं।

1934 में कांग्रेस के नए संविधान का अपनाने के बाद कार्यसमिति, कम-से-कम संवैधानिक रूप में सही अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होती रही है। इसी वर्ष में कांग्रेस अध्यक्ष का महत्व पहले से बड़े स्तर का हो गया है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष और इसके चुनाव को लेकर नई धरपराओ का उदग होना लाजिमी है। अब अध्यक्ष का महत्व किसी बैठक के सभापति के समान नहीं रहा। अध्यक्ष समुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसा है, जो अपने कॅबिनेट का मनोनयन करता है। कांग्रेस अध्यक्ष को संवैधानिक राजा बताना बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहूंगा कि नीति और कार्यक्रम के सवाल अप्रसंगिक नहीं हैं। अगर 1934 के कांग्रेस के बाद वामपंथी तथा दक्षिणपंथी खेमों के समर्थन से हर समय एक वामपंथी अध्यक्ष नहीं बना होता, तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से सदर्भ में ये सवाल काफी पहले सामने लाए जा चुके होते। इस साल इस प्रक्रिया से हटना और एक दक्षिणपंथी उम्मीदवार को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लाना बिना मतलब नहीं है। यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि अगले वर्ष के दौरान कांग्रेस के दक्षिणपंथी खेमें तथा अंग्रेज सरकार के बीच सचीय योजना को लेकर एक समझौते की शभावना है। परिणामस्वरूप दक्षिणपंथी खेमा एक वामपंथी अध्यक्ष को नहीं चाहता है, जो समझौते के रास्ते में एक काटा बन जाए तथा बालवीत के बीच में रोड़े अटकाए। यह विश्वास कितना व्यापक है इसे जानने के लिए सिर्फ जनता के बीच जाना होगा और उनसे बातचीत करनी होगी। ऐसी परिस्थितियों में असली गैर-संप्रवादी अध्यक्ष का निर्वाचन आवश्यक है।

अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम प्रस्तावित होना वास्तव में मेरे लिए

अफसोस की बात है। मैंने अपने कई दोस्तों को सलाह दी थी कि इस साल वामपंथी खेमे की तरफ से एक नए उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका और कई प्रांतों से गेरा ही नाम प्रस्तावित हो गया। इस अंतिम दौर में भी, यदि आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे सच्चे गैर-सघवादी, किसी नाम को अगले साल के अध्यक्ष के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं अपना नाम वापस लेने के लिए तैयार हूँ। मैं काफी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि इस यादगार वर्ष में हमें अध्यक्ष की कुर्सी पर एक सच्चे गैरसघवादी को बैठाना चाहिए। यदि दक्षिणपंथी खेमा वास्तव में राष्ट्रीय है तो उसे एक वामपंथी को अध्यक्ष के गौर पर स्वीकार करने की सलाह दी जानी चाहिए। ऐसे अशोभनीय ढंग से किसी भी कीमत पर एक दक्षिणपंथी उम्मीदवार पर जोर देकर सेवानिवृत्ति की कगार पर खड़े तथा अध्यक्ष पद के लिए अपने नाम के सुझाव पर ही आश्चर्य व्यक्त करने वाले उम्मीदवार को खड़ा करके उन्होंने पर्याप्त गलतफहमियाँ पैदा कर दी हैं। देश की खास परिस्थितियों में इस वक्त यह अध्यक्षीय चुनाव वस्तुतः सघीय योजना के खिलाफ हमारे सघर्ष का ही हिस्सा है और ऐसी स्थिति में हमारे लिए इससे उदासीन होना संभव नहीं है। देश के सामने अराली मुद्दा सघीय योजना का है। सघ के खिलाफ सघर्ष में विश्वास रखने वाले तथा सकट में राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने वाले सभी लोगों का स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति ले रहे उम्मीदवार के लिए दबाव डाल कर कांग्रेस के विभाजन का प्रयास नहीं करना चाहिए।

अध्यक्षीय चुनाव पूरी तरह से प्रतिनिधियों का मामला है और इसे उन पर ही छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस में असरदार बहुमत रखने वाले दक्षिणपंथी खेमे पर ही छोड़े दें कि इस अंतिम घड़ी में ही सही वह किसी वामपंथी उम्मीदवार को स्वीकार करने के लिए वामपंथी खेमें की तरफ बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि मेरी अपील व्यर्थ नहीं जाएगी।

पट्टाभि सीतारमैया का वक्तव्य

25 जनवरी 1939

अब जबकि अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला अपरिहार्य हो चुका है इसलिए दो उम्मीदवारों में से एक होने के नाते मुझे भी उन मुद्दों से संबंधित एक वक्तव्य देना चाहिए जो हाल में ही प्रकाशित हुए हैं और जिन पर लोगों की खास निगाहें टिकी हुई हैं।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठकों की समाप्ति के बाद मैं 17 जनवरी को बारदोली से चल पड़ा और शाम को ही बंबई पहुँच गया। उस वक्त मेरे दिमाग में यह बात थी कि कांग्रेस के अगले सत्र के लिए अध्यक्ष पद हेतु मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुन लिया गया है।

एकाधिक कारणों से यही विचार मेरे दिमाग में हमेशा बना रहा। फिर जब मैं बर्बई में अपने निवास पर 7 बजे शाम को पहुंचा, तो मोलाना का टेलीफोन संदेश मेरा इंतजार कर रहा था जिसमें उन्होंने पहुंचते ही फोन करने के लिए कहा था। मैंने उन्हें फोन किया और मुझे मोलाना ने आकर मिलने के लिए कहा।

मैं अदाज नहीं लगा सका कि वह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन इंसों में उन पर ही छोड़कर डिनर के लिए चल पड़ा। क्योंकि उसी रात मुझे मद्रास मेल से बर्बई से विटा लेना था और इस बीच मोलाना से मिलना भी चाहता था।

इस बीच कुछ अखबार वाले मित्र मेरे निवास पर आए और उन्होंने सूचना दी कि उम्मीदवार तीन हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ। मोलाना अध्यक्ष पद के लिए योग्य उम्मीदवार थे। इसलिए मैं अपनी उम्मीदवारी को वापस लेने के लिए प्रेस का सूचित करने की जल्दी में था।

फिर मैं मोलाना के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में मैंने ब्रेजावाडा का टिकट ले लिया। जब मैं मोलाना से मिला और कुछ हड़बड़ी में ही उनको अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि वे स्वयं ही नाम वापस ले रहे हैं और कल सुबह ही बारदोली जा रहे हैं। उन्होंने मुझ पर उम्मीदवारी से न हटने पर जोर डाला।

मैंने उनसे इस दिशा में न सोचने के लिए अनुरोध भी किया लेकिन फिर मैं निर्णय को प्रेरित करने वाली उनकी पारदर्शी मद्भाग्यना से प्रभावित हुआ और तब मैंने टेलीफोन के पास पहुंचने के बाद नाम वापसी का अपना इशारा छोड़ दिया।

अगली शाम मैं बर्बई से चल पड़ा। 21 जनवरी की शाम को मुझे मोलाना का तार संदेश मिला जिसमें उन्होंने मेरे पक्ष में अपना वापस लेने की घोषणा तथा मेरे निर्विरोध निर्वाचन की कामना की थी।

यह सच है कि मेरा नामांकन मेरी जानकारी में नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा होने की मुझे उम्मीद भी थी क्योंकि पिछले कुछ समय से आमतौर पर दक्षिण भारत तथा विशेषतया आंध्र की जनता में सबकी इच्छा रही है कि दक्षिण के और वह भी आंध्र के किसी कांग्रेसी को एक मौका मिलना चाहिए।

मैंने हमेशा ऐसी महत्वाकांक्षाओं को हतोत्साहित तथा उनको पूरा करने के विकल्पों के दायरे को सीमित किया है।

हर साल कांग्रेस को अपने अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो वक्त की जरूरत को पूरा कर सकें और अध्यक्ष के चुनाव को विभिन्न प्रांतों के विभिन्न आवेदकों के बीच सम्मान के बराबर प्रितरण का मामला नहीं बनाना चाहिए।

तो भी व्यक्तिगत तौर पर मैं 1916 से अपने डॉक्टरी पेशे को छोड़ने के बाद पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन में रहते हुए हमेशा सेवा की भावना से चलता रहा हूँ और अपने मन के किसी कोने में भी महत्वाकांक्षाओं को नहीं पाता।

लेकिन जब मौलाना नाम वापस ले चुके थे तब कांग्रेसियों और अन्य लोगो ने विभिन्न विचारो वाले आम लोगो की तरफ से प्रख्यात बुजुर्गो तथा पितातुल्य पूज्य लोगो की तरफ से एक व्यापक इच्छा जाहिर की थी। जब मौलाना ने पुन मुकाबले से हटने का फैसला किया और उन्होने मेरी सफलता की कामना के साथ ही दुबारा नाम वापस ले लिया तब मेरे पास भी यह मानने के तर्क थे कि मौलाना की उम्मीदवारी के विकल्प के रूप में मेरी उम्मीदवारी कार्यसमिति और अन्य क्षेत्रो के मरे कुछ सहयोगियो की नर्जी से है। इसलिए मैंने उम्मीदवारी को जनता की तरफ से कर्तव्य की पुकार माना जिसे मैं हल्के तौर पर टाल नहीं सकूंगा।

आज के ज्वलन्त सवाल के सदर्भ में अपनी स्थिति के बारे में अब मैं एक यत्नव्य देना चाहूंगा। मैं गांधीवाद के पथ का सच्चा पुजारी हूँ और यह बात देश-भर में चर्चित है। प्रायः इस विषय पर तथा आज के विशुद्ध राजनैतिक सवालो पर मैं काफी बोल और लिख चुका हूँ। मैं देश के अन्य कई लोगो जितना ही भारत सरकार के 1935 के कानून में शामिल किए गए सपीय योजना के खतरों का खुलासा कर चुका हूँ।

लखनऊ कांग्रेस तथा हरिपुरा अधिवेशन के बीच के अंतराल के दौरान मुझे काफी वक्त मिला जिसका इस्तेमाल मैंने देश पर थोपे जाने वाले इस भारतीय विधान की बखिया उधेड़ने के लिए किया।

हरिपुरा अधिवेशन के बाद कैबिनेट का सदस्य होने के कारण मुझे स्वयं को नियंत्रित करना पडा।

मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सच के सवाल पर अंग्रेजो से समझौते के लिए कार्यसमिति के किसी भी सदस्य द्वारा प्रयास नहीं हुआ है। मैंने स्वयं भी हाल में ही स्पष्ट किया है कि वायसराय का वक्तव्य कांग्रेस के दरवाजे पर एक शिष्ट दस्तक था लेकिन उनके लिए कांग्रेस का उत्तर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पहले ही दिया जा चुका है।

मैं राज्यों के सवाल पर भी कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विषय में मैंने इस पक्की धारणा के साथ रुचि ली है कि हम अपने देश को साम्राज्यिक तौर पर विच्छिन्न होने के लिए भूट देने अथवा देश के और अधिक राज्यवार बटवारे की अनुमति नहीं दे सकते।

निःसंदेह हम सच चाहते हैं लेकिन अंग्रेजो द्वारा उपेक्षित तरीके से प्राप्त सच निश्चित ही भारत को असंतुलित तथा अशक्त बनाएगा— ऐसा देश जिसका एक हिस्सा स्वस्थ हो, ता दूसरा हिस्सा विकलाग।

हो सकता है, राज्यों को पूरी तरह से जागरूक बनाने में कांग्रेस को काफी समय लग जाए। यदि मैं निर्वाचित हुआ तो राज्यों की तरफ से अपने कार्यों की प्रशंसा के तौर पर मैं अपने निर्वाचन का सम्मान करूंगा। आध्व प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तथा

कार्यसमिति के एक सदस्य के रूप में मैं कार्यरत हूँ। कांग्रेसजनों में अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार के मामले भी मेरी नजर में आए हैं। यदि मैं निर्वाचित हुआ, तो मैं अपने घर को भी ठीक करने में अपनी ऊर्जा लगाऊंगा।

एक बात का खुलासा रह जाता है और वह यह कि श्री सुभाषचंद्र बोस के समर्थन में मैंने अपना नाम वापस क्यों नहीं लिया। मैं ले भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्रतिनिधि सहकर्मियों की इच्छा का विरोध नहीं करना है।

यदि मैंने अपने सहकर्मियों से अपनी सोच पर बातचीत नहीं की होती, तो मैंने पसन्नतापूर्वक अपना नाम वापस ले लिया होता। मेरी सोच है कि बिना किन्हीं खास परिस्थितियों के किसी का लगातार दूसरी बार पुनर्निर्वाचन नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है।

वल्लभभाई पटेल का वक्तव्य

बारदोली,

25 जनवरी, 1939

श्री सुभाषचंद्र बोस का बयान आश्चर्यजनक है। यहाँ कुछ तथ्य दे रहा हूँ। 1920 से प्रायः हर मामले में कार्यसमिति के कुछ सदस्यों ने अनौपचारिक बातचीत की है। जब श्री गांधी कार्यसमिति में थे, तब वह अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कोई एक नाम पहले ही सुझा दिया करते थे, लेकिन कांग्रेस से हटने के बाद उन्होंने ऐसे वक्तव्य देना बंद कर दिया है।

फिर भी व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक तौर पर सदस्यों ने उनकी पसंद के बारे में उनसे राय ली है। इस साल भी मैंने कई सदस्यों के साथ बातचीत की है। हमारे बीच उपस्थित हर सदस्य ने महसूस किया कि मौलाना आजाद ही एकमात्र विकल्प हैं, लेकिन उनको राजी नहीं किया जा सका।

बारदोली के पूरे सप्ताह जब कार्यसमिति का सत्र चल रहा था, श्री गांधी मौलाना से अपना नामांकन होने देने के लिए अनुरोध करते रहे। पर वह अटल रहे। किसी तरह 15 जनवरी को तड़के वह गांधी के पास आए और उनसे कहा कि उनका प्रतिरोध करना उनके लिए संभव नहीं है और हमारी राहत के लिए उन्होंने चुनाव में भागीदारी तय कर ली।

उस वक्त हम जान गए थे कि डॉ. पट्टाभि सीतारमैया का नामांकन भी आद्य के कुछ मित्रों ने कर दिया है और हम यह भी जानते थे कि श्री सुभाष बोस का भी नामांकन हो चुका है। हम पूरा विश्वास था कि मुकाबले से दोनों ही हट जाएंगे तथा मौलाना साहब

निर्विरोध निर्वाचित होंगे।

बारदोली में हुई अनौपचारिक बातचीत किसी वक्त योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई, पर संयोगवश जब मौलाना अबुल कलाम आजाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेन्द्र प्रसाद श्री भूलाभाई देसाई आचार्य कृपलानी श्री गांधी और मैं मौजूद थे इस पर सहमति बनी कि यदि संयोगवश मौलाना अपने प्रतिरोध पर अटल रहते हैं तो निर्वाचन के अनुसार डॉ. सीतारामैया ही विकल्प बच जाते हैं। क्योंकि श्री सुभाष बोस का पुनर्निर्वाचन हमारी गंजर में अनावश्यक था। हमारे दिमाग में पामपथ या दक्षिणपथ का कोई सवाल कभी नहीं रहा।

इसे दर्ज किया जाना चाहिए कि पिछले साल उनके निर्वाचन में जो प्रक्रिया अपनाई गई वैसी ही प्रक्रिया इस बार भी अपनायी जा रही है और यह तथ्य सुभाष बोस भी जानते हैं। सिर्फ उस वक्त अन्य उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए राजी करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई थी। यद्यपि मौलाना साहब ने अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन बर्बई पहुंचने ही के फेर परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि वे इतने बड़े पद का बोझ नहीं सभाल सकते। तो इस समस्या का रजलझाने की दृष्टि से ही श्री गांधी के पास अपना नामांकन वापस लेने के लिए पूछना आए। श्री गांधी ने मौलाना पर अब अधिक दबाव डालना आवश्यक नहीं समझा। उसका बाद जा हुआ वह सारा दश जानता हूँ।

श्री बोस द्वारा (बारदोली वक्तव्य के) हस्ताक्षरकर्ताओं तथा कार्यसमिति के बहुमत पर चाल चलने का दावा मढ़ना मुझ दुखी करता है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भारत सरकार के संघीय कानून को कोई भी सदस्य को नहीं चाहता।

और अतएव, वर्तमान अध्यक्ष अथवा कोई भी एक सदस्य इतने बड़े मुद्दे पर निर्णय नहीं कर सकता है। सिर्फ कांग्रेस ही है जो निर्णय कर सकती है अतः जब कांग्रेस का सच नहीं चल रहा हो, तब सामूहिक तौर पर कार्यसमिति ही निर्णय कर सकती है। और कार्यसमिति को भी कांग्रेस की घोषित नीति के शब्दों या भावनाओं से विमुख होने का कोई अधिकार नहीं है।

मैं उस सोच से पूरी तरह असहमत हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष के पास कार्यसमिति को सहमति या नीति पर किसी किस्म की पहल-कदमी बनाने का अधिकार है।

अनेक अवसरों पर हमेशा कार्यसमिति की इच्छानुरूप चलने वाले (उनकी प्रतिष्ठा में यही कहा जा सकता है) कांग्रेस अध्यक्ष के विरोध के बावजूद कार्यसमिति ने अपनी बात रखी है।

बारदोली में सभी सदस्यों के न रहने तथा समयभाव के कारण मैंने अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र सहकर्मियों का जिक्र किए बिना श्री सुभाष बोस के वक्तव्य का उत्तर देने की छूट ली है।

मेरे लिए तथा जिनसे मैं उस समस्या पर बातचीत कर सकता हूँ, उनके लिए भी यह मुद्दा व्यक्तिगत या सिद्धांतगत, मानवधियो या दक्षिणपथियो का नहीं है। देश के सर्वाधिक हित की सोच ही सब कुछ है।

मेरी दृष्टि में जिन लोगों ने अपनी बात रखी है, उन्हें अपने प्रतिनिधियों के मार्ग-निर्देशन का पूरा अधिकार है। मुझसे प्रायः प्रतिदिन ही प्रतिनिधियों द्वारा तार, सदेश या पत्र के माध्यम से मार्ग-निर्देश मांगा जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अन्य सहकर्मियों से भी यह मांगा जाता होगा।

खास परिस्थितियों में अधिकार कर्तव्य भी बन जाता है। लेकिन दिया गया यह मार्ग-निर्देशन प्रतिनिधियों के लिए पूरी तरह से अपनी समझ में सबसे अच्छे ढंग से अपने मतों का उपयोग करने के लिए है।

जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य

अल्मोडा,

26 जनवरी, 1939

पिछले दस दिनों से मैं कुमाऊँ की पहाड़ियों में एक हद तक अताग-धलंग पडा हुआ हूँ, जहाँ अखबार देर से पहुँचते हैं तथा कभी-कभी मेरी सूचनाएँ रेडियो पर व्याघारित होती हैं। इन परिस्थितियों में रहते हुए किसी विवाद में पडना मेरा काम नहीं है और किसी भी घटना के सद्वर्ध में ऐसा करने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। लेकिन प्राप्त खबरों से मुझे लगता है कि अध्यक्षीय चुनाव ने दुर्भाग्यपूर्ण मोड ले लिया है और गलत मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसलिए मैं जनता के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो इस स्थिति को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। अभी तक मैंने कांग्रेस अध्यक्ष के पहले वक्तव्य के अतिरिक्त जारी हुए किसी अन्य वक्तव्य को नहीं पढा है।

मैं पहले ही यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अध्यक्ष पद के दावेदार किसी भी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में मैं यह वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ। अध्यक्षीय चुनाव ही महत्वपूर्ण है, इसलिए विरोध या समर्थन द्वितीय श्रेणी का मसला हो जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम। अतीत में मैं देख चुका हूँ कि अध्यक्षीय चुनावों से स्वयं कांग्रेस या ए आई सी सी द्वारा निर्धारित की गई नीति में कोई खास फर्क नहीं पडता। एक हद तक नीति को लागू करने में अध्यक्ष कुछ फर्क ला सकता है और कांग्रेस-अध्यक्ष मेरी निगाह में सिर्फ सभापति ही नहीं है।

कह सकता हूँ कि मैं चुनाव-प्रक्रिया का विरोधी नहीं हूँ कि तयशुदा नीतियाँ तथा कार्यक्रम जब द्वंद्व में फँसे हों तो चुनाव आवश्यक है और यह स्पष्टीकरण में सहायक

लता है। अध्यक्षीय चुनाव के दौरान सामने आए द्वन्द्व में कार्यक्रम क्या-क्या है ? भारत में कई ज्वलंत समस्याएँ हैं लेकिन सघ की ही चर्चा को देखते हुए मुझे अन्य समस्याओं के सदर्भ में अध्यक्षीय चुनाव में कोई द्वन्द्व नजर नहीं आता। क्या सघ के सवाल पर कोई द्वन्द्व है ? मुझे जानकारी नहीं है। इसके बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण निश्चित तथा स्पष्ट है। इंग्लैंड में सीधी भाषा में मैंने अपने इस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया था और ऐसा करते हुए मैं सिर्फ अपने विचार को ही नहीं बल्कि कार्यसमिति को भी अभिव्यक्त कर रहा था। यहाँ मैंने जो कुछ भी कहा और किया था उनकी पूरी रिपोर्ट मैंने कांग्रेस-अध्यक्ष तथा कार्यसमिति का भजी थी और दिशा-निर्देश क लिए पूछा था। मुझे सूचित किया गया कि सघ के सवाल पर मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया था वह कार्यसमिति तथा गांधीजी के दृष्टिकोण में मिलता-जुलता है। लेकिन उसके बाद में स्थिति काफी बिगड़ चुकी है और सघ से समझौते के दायरे में सोचना किसी भी कांग्रेसी के लिए डरावना है। भारत के राज्यों में बढ़ता सघर्ष क्या सघ के प्रति हमारे झटके का मंगलाचरण है ? विश्व की तरह हम भारत में भी सकट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं।

मुझे लगता है कि फिलहाल हमने सघ के सवाल को अपने दिमाग से ऐसे निकाल दिया है जैसे कि वह हमारे न चाहने से हमारे ऊपर थापा ही नहीं जा सकता और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से अलग दृष्टिकोण हमने पहले से अधिक सकारात्मक ढंग से आत्मनिर्णय तथा अपने निजी भविष्य के बारे में सोच लिया। जर्मन सरकार की विदेश नीति इतनी खराब और घृणित है कि मेरा देश ऐसी सरकार के साथ कोई संबंध नहीं रखे यहाँ में चाहता हूँ। इस तरह इस चुनाव में सघ के सदर्भ में द्वन्द्व का कोई प्रश्न नहीं है। निस्संदेह कांग्रेस में कई द्वन्द्व हैं लेकिन उनमें से कोई भी इन चुनाव से प्रभावित नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन द्वन्द्वों तथा समस्याओं का स्पष्टीकरण चाहूँगा। हमारे सामने यह महत्वपूर्ण समस्या है कि गांधी अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सकट में हम स्वयं को कैसे तैयार करते हैं ? हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, जिससे आंतरिक कलह पैदा हो और जो इस तरह हमारी समुक्त शक्ति की आवश्यकता के दौरान हमें कमजोर करे।

मुझे अपने बौद्धिक कार्यकाल के दौरान कांग्रेस-अध्यक्ष पद का कुछ अनुभव है और कई अवसरों पर मैं त्यागपत्र देने की स्थिति में पहुँच गया था क्योंकि मुझे लगा कि बिना पद पर रहे ही मैं अपने काम और कांग्रेस के हित में सक्रिय हो सकता हूँ। इस साल कुछ सहकर्मियों ने अध्यक्ष पद हेतु फिर से खड़ा होने के लिए कहा था। लेकिन कुछ कारणों से मैंने पूर्णतया इकार कर दिया, जिनकी यहाँ चर्चा करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

उन कारणों तथा अन्य कुछ कारणों से समाप्त रूप से स्पष्ट था कि सुभाषबाबू को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मुझे लगा कि इस स्थिति में इस पद का स्वीकार कर असरदार काम करने की उनकी और हमारी क्षमता ही कम होगी। मैंने सुभाष बाबू से ऐसा ही कहा था।

इसी तरह मेरे दिमाग ने यह भी स्पष्ट था कि इस साल अध्यक्ष पद के लिए मीलाना अबुल कलाम आज़ाद ही उचित व्यक्ति हैं। हर तरफ से सोच-विचार कर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा। हमारी कुछ ज्वलंत समस्याओं से निवटने के लिए वे खास तौर पर उपयुक्त हैं।

उनके पास अपने से अधिक दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता है। वह समादृत और विश्वसनीय हैं तथा विभिन्न कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में सक्षम होने के साथ ही कांग्रेस के बरिष्ठ नेता हैं। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि तथा दुर्लभ अंतर्दृष्टि के प्रति मेरी प्रशंसा पिछले बीस सालों के दौरान साल-दर-साल उनको जानने के लिए मिले अवसरों पर आधारित है। अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए मैंने उन पर दबाव डाला था और ऐसा ही अन्य लोगों ने भी किया था। हम लोगो ने सोचा था कि हमने उनको राजी कर लिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश अंततः यह सहमत नहीं हुए। इसके पीछे उनका कमजोर स्वास्थ्य तथा प्रचार और चुनावी मुकाबले के प्रति उनकी अरुचि थी।

व्यक्तिगत तौर पर मुझे मालूम नहीं कि इस चुनाव में सिद्धांत या कार्यक्रम क्या हैं। मैं जतन से यह चर्चा नहीं सुनना चाहता कि मुद्दा न होने के सच के बावजूद किसी खास कार्यक्रम को खारिज कर दिया गया। जीते कोई भी, मुकसान तो सच का ही होगा। मुझे विश्वास है कि यदि कोई प्रतिस्पर्धा हाती भी है, तो सभी संबंधित लोगों को हमारे उद्देश्यों की महानता का अहसास रहेगा तथा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, जो उस महान सस्था को कमजोर करने का काम करेगा जिसके लिए हममें से कई लोग अपना जीवन लगा चुके हैं। दृढ़ के कारण भविष्य अधकारमय दीखता है और इसका सामना करने के लिए हमें व्यक्तियों को भूलकर सिद्धांतों तथा अपने उद्देश्यों को याद करनी ही चाहिए और आत्मबल के साथ एकजुट हुए लोगो की तरह साथ रहना होगा।

राजेन्द्र प्रसाद का वक्तव्य

पटना,

27 जनवरी, 1939

सुभाषबाबू तथा कार्यसमिति के कुछ खास सदस्यों के बीच सच के सवाल पर उपरोक्त काव्यमय मतभेद के कारण वास्तविक मुद्दों को दरकिनारा करना अच्छा नहीं है। उस बिंदु पर विचारों का मतभेद बिल्कुल नहीं है। हरिपुरा कांग्रेस प्रस्ताव स्पष्ट है तथा वह किसी विरोध या दबाव के बिना पारित हुआ था। ए आई सी सी की पिछली बैठक तक प्रस्ताव किसी भी असंतुष्ट आवाज के बिना फिर से दुहराया गया। यदि अध्यक्षीय चुनाव

राजनीतिक दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम में ऐसे मतभेद का आधार बनता है, तो मुद्दे के विभिन्न विदुओं को साफ-साफ सामने रखा जाना चाहिए तथा कोई काल्पनिक मतभेद दिखा कर इनको घुंथला नहीं किया जाना चाहिए।

सभ के सदस्य में सुभाष बास ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में शामिल सचीय योजना का कांग्रेस द्वारा विरोध किए जाने की याचना पूरी तरह से असहयोग जैसी आम कांग्रेसी नीति तथा सिद्धांत के अनुसार होगी। यह असहयोग जो भी कदम उठाएगा— सचीय चुनाव की स्थिति में या चुनाव के बाद सरकार में शामिल होने की स्थिति में भी असहयोग या नहीं, यह विस्तृत विमर्श तथा रणनीति का मामला है, जिस तत्कालीन स्थिति की अपेक्षाओं के आधार पर तय किया जाएगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या सभ के खिलाफ कांग्रेस के अभियान के रूप में कांग्रेसी मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाएगा, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसी स्थिति में यदि सघर्ष चलता है तो हर तरफ से विरोध करने पर मेरा जोर होगा। यदि हम लगता है कि सत्ता में उनकी मौजूदगी से हमारे सघर्ष को बल मिलता है, तो यह पूरी तरह समभव है कि हम मंत्रियों से त्यागपत्र न देने के लिए कहें। इसके विपरीत यदि हम महसूस करते हैं कि उनके द्वारा त्यागपत्र देने से हमारा सघर्ष अधिक मजबूत होगा तो हम ऐसा ही करेंगे।

जैसा कि 'माडर्न रिव्यू' में कहा गया है, सचारा के जवाब देते हुए कांग्रेस-अध्यक्ष ने कई यदि का इस्तेमाल किया है। उनमें से दो हैं— यदि सघर्ष होता है तो सचीय विधानमंडल के चुनाव में भागीदारी का विरोध करेंगे— यद्यपि सभ के प्रति कांग्रेस ने अपना दृष्टिकोण अटल तौर पर सामने रखा है। पहला यदि शायद हम आशय को व्यक्त करना है कि सघर्ष अपरिहार्य है। दूसरा 'यदि' शायद यह अनुमान जमाने की गुंजाइश देता है कि कांग्रेसी दृष्टिकोण किसी भी हालत में अग्रजा की सचीय योजना के अटल विरोध का नहीं हो सकता।

यदि कार्यसमिति के दक्षिणपंथी रंगे के किसी सदस्य ने ऐसी कोई बात कही होती तो मुझे आश्चर्य होता। ऐसा नहीं है कि सुभाष बाबू को अपनी निजी राय रखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अन्य लोगों के मनगढ़ंत दृष्टिकोण के लिए उनकी निंदा क्यों करें, जब उनका निजी दृष्टिकोण ही यदि को हटा पाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट रूप नहीं अपनाता और जिसने एक प्रख्यात पत्रकार को उनमें से काफी अनर्थकारी अर्थ निकालने का अवसर दे दिया है।

अब जबकि प्रतिस्पर्धा होने ही जा रही है, तो प्रतिनिधियों को उनकी रुचि तथा स्वतंत्र विचार से मतदान करने के लिए सलाह देना वस्तुतः उनकी बुद्धिमत्ता तथा उनके उत्तरदायित्व का अपमान है। यदि वे डॉ. पट्टाभि सीतारमंगा के पक्ष में अपना मत डालते हैं, तो उनकी अखंडता तथा स्वतंत्रता को बाधित करना गलत है।

सुभाषचंद्र बोस का तीसरा वक्तव्य

27 जनवरी 1939

डॉ पट्टाभि तथा सरदार पटेल के वक्तव्यों के कारण मैं फिर एक बार सार्वजनिक विवाद में फस गया हूँ। डा पट्टाभि कहते हैं कि अगला अध्यक्ष आंध्रप्रदेश का हो ऐसा सामान्यतया दक्षिण भारत तथा आंध्र प्रदेश की जनता के बीच एक निर्विरोध इच्छा बन चुकी है।

मह विश्वास करना कठिन है कि देश के किसी भी हिस्से के कांग्रेसजन प्रातीयतावाद के रूप में सोचते हैं। इसके अतिरिक्त, इस वक्त मेरे पास स्वैच्छिक रूप से मेरे समर्थन में आए आंध्र प्रदेश के तार सदस्य भी हैं और जहाँ तक तमिलनाडु का सबंध है वहाँ ऐसे दोस्त भी हैं जो प्रतिस्पर्धा से न हटने के लिए मुझ पर जोर डाल रहे हैं।

सरदार पटेल के वक्तव्य में अपेक्षाकृत कुछ अधिक घातक आन्तरिकृति है। वह कहते हैं कि कार्यसमिति के कुछ सदस्य आपस में महत्वपूर्ण सलाह-मशविरा कर क किसी निर्णय पर पहुँचे हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि न तो अध्यक्ष और न ही कार्यसमिति के अन्य सदस्यों को इस बारे में कुछ पता है?

स्पष्ट है कि वह एक ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं, जो महज नाम-मात्र का प्रमुख और कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों के हाथों की कठपुतली हो। उपरोक्त स्वीकारोक्ति इस आम धारणा की पुष्टि करती है कि कार्यकारिणी अपने-आप में वस्तुतः एक समूह द्वारा नियंत्रित है और यह भी कि अन्य सदस्य महा महज हा-हू करने के लिए हैं।

सच के मामले पर कांग्रेस का प्रस्ताव हालांकि अदम्य विरोधों में से एक है फिर भी वास्तविकता यही है कि कुछ प्रभावी कांग्रेसी नेता सघीय योजना को सशर्त स्वीकार किए जाने की निजी और सार्वजनिक तौर पर वकालत करते रहे हैं।

ऐसी गतिविधियों की भर्त्सना करने के लिए दक्षिणपथी नेताओं की ओर से अब तक किंचित् भी इच्छा सामने नहीं आई है। स्थिति की सच्चाई से आखे मूढ़ लेने से कोई फायदा नहीं है। इस सच्चाई को क्या कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता है कि आगामी वर्ष यही धारणा गहराएगी कि ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के दक्षिणपथी खेमों के बीच एक समझौता पभावी होगा? संभव है कि यह धारणा पूर्णतः भ्रामिक हो, किंतु यहाँ तो सब कुछ ऐसा ही है और कोई भी इसके अस्तित्व से इन्कार नहीं कर सकता। महज यही नहीं, बल्कि आम तौर पर ऐसा भी माना जाता है कि सघीय कबिना के लिए मंत्रियों की प्रस्तावित सूची भी तैयार की जा चुकी है।

इन परिस्थितियों में स्वभाविक है कि कांग्रेस के प्रगतिशील या दामपथी खेमों को सघीय योजना के सवाल को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए और एक सच्चे सघ-विरोधी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने की आकांक्षा रखनी चाहिए। अध्यक्ष की कुर्सी पर एक

दक्षिणपथी को किसी भी कीमत पर बिठाने की कांग्रेस हाईकमान की हठधमिता से होगा सिर्फ यही कि प्रगतिशील तत्व अधिक सदह महसूस करगे। यह पूरी समस्या ही दरअसल अध्यक्षीय चुनाव में दक्षिणपथी खेमे द्वारा बरते गए रुख के कारण पैदा हुई है।

इस अंतिम दौर में भी यदि वे एक सघ-विरोधी अध्यक्ष स्वीकार कर लें तो इस विवाद को वे तुरंत समाप्त कर सकते हैं और इसके जरिए कांग्रेस के भीतर जारी कलह को भी टाल सकते हैं। अपने बारे में कहूँ तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि सघ ही प्रास्तविक मुद्दा है। यदि एक सच्चा सघ-विरोधी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं उसके पक्ष में प्रसन्नतापूर्वक हट जाऊंगा। सार्वजनिक तौर पर घोषित मेरा यह प्रस्ताव मतदान की पूर्व राध्या तक अडिग बना रहेगा।

17880

सुभाषचंद्र बोस का चौथा वक्तव्य

28 जनवरी 1939

रविवार को होने वाले अध्यक्षीय मतदान की पूर्व-संध्या पर मैं प्रेस के जरिए उस सदरम में कुछ कहना चाहता हूँ, जिसके चाते मैं एक प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत होने के लिए राजी हुआ। याद रहे कि पिछले चार-पाच महीनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद कांग्रेसजनों ने ज्वलितगत और सामूहिक रूप से मेरे लिए चुने जाने की सार्वजनिक तौर पर बकावत की है। एक प्रत्याशी के रूप में जब मेरा नाम अनेक प्रांतों से औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया तब इस बिना मेरी जाहृकारी या सहमति के ही किया गया। सही या गलत, कांग्रेस के भीतर इस राय की प्रकृति बहुत बड़ा समुदाय रहा है, जो एक ओर सत्र के लिए मेरा चुनाव चाहते थे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यकारिणी के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों ने उन कारणों के चलते इस राय की स्वीकार नहीं किया जिन्हें समझना कठिन है। यदि मेरे खिलाफ मतदान या विपक्ष-दर्शने न जारी किया होता तो इसमें संदेह नहीं कि मेरा दुबारा चुनाव प्रस्तुत निर्विरोध होता। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति की बजाय कोई और भी था।

हरिपुरा अधिवेशन के जमाने से ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों के साथ मेरा सवध सौजन्यपूर्ण रहा है और कार्यकारिणी में हमारा काम भी कुल मिलाकर बहुत शांति से चलता रहा है। इन परिस्थितियों में कोई भी इस निर्णय पर पहुंचने का प्रयास कर सकता है कि आखिर क्या कार्यकारिणी के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य मेरे इतने अधिक खिलाफ हैं जबकि मेरे दुबारा चुने जाने के प्रति कांग्रेस पदाधिकारियों में एक आम आकांक्षा थी? उनकी आपत्ति क्या इसलिए थी कि मैं उनके हाथों की कठपुतली नहीं

बन गाता ? या मेरे विचारे और सिद्धातो के चलते उन्होंने मेरे नाम पर आपनि की ? दूर तक ले जाने वाले तर्क न्यूनतम मात्रा मे भी दिश्वसनीय नहीं लगते। कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन एक अपवाद घटना है। इसका दो-टुक उतर यह हे कि सविधान मे ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जो पुनर्निर्वाचन को रोकता हो— यह भी कि अपने पूर्व कांग्रेस-अध्यक्षो ने एक से अधिक बार कार्यभार ग्रहण किया है— यह भी कि आगामी वर्ष एक अपवाद व घटनाप्रधान वर्ष के रूप मे सामने आने वाला है तथा मेरे फिर से चुने जाने के बारे में एक आम राय भी है।

शरतचद्र बोस को प्रेषित अपने पत्र मे सरदार पटेल ने जिस एक अन्य तर्क को सामने रखा हे वह यह हे कि मेरा फिर से चुना जाना देश के लिए हानिकारक होगा। यह अनर्गल तर्क अपने-आप मे इतना चौंका देने वाला है कि इसे बमुश्किल ही किसी खडन की दरकार है। यदि उपरोक्त नेताओ ने अपने प्रभाव का सारा वजन मेरे खिलाफ झोक न दिया होता और मेरी उम्मीदवारी का विरोध करते हुए खिप जारी न किया होता, तो हम कांग्रेस प्रतिनिधियो की वास्तविक राय से अवगत हो पाते और मुझे कोई शक नहीं कि वह राय सरदार पटेल को अतिशय आश्चर्य मे डाल देती।

कुछ खास तदको मे यह बात भ्रातिमूलक तरीके से प्रचारित की गई कि इस वर्ष पहली बार चुनावी भिडत होने जा रही है। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षो से कोई चुनावी भिडत नहीं हुई थी। यह भी सच है कि इस वर्ष यह चुनावी भिडत होने जा रही है। हालाकि उस कौतुकपूर्ण रूप में चुनावी भिडत कभी नहीं हुई, जिस रूप मे इसके इस वर्ष होने के आसार हैं— लेकिन यह भूलना गलत होगा कि पहले कभी चुनावी भिडत हुई ही नहीं। इसलिए कार्यकारिणी के भीतर मौजूद किन्ही एक गुट के लिए दावा करना इतिहा है कि अध्यक्ष का चुनाव वे हर समय अपनी आज्ञानुसार ही सपत्र कराएंगे। यदि हमे प्रतिनिधियो द्वारा चुनाव कराए जाने की यथोचित पद्धति बनाए रखनी है और कार्यकारिणी के भीतर मौजूद किसी भी एक गुट द्वारा नामाकन किए जाने की पद्धति से गुरेज बरतना है, तो जरूरी हे कि प्रतिनिधियो को अपनी स्वतंत्र व निष्पक्ष पसद को प्रस्तुत करने देना चाहिए। वर्तमान दौर मे न केवल उपरोक्त आज्ञा-पत्र को वापस लेना होगा बल्कि प्रतिनिधियो पर इसके लिए नैतिक दबाव भी बनाना होगा ताकि वे स्वतंत्रता और निष्पक्षता के अनुरूप अपना मत दे सके।

अपने वक्तव्य मे सरदार पटेल ने कहा है कि इस वर्ष भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो पिछले वर्ष अपनाई गई थी। यह बात सत्य से परे है। कार्यकारिणी के भीतर मौजूद सत्तासीन गुट ने यदि इस वर्ष भी अपनी पसद को राजी-खुशी ही बनाया होता तो इस वर्ष भी कोई चुनावी भिडत नहीं होती। लेकिन यदि उनकी पसद या उनका सुझाव लोकप्रिय संस्तुति के अनुरूप न हो, तो क्या प्रतिनिधियो को उस व्यक्ति को मत

देने की आजादी नहीं दी जानी चाहिए जिसे कि वे सर्वोत्तम समझते हो ? यदि उन्हें इस आजादी की गारंटी नहीं होगी तो फिर कांग्रेस का संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान भी नहीं रह जाएगा। कांग्रेस के पास एक लोकतांत्रिक संविधान है- इस दावे का तब कोई मतलब नहीं होगा, अगर प्रतिनिधियों का सोचने और अपनी पसंद के मुताबिक मत देने की आजादी ही न हो।

लोकतंत्र के इस मुद्दे के अलावा भी अन्य तमाम मुद्दे हैं और कुछ अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण मामले भी हैं, जो इस चुनाव से संबंधित हैं। यदि कांग्रेस के भीतर एकता और घनिष्टता को बरकरार रखना है तथा भारत की आजादी को अर्जित करने के लिए दक्षिण और वाम खेमों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है तो यह जरूरी है कि कांग्रेस-अध्यक्ष को उन दोनों वर्गों का विश्वास हासिल हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सतोषजनक ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है- और शायद मैं भी दावा कर सकूँ कि भले ही उनकी अपेक्षा कम मात्रा में ही सही मगर मैंने भी ऐसा ही किया है। यही वजह है कि कांग्रेसजनों के एक बड़े समुदाय के साथ ही मैं भी इस बात पर जोर देता हूँ कि आगामी वर्ष के लिए हमें अपने अध्यक्ष के रूप में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो तहे-दिल से सघ-विरोधी हो- एक ऐसा व्यक्ति, जिसे न केवल दक्षिणपथियों बल्कि वामपथियों का भी विश्वास और सम्मान हासिल हो। यह सब अत्यंत आवश्यक है- न सिर्फ निकट भविष्य में सघ के खिलाफ छिड़ने वाले संघर्ष के नाते, बल्कि इसलिए भी कि कुछ खास दक्षिणपथी नेताओं के इगदों को लेकर जनता के मन में व्यापक तौर पर आशंका व्याप्त है। अपने इस वक्तव्य को समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि मौजूदा चुनाव से जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे जुड़े हुए हैं वे हैं- लोकतंत्र और सघीय योजना का अदम्य विरोध। इस चुनावी भिड़त में व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है और मैं अपने साथी प्रतिनिधियों से गुजारिश करता हूँ कि वे सभी व्यक्तिगत सवाल को एक-साथ भुला दें या नजरअंदाज कर दें। मैं महज दुर्घटनावश ही सम्झौतदार हूँ, बस इसलिए कि वामपथी खेमों से कोई और व्यक्ति इस चुनावी भिड़त के लिए सामने नहीं आया। मैं पहले ही एकाधिक बार यह कह चुका हूँ कि इस चुनावी भिड़त को टालना अब भी मुमकिन है- यदि दक्षिणपथी खेमा किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष स्वीकार कर ले, जिसे वामपथी खेमे का भी विश्वास हासिल हो। अगर यह चुनावी भिड़त होती है- जिसका कि इन पक्षियों को लिखते समय तक आसार दिख रहा है- तो कांग्रेस के विभाजन की पूरी जिम्मेदारी दक्षिणपथी खेमे पर ही होगी। क्या वे इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे अथवा इन अंतिम में ही सही, राष्ट्रीय एकता और घनिष्टता के लिए एक प्रगतिशील कार्यक्रम के आधार पर टिके रहने का निर्णय करेंगे ?

महात्मा गांधी का यक्तव्य

बारदोली,

31 जनवरी, 1939

श्री सुभाषचंद्र बोस अपने प्रतिद्वंद्वी डॉ. पट्टाभि सीतारमैया के खिलाफ एक निर्णायक जीत हासिल कर चुके हैं। शुरु में ही इसे मैं जरूर स्वीकार करूंगा कि मैं निर्णयात्मक रूप से उनके फिर से चुने जाने के खिलाफ था। जिन वजहों से मैं उनके फिर से चुने जाने के खिलाफ था, उन सब का जिक्र करना यहां में जरूरी नहीं समझता। मैं उनके उन तथ्यों व तर्कों को स्वीकार नहीं करता, जिन्हें उन्होंने अपने घोषणापत्रों में व्यक्त किया है। मेरा सोचना है कि अपने सहयोगियों के बारे में उनके हवाले अन्यायपूर्ण और अयोग्यतापूर्ण थे। तिस पर भी मैं उनकी जीत से प्रसन्न हूँ और मौलाना साहब द्वारा नाम वापस लिए जाने पर डॉ. पट्टाभि को अपना नाम वापस न लेने के लिए प्रेरित करने में चूँकि मैं ही निमित्त बना था, इसलिए डॉ. पट्टाभि की हार उनकी हार की अपेक्षा कहीं अधिक मेरी हार है। यदि मैं निश्चित सिद्धांतों व नीतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो मरे होने का कोई मतलब नहीं। लिहाजा, मेरे लिए इसका सीधा-साफ अर्थ यही है कि कांग्रेस प्रतिनिधि उन सिद्धांतों व नीतियों को मजूर नहीं करते, जिन पर मैं खड़ा हूँ। तो भी इस हार से मैं आनंदित हूँ।

यह मुझे उन चीजों में अभ्यास का एक मौका देता है, जिनके बारे में मैंने अपने उस लेख में उपदेश दिया था, जिसे दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पिछली बैठक से अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर मैंने लिखा था। सुभाष बाबू जिनको दक्षिणपंथी कहते हैं, उनकी मजूरी से अध्यक्ष होने के बजाय अब चुनाव लड़कर चुने हुए अध्यक्ष हैं। दरअसल यही चीज उन्हें एक समजातीय कैबिनेट चुनने और अपने कार्यक्रमों को बिना किसी आड़ या बाधा के प्रेरित करने के योग्य बनाती है।

बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच एक चीज समान है— कांग्रेस संगठन की आंतरिक शुद्धता पर जोर। हरिजन में प्रकाशित मेरे लेखा ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस तेजी से एक भ्रष्ट संगठन में तब्दील हो रही है— इस अर्थ में कि इसके रजिस्ट्रों में बड़ी संख्या में फर्जी सदस्य मौजूद हैं। पिछले कई महीनों से मैं इन रजिस्ट्रों के आमूल पडताल की सलाह देता रहा हूँ। अगर यह पडताल हुई होती, तो मुझे कोई शक नहीं कि बहुत से प्रतिनिधि तक चुने ही न जा पाते, जो इन फर्जी वोटों की ताकत से चुने गए हैं।

लेकिन मैं ऐसे किसी कठोर कदम की राय नहीं देता। यदि रजिस्ट्रों को तमाम फर्जी मतदाताओं से शुद्ध कर लिया जाए और ऐसी नासमझियों को भविष्य के लिए असंभव बना दिया जाए, तो यही काफी होगा। कोई वजह नहीं है कि अल्पसंख्यकों का

दिल टूटे। यदि वे कांग्रेस के चालू कार्यक्रमों में विश्वास रखते हैं तो वे पाएंगे कि इस कदम को क्रियान्वित किया जा सकता है— चाहे वे लोग अल्पसंख्यक समुदाय में हो या बहुसंख्यक समुदाय में— और चाहे वे कांग्रेस के भीतर हो या कांग्रेस से बाहर। ससदीय कार्यक्रम ही वह एकमात्र चीज है, जो परिवर्तनों के जरिए प्रभावी हो सकता है।

पिछले बहुसंख्यक समुदाय द्वारा ही मंत्रियों का चुनाव हुआ है और कार्यक्रमों का आकार दिया गया है। लेकिन ससदीय कार्य वस्तुतः कांग्रेस के कार्यक्रमों का एक बंधन छोटा-सा अंश है। इन सबके बावजूद कांग्रेसी मंत्रियों को दिनों-दिन आगे बढ़ना है। उनके लिए इस बात का बहुत कम महत्व है कि या तो उस मुद्दे पर उन्हें वापस बुला लिया जाए जिनके प्रति वे कांग्रेस के साथ एकमत हो या फिर वे त्यागपत्र दे दें क्योंकि वे कांग्रेस में सहमत नहीं हैं।

आखिरकार, सुभाष बाबू अपने देश के शत्रु नहीं हैं। उन्होंने देश के लिए कष्ट सहा है। उनकी राय में उनकी नीतियाँ व कार्यक्रम सर्वाधिक प्रगतिशील और साहसी हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उनकी सफलता की मात्र कामना कर सकते हैं। यदि वे इसके साथ तादात्म्य नहीं स्थापित कर सकते तो उन्हें कांग्रेस से बाहर आना होगा। यदि वे ऐसा कर सकें तो इसके जरिए वे बहुसंख्यक समुदाय में शक्ति का झंझावाट करेंगे। यदि वे सहयोग नहीं कर पाते तो वे अवश्य ही अलग-थलग रहेंगे। सभी कांग्रेसियों को मैं यह जरूर याद दिलाना चाहूँगा कि जो लोग कांग्रेसी मानसिकता का होना के बावजूद इस संगठन से बाहर हैं वही लोग इसका अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जो लोग कांग्रेस में अनुविधा महसूस करते हों वे इससे बाहर आ सकते हैं— किसी रुग्ण भावनावेश नहीं बल्कि पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली सेवा का सकल्प लेकर।

सुभाषचंद्र बोस का पान्चवा वक्तव्य

4 फरवरी 1939

हाल के अर्धसदीय चुनाव के सदर में जारी महात्मा गांधी के वक्तव्य को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है जिसका कि यह पात्र है। यह जानकर मुझे पीडा होती है कि महात्मा गांधी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार के रूप में लिया। इस मुद्दे पर मैं उनसे राय अराहगति व्यक्त करता हूँ। मतदाताओं— अर्थात् प्रतिनिधियों का आह्वान महात्मा गांधी के पक्ष या विपक्ष में मत देने के लिए नहीं किया गया था। नतीजतन मेरे और अधिकतर लोगों के विचार से इस चुनावी भिड़त का परिणाम उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं करता।

पिछले कुछ दिनों के दौरान कांग्रेस के वामपंथी और दक्षिणपंथी खेमों के बारे में अखबारों में बहुत-कुछ कहा जा चुका है। चुनाव के परिणाम को बहुत-से व्यक्तियों ने

वामपथियों की विजय के रूप में आका है। तथ्य यह है कि जनता के समक्ष मैंने दो मुद्दे रखे थे— सघ के विरुद्ध सघर्ष और अध्यक्ष के चुनाव के मामले में प्रतिनिधियों को अपनी पसंद स्वतंत्रतापूर्वक तथा बधनमुक्त तरीके से व्यक्त करने देने की आजादी। इन मुद्दों ने मतदान को काफी हद तक प्रभावित किया और फिर उम्मीदवारों के व्यक्तित्वों ने भी कुछ असर छोड़ा। इन परिस्थितियों में मैं महसूस करता हूँ कि जब हम चुनाव के अभिप्राय का विश्लेषण कर रहे हों, तो हमें न तो कल्पना से काम लेना चाहिए और न इसमें निहित अर्थों से कहीं अधिक अर्थ ढी तलाशना चाहिए।

यह महज तर्क के लिए तर्क है कि चुनाव का परिणाम वामपथियों की जीत का संकेत करता है। हमें इस पर गौर करना भी छोड़ देना चाहिए कि वामपथियों का कार्यक्रम क्या है। निकट भविष्य में वामपथी सघीय योजना के निर्मम विरोध और राष्ट्रीय एकता के अपने इरादे पर अटल हैं। इसी क्रम में यह भी कि ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए अडिग हैं। वामपथी लोग कांग्रेस के भीतर किसी विघटन की जिम्मेदारी नहीं लेते। यदि विघटन होता है, तो यह उनके कारण नहीं, बल्कि उनके बावजूद संभव होगा।

व्यक्तिगत रूप से मैं निश्चय ही इस राय का हूँ कि कांग्रेस के पदाधिकारियों में विघटन का न तो कोई कारण है और न कोई औचित्य। इसलिए मैं उत्साहपूर्वक उम्मीद करता हूँ कि तथाकथित अल्पराष्ट्रियक समुदाय द्वारा तथाकथित बहुसंख्यक समुदाय के साथ असहयोग करने का कोई मौका अभी या निकट भविष्य में सामने नहीं आएगा। मुझे बभुशिकल यह जोड़ने की जरूरत महसूस हो रही है कि जब कभी विघटन की बात हमारे सामने उपस्थित होगी, मैं उसे टालने के लिए अत तक प्रयास करूँगा।

मेरे जैसे तमाम लोग भविष्य में जिस नीति का अनुगमन करेंगे, उसके प्रति कुछ शका बहुतों के मन में रही है। मुझे इसको दिल्कुल स्पष्ट करने दे कि ससदीय या ससद से इतर क्षेत्रों में अतीत से कोई हिंसक टूटन नहीं होगी। जहाँ तक ससदीय कार्यक्रम का मतला है, हम अपनी चुनावी प्रतिज्ञाओं और अतीत की अपेक्षा कहीं अधिक तेज गति से अपने ससदीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास मात्र करेंगे। ससद से इतर क्षेत्रों में हम सघ से भिड़ने और पूर्ण स्वराज के लिए अपने दबाव को बनाए रखने के लिए अपनी सारी शक्ति तथा अपने सारे स्रोतों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे— और हम निश्चय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों व सिद्धांतों के अनुरूप काम करेंगे।

इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सार्वजनिक मतलों पर महात्मा गांधी से असहमति के लिए मैंने कुछ मौका पर अपने-आप को हालांकि विवश महसूस किया है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के प्रति अपने सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। यदि मैंने उन्हें ठीक से समझा है, तो वह भी लोगों को अपने-अपने लिए सौचते देचना चाहेंगे— मले ही उन लोगों की सोच से वह हमेशा सहमत न हों। मैं नहीं जानता कि मेरे बारे में महात्मा गांधी किस तरह की राय रखते हैं, लेकिन उनका विचार चाहे जो भी हो,

उनका विश्वास पाने की कोशिश करना और उसे जीतना मेरा हमेशा ही मकसद होगा—महज इस कारण से कि मेरे लिए यह एक दुःख चीज होगी यदि मैं अन्य तमाम लोगों का विश्वास अर्जित करने में तो सफल हो जाऊँ किंतु भारत के महानतम व्यक्ति का विश्वास जीतने में ही नाकाम रह जाऊँ।

त्रिपुरी भाषण

त्रिपुरी में मार्च 1939 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण

सभापति महोदय प्रतिनिधि भाइयो व बहनो

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मुझे फिर से चुन कर आपने मुझे जो सम्मान दिया है और यहाँ त्रिपुरी में जिस तरह गर्मजोशी से मेरा हार्दिक स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको तहे-दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह सच है कि मैंने अनुरोध पर आपको ऐसे कुछ आडबरो का त्यागना पड़ा जो कि ऐसे मौकों पर सामान्य हैं—लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि ये प्रेरित कदम आप द्वारा किए गए स्वागत की हार्दिकता व गर्मजोशी से कण-मात्र भी दूर नहीं लिया गए और मुझे आशा है कि इस मौके पर की गई इस कटौती पर कोई भी व्यक्ति अफसोस नहीं जाहिर करेगा।

मित्रो इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, मैं महात्मा गांधी के राजकोट मिशन की सफलता और इस सिलसिले में उनके द्वारा किए जा रहे अनशन के स्थगन के प्रति प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करने वाले आपके अहसासों को स्वर देना चाहूँगा। समूचा देश अब प्रसन्नता और अत्यंत राहत महसूस करता है।

मित्रो, यह वर्ष अनेक तरह से असहज और असाधारण होने के प्रति वचनबद्ध है। वक्त के इस दौर में यह अध्यक्षीय चुनाव नीरस किस्म का नहीं था। यह चुनाव भरदार चल्लभभाई पटेल मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में कार्यकारिणी के 15 में से 12 सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने जैसे सनसनीखेज घटनाक्रमों के बाद हुआ। कार्यकारिणी के एक अन्य न्युयोग्य और प्रमुख सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हालांकि औपचारिक रूप में इस्तीफा तो नहीं दिया, परंतु एक ऐसा वक्तव्य जरूर जारी किया जिसने हर किसी को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरी कांग्रेस की पूर्व-संध्या पर राजकोट की घटनाओं ने महात्मा को आमरण अनशन पर जाने के लिए विवश किया। तब अध्यक्ष एक बीमार आदमी के तौर पर त्रिपुरी पहुँचे। इसलिए इस वर्ष के अध्यक्षीय भाषण को अपने

विस्तार के मामले में पूर्व दृष्टांत के प्रस्थान-बिंदु को अपनाया समीचीन होगा।

मित्रो, आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिथि के रूप में मिस से वफ़द का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे बीच आ चुका है। उन सबका स्वागत करने में आप निश्चित ही मेरे साथ शामिल रहेंगे। हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने योग्य पाया और समुद्र के जरिए भारत की यात्रा की। हम खेद हैं कि मिस्र के राजनीतिक सकट ने वफ़द के राष्ट्रपति मुस्तफ़ा-अल-नाहस पाशा को इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्वयं करने की इजाजत नहीं दी। वफ़द पार्टी के अध्यक्ष और प्रमुख नेताओं को जानने का सुख रखते हुए मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अपने तमाम दशवासियों की ओर से मैं एक बार फिर उनका सर्वाधिक आत्मीय और हार्दिक स्वागत करता हूँ।

फरवरी 1938 में जब हम हरिपुरा में मिले थे, उससे बाद से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई अर्थपूर्ण घटनाएँ घटी हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सितंबर 1939 का म्यूनिख समझौता— जिसने पश्चिमी शक्तियों, फ्रांस व ग्रेट ब्रिटेन, की तरफ से नाज़ी जर्मनी के एक अधम आत्मसमर्पण को क्रियान्वित किया। इसके परिणामस्वरूप यूरोप में प्रधान शक्ति होने के लिए फ्रांस ने युद्धबंदी की और बिना किसी गोलामहारी के जर्मनी के हाथों में एक दुरमि-सवि आ गई। हाल के दौर में स्पेन की गणतंत्रिक सरकार का रागै रागै पतन फ़ासिस्ट इटली और नाज़ी जर्मनी की शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि करता-सा प्रतीत होता है। यूरोपीय राजनीति से सोवियत रूस को निकाल बाहर करने के लिए षड्यंत्र करते हुए तथाकथित लोकतांत्रिक शक्तियों— फ्रांस व ग्रेट ब्रिटेन— ने तात्कालिक रूप से स्वयं को इटली और जर्मनी के साथ जोड़ा है। लेकिन यह कितने लंबे समय तक समभव होगा ? इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप, यूरोप में और उसी तरह एशिया में भी बर्तानी और फ़ासीसी साम्राज्यवाद को प्रतिष्ठा व शक्ति दोनों ही मामलों में एक बड़ा धक्का पहुंचा है।

घरेलू राजनीति की ओर आते हुए मैं अपने-आप को अपनी बीमारी की दृष्टि से केवल थोड़ा महत्वपूर्ण समस्याओं के जिक्र के साथ ही शामिल करूंगा। पिछले कुछ समय से जिसमें मैं महसूस करता रहा हूँ, उसी के बारे में मैं सबसे पहले एक स्पष्ट और असदिग्धार्थक इजहार करना चाहूंगा— वह यह कि अब वह समय आ गया है हम स्वराज के मुद्दे को उठाएँ तथा अपनी राष्ट्रीय मांग को एक अल्टीमेटम की शक्ल में ब्रिटिश सरकार के सामने रखें। हमने अतीत में एक लंबे समय तक निष्क्रिय रुख अपनाएँ रखा और सघीय योजना को खुद पर लाद दिए जाने की प्रतीक्षा की। समस्या यह नहीं है कि सघीय योजना कब हमारी गर्दन दबोच ले— बल्कि समस्या तो यह है कि यूरोप में शांति स्थापित होने तक सघीय योजना को यदि सुविधात्मक रूप से कुछ वर्षों के लिए त्याग दिया जाए, तो फिर हमें करना आखिर क्या चाहिए। यूरोप में यदि एक बार शांति

स्थापित हो गई— चाहे वह चारों शक्तियों में समझौते के जरिए हो या फिर किन्हीं अन्य कारणों के जरिए— तो ग्रेट ब्रिटेन निस्संदेह एक अत्यंत मजबूत साम्राज्यवादी नीति अख्तियार कर लेगा। वास्तविकता यह है कि फिलिस्तीन में यहूदियों के खिलाफ अरबों को शांत करने में सच्ची प्रयास करने का किंचित् लक्षण भी वह फिलिहाल महज इसलिए प्रकट कर रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वह अपने-आप को कमजोर महसूस करता है। इसलिए मेरे विचार से अपनी राष्ट्रीय भाग जो अन्टीमेटम के रूप में हमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखना चाहिए और इस बाबत एक निश्चित मोहलत दी जानी चाहिए जिसके भीतर ही उत्तर अपेक्षित हो। इस समयार्थि में यदि कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता अथवा यदि असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होता है तो हमें अपनी राष्ट्रीय भाग पर बल देने के लिए कुछ माय कदम उठाने चाहिए। हम आज ऐसा जिस मान्य कदम को उठाते हैं वह है— व्यापक स्तर पर नागरिक अवज्ञा या सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार आज इस स्थिति में नहीं है कि वह अखिल भारतीय सत्याग्रह जैसे किसी बड़े विरोध का लंबे समय तक सामना कर सके।

मुझे यह जानकर दुःख होता है कि कांग्रेस में ऐसे भी निराशावादी लोग हैं जो यह सोचते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर इतना बड़ा धाया बोलने के लिए समय अभी परिपक्व नहीं हुआ है। लेकिन पूर्णतः यथार्थवादी ढंग से स्थिति को देखते हुए मुझे इस निष्कियता के लिए विचिंत भी आधार नजर नहीं आता। आठ राज्यों में कांग्रेस की सत्ता का साथ ही हमारे राष्ट्रीय संगठन की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ी है। जनादालना ने ब्रिटिश-अधीन समूचे भारत में अपने अग्रसरण का गौरवतब बढ़ावा बनाया है। अब यह आखिरी बात, कि भारतीय राज्यों में सप्रति ऐसी जागरूकता है जिसका कोई पूर्व दृष्टांत नहीं मिलता। स्वराज की दिशा में निर्णायक पहल करने के निस्वत इससे अधिज आखिर और कौन-सा अनुकूल क्षण हम भारतीय इतिहास में पा सकते हैं— खास तौर पर तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हमारे पक्ष में हों। सर्व-मिजाज यथार्थवादी के रूप में कहूँ कि तो मैं कह सकता हूँ, वर्तमान स्थिति की सभी वास्तविकताएं हमारे लिए फिलिहाल इस कदर अत्यधिक लाभकारी हैं कि हमें चरम आशावादी होना चाहिए। यदि हम केवल अपने मतभेदों को मुला दें अपने स्रोतों को एकत्रित करें और राष्ट्रीय स्पर्ध में अपनी समूची शक्ति झोक दें तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने सपथ को हम ऐसा बना सकते हैं कि वह उसका प्रतिरोध भी न कर पाए। क्या हम इस मौजूदा स्थिति का अपने लिए सर्वाधिक अनुकूल बनाने की राजनीतिक समझ दिखाएंगे या फिर एक ऐसे अवसर का खो देंगे, जो किसी भी राष्ट्र के जीवनकाल में यदा-कदा ही आते हैं ?

भारतीय राज्यों में व्याप्त जागरूकता का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। मैं निश्चित रूप से इस राय का हूँ कि हमें सरकार के खिलाफ अपने उत्तम रुख की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए— जो कि हरिपुरा कांग्रेस के प्रस्ताव के जरिए व्याख्यायित हुई थी। जैसा

कि आप जानते हैं, उस प्रस्ताव में कांग्रेस के नाम से सरकार के खिलाफ चल रही गतिविधियों के कुछ स्वरूपों पर प्रतिबंध दर्ज किया गया है। प्रस्ताव के तहत कांग्रेस के नाम से सरकार के खिलाफ न तो कोई ससदीय कार्य किया जाना चाहिए और न कोई सघर्ष ही चलाया जाना चाहिए। लेकिन हरिपुरा अधिवेशन के बाद से काफी-कुछ न्यतीत हो चुका है। आज हम पाते हैं कि अधिकतर स्थानों में राज-प्राधिकारियों के साथ साम्राज्य की सधि है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के हम सरीखे लोगों को क्या राज्यों की जनता के और निकट नहीं जाना चाहिए? आज हमारा कर्तव्य जो है, उस बाबत मेरे मन में कोई सशय नहीं है।

उपरोक्त प्रतिबंध को उठाने के अलावा राज्यों में नागरिक स्वतंत्रता और जिम्मेदार सरकार के लिए जारी लोकप्रिय आंदोलनों के निर्देशन संबंधी कामों को भी कार्यकारिणी द्वारा समन्वित रूप से तथा व्यवस्थित आधार पर चलाया जाना चाहिए। अब तक किए गए काम टुकड़े में हुए हैं और इनके पीछे वनुरिकल ही कोई योजना या व्यवस्था फारगर रही है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब कार्यकारिणी को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए तथा समन्वित व व्यवस्थित ढंग से इसका निर्वाह करना चाहिए— और यदि जरूरी हो तो, इस मकसद से एक विशेष उपसमिति की नियुक्ति करनी चाहिए। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन और सहयोग का पूर्ण इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा राज्यों के अखिल भारतीय जन-सम्मेलन के सहयोग का भी अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

स्वराज की दिशा में अपना निर्णायक पहल बनाने की शीघ्रावश्यकता के बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। उसे पर्याप्त तैयारी की दरकार होगी। सबसे पहले तो हमें उन सब कमजोरियों और भ्रष्टाचारों को निश्चुरतापूर्वक दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे, जो सत्ता के प्रलोभनों के चलते हमारे पदाधिकारियों में व्यापक तौर पर प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद हमें देश में मौजूद सभी साम्राज्यवाद-विरोधी सगठनों— विशेषकर किसान आंदोलनों और श्रमिक सघों— के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखकर काम करना होगा। देश में मौजूद सभी मौलिक तत्वों को आपस में घनिष्ठ सहयोग व एकता के साथ काम करना होगा और साम्राज्यवाद-विरोधी सगठनों का सभी प्रयास निश्चित तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर निर्णायक हमले की दिशा में सबको एक ही केंद्र की ओर उन्मुख करेगा।

मित्रों संप्रति कांग्रेस के भीतर वातावरण में बदली छाई हुई है और असंतोष प्रकट हो चुका है। हमारे बहुत-से मित्र अपने-आप को हताश और हतोत्साहित भी महसूस कर रहे हैं। जो दादल आप आज देखते हैं, वह गुजर जाने वाला है। मुझे अपने देशवासियों की देशभक्ति में पूरी आस्था है और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि शीघ्र ही हम इन कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे तथा अपने पदाधिकारियों के बीच एकता को फिर से कायम रख पाएंगे।

इसी से कुछ मिलती-जुलती रिश्तियाँ 1922 में गया अधिपेशन के वक्त भी उभरी थी जय देशबधू द्वारा और गौतीलाता नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मेरी प्रार्थना है कि मेरे स्वर्गीय गुरु, श्रद्धेय मोतीलालजी तथा भारत के अन्य तमाम सपूतों की आत्मा वर्तमान सकट में हम प्रेरणा दे और महात्मा गांधी- जाँ कि देश-सेवा और मार्गदर्शन के लिए अब भी हमारे साथ हैं- वर्तमान चासदी से कायेस को उबारने के लिए मदद करें।

मेरी विचित्र बीमारी

अप्रैल 1939 के 'वार्डन रिव्यू' में प्रकाशित लेख का संपूर्ण पाठ्य

15 फरवरी, 1939। रोगाव में महात्मा गांधी से मिलने और उनसे लंबी बातचीत करने के बाद शाम करीब 6 बजे मैं वर्धा लाया। रात में कुछ मित्र मुझसे मिलने आए और चूँकि अन्य कोई महत्वपूर्ण व फौरी काम अब करना नहीं था। लिडाजा हमलोगों ने गप-शप की। मैंने स्वयं को कुछ अस्वस्थ महसूस करना शुरू किया इसलिए उन लोगों की मौजूदगी में ही मैंने अपना तापमान मापा। वह 94.4 डिग्री था। बहरहाल, मैंने इसी गंभीरता से नहीं लिया।

अगली सुबह 16 फरवरी को मुझे वर्धा से कलकत्ता जाना था। सुबह ताजगी महसूस करने की बजाय मैंने रूढ़ को अस्वस्थ ही महसूस किया। मैंने सोचा कि वह पिछली रात नांद में पड़े व्यथान का असर है। वर्धा और नागपुर स्टेशनों पर बड़ी सख्या में मित्रगण मुझसे मिलने आए और अपने बारे में सोचने की मुझे कतई फुर्सत नहीं मिली। ट्रेन ने जब नागपुर स्टेशन छोड़ दिया जब मुझे आभास हुआ कि मैं दुरी तरह से अस्वस्थ हूँ। उस समय जब मैंने अपना तापमान मापा तो वह 101 डिग्री था। इसलिए मैं सीधे बिस्तर पर जाकर पढ़ रहा।

कुछ घण्टों बाद एक एंग्लो-इंडियन सज्जन मेरे क्वार्टरमेंट में आए। मैंने उनकी उपस्थिति का स्वागत नहीं किया— स्वास्तकर तब जबकि मैंने कयास किया कि कलकत्ता तक सारे रास्ते वह साथ-साथ सफर करेंगे— क्योंकि मैं अपने दुखार के कारण बिल्कुल ही अकेला रहना चाहता था। लेकिन कोई चारा नहीं था, उन्होंने भी उतना ही अधिकार जताया, जितना कि मैं रखता था। थोड़ी देर बाद उन्होंने अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा और विनयपूर्ण स्वर में पूछा 'परेशानी क्या है? आप बुझे-बुझे से लग रहे हैं।' मैंने उत्तर दिया कि मैं स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा हूँ और मुझे दुखार भी है। तब उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपको पसीना आ रहा है। आपको निश्चित ही इन्फ्लूएजा है।'

दिन-भर और रात-भर में अपनी बर्ध पर लेटा ही रहा और पूरे समय मुझे पसीना

आता रहा। बार-बार मैं उनके शब्दों पर चिंतन करता रहा, 'आप बुझे-बुझे-से लगते हैं।' आखिर कैसे मैं इतना बुरा लग सका? मेरे चेहरे की अभिव्यक्ति हमेशा ऐसी रही है कि लबी बीमारी से उठने के बावजूद मैं बमुश्किल ही बुरा लगता था। इसके बावजूद महज एक दिन की बीमारी ही मुझे इतत कदर नीचे कैसे गिरा सकी? मैं उलझन में था।

अगली सुबह मैं चुस्त-दुरुस्त दिखने के दृढ़ निश्चय के साथ जागा। मैं बाथरूम गया हाथ-पाव धोया दाढ़ी बनाई और जैसा एक दिन पहले था उससे कुछ बेहतर दिखते हुए मैंने यह सब किया। मेरे सहयात्री ने सहानुभूतिपूर्वक मुझसे पूछा कि मैं अब कैसा महसूस कर रहा हूँ और मेरा उत्तर सुनने के बाद उन्होंने टिप्पणी की 'हा, आज सुबह आप बेहतर लगा रहे हैं। कल तो आप पूरी तरह बुझे-बुझे से लग रहे थे।'

स्टेशन से मे घर गया सिर्फ इसलिए कि कुछ मित्र वहाँ मुझसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथ पार्तालाप को मैंने किचित् परिश्रम से व्यवस्थित किया, लेकिन पूर्वाह्न 11 बजते-बजते तक मैंने स्नय को थका हुआ महसूस किया। मैंने उनसे विदा ली और आराम करने गया। मुझे तब बिस्तर पर जाना पड़ा— उस बिस्तर पर, जिससे कि कई सप्ताहों तक मैं घिपक-सा गया।

डॉक्टर बुलाए गए। एक गहरी पड़ताल के बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया और मामले की गंभीरता का आभास दिया। तब पैथालाजिस्ट को बुलाया गया और उसने व्यावहारिक जांच के लिए रक्त आदि का नमूना लिया। बाद में अन्य डॉक्टरों को बुलाया गया, जिनमें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रथम चिकित्सक डॉ. नीलरतन सरकार भी शामिल थे। जब डॉक्टरगण मेरी बीमारी के बारे में चिंतित महसूस कर रहे थे और इस बीमारी का किस तरह मुकाबला किया जा सकता है इस बाबत अपने दिमाग पर जोर दे रहे थे— उस समय मैं अपनी सार्वजनिक व्यस्तताओं में ही अधिक सलग्न था। 18 और 19 फरवरी को मुझे बिहार के हाजीपुर व मुजफ्फरपुर में आहूत जन-कार्यक्रमों में भाग लेना था तथा 22 फरवरी को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। वर्धा से मैं 22 फरवरी को ही कलकत्ता लौटा था और उसी शाम मुझे पटना के लिए रवाना हो जाना था। मेरा पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम क्या यथावत है और क्या मैं अब भी उस पर कायम हूँ— इस बाबत पता करने के लिए बिहार से कई पत्र और टेलीफोन-संदेश आए। यह बताते हुए भी कि यद्यपि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, मैंने उन्हें स्वीकारात्मक उत्तर ही दिया कि किसी भी कीमत पर मैं पहुँचूंगा जरूर। मैं चाहता था कि वे लोग सभी जुलूमो-प्रदर्शनों को स्थगित कर दें और मेरे कार्यक्रम को जहाँ तक संभव हो, हल्का-फुल्का बना दें। उस शाम (17 फरवरी) को डॉक्टरगण जो कुछ कह रहे थे उसकी परवाह न करते हुए मैंने घर पर अपने लागा से कहा कि हाजीपुर जाने के लिए मैं रात तक ट्रेन द्वारा पटना के लिए रवाना हो जाऊंगा— क्योंकि 18 व 19 फरवरी को अपने कार्यक्रमों में भाग लेना मैंने तय कर लिया था। चिकित्सकीय सलाह सुनकर उससे प्रभावित होने की बजाय मैंने उसे

उलट दिया था कि मैंने जरूर रवाना होऊंगा भले ही मुझे 105 डिग्री बुखार क्यों न हो। उसके बाद मैंने अपना टिकट खरीदने जाने और बर्थ आरक्षित किए जाने का निर्देश दिया।

लेकिन जैसे-जैसे घंटे बीतते गए मेरा तापमान ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। सबसे बुरा तो यह था कि विदारक मिरदर्द ने मुझे जकड़ रखा था। जब मेरे रवाना होने का समय आया, तो हालांकि सब कुछ तैयार था मगर मैं अपना सिर उठा तक नहीं सका। अपनी कुदृष्ट बेचारी पर मुझे बेहद दुःख हुआ और मैंने अपना निश्चय तब त्याग दिया। मुझे अत्यंत उद्विग्नतापूर्वक यह तार भेजना पड़ा कि आज रात रवाना होना मेरे लिए गुमाकिन नहीं— लेकिन अगली रात रवाना होने के लिए मैं हर सम्भव काशिश करूंगा। अगले दिन भी मेरी हालत कतई बेहतर नहीं थी वस्तुतः वह और भी बिगड़ गई थी। इससे भी अधिक यह कि 17 तारीख को मेरे रवाना न हो सकने के कारण सारा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गया था। इसलिए मुजफ्फरपुर यात्रा को भी पूरी तरह से त्यागना पड़ा। इस अपत्याशित घटना की वजह से गहन पश्चात्ताप को कोई और चीज व्याख्यायित नहीं कर सकती।

हालांकि 18 फरवरी के बाद मुजफ्फरपुर मेरे कार्यक्रम से बाहर हो चुका था लेकिन मेरा मन सामान्य नहीं हो पाया। मैं कार्यकारिणी की वर्धा बैठक के लिए गोजना बनानी शुरू कर दी। डॉक्टरों ने मुझे बारबार इस यात्रा आगाह करना शुरू कर दिया कि मेरा वर्धा जाना असंभव है। यदि मे कार्यकारिणी की बैठक में जाने का अपना इरादा छोड़ दूँ और अपने मन को स्वास्थ्य अर्जित करने पर केंद्रित करूँ, तो मैं त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लेने लायक हो सकता था— अन्यथा त्रिपुरी अधिवेशन को भी छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन ये सभी चेतावनियाँ किसी बहरे व्यक्ति से कहने सरीखी थीं। चिकित्सकीय परामर्श के बावजूद मेरी तैयारियाँ जारी थीं और मिनो को धन्यवाद कि 22 फरवरी को या उसका आस-पास की तिथियों को मुझ नागपुर ले जाने के लिए एक हवाई जहाज की व्यवस्था हो गई थी।

21 तारीख को मैंने धीरे-धीरे यह जाना किया कि डॉक्टर सही थे और यह कतई नामुमकिन है कि मैं वर्धा जाऊँ— घाहे ट्रेन से या हवाई जहाज से। मैंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल को तार द्वारा इस आशय की सूचना दी तथा त्रिपुरी अधिवेशन तक के लिए कार्यकारिणी की बैठक को स्थगित करने का सुझाव दिया। उस समय तक मुझे इसका धुंधला-सा भी ख्याल नहीं था कि कार्यकारिणी के (तेरह में से) बारह सदस्य लगभग तुरंत ही इस्तीफा दे देंगे।

अधिक खलबली तो उपरोक्त दोनों तारों पर स्वामी रंभो द्वारा पैदा की गई और आरोपित यह किया गया कि मैं कार्यकारिणी को नियमित कार्यवाहियों के निराह की भी इजाजत नहीं देता। इस तरह का आरोप पूरी तरह से निराधार है। पहली बात तो गद्दी है कि उन तारों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह ध्वनित होता हो कि मैं नहीं चाहता

कि कार्यकारिणी अपनी नियमित कार्यवाहियों का निर्वाह करे। मेरा सरोकार तो अधिवेशन के लिए प्रस्ताव के उस मसौदे से था, जिसे कार्यकारिणी ने अपने वार्षिक पूर्ण सत्र की पूर्व-संध्या पर सामान्य रूप से तैयार किया था। दूसरी बात यह कि स्थगन की बाबत अपना सुझाव देने के बाद सरदार पटेल को प्रेषित अपने तार में मैंने उनसे अन्य सदस्यों की राय जानने और उसके बारे में मुझे तार द्वारा खबर देने का अनुरोध किया था। मेरे तारों का उत्तर था— कार्यकारिणी के बारह सदस्यों का त्यागपत्र। यदि इन सदस्यों ने त्रिपुरी अधिवेशन के लिए प्रस्तावों का प्रारूप मेरी अनुपस्थिति में तैयार किए जाने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैं उस बाबत निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जहां तक कार्यवाहियों के निर्वाह का मसला है, कार्यकारिणी के अन्य सदस्य यदि स्थगन के बारे में राजी नहीं थे अथवा उन्हें उस बारे में कोई सदेह था— जो कि मेरा वास्तविक तात्पर्य था— तो वे मुझे बड़ी आसानी से टेलीफोन या तार करके खबर कर सकते थे। नियमित कार्यवाहियों के निर्वहन पर मुझे रती-भर भी आपत्ति नहीं थी। यदि उन्होंने मुझसे पूछ-भर होता, तो जैसा कि अन्य तथा अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में पहले भी उन्होंने पाया था— इस बारे में मेरी ओर से इस बाबत कोई आपत्ति नहीं होती, यदि वे उन्हें मेरी अनुपस्थिति में ही जारी रखने पर राजी थे। मेरी एकमात्र चिंता तो बस अधिवेशन के लिए कार्यकारिणी द्वारा तैयार प्रस्ताव के ऐसे मसौदे को लेकर थी, जिस पर सभी सदस्य राजी होते— अन्यथा खतरा यह था कि जब प्रस्ताव का 'आधिकारिक' मसौदा विषय-समिति के समक्ष लाया जाता तो कार्यकारिणी के सदस्य विभिन्न मार्गों से घेराबंदी कर लेते। इस मतैक्य को हासिल करने के लिए ही मेरी उपस्थिति तब आवश्यक थी जब कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जा रहा हो। इसीलिए मैंने त्रिपुरी अधिवेशन तक के लिए कार्यकारिणी की बैठक को स्थगित रखने का सुझाव दिया था। यदि कार्यकारिणी के (लेख में से) बारह सदस्यों ने अपने इस्तीफों के रूप में बम-बिस्फोट न किया होता, तो मेरा यह सुझाव सचमुच बहुत अच्छी तरह काम करता।

21 फरवरी को मैंने सरदार पटेल को जो तार भेजा था, वह निम्नवत् है
 सरदार पटेल, बर्धा

कृपया महात्मा गांधी को प्रेषित मेरे तार को देखें। मैं खेदपूर्वक महसूस करता हूँ कि कार्यकारिणी की बैठक को अधिवेशन तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। कृपया सहयोगियों से विचार-विमर्श करें और उनकी राय से मुझको तार द्वारा अवगत कराए — सुभाष।

विषयांतर के लिए क्षमा। यह कोई 'राजनीतिक' लेख नहीं है और जब मैंने इसे लिखना शुरू किया था कि मैं अपनी 'विचित्र बीमारी' के बारे में ही लिखूंगा और इसे व्याख्यायित करूंगा कि आखिर क्यों मैंने इस बीमारी को 'विचित्र' कहा। मैं अपनी

कड़ानी अब जारी रखेगा।

मैं आशाओं के विपरीत उम्मीद कर रहा था कि 21 फरवरी की शाम तक मैं कार्यकारिणी की वर्धा बैठक में भाग लेने लायक हो जाऊंगा या कम-से-कम 22 फरवरी को तो त्रिपुराई जहाज से वहाँ के लिए रवाना हो ही जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर उल्टे नितित नहीं थे। उनके लिए वर्धा तो मसले से बाहर था ही उनकी निगाह तो बस त्रिपुरी पर टिकी हुई थी। उनका एकमात्र प्रयास मेरे स्वास्थ्य को अगले कुछ दिनों के भीतर ही इस दशा तक बेहतर बनाना था कि मैं कम से कम त्रिपुरी कांग्रेस के लिए जा सकूँ। मेरे नीलरतन सरकार की मेडिकल बुलटिन में तो त्रिपुरी कांग्रेस के लिए मेरी यात्रा तक की मनाही कर दी गई थी लेकिन मैंने अपने डॉक्टरों पर जोर डाला और तनस बहस की— और आखिरकार उनसे साफ-साफ पट। तक कहा कि मैं चाहें जितने भी समय तक जीवित रहूँ, किंतु मैं त्रिपुरी अधिवेशन से दूर नहीं रह सकता— खासकर ऐसे समय में तो सर्जिच नहीं, जब देश अपने इतिहास में इतने सकटपूर्ण दौर से गुजर रहा हो। मैं आभारपूर्वक स्वीकार करता हूँ कि त्रिपुरी अधिवेशन में मुझ भाग लेने लायक बनाने के लिए उन्होंने वह सब-कुछ किया जिसे कर पाना मनुष्य के नाते उनके लिए समभव था।

पाच सप्ताह की अपनी बीमारी पर घापझ खाते हुए मैं एक घीन जख्म स्वीकार करूँगा कि शुरू से ही मैंने अपनी बीमारी को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, जितना कि डॉक्टरों ने। वस्तुतः मेरा सोचना था कि डॉक्टर लोग बेवजह ही आगाह करने रहते हैं— और इसलिए मैंने उन्हें उतना सहयोग नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। दूसरी ओर, मेरे पास गना करने के लिए एक खरा बहाना भी है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर पूर्णतः आराम करना मेरे लिए कतई मुमकिन नहीं था। सर्वाधिक सकटपूर्ण क्षणों में मैं बीमार हो जाता हूँ। कार्यकारिणी के सदस्यों के इस्तीफों में मकट को और गंभीर बना दिया। मुझ पर हमला करते हुए बयान-दर-बयान जारी किए जा रहे थे। ये 'निर्मातम' आघात उस खम की ओर जाए थे जहाँ मैं इनके आने की बहुत कम उम्मीद थी। कांग्रेस के महासचिव ने भी इस्तीफा दे दिया लिहाजा अखिर भारतीय कांग्रेस जम्हटी द्वारा लिख भेजी गई कार्यवाही में मुझे बलात् भाग लेना पड़ा। जहाँ तक साक्षात्कारों का मतलब है, मैं उन कांग्रेसजनों से मुलाकात को मना नहीं कर सका, जो कांग्रेस की कार्यवाहियों के बारे में कांग्रेस के अध्यक्ष से वर्धा के लिए दूर-दराज से आए थे— जबकि सभी स्थानीय मित्रों व मुलाकातियों से भेंट करना मैंने साफ तौर पर नामजूर कर दिया था। इनके और अन्य तमाम कारणों के चलते मैं अपनी सर्वोत्तम आकांक्षाओं के बावजूद शारीरिक और मानसिक आराम की बाबत अपने डॉक्टरों की राताहट पर अमल न कर सका। यहाँ मैं एक प्राणिक दृष्टि से दना चाहूँगा। मेरे खिलाफ जब बयान-दर-बयान जारी किए जा रहे थे, तब मेरी छुपी का गलत अर्थ लगाया जा रहा था और मेरे मित्रों में मतभेद थे— यहाँ तक कि दूर-दराज के प्रांतों में कुछ इस किस्म का बयान जारी करने

के लिए मुझ पर जोर डालना भी शुरू कर दिया था, जिससे कि मेरे खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपो का कम-से-कम सामना तो किया जा सके। बीमारी के कारण आई अपनी काहिली के बाद एक दोपहर मैंने अपना मन बनाया कि मैं तत्काल अपना वक्तव्य तैयार कर डालू। बइरहाल, यह आसान मसला नहीं था। मेरे खिलाफ आरोप आखिर थे क्या— इसे समझने के क्रम में मुझे पहले उन तमाम वक्तव्यों को गभीरता से पढ़ने पर अत्यधिक श्रम करना था, जो तब तक सामने आ चुके थे। ऐसा करने के बाद ही मैं अपना वक्तव्य लिखवा सका। टाइप काफी का मैंने काफी देर तक अध्ययन किया और फिर जब उसे प्रेस में जारी करने का निर्देश दिया, तो उस समय तक आधी रात हो चुकी थी। तब मेरा तापमान मापा गया और वह 103 डिग्री था। इससे पहले मेरे आम हालत में किंचित सुधार था और पिछले दो दिनों से मेरा शाम का तापमान 101 डिग्री से बढ़ने नहीं पाया था। इसलिए डॉक्टरों ने मेरी तदियत के फिर से बिगड़ने की बाबत दुख व्यक्त किया, जो कि उनकी दृष्टि में स्वस्थ होने से पहले ही मेरे जान-बूझकर किए गए मानसिक श्रम के चतते था— लेकिन मैं विवश था, क्योंकि परिस्थितियों ने मुझे काम करने के लिए मजबूर कर दिया था।

अपनी कठिनाइयों के मर्म की चर्चा अब मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जो कुछ हुआ, उस बाबत मैं इसी के जरिए बेहतर तौर से स्पष्ट कर पाऊंगा। 17 फरवरी को वर्धा से वापस आने के बाद जब मैं कलकत्ता में बीमार पड़ गया था, तब स्वार्थी लोगों द्वारा व्यापक तौर पर यह प्रचारित किया गया कि मेरी बीमारी दरअसल 'फर्जी' है और 22 फरवरी को कांग्रेस कार्यकारिणी की आहूत बैठक टालने के लिए ही अपने इस राजनीतिक बुखार का मैं इस्तेमाल कर रहा हू। विभिन्न प्रांतों में मौजूद मेरे मित्रों द्वारा यह खबर मुझ तक पहुंचाई गई थी और इसकी प्रामाणिकता में कोई शक नहीं। यहा तक कि सर नीलरतन सरकार द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन भी उन लोगों पर कोई असर नहीं डाल सकी, जो जान-बूझकर दुर्भावनापूर्ण रूप से उपरोक्त झूठा प्रचार कर रहे थे। जबलपुर और त्रिपुरी में भी ऐसा ही प्रचार किया जा रहा था। 6 मार्च को साय करीब 4 बजे जब मैं जबलपुर पहुंचा तो उस समय मेरा तापमान 101 डिग्री था। जब मैं एक एबुलेस के जरिए त्रिपुरी स्थित अपने शिविर पर पहुंचा, तो मेरा तापमान बढ़कर 103 डिग्री हो गया था। त्रिपुरी पहुंचने पर स्वागत समिति के डॉक्टरों ने मुझे देखा। मेरी जांच करने के बाद उनमें से एक ने दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और एकबारगी यह मुझे विचित्र लगा। कुछ दिनों बाद सारा किस्सा मेरी समझ में आ गया। त्रिपुरी में हर किसी ने मुझसे कहा कि मैं वास्तव में बीमार नहीं हू और इस प्रचार ने डॉक्टरों को भी प्रभावित कर लिया था। मेरे आने के बाद जब उन्होंने मेरी जांच की और कहा कि मैं गभीर रूप से बीमार हू, तो उन्हें आश्चर्य हुआ और तब उस झूठे व दुर्भावनापूर्ण रूप से किए जा रहे प्रचार के प्रति उन्होंने रोष व्यक्त किया। त्रिपुरी में मौजूद स्वार्थी लोगों ने उन डॉक्टरों द्वारा जारी

मेडिकल बुलेटिनो पर फिर भी विश्वास नहीं किया इससे उन डॉक्टरों के रोष में स्वभावतः इजाजा हुआ। उदाहरणार्थ, कार्यकारिणी के एक महत्वपूर्ण पूर्व सदस्य ने स्वागत समिति के डॉक्टर से एक दिन पूछा कि क्या मेरा तापमान वास्तव में 102 डिग्री था और क्या शय्य उसने (डॉक्टर ने) यह तापमान मापा है। अनेक निष्पक्ष सूत्रों से मुझ तक जो सूचनाएँ पहुँची हैं वे ये थीं कि सर्वोच्च वर्गों ने श्री मेशी बीमारी पर विश्वास नहीं किया जा रहा था। एक दिन निपट उनेजनावगन स्वागत समिति के डॉक्टरों ने एक ऐसे मेडिकल बोर्ड को बुला मेजा जिसमें सयुक्त प्रांत व बेरार के सिविल अस्पताल के महानिरीक्षक तथा जबलपुर के सिविल सर्जन भी शामिल थे। उनका सयुक्त वक्तव्य जारी होने के बाद वातावरण में कुछ तब्दीली आई। लेकिन इन उच्चाधिकारियों के वक्तव्य का परिणाम यह हुआ कि अधिवेशन के खुले सत्र में मर भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दी गई। पूर्ण सत्र में भाग लेने की खातिर इजाजत पाने के लिए मैं स्वागत समिति के डॉक्टरों को तो किसी प्रकार बहला-फुसला सकता था, मगर अधिकारियों के साथ ऐसा करना संभव नहीं था— क्योंकि वे काफी चतुर थे। अपना वक्तव्य जारी करने से पूर्व भी उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनकी राय पर भरोसा करूँगा और क्या मैं उनकी सलाह मानूँगा। जाहिर है कि मुझे सकारात्मक उत्तर देना पड़ा और ऐसा कहकर मैं बंध गया— क्योंकि जब मैंने (प्रकाशतर से) कह ही दिया था कि अधिवेशन के खुले सत्र में भाग नहीं ले सकूँगा। स्वागत समिति द्वारा मेरे लिए की गई व्यवस्थाएँ बिल्कुल सतोषजनक थीं और शारीरिक नजरिए से मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं मिला। लेकिन उपरोक्त तथा अन्य कारणों के चलते त्रिपुरी का नैतिक वातावरण एक हद तक मिचली पैदा करने वाला हो गया था। कांग्रेस के किसी पूर्ण अधिवेशन में मुझे ऐसा तजुर्बा पटल कभी नहीं हुआ था।

17 फरवरी से मुझे प्राप्त होने वाले पत्रों तारों आदि का न सिर्फ पढ़ा जाना ही टिलचस्प है बल्कि उन्होंने अपने नियमित विस्तार का भी ढेर लगा दिया है। हर दिन वे बरस पड़ते हैं— और कबना पत्र व तार ही नहीं आते, बल्कि ऐसे पार्सल व पैकेट भी आते हैं, जिनमें हर तरह की दवाइयाँ और हर प्रकार के नुस्खों का ताबीज भी होते हैं। इन पत्र-लेखकों और वस्तु-प्रेषकों का मैंने जब विश्लेषण किया, तो पाया कि इनमें प्रत्येक धार्मिक पथों का प्रतिनिधित्व है। न केवल प्रत्येक धार्मिक पथों का बल्कि प्रत्येक चिकित्सा-पद्धति (यदि मैं ठीक शब्द का इस्तेमाल करूँ तो सभी पैथी) और दोनों ही लिंगों के लोगों का भी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि— ऐलोपैथ, होम्योपैथ, वैद्य हकीम, प्राकृतिक चिकित्सक ज्योतिषी आदि—महिलाएँ व पुरुष सभी मुझे पत्र लिखते रहे, अपने सुझाव देते रहे तथा कभी-कभी तो दवाइयाँ और ताबीज भी भेजते रहे। जाहिर है कि उनकी सदाशयता के लिए उन्हें धन्यवाद देना और पत्र लिखना मेरे लिए फिलहाल संभव नहीं। जब मुझसे कोई उत्तर उनकी नहीं मिलता, तो कभी-कभी वे एक से अधिक

बार भी पत्र लिखते हैं। फिलहाल, मैं इन सब नुस्खों का क्या करूँ ? पहली चीज जो मुझे करनी चाहिए वह यह कि इन्हें अपने डॉक्टरों को सौंप दूँ, क्योंकि वे ही उनके उपयोग का सर्वश्रेष्ठ फँसला कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में डॉक्टरगण भेजे गए नुस्खों व दवाइयों के किसी इस्तेमाल के प्रति अनिच्छुक ही रहते हैं। यह उनकी ओर से अशोभनीय है या मेरी ओर से ? मुझे इसमें साश्चर्य सदेह है।

दवाओं और नुस्खों के अलावा, मुझे बड़ी सख्या में पत्र तथा कुछ अलग तरह के पार्सल भी प्राप्त होते रहे हैं। ज्योतिषियों और साधुओं की ओर से मुझे ताबीज और आशीर्वाद भेजे जाते हैं। कतिपय मदिरों और उपासना-स्थलों में मेरे स्वास्थ्य-मंगल हेतु प्रार्थनाएं आयोजित करने के बाद अनेक अज्ञात शुभचिंतक और सहानुभूति रखने वाले लोग भी मुझे आशीर्वाद पुष्प प्रेषित करते हैं। प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार इन आशीर्वादी पुष्पों, पत्तों, आहुति-भस्मों (या निर्माल्य) आदि को आदरपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है तथा उसे कुछ क्षणों के लिए सिर के ऊपर रखना या माथे से लगाना पड़ता है। लेकिन महिलाएं कुछ आगे भी निकल जाती हैं। इस क्रिया-कर्म के पूरा हो जाने के बाद भी वे (महिलाएं) उन्हें फेंकने के प्रति अनिच्छुक रहती हैं— परिणामस्वरूप ऐसे तमाम पैकेट व ताबीज मेरे तकिए के नीचे पाए जा सकते हैं और उनकी तादाद में इजाफा भी होता जा रहा है। मैं निजी तौर पर अत्यंत विवेकशील मानसिकता का हूँ, किंतु मैं दूसरों के अहसासों और भावनाओं का सम्मान भी करता हूँ— गले ही उनसे सहमत न होऊँ।

इसलिए मैं मन ही मन इन नुस्खों, दवाओं, ताबीजों, पुष्पों, आहुति-भस्मों आदि का वास्तविक मूल्य तौलने लग जाता हूँ। यह जानकर मेरा मन भर आया कि ये सब चीजें व्यापक भारतीय समुदाय के हर वर्ग से तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर कोने से आई हैं। जब मैंने पाया कि मेरे पास शुभचिंतकों और सहानुभूति रखने वालों का इतना व्यापक समुदाग है, तो उसने मेरी आंखों में अनुग्रहीत होने के आसू ला दिए। कुछ पत्र-लेखक अपने लिए शायद किसी किस्म का विज्ञापन भी चाहते थे, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि अधिसंख्य लोगों ने मेरे कष्ट के प्रति अपने आत्मीय अहसासों व भावनाओं के चलते ही ऐसा किया। उन नुस्खों या दवाओं या ताबीजों का शायद कोई वस्तुगत मूल्य नहीं है, लेकिन उनके पीछे सहानुभूति का जो वास्तविक अहसास और प्यार छिपा है, वे मेरे लिए निर्वंध मूल्य तथा गहन अभिप्राय रखते हैं। मुझे कतई सदेह नहीं कि ये सद्विच्छाएं मेरे स्वास्थ्य-लाभ में मुझे अत्यंत मदद करेंगी— किसी-भी निष्प्राण दवा और ज्योतिषीय ताबीज से भी कहीं अधिक बढ़कर। उनके चिकित्साकीय परामर्शों या दवाओं या ताबीजों का भले ही मैं कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर भी मैं उनकी उन सद्विच्छाओं को आभारपूर्वक स्वीकार करता हूँ, जिनमें भेजने वालों की हादिकता प्रेषित है।

त्रिपुरी में नैतिक रूप से मिथली पैदा करने वाले वातावरण के कारण मैंने घृणित राजनीति के प्रति ऐसी अनिच्छा व अरुचि से भरकर वह स्थान छोड़ा, जैसी कि पिछले

उन्नीस वर्षों के दौरान कभी महसूस नहीं की थी। चूंकि मैं जामदोबा ने रोग-शेय्या पर फेंक दिया गया था, लिहाजा मैंने दिन-रात अपने-आप से बार-बार यह प्रश्न पूछा कि हमारे सार्वजनिक जीवन का तब होगा आखिर क्या, जब उच्चतम दायरो में ही इतनी अधिक निर्दयता और बदला लेने की भावना मौजूद हो ? मेरे विचार स्वभाविक तौर पर उस ओर मुड़ गए, जो कि जीवन में मेरा पहला आकर्षण था— हिमालय की सनातन पुकार। यदि हमारी राजनीति का लक्ष्य यही है— मैंने अपने-आप से पूछा— तो फिर मैं उस चीज से क्या भटक जाऊ, जिसे कि अरविंद घोष ने 'दिव्य जीवन' कहा है ? मेरे लिए क्या अब वह समय आ गया है कि मैं माया का पर्दा तार-तार कर दू और अपने कुल आकर्षण का केंद्र बनी पहाड़ी चोटियों की ओर चल चलू ? मेरे इस नैतिक सशय और अनिश्चय में कई-कई दिन और कई-कई रातें बीत गईं। हिमालय की पुकार मुझे हर समय प्रेरित करती रही। अपने मन में छाए अधकार के लिए मैंने प्रकाश की प्रार्थना की। तब मुझमें हौले-से एक नए बोध का सूर्योदय हुआ और मैंने अपने मानसिक सतुलन के साथ-साथ मनुष्य-मात्र तथा अपने देशवासियों में अपनी आस्था को पुनर्प्राप्त करना शुरू किया। आखिरकार त्रिपुरी ही तो भारत नहीं था। एक और भी भारत था, जो कि इन पत्रों, नुस्खों, दवाओं, ताबीजों पुष्पों आदि के जरिए दिव्यतापूर्वक प्रकट हुआ था। भारत के प्रति मेरी जो शिकायतें थीं, क्या वे वास्तविक भारत के प्रति थीं ? मुझे तब यह बात फिर कौंधी कि त्रिपुरी में भी तो दुनिया थी। निर्दयता और बदला लेने की यह भावना, जिसको मैंने महसूस किया था, वस्तुतः त्रिपुरी का एक हिस्सा भ० था। दूसरा हिस्सा क्या था ? क्या इस दूसरे हिस्से के प्रति मैं कोई शिकायत कर सकता था ? फिर जो कुछ मैंने त्रिपुरी में महसूस किया उसके बदले क्या मैं मनुष्य-मात्र में ही अपनी आधारभूत आस्था को खो सकता था ? मनुष्य-मात्र में अनास्था वस्तुतः उसकी दिव्यता में— उसके अस्तित्व-मात्र में अनास्था थी। इसलिए धीरे-धीरे मेरे सारे सशय साफ हो गए और मैंने अपने सामान्य और स्वस्थ आशावाद को फिर से प्राप्त कर लिया था। अपने होने की स्वभाविकता को फिर से हासिल करने में इन नुस्खों, दवाओं ताबीजों पुष्पों आदि ने मुझे महान सहायता प्रदान की।

मैंने शारीरिक रूप से अत्यंत कष्ट भुगता हूँ और तमाम रोगों का भी मुझे तजुर्बा हासिल हुआ है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि रोग-निदान के लिए पाठ्य-पुरतका में बर्णित तमाम उपायों को आजमा लिया है। घर पर, विदेश में और जेल में भी मैं बीमार पड़ चुका हूँ। दरअसल, मैं अक्सर विडबनाओं को लक्ष्य मार रहा हूँ। लेकिन अपने कुल जीवन में मुझे एक महीने तक लगातार जारी रहने वाली ऐसी किसी तीक्ष्ण और केंद्रीभूत शारीरिक व्याधि का कभी तजुर्बा नहीं हुआ था, जैसा कि 17 फरवरी 1939 से हुआ है। देशक मैंने कारागार में बहुत कष्ट सहें हैं, किंतु वे कष्ट अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि तक पसरे हुए थे। इस समय मुझे क्या हुआ ? पिछले महीने के प्रथम हिस्से में मैं अपेक्षाकृत अधिक

हृष्ट-पुष्ट दिखना रहा। क्यों और किस तरह मैं अचानक इतना बीमार पड़ा ? संभवतः अकले डाक्टरों को ही इसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए किंतु एक व्यक्ति— स्वयं मरीज— को भी क्या इसका उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए ?

डॉक्टरों के सामने तमाम चिकित्सकीय जाच-रिपोर्टों का ढेर है। तिस पर भी उन्होंने बार-बार मेरी जाच की। मरीज के साथ उनका हालांकि उतना संवाद नहीं होता था, जितना कि उस रोग के साथ, जिससे कि मरीज पीड़ित है— मगर मैं क्यास करना हू कि मेरी मौजूदा व्याधि शायद लीवर और अतडी-संबंधी जटिलताओं की कोई देन है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि रक्तचाप असामान्य रूप से कम है। इससे भी अधिक यह है कि प्रतिरोधक शक्ति भी— जैसा कि मल आदि के जाचों से जाहिर है— बहुत कम है तथा कमजोरी भी अत्यधिक है। सक्रमण से लड़ने और सामान्य स्थिति की पुनर्प्राप्ति के लिए पर्याप्त शक्ति में भी कमी है। क्या यह स्पष्टीकरण यथेष्ट और पर्याप्त है ? मुझे पता नहीं।

मेरी जीवनीशक्ति, जो कि किन्हीं कारणों से फिलहाल अत्यधिक कम है, उसके बारे में किसी स्पष्टीकरण से परे मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है कि चिकित्सकीय तथा अन्य तरह के सभी परीक्षणों ने इसे मेरी लदी खिची बीमारी और शारीरिक व्याधि के असली कारण के तौर पर जाहिर किया है। बीमार पड़ने के कुछ दिनों बाद से ही मैंने विभिन्न क्षेत्रों से प्रेषित उन तारों व पत्रों को प्राप्त करना शुरू कर दिया, जिनमें मेरी व्याधि की प्रकृति के बारे में सुझाव दिए गए थे। उनमें से कुछ तारों में सुझाया गया था कि मुझे जहर दिया गया है। मेरे डाक्टर पहली बार तो इस पर चौंक ही पड़े। बाद में उन्होंने इस मामले पर गौर किया, लेकिन इस धारणा के पक्ष में उन्हें चिकित्सा-संबंधी कोई भी निर्दिष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका।

कुछ दिनों बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर मुझसे मिलने आए। वह संस्कृत साहित्य के विकट अध्येता और विलक्षण प्रतिभा के ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें मेरा पूरा परिवार बहुत मान-सम्मान देता है। हम लोगों तक वह एक सदश लेकर आए थे। एक अच्छी-खासी तापद में पड़ितो व ज्योतिषियों ने जापस में मिलकर मेरी बीमारी पर चर्चा की थी। इन लोगों में वह स्वयं भी शामिल थे। वे सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मेरी विधिव और जटिल बीमारी सामान्य कारणों के चलते नहीं हो सकती। उनका विचार था कि देश के किसी हिस्से में कोई वह सब कुछ कर रहा है, जिसे तंत्र-शास्त्र में 'मारण क्रिया'— अर्थात् तांत्रिक पद्धति या इच्छाशक्ति के जरिए हत्या का प्रयास— कहा जाता है। हर कोई इस षड्यंत्र से चौंक पड़ा था। तांत्रिक मनोप्रक्रियाओं के अनुरूप असामान्य इच्छाशक्ति के सचेष्ट रहने की सभावना पर विरवास किए बिना भी क्या सन् 1939 जैसे प्रगतिशील दौर में मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि जैसी मन क्रियाएं मुमकिन हैं ? जो प्रोफेसर मुझसे मिलने आए थे, उनका मानना था कि ऐसी प्रक्रियाएं हालांकि अब दुर्लभ

ही है किन्तु तिस पर भी वह दृढमत थे कि वे की जा सकती हैं। उनका कहना था कि मेरी शक्ति के कारण ही इस मारण क्रिया ने हालांकि कोई दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम नहीं व्यक्त किया मगर मेरे स्वास्थ्य को उसने जरूर क्षतिग्रस्त कर दिया। अतः मेरे उहोने मुझे कुछ सुझाव दिए कि किस तरह मुझे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए।

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस बार्ताताप ने मुझे जरा भी प्रभावित नहीं किया, लेकिन तिस पर भी इसने मुझमें एक विलक्षण अहसास जरूर जगाया। मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्नचिह्न की गहरी छाप पड़ गई थी। कोई अन्य व्यक्ति यदि इस ढंग की बात करता, तो उसे फिफिक् सौज्यता के साथ बेशक खारिज भी किया जा सकता था लेकिन एक सज्जन व्यक्ति जिनकी इमानदारी अरादिग्ध चरित्र निर्दोष तथा विद्वता गहन हो और जिसे राजनीति से भी कोई तोना-देना न हो, उसे गौर से सुनना ही पडा— भले ही उसकी बातों को गभीरता से न लिया जाए।

लगभग इसी समय—यानी त्रिपुरी से मरे रवाना होने से कुछ दिनों पहले—बड़ी तादाद में मित्रों ने भी मुझ पर इसके लिए दबाव डालना शुरू किया कि अपने स्वास्थ्य में सुधार के शिलसिले में सहायता के लिए मैं कुछ ताबीज पहनूँ। मेरे विवेकशील मानस ने प्रथमतः तो इससे बगावत की किन्तु बाद में कमजोरी के क्षणों में मैं राजी हो गया। मैंने एक जाड़ी अगूठी और चार ताबीजों को पहनना स्वीकार किया। ये चीजें मैंने महज उन्हीं मित्रों की भोर से स्वीकार कीं जिन्हें मैं जानता था और जो किसी पशेदर मफसद से ऐसा नहीं करते थे। जिन लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता था उनसे ताबीज लेना मजूर नहीं किया—हालांकि ऐसे ताबीज बड़ी सख्या में थे। उन सबको पहनना स्वयं को ताबीज-प्रदर्शनी में परिवर्तित करने जैसा होता। त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान रबरथ रहने के प्रति मैं इतना चिंतित था कि अपने-आप को मने समझा लिया था कि इन ताबीजों के इस्तेमाल ने अगर मैं अपने स्वास्थ्य होने का पाघ प्रतिशत मोका भी पा सकूँ, तो मुझे आखिर इस खोना क्यों चाहिए ? इसलिए मैंने अपनी आत्यंतिक विवेकशीलता से रामझौता कर लिया, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन जैसे ही बीता, मैंने अपने-आप को इन दो अगूठियों और चार ताबीजों से मुक्त कर दिया— आर अब मेरी विवेकशीलता सुरक्षित है तथा मैं अब प्रकृति व अपने भाग्य पर विश्वास कर सकता हूँ।

मेरी बीमारी की बावत कुछ ऐसी निश्चित चीजें भी हैं जिनके बारे में कम-से-कम कोई आम आदमी तो हिसाब नहीं ही लगा सकता। कोई नियमितता या आधिक्यता नहीं रहती है। कुछ दिनों से मेरे शरीर का तापमान दोपहर के समय बढ़ना शुरू होता साथ लगभग 6 बजे वह अपने चरम पर पहुंचता और तब धीरे-धीरे कम होता। अगली सुबह वह सामान्य होता। तापमान का बढ़ना असहनीय सरदर्द के साथ-साथ होता जो कि चार-पाच घंटे तक बर्फ के निरंतर प्रयोग के बाद ही शांत हो पाता। देहद परीना निकलने

के बाद शक्ति निचुड़-सी जाती और पूरी तरह खिन्नता छा जाती। तब यह क्रम अचानक बदल जाता। एक ओर तो बुखार बिना किसी ढील के दिन-रात बना रहता और दूसरी ओर उसमें अत्यधिक बढ़त होती। लक्षण कभी मलेरिया का, तो कभी आंतों के बुखार का, तो कभी किसी और तरफ सकेत देते।

लेकिन निदान-सबधी जाच हर समय नकारात्मक ही ठहरते। यदि एक दिन बुखार 104 डिग्री तक चढ़ जाता, तो दूसरे दिन वह सामान्य दशा तक उतर जाता और बुखार के स्थाई तौर पर उतर जाने की लोगो को उम्मीदें बंध जाती। बुखार की स्वेच्छाचारिता और लक्षणों की विभिन्नता डॉक्टरों और आम लोगो दोनों को ही व्यग्र कर देती। अत्यधिक कमजोरी और शिथिलता भी एक रहस्य बनी हुई है, जो मुझे जकड़े हुए थी। यहा तक कि मैं आज भी ऐसा नहीं सोचता कि मेरी तद्वियत वास्तव में जितनी खराब है, उसका आधा दिखता है।

पिछले पाघ या उससे अधिक हफ्तों के दौरान हालाकि मैं काफी हद तक बाहरी दुनिया से अलग-थलग रहा हू, किंतु दूसरे अर्थों में इसके साथ निकट संपर्क में भी रहा हू। उन लोगो ने, जिनका कि राजनीति से कोई संबंध नहीं है और जिन्हे मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता तक नहीं, देश के दूर-दराज कोने में बसे उन लोगो ने— गहा तक कि कट्टरपथी पंडितों ने भी— मेरी बीमारी में मेरे प्रति जिस उत्कठा और सहानुभूति का प्रदर्शन किया, उसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने खुद से अक्सर पूछा है— 'वह कौन-सा बंधन है, जो हमें बांधता है ? मेरे लिए उनमें अहसास क्यों जागा ? उनका ऐसा प्यार पाने लायक किया क्या है मैंने ?' इन प्रश्नों के उत्तर उन्हीं के द्वारा दिए जा सकते हैं।

एक चीज, जो मैं जानता हूँ— वह है भारत, जिसके लिए कोई व्यक्ति श्रम करता और कष्ट सहता है। वह भारत ही है, जिसके लिए कोई व्यक्ति अपना जीवन तक न्यौछापर कर देता है। यही है वह वास्तविक भारत, जिसमें कोई व्यक्ति अमर आस्था रख सकता है। त्रिपुरी क्या कहता या करता है— इससे कोई मतलब नहीं।

जामदोबा

डीलगुडा पोस्ट ऑफिस

जिला—मानमूमि

कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र पर जारी वक्तव्य

कलकत्ता में 29 अप्रैल, 1939 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में दिया गया वक्तव्य

मित्रो,

नई कार्यकारिणी के गठन से संबंधित उस प्रस्ताव से आप सब अलग हैं, जिसे त्रिपुरी अधिवेशन में पारित किया गया था। प्रस्ताव इस प्रकार था

अध्यक्षीय चुनाव के सिलसिले में और उसके बाद उठे विवादों के चलते कांग्रेस तथा देश में तमाम तरह की जो गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं, उनके मद्देनजर वाछनीय है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए तथा अपनी आम नीति की घोषणा करनी चाहिए।

कांग्रेस की उन आधारभूत नीतियों के प्रति कमेटी अपना दृढ़ लगाव घोषित करती है, जिन्होंने महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन के तहत पिछले कई वर्षों से उसके कार्यक्रमों को संचालित किया है और कमेटी का यह निश्चित मत है कि इन नीतियों का सातत्य भंग नहीं होना चाहिए तथा भविष्य में भी कांग्रेस के कार्यक्रमों के संचालन के लिए उनको जारी रहना चाहिए।

कमेटी उस कार्यकारिणी में अपना विश्वास व्यक्त करती है, जो पिछले वर्ष के दौरान कार्यरत थी और उसके सदस्यों में से किसी के भी खिलाफ जो निंदा की जाती रही, उसके प्रति खेद व्यक्त करती है।

इस शीघ्रनीय स्थिति के मद्देनजर, जो आगामी वर्ष के दौरान और भी बिगड़ सकती है तथा इस वास्तविकता के मद्देनजर कि ऐसे संकट के दौरान अकेले महात्मा गांधी ही कांग्रेस का नेतृत्व करने और देश को उबारने में समर्थ हैं, कमेटी अनिवार्य रूप से यह मानती है कि कांग्रेस कार्यकारिणी को उनका अखंड विश्वास अर्जित करना चाहिए और वह अध्यक्ष से गांधीजी की इच्छा के अनुरूप ही कार्यकारिणी को नामजद करने का अनुरोध करती है।

मुझे अत्यंत खेद है कि त्रिपुरी अधिवेशन के समय से ही मैं नई कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा करने में असमर्थ रहा हूँ। लेकिन यह उन परिस्थितियों के कारण हुआ, जो मेरे काबू से बाहर रही हैं।

अपनी बीमारी के कारण मैं महात्मा गांधी से भेट न कर सका। इसके बदले मैंने उनके साथ पत्र-व्यवहार प्रारंभ किया। इसने हम लोगों को अपने विचारों और दृष्टिकोणों को तो स्पष्ट करने में समर्थ जरूर बनाया, परंतु हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। मैंने जब यह महसूस किया कि पत्र-व्यवहार बेअसर सिद्ध हुए हैं, तब मैंने दिल्ली में महात्माजी से मिलने का सीधा प्रयास करना चाहा— मगर वह प्रयास भी विफल हो गया।

कलकत्ता में महात्माजी के आने के बाद हम लोगों ने लंबी वार्ताएं कीं, किंतु दुर्भाग्यवश वे भी समाधान तक नहीं पहुंचे। महात्माजी का सुझाव तो मुझे यह था कि पिछली कार्यकारिणी से इस्तीफा देने वाले सदस्यों को छोड़कर मुझे कार्यकारिणी का स्वयं गठन करना चाहिए।

मैं इस सुझाव पर अनेक कारणों से अमल नहीं कर सकता। जिन प्रमुख कारणों को मैं कह सका, उनमें से दो का उल्लेख करू, तो यह कि ऐसा कदम पतंजी के उरा प्रस्ताव में प्रदत्त निर्देशों के विपरीत होता, जो अन्य चीजों के बीच एक तो इसका प्रावधान करता है कि कार्यकारिणी को गांधीजी की इच्छा के अनुरूप ही बनाया जाना चाहिए और दूसरे यह भी कि उस कार्यकारिणी को महात्मा गांधी का शकारहित विश्वास अधिकृत करना चाहिए।

यदि मैं ऐसी किसी समिति का गठन करता— जैसा कि मुझे ऊपर सुझाया गया था— तो मैं यह कहने में समर्थ न हो पाता कि कमेटी को उनका अखंड विश्वास प्राप्त है। इससे भी बढ़कर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत और विदेश में हमारे समक्ष फिलहाल जो सन्नटपूर्ण दौर है, उसके मददेनजर हमें एक मिला-जुला कबीना ही बनाना चाहिए, जिसे कांग्रेसजनों का अधिकतम तादाद में विश्वास हासिल हो और कांग्रेसजनों की महासभा का संयोजन भी जिससे प्रतिबिंबित हो।

चूंकि मैं महात्माजी के सुझाव पर अमल नहीं कर सका लिहाजा मैं अपने इस अनुरोध की पुनरावृत्ति मात्र कर पाया कि उन्हें उस जिम्मेदारी को खुद वहन करने में अपना कंधा देने को कृपापूर्वक तैयार होना चाहिए, जिसे त्रिपुरी अधिवेशन ने उनमें विहित किया है और साथ ही कार्यकारिणी को भी उन्हें ही नामजद करना चाहिए। चूंकि पतंजी के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना मेरा दृढ़ निश्चय था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि जैसी भी कार्यकारिणी वह नियुक्त करेगी, वह मुझे अनिवार्य रूप से मान्य होगी। हमारे दुर्भाग्यवश, महात्मा गांधी ने कार्यकारिणी को नामजद करने में अपनी असमर्थता जाहिर की।

अंतिम कदम के रूप में मैं यह कहना चाहूँगा कि उपरोक्त समस्या के अनौपचारिक समाधान तक पहुँचने के लिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। महात्माजी ने मुझसे कहा कि पूर्व कार्यकारिणी के सभी सदस्य और मैं स्वयं अपने विचारों को इकट्ठा कर सकते हैं और इस तरह हम किसी रागझीते पर पहुँच सकते हैं। मैं इससे सहमत हुआ और हमने इसके लिए प्रयास भी किया।

यदि हम किसी निष्कर्ष तक पहुँचने में सफल हुए होते, तब हम अपने अनौपचारिक समझौते के औपचारिक दृढीकरण के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष आते। इस मसले पर चर्चा में हालांकि हमने अनेक घंटे खर्च किए, मगर दुर्भाग्यवश हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकें। इसलिए मुझे गहरे खेद के साथ आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि नई कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा करने में मैं असमर्थ रहा हूँ। मैं इस पर गभीरता से चिंतन करता रहा हूँ कि इस समस्या के समाधान में मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की क्या-कुछ सहायता कर सकता था, जो कि सक्रमण बला में बतौर अध्यक्ष मरी उपस्थिति से उनकी राह में सम्भवतः एक तरह की रुकावट या विकलांगता ला सकती है— उदाहरणार्थ कार्यकारिणी को नियुक्त करने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्वयं को प्रवृत्त महसूस कर सकती है जिसमें कि मैं अनुपयुक्त होऊँगा।

मैं यह भी महसूस करता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए इस मसले का निपटारा करना तब शायद और भी आसान हो सकता है, यदि उसके पास एक नया अध्यक्ष हो। इसलिए, परिपक्व निश्चय के बाद और पूर्णतः सहयोगी भावना से मरकर मैं आपके हाथों में अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

ऐसा समय बहुत कम रहा है जिसे मैं अपनी मर्जी से उपयोग में ला पाता तथापि मैंने एक संक्षिप्त बक्तव्य तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बक्तव्य मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करने में सफल होगा। मित्रों अब मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस सदन की कार्यवाहियों को संचालित करने के लिए आप नए सभापति का चुनाव करें।

नेताजी को उनके त्यागपत्र पर रवींद्रनाथ टैगोर का संदेश

सर्वाधिक उत्तेजक स्थिति के बीच भी जिस गरिमा और धैर्यशीलता का आपने पदर्शन किया उसने मेरी प्रशंसा और आपके नेतृत्व में विश्वास को जीत लिया

है। अपने निजी आत्मसम्मान की खातिर बगाल को ऐसी ही परिपूर्ण मर्यादा अब भी अक्षुण्ण बनाए रखनी है और इसी के जरिए अपनी प्रत्यक्ष-भासित पराजय को स्थाई विजय में परिवर्तित करने में आपको सहायता मिलेगी।

प्रमुख राजनीतिक पत्राचार

बोस-जिन्ना पत्र-व्यवहार
(मई-दिसंबर, 1938)

एम ए जिन्ना को

14 मई, 1938 को कांग्रेस-अध्यक्ष द्वारा श्री एम ए जिन्ना को दिया गया पत्रक

गोपनीय

कांग्रेस-अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री जिन्ना के बीच बातचीत के दौरान श्री जिन्ना ने सुझाव दिया कि जो भी समझौता होगा वह कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की स्थिति की साफ समझ के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि बातचीत निम्नलिखित बिंदुओं पर होनी चाहिए

हिंदुस्तानी मुसलमानों के आधिकारिक तथा प्रतिनिधि संगठन के रूप में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा हिंदू नजरिए के मुख्य आधार के आधिकारिक तथा प्रतिनिधि संगठन के रूप में कांग्रेस ये दोनों बड़े समुदाय अपने बीच संधि के जरिए तथा हिंदू-मुसलमान समस्या पर समझौते के लिए निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हैं।

फिर बाद में सौच-विचार के बाद उन्होंने कुछ भिन्न सुझाव दिए जो निम्नलिखित हैं कांग्रेस तथा हिंदुस्तान के मुसलमानों के आधिकारिक तथा प्रतिनिधि संगठन के रूप में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग संधि के जरिए हिंदू-मुसलमान समझौते की निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हैं।

यद्यपि पहले की अपेक्षा दूसरा वक्तव्य छोटा है, फिर भी पहले दिए गए वक्तव्य के भाव को ही स्पष्टतया रूपायित करता है— यानी कांग्रेस को हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए तथा मुस्लिम लीग को मुसलमानों का।

समस्त कांग्रेस स्वयं को किसी खास समुदाय का प्रतिनिधि नहीं मान सकती और

न ही उसके अनुरूप काम ही कर सकती है— यद्यपि यह खास समुदाय हिंदुस्तान का बहुमत वाला समुदाय हो सकता है। अपरिहार्य तौर पर इसके दरवाजे सभी समुदायों के लिए खुले रहने चाहिए और इसे अपनी आम नीति तथा तरीकों से सहमत होने वाले सभी भारतीयों का स्वागत करना चाहिए। यह किसी एक समुदाय के प्रतिनिधित्व और इस तरह स्वयं के लिए एक सांप्रदायिक संगठन बन जाने की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती। साथ ही, कांग्रेस अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संगठनों के साथ पूर्णतः विचार-विमर्श तथा सहयोग की भी इच्छा रखती है।

यह स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पूरे देश में अल्पसंख्यक होते हुए भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं तथा हिंदुस्तान को प्रभावित करने वाली किसी भी योजना में उनकी इच्छाओं तथा आशाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह भी सच है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग वजन रखने वाले मुसलमान नजरिए के बड़े हिस्से का प्रतिनिधि संगठन है। इसलिए लीग के दृष्टिकोण को समझने तथा एक आपसी समझदारी विकसित करने का कांग्रेस प्रयत्न करेगी। इसके बावजूद कांग्रेस अतीत में अपने साथ काम कर चुके अन्य मौजूदा मुसलमान संगठनों से सलाह-मशविरों के लिए माध्य होगी। इसके बाद भी यदि अन्य समूह या अल्पसंख्यक हित का कोई मामला आता है, तो ऐसे हितों के प्रतिनिधियों से बातचीत करना जरूरी होगा।

जिन्ना को

26. मैरीन ड्राइव बंबई

15 मई, 1938

प्रिय श्री जिन्ना,

पिछली रात मैंने अपनी स्थिति को साफ करते हुए एक पत्रक आपको दिया था। आपने मुझसे पूछा था कि वे कौन से रचनात्मक प्रस्ताव हैं, जो हमें तैयार करने हैं। मैं सोचता हूँ कि वह पत्रक स्वतः स्पष्ट है। आपके सुझाव पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की जानकारी देने के बाद मेरी समझ से अब अगले कदम की तरफ बढ़ना ही बचता है— यानी ऐसी प्रतिनिधि समिति की नियुक्ति, जो समझौते की शर्तों को संयुक्त रूप से तय करे।

सद्भावना सहित आपका,

सुभाषचंद्र बोस

जिना की ओर से

लिटिल गिब्स रोड
मालाबार हिल, बंबई
16 मई, 1938

प्रिय श्री बोस

14 मई को काग्रेस की तरफ से मुझे भेजा गया आपका पत्रक मिल चुका है और 15 मई, 1938 को लिखा गया आपका पत्र भी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्यकारी परिषद तथा कार्यसमिति की जून के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में यह मामला रखा जाएगा और जितना जल्द संभव हो मैं निर्णय से आपको अवगत कराऊंगा।

सदभावना सहित आपका
एम एम जिना

जिना की ओर से

6 जून, 1938

प्रिय श्री बोस

15 मई को जारी आपके पत्र तथा काग्रेस की तरफ से मुझे दिए गए आपके पत्रक पर अपने वायदे के मुताबिक मैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्यकारी परिषद के निर्विरोध निर्णय को इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

सदभावना सहित आपका,
एम ए जिना

प्रस्ताव स 1

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्यकारी परिषद ने काग्रेस की तरफ से अध्यक्ष श्री सुभाष बोस द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री जिना को 14 मई को भेज गए पत्रक तथा 15 मई को जारी उनके पत्र पर विचार किया है। परिषद के लिए मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान का मुसलमानों के आधिकारिक तथा प्रतिनिधि संगठन मानने के आधार के अतिरिक्त हिंदू-मुसलमान समझौते के मसले के सवाल पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लिए काग्रेस से बातचीत कर पाना या कोई हल निकालना संभव नहीं है।

प्रस्ताव सं 2

22 मई, 1938 को जारी श्री गांधी के पत्र पर भी परिषद् ने विचार किया है और उसकी राय में प्रस्तावित समिति के सदस्यों में ऐसे किसी मुसलमान को शामिल करना संभव नहीं, जिसकी नियुक्ति कांग्रेस करे।

प्रस्ताव सं 3

कार्यकारी परिषद् अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की घोषित नीति को स्पष्ट करना चाहती है कि अन्य सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों को सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि उनके बीच सुरक्षा-बोध कायम किया जा सके तथा उनके पिशवास को जीता जा सके। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों से तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य दूसरे हित-समूहों से राय-मशविरे के लिए तैयार रहेगी।

जिन्ना को

निम्नलिखित तार 21 जून 1938 को कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा श्री जिन्ना को भेजा गया

कल लौटा। पत्र मिला। धन्यवाद। पापती सूचना में देरी के लिए खेद है—सुभाष बोस।

जिन्ना को

38/2 एलिन रोड, कलकत्ता
27 जून, 1938

प्रिय श्री जिन्ना,

मुस्लिम लीग की कार्यकारी परिषद् के प्रस्तावों को स्पष्ट करते हुए इसी महीने की 6 तारीख का लिखा आपका पत्र समय से कलकत्ता पहुंच गया था, लेकिन मैं यात्रा पर था, इसलिए इस महीने की 20 तारीख को हुई यापसी से पहले उन्हें नहीं देख सका। मैंने आपके पत्र के मिलने की सूचना आपको अगले दिन ही तार द्वारा दे दी थी।

9 जुलाई को वर्धा में कांग्रेस की कार्यसमिति बैठक करेगी। आपका पत्र और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव समिति के सामने रखे जाएंगे और उसके बाद मैं इसके निर्णय से जितना जल्दी हो सके, अवगत कराऊंगा।

शुभकामनाएं।

सद्भावना सहित आपका,
सुभाषचंद्र बोस

जिन्ना को

वर्धा

25 जुलाई, 1938

प्रिय श्री जिन्ना,

6 जून, 1938 को लिखे आपके पत्र के साथ सलग्न मुस्लिम लीग की परिषद् के प्रस्ताव के सदरम में कार्यसमिति इस पर हर सभ्य ध्यान दे चुकी है। लीग-परिषद् का पहला प्रस्ताव लीग के महत्व को परिभाषित करता है। यदि इसका अर्थ यह है कि संप्रदाय के मवाल पर समझौते की शर्तों पर विचारार्थ किसी समिति के गठन से पूर्व ही प्रस्ताव में परिभाषित महत्व को कांग्रेस को स्वीकृति दे देनी चाहिए तो यह निश्चित ही कठिन है। यद्यपि प्रस्ताव में 'सिर्फ विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, पर प्रस्ताव की भाषा से विशेषण की मौजूदगी समझ में आ जाती है। कार्यसमिति को पहले ही लीग को विशेष महत्व देने के खिलाफ चेतावनी मिल चुकी है। मुसलमानों के ऐसे भी कई संगठन हैं, जो मुस्लिम लीग से स्वतंत्र रहकर सक्रिय हैं। उनमें से कुछेक कांग्रेस के निष्ठावान समर्थक भी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मुसलमान व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेसी हैं जिनमें से कुछ लोग देश में महत्वपूर्ण अंतर भी रखते हैं। फिर सीमांत प्रांत भी हैं, जहां मुसलमान बहुतायत में हैं और मजबूती से कांग्रेस के साथ हैं। आप देखेंगे कि इन तथ्यों की रोशनी में कांग्रेस के लिए लीग-परिषद् के पहले प्रस्ताव को स्वीकार करना असंभव ही नहीं, बल्कि अनुचित भी है। सुझाव यह है कि संगठनों के महत्व की कोई भी व्याख्या उन पर टोक नहीं बैठती। यह किसी खास संगठन के सेवाभाव की निजी निष्ठा से तय होती है। इसलिए कार्यसमिति आशा करती है कि लीग-परिषद् कांग्रेस से असंभव को क्रियान्वित करने के लिए नहीं कहेगी। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि लीग के साथ कांग्रेस दोस्ताना संबंध रखने तथा काफी विवादास्पद हो चुके हिंदू-मुसलमान समस्या पर सम्मानजनक समझदारी स्थापित करने की इच्छा ही नहीं रखती, बल्कि उत्सुक भी है? इस मौके पर शायद कांग्रेस का दावा सही है। यद्यपि यह स्वीकार किया जा चुका है कि कांग्रेस की विभिन्न पंजाबियों में दर्ज लोगों में अधिकांश हिंदू ही हैं, फिर भी कांग्रेस में मुसलमान तथा विभिन्न मतों में विश्वास रखनेवाले अन्य समुदायों के सदस्यों की संख्या भी अच्छी-खासी है। हिंदुरतान को अपना घर मानने वाले सभी समुदायों, सभी जातियों, सभी नस्लों तथा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की अद्वैत परंपरा रही है। इसके गठन के समय से ही प्रतिष्ठित मुसलमान इसके अध्यक्ष तथा महासचिव रहे हैं, जिनमें कांग्रेस और देश का अद्वैत विश्वास निहित था। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जिम्मेदार मत में किसी कांग्रेसी का पालन-पोषण हुआ है, यद्यपि वह उसमें विश्वास रख सकता है, लेकिन इस मताग्रह के आधार पर कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं बनता है। वह कांग्रेस के बाहर या भीतर कांग्रेस के राजनीतिक सिद्धांतों तथा नीतियों की स्वीकृति के आधार पर है। इसलिए कांग्रेस किसी भी तरह सांप्रदायिक संगठन नहीं है।

सच तो यह है कि इसने सांप्रदायिक भावना के खिलाफ हमेशा ही राघर्ष किया है, क्योंकि यह भावना पवित्र और निष्कलक राष्ट्रीयता की प्रगति के लिए हानिकारक है।

लेकिन जब कांग्रेस दावा करती है और कमोबेश सफलता के साथ अपने दावे को पूरा करने की बात कर भी चुकी है, तो यदि आपकी परिषद् कांग्रेस के साथ समझ बना पाए, ताकि हम राष्ट्रीय भाईचारा कायम कर पाए तथा अपनी साझी नियति की अनुभूति के लिए लगनपूर्वक काम कर सकें, तो कार्यसमिति को प्रसन्नता होगी।

परिषद् के दूसरे प्रस्ताव के सदर्थ में मुझे डर है कि इसने व्यक्त इच्छा के अनुसार चलना कार्यसमिति के लिए संभव नहीं है।

तीसरे प्रस्ताव को समझने में कार्यसमिति असमर्थ है। जहां तक कार्यसमिति का विचार है, सिर्फ मुस्लिम-हितों को पूरा करने तथा इसकी सदस्यता भी सिर्फ मुसलमानों को मुहैया करवाने की दृष्टि से मुस्लिम लीग पूर्णतः एक सांप्रदायिक संगठन है। यह हिंदू-मुसलमान समस्या पर कांग्रेस के साथ समझौता चाहती है, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले मसलों पर समझौता नहीं चाहती है। जहां तक कांग्रेस की बात है, यदि अन्य अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रति कोई शिकायत रखते हैं, तो यह उनके साथ विचार-विमर्श के लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि कांग्रेस अपने सविधान में जाति और संप्रदाय में भेद किए बिना पूरे हिंदुस्तान की प्रतिनिधि होने के कारण ऐसा करने के लिए बाध्य है।

अपने पूर्वानुमान से मैं आशा करता हूँ कि समझौते तक पहुंचने के लिए हमारी बातचीत में नया मोड़ लाना हमारे लिए संभव होगा।

एक सुझाव है— जैसा कि पूर्व पत्राचार पहले ही प्रकाशित हो चुका है— जनता को विश्वास में लेना और हमारे बीच के पत्राचारों को प्रकाशित करना अच्छा होगा। यदि आप सहमत हो तो इन दस्तावेजों को शीघ्र ही प्रकाशन के लिए जारी कर दिया जाएगा।

सदभावना सहित आपका,
सुभाषचंद्र बोस

जिज्ञा की ओर से

मालाबार हिल, बंबई
2 अगस्त 1938

प्रिय श्री बोस

25 जुलाई, 1938 के आपके पत्र को मैंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्यकारी परिषद् के सामने रखा।

कार्यकारी परिषद् ने आपके तर्का पर समुचित ध्यान दिया और गभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया, जिममे प्रस्ताव न 1 में व्यक्त महत्व के दावे पर जोर न देने के लिए कहा गया है। मे बताना चाहता हू कि महत्व को परिभाषित करते हुए स्वीकृति के लिए परिषद् किसी मशा से प्रेरित नहीं थी पर सिर्फ एक स्वीकृत तथ्य को ही व्यक्त किया था।

परिषद् पूर्णतः स्वीकार करती है कि गुरिस्ताम तीग हिंदुस्तान के मुसलमानों का आधिकारिक तथा प्रतिनिधि संगठन है। इस स्थिति को 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस-लीग समझौते में भी स्वीकार किया गया था और तब से 1935 में हुए जिन्ना-राजेंद्र पसाद वार्तालाप तक इस पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया गया। इसलिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को न तो कांग्रेस से किसी स्वीकृति या पहचान की आवश्यकता है और न इस बंबई में कार्यकारी परिषद् के प्रस्ताव से। लेकिन तथ्यों की रोशनी में लीग के महत्व-वास्तव में इसके अस्तित्व-पर ही कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके ही एक वक्तव्य में प्रश्नचिन्ह लगाया गया था जिसमें उन्होंने जार दिया था कि देश में सिर्फ दो दल हैं- अंग्रेज सरकार तथा कांग्रेस। कार्यकारी परिषद् द्वारा इन्हीं आधार पर कांग्रेस को सूचना देना अपरयुक्त समझा गया ताकि इन दो संगठनों की बातचीत आगे बढ़ सके।

हिंदू-मुसलमान समस्या के समाधान की खातिर बातचीत में शामिल होने के लिए कांग्रेस ही मुस्लिम लीग के पास गयी थी। इस महत्वपूर्ण तथ्य के अतिरिक्त इसने लीग के आधिकारिक और प्रतिनिधि चरित्र तथा इसी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से समझौता करने के अधिकार या पूर्वानुमान कर लिया था।

परिषद् इस तथ्य से परिचित है कि एन डब्ल्यू एफ पी में कांग्रेस गठजोड़ से बनी सरकार है तथा अन्य प्रांतों में भी कांग्रेस संगठन में कुछ मुसलमान हैं। लेकिन परिषद् का यह दृष्टिकोण है कि कांग्रेस के ये मुसलमान अपनी सख्या नगण्य होने के नाते हिंदुस्तान के मुसलमानों का न तो प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही कर सकते हैं। कांग्रेस का सदस्य होने के नाते वे मुसलमान समुदाय की तरफ से प्रतिनिधित्व करने या बोलने के लिए अयोग्य बन चुके हैं। ऐसा न भी हो लेकिन राष्ट्रीय चरित्र के बारे में आपके पत्र में किया गया कांग्रेस का पूरा दावा धराशायी हो जाएगा। आपके पत्र में उल्लिखित लेकिन बेनाम अन्य मुसलमान संगठनों के सदस्यों में परिषद् सोचती है कि यदि उनके बारे में चर्चा नहीं हुई होती, तो अधिक उचित होता। यदि वे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से सामूहिक या व्यक्तिगत तौर पर बोलने की स्थिति में रहते तो हिंदू मुसलमान समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम लीग के साथ बातचीत कांग्रेस-अध्यक्ष तथा श्री गांधी के जरिए नहीं शुरू हुई होती।

जहाँ तक मुस्लिम लीग की ओर है वह यह नहीं समझती कि किसी मुस्लिम

राजनीतिक संगठन ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से अब तक बोलने या बातचीत कर सकने का दावा किया है। इसलिए यदि आपने इस सिलसिले में अन्य मुस्लिम संगठनों को भी पत्र लिखा है, तो यह बहुत ही अफसोसनाक है।

परिषद् भी समान रूप से 'काफी विवादास्पद हो चुके हिंदू-मुसलमान समस्या' का समाधान निकालने और इस तरह सारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मजबूती देने के प्रति उत्सुक है। लेकिन यह सूचना पीडादायक है कि मुद्दे को ढकने तथा बातचीत की प्रगति को धीमा करने के लिए उपयुक्त तर्क दिए जा रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिषद् यह बताना चाहती है कि कांग्रेस द्वारा गठित की जाने वाली समिति में मुसलमानों के प्रवेश को वह अवाछनीय मानती है, क्योंकि यह समिति हिंदू-मुसलमान समस्या के निराकरण के लिए बैठक बुलाएगी और इस तरह इस मुद्दे की प्रकृति के कारण वह न तो हिंदुओं का विश्वास जीत पाएगी और न ही मुसलमानों का बलिष्ठ वास्तव में उसकी स्थिति काफी हास्यास्पद हो जाएगी। इसलिए परिषद् उपरोक्त बातों की रोशनी में इस समस्या पर विचार करने का अनुरोध करती है।

तीसरे प्रस्ताव के सदर्थ में 15 मई, 1938 के आपके पत्र में अन्य अल्पसंख्यकों की चर्चा के मद्देनजर अपनी घोषित नीति के समर्थन में जब कभी आवश्यक हुआ, तो मुस्लिम लीग ने उनसे विचार-विमर्श के लिए इच्छा जाहिर की। प्रकाशन के लिए पत्राचारों को जारी करने की आपकी इच्छा के सबध में परिषद् को उनके साथ इस पत्र के भी प्रकाशन में कोई आपत्ति नहीं है।

सद्भावना सहित आपका
एम ए जिन्ना

जिन्ना को

38/2 एलिन रोड, कलकत्ता
16 अगस्त, 1938

प्रिय श्री जिन्ना,

2 अगस्त, 1938 के आपके पत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके जवाब में हुई देरी के लिए खेद है। मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे कांग्रेस कार्यसमिति के सामने सितंबर में होने वाली बैठक में रखना चाटूंगा। इसके बाद ही मैं आपको जवाब दूंगा।
हार्दिक शुभकामनाएं।

सद्भावना सहित आपका,
सुभाषचंद्र बोस

जिन्ना को

दिल्ली

2 अक्टूबर, 1938

प्रिय श्री जिन्ना,

2 अगस्त, 1938 को लिखा गया आपका पत्र कार्यसमिति के सामने रखा गया। आवश्यक विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित उत्तर को प्रस्तावित किया गया

यद्यपि आपके पत्र में गलतियाँ हैं, इसलिए उन पर केन्द्रित होने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आपके पत्र का सार तब यही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के आधिकारिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग अपना महत्व स्वीकार किए जाने के मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस से उम्मीद नहीं करती। यदि लीग द्वारा यही नजरिया अपनाया जाता है तो मैं यह कहने के लिए अधिकृत हूँ कि समझौते की शर्तों को तय करने में लीग द्वारा नियुक्त होने वाली समिति से पार्ता के लिए कांग्रेस कार्यसमिति तैयार है। पार्ता में कार्यसमिति का प्रतिनिधित्व इसके पांच सदस्य करेंगे।

पूर्व पत्राचार पहले ही प्रकाशन के लिए जारी कर दिए गए हैं। इसलिए अब मैं इस पत्र को भी प्रेस के लिए जारी करने की छूट ले रहा हूँ।

सदभावना सहित आपका
सुभाषचंद्र बोस

जिन्ना की ओर से

कराची, 9 अक्टूबर, 1938

प्रिय श्री बोस

2 अक्टूबर को लिखा गया आपका पत्र मुझे मिल चुका है जो लीग की कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा गया। उसके उत्तर में मैं यह कहने के लिए अधिकृत हूँ कि 2 अगस्त को लिखे मेरे पत्र का कांग्रेस की कार्यसमिति द्वारा गलत अर्थ निकाले जाने के लिए कार्यभारी परिषद को काफी अफसोस है। यह पत्र काफी स्पष्ट था। इसे समझने के लिए किसी व्याख्या या पुनर्व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मेरे उपरोक्त पत्र में कहे गए आधार पर हिंदू-मुसलमान समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम लीग अब भी बातचीत के लिए तैयार है। 5 जून को जारी हमारे पूर्वोक्त तीन प्रस्तावों में निर्दिष्ट आधार पर कांग्रेस द्वारा तय समिति के लिए लीग अपने प्रतिनिधि भेजेगी।

सदभावना सहित आपका,
एम ए जिन्ना

जिन्ना को

कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्षा में 11 से 16 दिसंबर, 1938 तक चले विचार-विमर्श में श्री जिन्ना के 9 अक्टूबर, 1938 को लिखे गए पत्र पर विचार किया और पत्राचार बंद करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ श्री जिन्ना को पत्र लिखने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया

16 दिसंबर, 1938

प्रिय श्री जिन्ना

9 अक्टूबर, 1938 को लिखे गए आपके पत्र पर कार्यसमिति ने विचार किया और समिति उसमें उल्लिखित निर्णय पर दुख प्रकट करती है। बातचीत के आधार के संदर्भ में कांग्रेस मुस्लिम लीग की परिषद् से सहमत नहीं है और परिषद् चूँकि कांग्रेस और लीग के बीच किसी भी बातचीत के लिए समझौते के आधार को अनिवार्य करने पर जोर देती है, इसलिए यह समिति दुःख प्रकट करती है कि हिंदू-मुसलमान समस्या के समाधान की दिशा में यह कुछ फर पाने की स्थिति में नहीं है।

आपके पत्र का जवाब देने में हुई देरी के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ, लेकिन कार्यसमिति की बैठक तथा मुद्दे पर उसके विचार करने से पहले मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता था।

पूर्व पत्राचार पहले ही प्रकाशित हो चुका है इसलिए मैं इस पत्र को भी प्रेस में देने की छूट ले रहा हूँ।

सद्भावना सहित आपका
सुभाषचंद्र बोस

बोस-गांधी पत्र-व्यवहार
(दिसंबर 1938-मई 1939)

महात्मा गांधी को

26, मैरीन ड्राइव, बंबई
21 दिसंबर, 1938

मेरे प्रिय महात्माजी,

बर्मा से सार्जेंट जी डी विडला द्वारा लाया गया पत्र मेरे लिए एक बड़े सदमे की तरह था। मुझे याद है कि मैंने आप से बार-बार बंगाल की स्थिति पर बातचीत की है। बर्मा

मे दूसरे दिन एक बार फिर हमारे बीच इस पर बातचीत हुई थी। मेरे माई शरत ने भी इस मुद्दे पर आपसे बात की थी। हम दोनों की यह समझ बनी है कि बंगाल में साझा मंत्रिमंडल के विचार से आप हमेशा सहमत रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे वर्धा छोड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ, जिसने आपके दृष्टिकोण को इतना बदल दिया कि आप अब लिखते हैं— 'मैं पहले से कहीं अधिक समझता हू कि उन्हें मंत्रिमंडल आदि को बहिष्कृत करने का निर्णय नहीं करना चाहिए' इत्यादि। पत्र बताता है कि मेरे वर्धा छोड़ने के बाद सार्जेंट एच आर सरकार, सार्जेंट जी डी बिडला तथा मौलाना आजाद साहब ने आपसे भेंट की थी। स्पष्ट तौर पर आपने उनसे बातचीत के बाद अपनी राय बदली है। इसलिए स्थिति यह है कि अब आप डा तीन महानुभावों की राय को बंगाल में कांग्रेस सगठन चलाने वाला की राय की तुलना में अधिक महत्व देते हैं।

कोई भी बात हल्के तौर पर लिखने की आपकी आदत नहीं है, इसलिए मैं आपके सुविचारित दृष्टिकोण को पूरा महत्व देना उचित समझूंगा। आपके पत्र ने एक सकट खड़ा कर दिया है और इसलिए अब स्पष्ट शब्दों में कहना मेरे लिए आवश्यक हो गया है और ऐसा करने से पहले मैं आपसे क्षमाप्रार्थी हू।

ता सीधे मुद्दे पर आए— इस समस्या को लेकर मौलाना साहब तथा मेरे बीच मौलिक मतभेद है। यह मतभेद असम में मंत्रिमंडलीय सकट का सामना करते वक्त ही स्पष्ट हो गया था। शायद अब मैं कह सकता हू कि मैं सही था और मौलाना साहब गलत। लेकिन यदि सरदार पटेल सौभाग्यवश मेरे बचाव में नहीं आए होते तो मौलाना साहब ने शिलांग में मुझे झुका दिया होता और शायद जब दिल्ली में कार्यसमिति की बैठक हुई थी तब आपने भी मौलाना साहब के खिलाफ मेरे दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया होता तो ऐसी स्थिति में असम में गठजोड़ नहीं बना होता।

सिंध के मामले पर एक तरफ मौलाना साहब तथा दूसरी तरफ मेरे सहित कार्यसमिति के कई सदस्यों के बीच मतभेद रहा है और अब बंगाल की समस्या है जिस पर हमारे दृष्टिकोण पूर्णतया विरोधी हैं।

ऐसा लगता है कि मौलाना साहब का दृष्टिकोण बंगाल जैसे मुसलमान-बहुल प्रांतों में सांप्रदायिक मुसलमान मंत्रिमंडल को बने रहने देने का है। हक मंत्रिमंडल तथा सिफ्दर हयात मंत्रिमंडल को सरकार में बने रहने की अनुमति दे देनी चाहिए। मौलाना साहब सिंध में अल्ताबख्श मंत्रिमंडल का हमारे समर्थन देने से स्पष्टतया अप्रसन्न हैं।

इसके विनरीत मैं समझता हू कि जितना जल्द हो सके, हक मंत्रिमंडल को हटा देना ही राष्ट्र-हित में है। जितने दिनों तक यह प्रतिक्रियावादी मंत्रिमंडल सरकार में बना रहेगा बंगाल का यातावरण उतना ही सांप्रदायिक होता चला जाएगा तथा मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी। यही बात सिफ्दर हयात मंत्रिमंडल के लिए भी सच है।

काफी पहले नवंबर की शुरुआत में ही हक मंत्रिमंडल को छोड़ने के लिए सार्जेंट नलिनीशकर तैयार हो चुके थे। वर्धा के लिए कलकत्ता से मेरे रवाना होने से पहले 9 दिसंबर को अंतिम बार मुझे विश्वास था कि अगले बजट-सत्र से पहले ही वे सरकार से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन किस बात ने उनको एक ही सप्ताह में अपनी जगह से हटा दिया, मैं नहीं जानता। सरकार से नलिनीदाबू के निकलने की बजाय आपके प्रभाव का इस्तेमात उनको सरकार से थिपके रहने देने में होने जा रहा है, जबकि उनके कई नजदीकी मित्र भी हक मंत्रिमंडल से उनका बाहर निकल आना पसंद करते हैं। इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे गंभीर मामले पर अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले आपने मुझसे राय-मशविरे की भी जरूरत नहीं महसूस की।

इन परिस्थितियों में हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। यदि आप अब भी अपने पत्र में लिखे हुए निर्णय को सही मानते हैं और उसका पालन करना चाहेंगे, तो मुझे अपनी स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। स्पष्टतया मैं किसी ऐसी नीति का समर्थक नहीं हो सकता, जिसे मैं पूरी तरह गलत मानता हूँ। विकल्प के तौर पर, बंगाल में कांग्रेस संगठन बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका कार्य ऐसे लोगों द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए, जो अवसर मिलने पर पातीय अधिकारियों को नजरअंदाज कर आनंदित होते हैं।

बंगाल जैसे प्रांत में गठजोड़ मंत्रिमंडल को इतना महत्व देने के कारणों की विस्तृत चर्चा करना मेरे लिए आवश्यक है। आप याद कर सकते हैं कि इस विषय पर मैंने आपसे शंकाव में बातचीत की थी, लेकिन मुझे जो कहना है, मैं फिर दुहराता हूँ।

आज स्थिति यह है कि सिंध, बंगाल तथा पंजाब में गठजोड़ मंत्रिमंडल व्यावहारिक राजनीति के दायरे में है। यदि यह बदलाव किया जा सके (और मेरी विनाश राय में ऐसा हो सकता है), तो कांग्रेस ग्यारह प्रांतीय सरकारों की तरफ से अंग्रेज सरकार से बातचीत करने की स्थिति में आ सकती है। इसका अर्थ होगा कि हिंदू-मुसलमान समझौते के बिना भी कांग्रेस अंग्रेज सरकार से बातचीत के लिए ब्रिटेन-शासित हिंदुस्तान की जनता का अधिकृत तौर पर प्रतिनिधित्व कर सकेगी और इस तरह मुस्लिम लीग से समझौता न हो पाने की स्थिति में भी हम अपग नहीं होंगे।

शेष तीन प्रांतों में गठजोड़ मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश के दौरान हमें उन हिंदू-मुसलमान समझौतों पर अपने निर्णय की घोषणा में देरी नहीं करनी चाहिए, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बातचीत यदि हुई होती तो विचार-विमर्श के लिए सामने आए होते। साथ ही, कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुसलमानों की शिकायतों की जांच भी करनी चाहिए। ये दो कदम समझदार मुसलमानों को यह बताने में सहायक होंगे कि हम उनकी शिकायतों को समझने तथा मनुष्य के नाते जहां तक संभव हो, उनको दूर करने के लिए उत्सुक हैं।

यदि हम उपरोक्त कार्यक्रम कांग्रेस की त्रिपुरी बैठक से पहले ही क्रियावित्त कर लेते हैं तो हम अंग्रेज सरकार के सामने पूर्ण स्वराज की अपनी राष्ट्रीय माग रख सकते हैं और एक निश्चित अवधि के अंदर निश्चित उत्तर की माग भी कर सकते हैं। गहरे अंतर्राष्ट्रीय सकट की पृष्ठभूमि में अंग्रेज सरकार के लिए हमारी माग को आसानी से अस्वीकार करना संभव नहीं होगा और यदि वे इस अस्वीकार करते हैं या हमें असंतोषजनक उत्तर देते हैं, तो हम एक आवश्यक नोटिस देकर अपना सत्याग्रह अभियान शुरू कर सकते हैं। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सकट अगले 12 या 13 महीनों तक जारी रहेगा। ऐसी सकटकालीन स्थिति में अंग्रेज सरकार भारत में किसी संघर्ष के जारी रहने की अनुमति नहीं देगी। यदि उनको यूरोप में कमजोर नहीं होना है, तो उन्हें भारत के साथ शांति बनाए रखनी पड़ेगी। परिणामस्वरूप 1939 में बड़े पैमाने पर सत्याग्रह अभियान कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के बीच शांति-सभा की तरह हमारी विजय के प्रस्थान-बिंदु जैसा अपरिहार्य हो जाएगा।

उपरोक्त तर्कों से इस योजना में शेष तीन प्रांतों के गठजोड़ मंत्रिमंडलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। व्यक्तिगत रूप से मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि बंगाल और पंजाब में गठजोड़ मंत्रिमंडल बनने तथा राज्यों की प्रजा में व्यापक जागरूकता होने से कांग्रेस के सामने अंग्रेज सरकार की स्थिति काफी कमजोर टा जाएगी (हम सभी जानते हैं कि वे ब्रिटिश भारत में बंगाल तथा पंजाब तथा भारतीय हिंदुस्तान में राजकुमारों के सहयोग से वर्तमान समय में टिके हुए हैं)। 1939 में आंतरिक तथा बाहरी दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल स्थितियों में एक सत्याग्रह अभियान चलेगा।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर मैं शेष तीन प्रांतों के गठजोड़ मंत्रिमंडलों में अतिरिक्त महत्व देने के पक्ष में हूँ, लेकिन इन तर्कों के बिना भी मेरी निगाह में गठजोड़ मंत्रिमंडल आवश्यक है।

मैं कह सकता हूँ कि यदि कार्यसमिति के कुछ सदस्य अभी शामिल कर लिए जाएं तो त्रिपुरी में कांग्रेस के एकत्रित होने के पहले ही हमारे पास तीन और गठजोड़ मंत्रिमंडल होंगे। यदि कार्यसमिति के दुरुयोग्य सदस्यगण इसे आगे कुछ मतभेद जैसा न समझें, तो मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार रहूँगा। अब मैं कह सकता हूँ कि इस मोड़ पर किसी नीति को मैं अपने लिए आत्मघाती मानता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में पुनर्विचार के बाद उपरोक्त दिशा में ही हमें चलते रहने देना तथा हमें अपना आशीर्वादन देना आपके लिए संभव होगा। इसके विपरीत, यदि आप पत्र में लिखें अपने निर्णय पर डट रहेगे तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि शीघ्र ही मुझे अपने वर्तमान उत्तरदायित्व से मुक्त होने की आज्ञा दे— क्योंकि मैं उस नीति का एक हिस्सा नहीं हो सकता जिसे मैं राष्ट्र-हित में गंभीरतापूर्वक हानिकारक मानता हूँ।

मैं इस महीने की 19 तारीख को ही मद्रास चला गया होता, लेकिन गले में खरारी के कारण 2 या 3 दिनों के लिए रुक गया।

पणाम सहित—

आपका स्नेहाकाशी,
सुभाष

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 24 मार्च, 1939, महात्मा गांधी, बिडला हाउस, नई दिल्ली।
क्राग्रस के कार्य के संचय में शुरुआत करने के लिए आपकी सलाह तथा निकट भविष्य में मेरी आपसे भेंट न हो पाने की दृष्टि से मैं डाक द्वारा आपसे परामर्श आरंभ कर देना जरूरी समझता हूँ। मैं लिख रहा हूँ—सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली 25 मार्च, 1939 अध्यक्ष बॉस, झीलगुडा।
आपका तार। कल मैं मौताना आजाद को देखने हेतु इलाहाबाद में था, क्योंकि वह मुझसे किसी बातचीत के लिए उत्सुक थे। ट्रेन से पत्र डाला है। आपको उत्तर की प्रतीक्षा में। आशा करता हूँ कि आपकी प्रगति जारी रहेगी। प्यार—बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 25 मार्च, 1939, महात्मा गांधी, बिडला हाउस नई दिल्ली।
आपका आज का तार। आपका पत्र न मिलने तक मैं अपने पत्र को डाक में डालने से रोक रहा हूँ—सुभाष।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 25 मार्च, 1939 महात्मा गांधी-नई दिल्ली।
आपका पत्र नहीं मिला। इसलिए मैं अपना पत्र डाक में डाल रहा हूँ—सुभाष।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा

25 मार्च, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी

मुझे उम्मीद है कि आपने आज शनिवार 25 तारीख को जारी मेरा वक्तव्य पढ़ा होगा, जहाँ मैंने अपने ऊपर कांग्रेस के मामले में व्यवधान डालने का आरोप लगाने वालों के जवाब में लिखा है। हमारे सामने नई कार्यसमिति बनाने की तात्कालिक और महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या का सतृप्तजनक समाधान पहले कुछ अन्य बड़े महत्व की समस्याओं पर विचार की मांग करता है, तो भी मैं पहली समस्या को पहले रखूँगा।

इस समस्या के रास्ते में यदि आप मेरे निम्नलिखित विचारों पर अपनी राय देते हैं तो आपका आभारी रहूँगा।

(1) कार्यसमिति के गठन के लिए आपकी वर्तमान धारणा क्या है ? इसे समागी होना चाहिए या कांग्रेस के ही विभिन्न समूहों तथा खेमों को मिलाकर बनाना चाहिए, ताकि समिति पूर्णता में जहाँ तक सम्भव हो कांग्रेस की आमसभा की संरचना का प्रतिनिधित्व कर सके ?

(2) यदि आप इस दृष्टिकोण को ही मानते हैं कि समिति अपने चरित्र में समागी होनी चाहिए, तो स्पष्टतया एक तरफ मेरे जैसे लोग तथा दूसरी तरफ सरदार पटेल और अन्य जैसे लोग एक ही समिति में नहीं हो सकते। मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि मैंने समिति के समागी होने के विचार का हमेशा विरोध किया है।

(3) यदि आप सहमत हैं कि विभिन्न समूहों या दलों का कार्यसमिति में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो उनका सत्यात्मक प्रतिनिधित्व कितना होगा ? मरी समझ से कांग्रेस में दो प्रमुख दल या खेमे हैं। वे कमोबेश समान रूप से संचालित हैं। अध्यक्षीय चुनाव के दौरान हमारे पास बहुमत था। त्रिपुरी में वह स्थिति नहीं थी, लेकिन यह ऐसा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रवैए के चलते हुआ। यदि सी एस पी तटस्थ नहीं रही होती, तो सारे व्यवधानों के बावजूद (उनके बारे में मैं अगले पत्र में लिखूँगा) गाँव जब हम मिलेंगे तो बतारूंगा) हमने खुले सत्र में बहुमत बना लिया होता।

(4) यदि मैं सात लोगों का नाम सुझाऊँ और आप सरदार से भी सात नामों को पूछें तो मेरी समझ से वह न्यायसंगत व्यवस्था होगी।

(5) फिर यदि मुझे कांग्रेस-अध्यक्ष बन रहना है और सुचारु रूप से कार्यरत रहना है तो मरी पसंद का कांग्रेस सचिव होना आवश्यक है।

(6) कोषाध्यक्ष के नाम का सुझाव सरदार दे सकते हैं।

अब मैं पंडित पत्र के प्रस्ताव के एक या दो मुख्य आशयों का जिक्र करूँगा (इस विषय पर मैं दूसरे पत्र में विस्तार से लिखूँगा)। सबसे पहले तो यह कि क्या उसे आप

मुझे अविश्वास के प्रस्ताव के रूप में लेते हैं और क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके परिणामस्वरूप त्यागपत्र दे दूँ ? मैं इस सवाल को इसलिए उठा रहा हूँ, क्योंकि इस प्रस्ताव की नई व्याख्याएँ इस प्रस्ताव के समर्थकों द्वारा भी हो चुकी हैं।

फिर दूसरे यह कि पंडित पत के प्रस्ताव के पारित होने के बाद कांग्रेस-अध्यक्ष की वास्तव में क्या स्थिति है ? कांग्रेस के संविधान की धारा 15 कार्यसमिति की नियुक्ति के सदर्थ में अध्यक्ष को कुछ अधिकार देती है और संविधान में यह धारा आज भी मौजूद है। साथ ही, पंडित पत का प्रस्ताव कहता है कि कार्यसमिति आपकी इच्छा से मेरे द्वारा गठित की जाएगी। परिणाम क्या होगा ? क्या मेरा कोई स्थान है ? क्या आपको ही अपनी स्वतंत्र रुचि और इच्छा के अनुसार कार्यसमिति के सदस्यों की पूरी सूची बनानी है और मुझे सिर्फ आपकी निर्णय की घोषणा कर देनी है ? यह प्रयास कांग्रेस के संविधान को बदलने बिना ही धारा 15 को निष्प्रभावी बना देगा।

ऐसी स्थिति में पंडित पत का प्रस्ताव स्पष्टतः असंवैधानिक तथा अधिकारातीत है। वास्तव में पंडित पत का प्रस्ताव काफी देर से मिलने के कारण स्वयं ही निरर्थक हो गया था। जिस तरह कांग्रेस के खुले सत्र के दौरान राष्ट्रीय माग-प्रस्ताव में श्री शरतचंद्र बोस के प्रस्ताव की अनुचित बताने का अधिकार मौलाना आजाद के पास था, उसी तरह पतजी के पूरे प्रस्ताव को अनुचित कहने का अधिकार मेरे पास है। फिर भी विशुद्ध रूप से सर्वैधानिक दृष्टिकोण के गहन में अंतिम हिस्से को अनुचित कहा जाएगा चाहा, क्योंकि यह संविधान की धारा 15 के प्रतिकूल है। लेकिन स्वभावतः लोकतांत्रिक होने के नाते मैं तकनीकी तथा सर्वैधानिक मामलों को अधिक महत्व नहीं देता। इसके अतिरिक्त, मुझे संविधान का सहारा लेना उस चकत् कारगरतापूर्ण लगा, जब मुझे अपने विरुद्ध मतदान की संभावना का अहसास हुआ था।

इस पत्र को खत्म करने से पहले मैं एक और बात का जिक्र करूँगा। सारी बाधाओं, कमियों, कठिनाइयों के बावजूद अगर मुझे अध्यक्ष बने रहना है तो आप मेरा किरा प्रकार से काम करना पसंद करेंगे ? मुझे याद है कि पिछले 12 महीनों के दौरान आपने अवसर मिलने पर (शायद प्रायः) मुझे सलाह दी थी कि आप मुझे एक कठपुतली अध्यक्ष के रूप में नहीं देखना चाहते और आप मुझे सक्रिय देखना चाहेंगे। 15 फरवरी को यहाँ मैं जब मुझे लगा कि आप मेरे कार्यक्रम से सहमत नहीं हैं तो मैंने आपसे अपने दो विकल्पों— या तो हट जाने या फिर अपनी ईमानदार सोच पर टिके रहने— की चर्चा की थी। यदि मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो आपने अपने उत्तर में कहा था कि जब तक मैं स्वेच्छया ही आपके दृष्टिकोण को स्वीकार न कर लूँ, आत्म-विलोकन वास्तव में आत्म-दमन होगा और आपको आत्म-दमन की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि मुझे अध्यक्ष बने रहना है तो पिछले साल दी गई सलाह की तरह इस साल भी आप मुझे कठपुतली अध्यक्ष की तरह कार्य न करने की ही सलाह देंगे।

मेरी उपरोक्त सभी बातों का मतलब यही है कि अध्यक्षीय चुनाव तथा खासतौर से त्रिपुरी कांग्रेस की सारी घटनाओं के बावजूद कांग्रेस को सभी समूहों तथा खेमों का साथ काम करना अब भी संभव है। अगले पत्र में मैं आम समस्याओं के बारे में लिखूंगा, जिनमें से कुछ आज मेरे पस वक्तव्य में भी जा चुका है।

मेरा स्वास्थ्य लगातार, लेकिन धीरे-धीरे सुधर रहा है। गर्मांत नींद का अभाव ही तीव्र स्वास्थ्य-लाभ में मुख्य बाधा है।

मैं आशा करता हूँ कि भारी धिताओं के बावजूद आपकी सेहत में लगातार वृद्धि होती रहेगी।

प्रणाम।

आपका स्नेहाकाक्षी,
सुभाष

महात्मा गांधी की ओर से

ट्रेन में
(बिडला हाउस, नई दिल्ली)
24 मार्च 1939

मेरे प्रिय सुभाष,

मैं उम्मीद करता हूँ कि पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ की तरफ तुम लगातार प्रगति कर रहे होंगे। इस पत्र के साथ मुझे लिखे गए शरत के पत्र की प्रतिलिपि तथा अपना उत्तर भी मैं सलग्न कर रहा हूँ। यदि यह तुम्हारी भावनाओं को भी व्यक्त करता है तब और सिर्फ तभी, मेरी सलाह काम आएगी। किराँ भी तरह केंद्र में अराजकता खत्म होनी चाहिए। तुम्हारे अनुरोध पर मैं पूरी तरह मौन हूँ, यद्यपि इस सकेट पर अपनी राय देने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है।

मैंने पहली बार इलाहाबाद में इस प्रस्ताव को देखा था। प्रस्ताव मुझे काफी स्पष्ट लगता है। पहल करना तुम पर निर्भर करता है। मैं नहीं जानता कि इस राष्ट्रीय कार्य में भागीदारी के लिए तुम कितने दुरुस्त हो। यदि तुम नहीं हो, तो मैं सोचता हूँ कि सिर्फ सौधानिक कार्यों की देखरेख करनी चाहिए।

अभी मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही रहना होगा।

प्यार सहित,
बापू

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा से अध्यक्ष बोस का तार सदेश 26 मार्च 1939

आपके पत्र की प्रतीक्षा है। आपने वक्तव्य में जैसा कहा है हमारा मिलना आवश्यक है -सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

गांधीजी का सुभाष बोस को तार सदेश 26 मार्च, 1939

राजकोट प्रसंग ने मुझे दिल्ली में बाध रखा है अन्यथा अपनी कमजोरी के बावजूद मैं आपसे मिलने चल देता। मेरी सलाह में आप ही यहाँ आ जाएँ और मेरे साथ रहे। थोड़ी-बहुत बातचीत के साथ ही मैं आपके स्वास्थ्य की देखभाल भी चाहता हूँ। प्यार-बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा

29 मार्च, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी

मैं आपको एक-दो दिन में फिर पत्र लिखूँगा। इस बीच एक आवश्यक मामला सामने आया है। ए आई सी सी के कार्यकारी महासचिव श्री नरसिंह लिखते हैं कि ए आई सी सी की बैठक के लिए वे 20 दिनों पहले का नोटिस चाहते हैं।

नियम के अनुसार, ए आई सी सी सदस्यों को 15 दिनों पहले ही सूचित कर दिया जाता है। उनके अनुसार तब सिर्फ देश के दूर-दराज के इलाकों में सूचना पहुँचाने के लिए 4 या 5 दिन शेष रह जाते हैं। इसलिए हमें कुल 20 दिनों की आवश्यकता है।

अगर आप चाहे तो मैं सोचता हूँ कि 20 अप्रैल के आस-पास की तारीख उपयुक्त रहेगी। लेकिन एक समस्या है। मुझे पता चला है कि 20 अप्रैल को ही बिहार में गांधी सेवा सच की बैठक होने वाली है। इसलिए इन दोनों बैठकों की तारीखें आपस में टकराएँगी। ए आई सी सी की कार्यसमिति की बैठक भी कलकत्ता में हो रही है। वहाँ आपकी उपस्थिति अति आवश्यक है। क्या मैं ए आई सी सी की बैठक गांधी सेवा सच की बैठक के पहले या बाद में करने की सलाह दे सकता हूँ? पहली स्थिति में आप पहले कलकत्ता आ सकते हैं और फिर बिहार जा सकते हैं। दूसरी स्थिति में आप बिहार पहले जा सकते हैं और उसके बाद कलकत्ता आ सकते हैं। पहली स्थिति में सच की बैठक को एक सप्ताह

के लिए स्थगित करना होगा।

रूपया मानले पर विचार करे तथा ए आई सी सी को कब बैठक करनी चाहिए इस बारे में अपना 'उपदेश दे। अतः मे, ए आई सी सी की बैठक के दौरान आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। मुझे गह जानकर दिता हुई कि आपका स्वतन्त्राफिर बढ गया है। आपके अधिक काम करने से मुझे भय होला है।

प्रणाम सहित—

आपका स्नेहाकाशी
सुभाष

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा

29 मार्च, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी

इस महीने की 24 तारीख को लिखा पत्र सलग्नकों के साथ प्राप्त हुआ। पहली बात, मेरे भाई शरत ने आपको अपनी ओर से पत्र भेजा है। आपको उनके पत्र से पता चलेगा कि यहाँ से कलकत्ता लौटने पर उनको आपका 'तार मिला और तब उन्होंने आपको पत्र लिखा। यदि उनको आपका तार नहीं मिला होता, तो मुझे सदह है कि उन्होंने आपको पत्र लिखा होगा।

निस्सन्देह उनके पत्र में कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें मेरी भावनाएँ भी प्रतिध्वनित होती हैं। लेकिन यह अलग मामला है। मेरे लिए मुख्य समस्या यह है कि क्या दोनों दल अतीत को भूल कर साथ-साथ काम कर सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। यदि आप वास्तव में पक्षपात-रहित रुख अपनाते हुए दाना दला का विश्वास में लेते हैं तब आप कांग्रेस को बचा सकते हैं और राष्ट्रीय एकता बनाए रख सकते हैं।

स्वभावतः मैं प्रतिरोधी व्यक्ति नहीं हूँ और मैं शिकायतें भी नहीं करता। एक तरह से मेरी मानसिकता एक मुक्केबाज की है— यानी मुक्केबाजी का दौर खत्म होने के बाद हाथ मिलाएँ और परिणाम को खेल-भाषना से स्वीकार करना।

दूसरी बात, मुझे मिलने वाले तमाम प्रतिनिधिमंडलों में मिलने के बाद मैं पत्र प्रस्ताव का कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव की तरह लेना हूँ। हमें इसके प्रभाव में लाना चाहिए। अधिकारातीत होने की शर्त के बावजूद मैं स्वयं ही प्रस्ताव को प्रभाव में लाने की अनुमति देने तथा उस पर बातचीत कराने वाला हूँ। फिर कैसे मैं इससे इफ़ार कर सकता हूँ ?

तीसरी बात, आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो नई कार्यसमिति की सरचना के सदस्य में आप हमारे विचारों को जगह दे या आप अपने विचारों को उनकी समग्रता में

रखे। दूसरी स्थिति में हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं।

चौथी बात, कार्यसमिति तथा ए आई सी सी का आह्वान करने तथा नई कार्यसमिति के शीघ्र गठन करने के लिए मानवीय आधार पर मेरे लिए जो भी सभव है मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन दुःख है कि अभी मेरा दिल्ली आना सभव नहीं है। डॉ. सुनील ने आज ही सुबह इस सदर्थ में आपको तार भेज दिया है। मुझे आपका तार-सदेश कल ही मिल पाया।

पाचवीं बात मुझे आपके पत्र से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पत्र के प्रस्ताव की प्रतिलिपि ए आई सी सी ने नहीं भेजी है, जयकि इसे भेजा जाना है। मुझे अब भी आश्चर्य है कि इलाहाबाद आने से पहले आपको प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी। त्रिपुरी में यह अफवाह काफी जोरो पर है कि प्रस्ताव को आपका पूर्ण समर्थन प्राप्त था।

छठी बात, पद पर बने रहने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। लेकिन अपनी बीमारी की वजह से मेरा त्यागपत्र देना भी तार्किक नहीं है। उदाहरण के लिए किसी भी अध्यक्ष ने जेल में रहने के कारण त्यागपत्र नहीं दिया। मैं आपसे कह सकता हूँ कि त्यागपत्र देने के लिए मेरे ऊपर भारी दबाव डाला जा रहा है। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे त्यागपत्र का अर्थ है कांग्रेस-राजनीति में एक नई शुरुआत, जिसको अत तक मैं टालना चाहता हूँ।

पिछले दिनों मैं ए आई सी सी के काम में व्यस्त रहा। मैं आपको कल या परसो फिर पत्र लिखता हूँ। मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है। आशा करता हूँ, आपका रक्तचाप शीघ्र ही कम हो जाएगा।

प्रणाम सहित—

आपका स्नेहाकाक्षी,

सुभाष

पुनश्च यह पत्र आपके पत्र का जवाब नहीं है। कल जो बातें मेरे दिमाग में थीं उनको मैंने लिख दिया है। मैं उनका जिक्र आपसे करना चाहता था।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली

30.3.39

मेरे प्रिय सुभाष

मेरे तार के जवाब में इसी महीने की 26 तारीख के आपके पत्र का उत्तर देने में देर हो गई। पिछली रात मुझे सुनील का तार मिला। अभी मैं सुबह की प्रार्थना से पहले इसका उत्तर को लिखने के लिए उठा हूँ।

आप सोचते हैं कि पत्र का प्रस्ताव अनुचित है और कार्यसमिति से संबंधित धारा पूर्णतः गैर-संवैधानिक और अधिकांशतः है इसलिए आपका दृष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट है। समिति के प्रति आपकी पसंद मुक्त रहनी चाहिए। इसलिए इस संबंध में आपके कई सवाल को किसी उत्तर की जरूरत नहीं है।

फरवरी में आपसे मिलने के बाद मेरी धारणा मजबूत हुई है कि जब मूल बातों को लेकर ही मतभेद है— और जैसा कि हम इस बारे में सहमत भी हैं कि एक संयुक्त समिति हानिकारक होगी तब यह मानते हुए कि आपकी नीति को ए आई सी सी का बहुमत समर्थन देता है आपको ऐसी कार्यसमिति बनानी चाहिए जो आपकी नीति में विश्वास करने वाली से ही बनी हो।

हा शोगाय में आपसे फरवरी में हुई मुलाकात के वक्त व्यक्त किए गए इस दृष्टिकोण पर स्पष्ट आत्म-विलोकन से स्पष्ट है, आपने किसी आत्म-हानि का भागीदार होने का अपराधी मैं नहीं बनूंगा।

देश के हित में आपके दृढ़ विचारों की अपहेलना आत्म-पीडन ही होगा। इसलिए यदि आपको अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है, तो आपके हाथों में बेडिया नहीं होनी चाहिए। देश के सामने जो स्थिति है, उसमें मध्यम-वर्ग की कोई गुंजाइश नहीं है।

जहां तक गांधीवादियों का पश्न है (यह शब्द मजबूरी में प्रयोग करना पड़ रहा है) वे आपके मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे। जहां उनसे समझ होगा वे आपकी सहायता करेंगे और जहां नहीं कर पाएंगे वहां समय से काम लेंगे। यदि वे अल्पसंख्यक भी हों तो भी ऐसी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि वे बहुमत में भी हों, तो भी वे अपने आपको दमित न करते।

फिलहाल जिस बात की मुझे बहुत चिंता है, वह यह कि कांग्रेस चुनाव बेकार है, इसलिए बहुसंख्या और अल्पसंख्या का अर्थ ही नहीं रह गया। जब तक हम कांग्रेस में स्वच्छता न ला पाए, तब तक हमें जो हथियार हमारे हाथ में हैं, उसी से काम लेना होगा। दूसरी बात जो मुझे चिंतित किए हुए है वह यह है कि हमलोगों में भविष्य में पतन जा रहा है। जहां कार्यकर्ताओं में अविश्वास हो वहां मिलकर कार्य करना असंभव है।

मेरे विचार से आपके पत्र में अन्य ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसका उत्तर देना आवश्यक हो। अंत में यही कहूंगा कि आप कार्य करें, ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। डॉक्टरों की राय मानकर शीघ्र ठीक हो जाओ।

प्यार,

बापू

नोट— जहां तक मेरा संबंध है हमारा पत्राचार प्रकाशित होना आवश्यक नहीं है। किंतु यदि आप चाहे तो मेरी ओर से स्वीकृति है।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली, 31 मार्च 1939

आपका पत्र। पहले पत्र का उत्तर कल डाक में डाला है। अखिल भारतीय बैठकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कार्यविधि नियम सख्या 2 कहता है कि आपात बैठक के लिए 7 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। यह सूचना अखबारों के जरिए दी जा सकती है। प्यार-बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 31 मार्च, 1939

आज का तार मिला। मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से 20 तारीख के बाद कोई भी तिथि ठीक रहेगी। अखिल भारतीय बैठक से पहले कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अखिल भारतीय बैठक से पहले गांधी सेवा संघ सम्मेलन की बैठक होने पर कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में यही निजी रूप से मेरे लिए बेहतर रहेगा। फिर भी आपकी इच्छानुसार ही तिथि निश्चित की जाएगी। प्रणाम - सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1939

तुम्हारा तार मिला। अपनी सुविधानुसार तिथि निश्चित कर लो। मैं उररी तिथि को उपलब्ध रहूंगा। प्यार-बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा,

31 मार्च, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी

मेरे स्वास्थ्य के विषय में सुनील ने जो आपको लंबा तार भेजा उसके उत्तर में आपके द्वारा भेजा गया तार मैंने देखा। जब आपने मुझे दिल्ली जाने की सलाह देते हुए तार भेजा था, तब मैंने सोचा कि इस विषय में चिकित्सकों की राय भी ले लेना उचित रहेगा। अतः सुनील ने आपको तार भेज दिया।

अपने 24 तारीख के पत्र में जो आपने मुझे लिखा (ट्रेन से) तथा इसी तारीख को शरत को लिखे पत्र के विभिन्न मुद्दों पर तथा सामान्य स्थिति पर मैं लगातार विचार कर रहा हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि ऐसी दुविधाजनक स्थिति में मैं बीमार पड़ गया हूँ। किंतु घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि मेरा स्वास्थ्य शीघ्र ठीक नहीं हो पाया। इसके अलावा त्रिपुरी से पहले और बाद में मुझे कुछ प्रभावशाली लोगों से— मैं स्पष्ट कर दूँ, यहाँ आपका सदर्भ कदापि नहीं है— यह व्यवहार नहीं मिला जिसका मैं पात्र था। किंतु अपनी अस्वस्थता की वजह से ही त्यागपत्र देने का कोई कारण नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अपने कल के पत्र में लिखा था (मेरा दूसरा पत्र) कि मेरे विचार से तो किसी भी अध्यक्ष न तब भी त्यागपत्र नहीं दिया जबकि वह जल में था— यहाँ तक कि तबो अवधि के लिए जल में रहा। रामव है कि मुझे अतत त्यागपत्र देना ही पड़े। किंतु बाद में ऐसा हुआ तो उसके कारण कुछ और ही होंगे।

17/8/50

मेरे विचार से मैंने अपने दूसरे पत्र में भी लिखा था कि यद्यपि मुझ पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला जा रहा है फिर भी मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मेरे त्यागपत्र से कांग्रेस की राजनीति में नए युग की शुरुआत हो जाएगी, जिसे मैं अत तक बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि हम अपने अलग-अलग मार्ग अपनाते हैं, तो घोर गृह-कलह होने की आशंका है। उसका परिणाम कुछ भी हो कांग्रेस तो कमजोर होगी ही और इसका सीधा लाभ ब्रिटिश सरकार को पहुँचेगा। अत कांग्रेस और देश को इस दुर्भाग्य से बचाना आपके हाथ में है। विभिन्न कारणों से जो लोग सरकार पटेल और उनके गुट के विरोधी हैं वे भी आप में विश्वास रखते हैं और उनका मानना है कि आप किसी भी मुद्दे पर निष्पक्ष व शांत रूप से विचार करने में सक्षम हैं। उनके लिए आप पार्टी या गुट से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है अत आप विभाजन करने वाले तत्वों में समन्वय आर एकता कर सकते हैं।

यदि यह विश्वास खंडित हो जाता है— ईश्वर क्षमा करें— और आपका विभाजन का कारण माना जाता है, तब तो फिर ईश्वर ही हमें और कांग्रेस को उबार सकता है।

इसमें शका नहीं कि आज कांग्रेस के दो गुटों में बहुत गहरी दरार है। उस दरार को अभी भी भरा जा सकता है— वह भी आपके द्वारा। अपने राजनीतिक विपक्षियों की मानसिकता के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता— त्रिपुरी में हम उनके बारे में बहुत कटु अनुभव प्राप्त हुए। किंतु अपने पक्ष की ओर मैं कुछ कह सकता हूँ। हम लोग प्रतिशोध में विश्वास नहीं रखते और न ही शिकायतों का पोषण करते हैं। हम लोग क्षमा करा और भूल जाओ की नीति में विश्वास रखते हुए सार्वजनिक हित में यानी भारत के राजनीतिक व आर्थिक उत्थान के लिए हाथ मिलाने का पुन तैयार हैं। जब मैं अपने पक्ष की बात करता हूँ तो उसमें सी एस पी शामिल नहीं हैं। त्रिपुरी में ही हमें पहली बार यह आभास हुआ कि सी एस पी को मानने वालों की संख्या कितनी अल्प है। सी एस पी में उच्च पदों पर विवाद है तथा कई प्रांतीय शाखाओं में कार्यकारी नेताओं के विरोध में आंदोलन

छेड़ दिया है क्योंकि उसकी नीतियां दुर्लभ हैं। सी एस पी का मुख्य वर्ग भविष्य में हमारे साथ होगा उसके मुख्य नेतागण चाहे कुछ भी कर। यदि इस विषय में आपको कोई शका हो तो आपको इतजार करना होगा सब सामने आ जाएगा।

मेरे भाई शरत द्वारा आपको लिखे पत्र से स्पष्ट है कि उनका मन कितना दुःखी है। मेरा अनुमान है कि इसका कारण त्रिपुरी में हुए कटु अनुभव हैं क्योंकि वह ऐसे नहीं थे। यह स्वामाधिक है कि मेरी अपेक्षा उन्हें त्रिपुरी की घटनाओं का ज्यादा पता हो क्योंकि वे आजादी से लोगों में घूम-फिर सके, उनसे मिल सके और सूचनाएं एकत्र कर सके। हालांकि मैं बिस्तर पर ही रहा, लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप में हमारा विरोध करने वालों के व्यवहार की जानकारी तो मुझे भी कई स्वतंत्र सूत्रों से मिली ही, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने त्रिपुरी छोड़ा, तो मैं कांग्रेसी राजनीति के प्रति इतना निराश और अवसादग्रस्त था, जितना कि पिछले उन्नीस वर्षों में कभी नहीं हुआ। भगवान का शुक है कि मैं अब उन भावनाओं से उबर चुका हूँ और अवसाद के क्षणों से छुटकारा पा चुका हूँ।

जवाहर ने अपने किसी पत्र में (शायद प्रेस को दिए बयान में) यह टिप्पणी की है कि मेरे नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की जितनी अधोगति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। मैं इस टिप्पणी को गलत और अन्यायपूर्ण मानता हूँ। शायद उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि मेरी आलोचना करने के प्रयास में उन्होंने कृपतानीजी और अन्य सहयोगियों का भी अपमान किया है। कार्यालय परस्तुत सचिव तथा उसके अधिकारियों के हाथों में होता है और यदि उसकी अधोगति हुई है, तो उसके जिम्मेदार भी वही हैं। मैं जवाहर को इस विषय में एक लंबा पत्र लिख रहा हूँ। इन सब बातों का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि शायद आपने शरत को लिखे अपने पत्र में आंतरिक प्रशासन के विषय में कुछ लिखा है। कार्यालय को सहायता करने का एकमात्र उपाय यह है कि यदि कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति में देरी हो भी रही हो, तब भी हमें तत्काल एक स्थाई सचिव की नियुक्ति तो कर ही देनी चाहिए। यदि शीघ्र ही कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति की जाने वाली है, तो महासचिव की अग्रिम नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।

पत-प्रस्ताव के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया से यदि आप मुझे अवगत कराएंगे तो आपका आभारी रहूंगा। आप ऐसी लाभप्रद स्थिति में हैं कि हर स्थिति पर निष्पक्ष रूप से विचार कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको त्रिपुरी के सभी तथ्यों का पता हो। समाचारपत्रों के निष्कर्ष के अनुसार आपसे जो भी लोग मिलें हैं, वे एक पक्ष के हैं— अर्थात् वे लोग, जो पत-प्रस्ताव के समर्थक हैं। किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपके पास आए उनसे प्रभावित हुए बिना आप सही सदस्यों में विचार कर सकते हैं।

पत-प्रस्ताव के विषय मे मेरी विचारधारा का आप स्वय अनुमान लगा सकते हैं। किंतु मर निजी विचार अधिक महत्त्व नहीं रखते। राजनीतिक जीवन मे हमे लोकहित मे निजी विचारो को प्राय दबाना ही पडता है। जैसा कि मैं अपने पहले पत्र मे भी लिख चुका हू कि सदैधानिक दृष्टि से कोई पत प्रस्ताव के विषय मे कुछ भी क्यों न सोचे लेकिन चूकि कांग्रेस इसे पास कर चुकी है, इसलिए मैं भी इसे स्वीकार करता हू। क्या आप उस प्रस्ताव को मेरे प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानते हैं और आज यह अनुभव करते हैं कि मुझे उसके परिणामस्वरूप त्यागपत्र दे देना चाहिए ? इस विषय मे आपके विचारो का गुंज पर अत्यधिक प्रभाव पडेगा।

शायद आप इस तथ्य से परिचित हा कि त्रिपुरी मे जा कुछ हुआ, वह उन्ही लोगो के कारण हुआ, जो पत-प्रस्ताव का प्रचार कर रहे थे और उनका कहना था कि राजकोट मे आपसे टेलीफोन पर बात हो गई है और आप उस प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन द रहे हैं। इसी आशय की एक रिपोर्ट एक दैनिक समाचारपत्र मे प्रकाशित भी हुई थी। बाद मे गुप्त रूप से वार्तालाप मे यह बात स्पष्ट हुई कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव को आपका और आपके रूढिवादी अनुयायियो का समर्थन प्राप्त नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसी रिपोर्टों मे विश्वास नहीं करता किंतु उनके लिए तो वह वोट प्राप्त करने के लिए उपयोगी विधि थी। जब पहली बार सरदार पटेल ने मुझे पत का प्रस्ताव दिखाया (वहा राजेन बाबू और मौलाना आजाद भी उपस्थित थे) ता मैंने सुझाव दिया था कि यदि इसमे कुछ परिवर्तन कर दिए जाए, तो सशोधित प्रस्ताव को कांग्रेस सामूहिक रूप मे पास कर देगी। सशोधित प्रस्ताव सरदार पटेल के पास भिजवाया भी गया था, किंतु उन्होने इस विषय मे कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। उनके व्यवहार से लग रहा था कि कोई शब्द कामा तक भी परिवर्तित न किया जाए। मेरा विश्वास है कि राजकुमारी अमृत कौर ने आपको सशोधित प्रस्ताव दिया होगा। यदि पत-प्रस्ताव आपके सिद्धांतो, नेतृत्व और मार्गदर्शन मे विश्वास व्यक्त करता है, तो वह सशोधित प्रस्ताव मे ही है। किंतु यदि उनका उद्देश्य अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम का बदला लेना है, तो सशोधित प्रस्ताव का कोई मूल्य नहीं। व्यक्तिगत रूप से मैं यह समझ नहीं पा रहा हू कि पत-प्रस्ताव आपके सम्मान प्रभाव और अधिकार मे वृद्धि कैसे कर रहा है। विषय समिति मे 45 वोट आपके विरोध मे थे और खुले अधिपेशन मे अन्य गुट कुछ भी क्यों न कहे किंतु इस विषय मे मुझे स्वतंत्र सूत्रो से जो सूचना मिलती है उसके अनुसार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तटस्थ रहने पर भी यदि अधिक नहीं ता भी 2200 मे से 800 वोट आपके विरुद्ध थे। यदि कांग्रेस साशलिस्ट पार्टी अपना मत देती, जैसा कि उसने विषय समिति मे किया तो प्रस्ताव विफल हो जाता। किसी भी रूप मे मतदान का परिणाम समस्यादायक ही होता। प्रस्ताव मे थोडा-सा सशोधन कर देने मात्र से प्रस्ताव के विरोध मे कोई मत नहीं पडता और सभी कांग्रेसी भी एक स्वर मे आपका नेतृत्व स्वीकार करते। इससे ब्रिटिश सरकार के समक्ष एव पूरे

विश्व में आपका सम्मान आसमान को छूता। इसके उलट, अब जो लोग हमसे बदला लेना चाहते थे, उन्होंने आपकी छवि को हानि ही पहुंचाई है। परिणामस्वरूप आपके सम्मान और प्रभाव को बढ़ाने की अपेक्षा उन्होंने आपके सम्मान को अकल्पनीय हानि पहुंचाई है—क्योंकि अब पूरे विश्व को यह लग रहा है कि यद्यपि आप और आपके समर्थकों को त्रिपुरी में बहुमत प्राप्त हुआ, किंतु आपके विरोधी भी पर्याप्त मात्रा में हैं। यदि इन विषयों को यू ही छोड़ दिया गया, तो इनकी संख्या और शक्ति बढ़ने की संभावना है। उस पार्टी का क्या भविष्य होगा, जिसमें युवा, तर्कशील और प्रगतिशील लोगों को दबाया जाए। उसका भविष्य भी ग्रेट ब्रिटेन की लिबरल पार्टी जैसा ही होगा।

पत प्रस्ताव के विषय में अपनी प्रतिक्रिया से मैंने आपको काफी परिचित करा दिया है। यदि आप भी अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे, तो आभारी रहूंगा।

क्या आप पत प्रस्ताव को स्वीकृति देते हैं या फिर आप उसे सशोधित रूप में, जैसा कि हमने किया था एक स्वर में स्वीकृति प्राप्त करते देखना पसंद करते हैं ?

एक और विषय है, जिसका जिक्र अपने इस पत्र में करना चाहूंगा— वह है हमारा कार्यक्रम। वर्षा ने 15 फरवरी को भी मैंने अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त किए थे। तब से अब तक की घटनाओं ने मेरे विचारों को मजबूत किया है और मेरी भविष्यवाणी को भी सही सिद्ध किया है। कई महीनों से मैं अपने मित्रों से कह रहा हू कि वसंत ऋतु में यूरोप में सफट उत्पन्न होगा, जो ग्रीष्मकाल तक चलेगा। पिछले आठ माह से अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां और हमारी घरेलू परिस्थितियां मुझे प्रेरित कर रही हैं कि अब समय आ गया है जब हम पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर बल दे सकते हैं। यह हमारा और देश का दुर्भाग्य है कि हमारे आशावाद में आपने विश्वास नहीं किया। आप कांग्रेस के आंतरिक भ्रष्टाचार के विचार से घिरे हैं। अहिंसा की भी आपको अत्यधिक चिंता है। यद्यपि मैं भी आपके इस विचार में पूर्ण रूप से आपके साथ हू कि कांग्रेस के आंतरिक भ्रष्टाचार को हमें जड़ से दूर करना है, किंतु यदि हम पूरे भारत पर दृष्टि डालें— तो मेरे विचार से ऐसा नहीं है कि आज पहले की अपेक्षा भ्रष्टाचार और हिंसा बढ़ी है, बल्कि पहले की अपेक्षा आज कम ही हुई है। पहले बंगाल, पंजाब और मगध राज्या में योजनाबद्ध क्रांतिकारी हिंसा का बोलबाला था, किंतु आज वहीं अहिंसा का विचार पनपा है। बंगाल के विषय में तो मैं आधिकारिक तौर पर कह सकता हू कि इस प्रांत में आज जैसी अहिंसा पिछले तीस वर्षों में कभी देखने में नहीं आई। इन कारणों से या अन्य कारणों से हमें ब्रिटिश सरकार के सम्मुख एक अल्टीमेटम के रूप में अपनी राष्ट्रीय मांग रखने में देरी नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटम का विचार आपको व पंडित जवाहरलाल नेहरू को उचित नहीं जान पड़ता, किंतु अपने राजनीतिक जीवन में आप ने सरकार के समक्ष लोकहित में असंख्य अल्टीमेटम दिए हैं। उस दिन राजकोट में भी आपने यही किया था। फिर भला अपनी राष्ट्रीय मांग को सामने रखने के लिए अल्टीमेटम देने में क्या बाधा है ? यदि आप ऐसा करते हैं और

साथ ही आने वाले सघर्ष की भी तैयारी करते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ब्रिटिश सरकार या तो बिना सघर्ष हमारी मांग को मान लेगी या फिर यदि सघर्ष हुआ तो हमारी वर्तमान परिस्थितियों में वह अधिक लंबा नहीं चलेगा। इस विषय में मैं पूर्ण आश्वस्त और विश्वस्त हूँ कि यदि पूर्ण हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा-से-ज्यादा 18 माह में हम स्वराज पा जाएंगे।

इस विषय के प्रति मैं इतना आश्वस्त हूँ कि इसके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हूँ। यदि आप सघर्ष प्रारंभ करते हैं, तो मैं गथायोग्य आपकी सहायता करूँगा। यदि आपको महसूस होता है कि कांग्रेस किसी अन्य अध्यक्ष के पदासीन होने पर अधिक अच्छी प्रकार सघर्ष कर पाएगी, तो मैं प्रसन्नतापूर्वक पद त्याग दूँगा। यदि आपको यह महसूस हो कि आपकी इच्छानुसार चुनी गई कार्यकारिणी समिति की सहायता से सघर्ष अधिक प्रभावशाली रूप में चलाया जा सकता है, तो मैं आपकी आज्ञा स्वीकारने को तैयार हूँ। मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि आप और कांग्रेस इस कठिन स्थिति में उठ खड़े हों और पूर्ण स्वराज के सघर्ष को छेड़ दें। यदि स्वयं को मिटाकर राष्ट्रीय लाभ प्राप्त होता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वयं को हटा लूँगा। मेरा विचार है कि मैं मातृभूमि को इतना प्यार तो करता हूँ कि उसके लिए यह सब कर सकूँ।

क्षमा चाहत हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि हाल में राज्य-जन-सघर्ष को आपने जिस प्रकार चलाया वह मुझे अच्छा नहीं लगा। राजकोट के लिए आपने अपना अनूल्य जीवन दाव पर लगा दिया और राजकोट के लोगों के हित में सघर्ष करते समय आपने शेष सभी राज्यों के सघर्ष को रोक दिया। आपने ऐसा क्यों किया ? भारत में 600 के लगभग प्रांत हैं और राजकोट उनमें से सबसे छोटा प्रांत है। यदि राजकोट सघर्ष को विच्छेद-दशा की सजा दी जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम पूरे देश के लिए एक साथ सघर्ष क्यों न करें ? इस उद्देश्य में एक ममान योजना क्यों न बनाए ? आपके देश के लाखों-करोड़ों लोग यही सोचते हैं किंतु आपके व्यक्तिगत सम्मान के कारण खुलेआम विचार व्यक्त नहीं करते।

अतः मैं यह कहना चाहूँगा कि मुझे जैसे बहुत-से लोग राजकोट समझौते को उचित नहीं मानते। हम सभी ने, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पक्ष ने भी, इसे एक महान विजय बताया है- किंतु इससे हमें क्या लाभ पहुँचा है ? सर मौरिस ग्वेर न तो हमारे पक्ष के व्यक्ति हैं और न ही वे स्वतंत्र एजेंट हैं। वे सरकारी व्यक्ति हैं। उन्हें एपायर बनाने की क्या तुक है ? हम आशा लगाए हैं कि वे हमारे पक्ष में निर्णय देंगे- किंतु कल्पना कीजिए कि यदि वे हमारे विपक्ष में निर्णय देते हैं, तो हमारी क्या दशा होगी ?

इसके अलावा की मौरिस ग्वेर फेडरल योजना के अभिन्न अंग हैं, जिसके विपक्ष में हमने अपनी राय व्यक्त की है। ब्रिटिश सरकार से विवाद होने की स्थिति में किसी हाई कोर्ट के जज को अथवा सेरान जज को मध्यस्थ बनाने की अपेक्षा उचित होगा कि हम ब्रिटिश

सरकार से ही समझौता कर ले। किंतु ऐस समझौते से हमे क्या लाभ होगा ? फिर, कई लोग अभी तक यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वायसराय से मुलाकात कर लेने के पश्चात भी आप दिल्ली में ही क्यों टिके हुए हैं ? शायद आपकी अस्वस्थता के कारण लंबी यात्रा करने से पूर्व कुछ दिन आराम कर लेना आवश्यक हो, किंतु ब्रिटिश सरकार और उसके समर्थक यह सोच सकते हैं कि आप फंडरल चीफ जस्टिस को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं और उसकी प्रतिष्ठा में इजाफा कर रहे हैं। मेरा पत्र बहुत लंबा हो गया है, अत मुझे यहीं समाप्त करना चाहिए। यदि मेरी कोई बात आपको गलत प्रतीत हो, तो मुझे आशा है कि आप क्षमा कर देंगे। मुझे भालूम है कि आपको स्पष्टवादी लोग पसंद हैं। इसी कारण मैं इतना स्पष्ट और लंबा पत्र लिखने का दु साहस कर पाया। मेरे स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है— हालांकि बहुत ही धीमी गति से। आशा है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कम हुआ होगा।

आदर सहित प्रणाम—

आपका शुभाकांक्षी,
सुभाष

महात्मा गांधी के लिए

झीतागुडा, 1 अप्रैल 1939, महात्मा गांधी, नई दिल्ली।

कार्यकारिणी की बैठक 28 को और अधिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 30 को, ताकि गांधी सेवा सभ सम्मेलन में व्यवधान न पड़े। तारीख पहले घोषित हो चुकी है—सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

विडला हाउस, नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय सुभाष,

तुम्हारा पहला और 31 मार्च का पत्र मिला। तुम बहुत स्पष्टवादी हो और मुझे तुम्हारे विचारों की स्पष्टवादिता बहुत अच्छी लगती है। जो विचार तुमने व्यक्त किए हैं, वे अन्य लोगों के विचारों से और स्वयं मेरे विचारों से बिल्कुल विपरीत हैं। अत मुझे इस दरार के भरे जाने की कोई आशा नजर नहीं आती। मेरे विचार में प्रत्येक वर्ग को यह अधिकार है कि वह बिना विचारों के सम्मिश्रण के अपने विचार स्पष्ट रूप से देश के समुख रखे और यदि ईमानदारी के साथ यह किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कडवाहट

पैदा होगी कि गृह-युद्ध में उसका अंत हो।

हम लोगों में मतभेदों का होना बुरा नहीं है किंतु आपसी इज्जत और विश्वास का समाप्त होना बुरा है। यह सब समय के साथ ठीक होगा क्योंकि वही सबसे अच्छा उपाय है। यदि हम लोगों में वास्तव में अहिंसा की प्रवृत्ति है तो गृह-युद्ध और कडवाहट की जगह ही नहीं बचती।

सभी बातों पर विचार करने के पश्चात् मरी राय यह है कि तुम्हें तत्काल अपना विचार व्यक्त करने वाला मंत्रीमंडल बना लेना चाहिए। अपना कार्यक्रम भी निश्चित कर लो और आगामी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष उसे रख दो। यदि समिति उसे स्वीकार कर लेनी है तो तुम्हारा मार्ग सुगम हो जाएगा और अल्पसंख्यक गुट भी तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर यदि तुम्हारा कार्यक्रम समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो तुम्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए और तब समिति को अपना अध्यक्ष चुनने दो। फिर तुम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों के अनुसार देश का शिक्षित कर सकोगे। मैं यह राय पंडित पंत के प्रस्ताव से बिल्कुल पृथक् रूप में दे रहा हूँ।

अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। उन दिनों मैं बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था जब पंडित पंत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मथुरादास ने जो उस दिन राजकोट में ही थे, मुझे यह सदेश दिया कि पुराने नेताओं के विश्वास के प्रति एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। मेरे पास उसकी प्रति नहीं थी। लिहाजा मैंने कहा— जो भी है, ठीक है क्योंकि मुझे शेगाव में यह सूचना मिली थी कि तुम्हारे चुनाव के प्रति लोगों का तुम पर उतना अधिक विश्वास नहीं था जितना कि पुराने नेताओं के प्रति था— विशेष रूप से सरदार के प्रति। इसके बाद मैंने प्रस्ताव की प्रति देखी।

मेरे सम्मान का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उसकी स्वतंत्र कीमत कुछ भी नहीं है। यदि मेरे उद्देश्य या मेरी नीतियों या कार्यक्रमों के प्रति अविश्वास पैदा हो और देशवासी उसको खारिज कर दें तो मेरे सम्मान को खत्म होना ही चाहिए। भारत की उन्नति या पतन यहाँ के लाखों लोगों पर निर्भर है। व्यक्तिगत रूप में कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, उसको कोई कीमत नहीं— यदि लाखों लोग उसके प्रतिनिधि नहीं हैं। अतः इस पर विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं।

तुम्हारे इस विचार से कि देश जितना अहिंसा-प्रेमी इस समय है उतना कभी नहीं था— मैं पूर्णतः असहमत हूँ। जिस हवा में मैं साँस ले रहा हूँ, उसमें मुझे हिंसा की गंध आती है। हाँ हिंसा बहुत सूक्ष्म रूप में है। हगारा आपसी अविश्वास भी हिंसा का ही बिगड़ा रूप है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती दरार इसी बात का प्रमाण है। मैं और भी कई उदाहरण दे सकता हूँ।

कांग्रेस-भ्रष्टाचार के विषय में भी हम लोगों के विचार भिन्न हैं। मेरे पिछले में तो यह बढ़ रहा है। पिछले कई माह से मैं मूल रूप से छटाई की बात कर रहा हूँ।

इन परिस्थितियों में मुझे किसी अहिंसक आंदोलन की आशा नहीं है। प्रभावी स्वीकृति के बिना अल्टीमेटम बिल्कुल अर्धहीन है।

जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ। शायद अधिक चौकन्ना और भौरु स्वभाव का हूँ। तुम जवान हो और जवानी में अनंत आशाएँ होती हैं। मुझे आशा है कि तुम ठीक हो और मैं गलत हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की आज जो दशा है, वह कोई भला काम नहीं कर सकती और नाम को भी अवज्ञा आंदोलन नहीं चला सकती। अतः यदि तुम्हारा पूर्वानुमान ठीक है, तो मैं पीछे चलने वालों में से हूँ और सत्याग्रह का सेनापति हूँ।

मुझे प्रसन्नता है कि तुमने राजकोट के मुद्दे की भी चर्चा की है। इससे सुखानुभूति हुई कि हम तथ्यों को किम-किन दृष्टिकोणों से देखते हैं। इस सदर्म में मैंने जो भी कदम उठाए, उनके बारे में मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे विचार से इसका राष्ट्रीय महत्व है। राजकोट की वजह से मैंने अन्य स्थानों पर अवज्ञा आंदोलन को नहीं रोका। किंतु राजकोट ने मेरी आंखें खोल दीं। उसने मुझे मार्ग दिखाया। दिल्ली में रुकने की वजह मेरा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मैं मजबूरी में यहाँ एक चीफ जस्टिस के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब तक दिल्ली में बने रहना मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ, जब तक कि वायसरॉय के तार के मुताबिक उस कार्य की पूर्ति के लिए कदम न उठा लिए जाए। मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। यदि मैंने सत्ता का कर्तव्य-पूर्ति के लिए आह्वान दिया है, तो मैं भी उस कर्तव्य की प्रति-पूर्ति तक दिल्ली में बने रहना अपना कर्तव्य समझता हूँ। उर्फ साहब ने जिस दस्तावेज के अर्थ को शका में डाल दिया था, उनके मध्यस्थ के रूप में चीफ जस्टिस के चुनाव को मैं गलत नहीं मानता। वैसे भी सर मौरिस उन दस्तावेजों को एक चीफ जस्टिस की हैसियत से नहीं देखेंगे, बल्कि वायसरॉय के विश्वस्त ज्यूरिस्ट के रूप में देखेंगे। वायसरॉय द्वारा नामित जज को स्वीकार करके मैंने केवल बुद्धिमत्ता का ही नहीं, बल्कि सहृदयता का भी प्रमाण दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मैंने वायसरॉय की जिम्मेदारी को और बड़ा दिया है।

यद्यपि हमने आपसी मतभेदों पर व्यापक चर्चा की है, किंतु मेरे विचार से हमारे प्यजितागत संधि इससे प्रभावित नहीं होंगे। यदि ये उद्गार हृदय से निकले हैं, तो इन मतभेदों को भी हम सहजता से स्वीकार कर लेंगे।

प्यार सहित,

बापू,

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली, 2 अप्रैल 1939

पत्रों का विस्तृत उत्तर भेजा है। पंडित पत के प्रस्ताव से मेरी राय का दूर का भी रिश्ता नहीं है। दो वर्गों के विपरीत मतों के कारण तुम्हें अपनी नीति के अनुसार मंत्रिमंडल बना लेना चाहिए। अपने कार्यक्रम और नीति को प्रकाशित कराकर अ भा फा क के समक्ष पेश करो। यदि बहुमत प्राप्त हो, तो निर्विरोध कार्य करो। यदि बहुमत प्राप्त न हो, तो त्यागपत्र देकर समिति को नया अध्यक्ष चुनने को कहो। ईमानदारी और शुभेच्छा से कार्य करो। मुझे गृह-गुद्ध की आशंका नहीं है। प्यार — बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 3 अप्रैल 1939

मेरे पत्रों के उत्तर में आप का तार व पत्र मिला। विचार कर रहा हूँ। इस बीच मुझे महसूस हो रहा है कि पत प्रस्ताव के सदर्थ में मेरी स्थिति के विषय में आपको तथा अन्य लोगों को गलतफहमी है। अंतिम उपखंड असंवैधानिक है। मैं कांग्रेस की राय से बंधा हूँ। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं एक प्रेस बयान जारी करना चाहता हूँ। कृपया तार द्वारा सूचित करें कि आपको आपत्ति तो नहीं। प्रणाम — सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली 4 अप्रैल 1939

पत्रकार हमारे पत्राचार के विषय में हर प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने सभी को आपकी ओर भेज दिया है। मैंने सहयोगियों व सहकर्मियों के अलावा किसी को कुछ नहीं बताया है। प्यार — बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 5 अप्रैल, 1939

कल एम्सिएटड प्रेस ने आधिकारिक रिपोर्ट के लिए प्रार्थना की और कहा कि यूनाइटेड प्रेस भविष्यवाणी प्रकाशित कर रहा है। उन्हें सूचित कर दिया कि कुछ भी कहना असंभव

है। एक व्यक्ति को कागजात दिखाया है और शायद इस सप्ताह तीन और मित्रों को दिखाऊंगा। मेरे विचार से हमारे आपसी समझौते के उपरांत ही प्रचार होना चाहिए। नई दिल्ली के समाचारपत्रों की रिपोर्ट है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 25 को होगी। अभी तक आपका जवाब नहीं आया - सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली 5 अप्रैल 1939

तुम्हारा तार। इधर से कोई तिथि नहीं दी गई। तार पाने की सूचना नहीं दी। क्षमा। आज पता चला कि प्लेग के कारण गांधी सेवा सभ की बैठक स्थगित हो गई। सुविधानुसार कोई तिथि निश्चित कर लो। प्रकाशन के बारे में सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। प्यार-बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 5 अप्रैल 1939

दिल्ली से अमृत बाजार पत्रिका ने आज हमारे पत्राचार की रिपोर्ट प्रकाशित की है। पूर्णतः ठीक नहीं है। स्पष्ट है कि समाचार वहीं से लीक हो रहा है - सुभाष।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 5 अप्रैल, 1939

पिछले तार के बाद मैंने कुछ समाचारपत्र देखे। जैसे लीडर पूर्णतः स्पष्ट है कि हमारे पत्राचार की बातें दिल्ली से लीक हो रही हैं। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें - सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1939

समाचारपत्र सचवाई छुपाने में दक्ष है। ये नाम जगह आदि बना लेते हैं और फल्यनाए कर लेते हैं। मैं नहीं जानता क्या हुआ है। तुम्हें भरोसा दिला सकता हूँ कि यहाँ ऐसे समाचारों का जिम्मेदार कोई नहीं है। बताओ मुझसे क्या करने को कहते हो। प्यार-बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 6 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी,

मेजदादा, मेरे भाई शरत, को लिखे पत्रा में स एक में आपने सुझाव दिया है कि भविष्य की सयुक्त योजना की स्पष्ट भूमिका बनाने के लिए दोनों गुटों के नेताओं की खुले हृदय से बातचीत होनी चाहिए। मेरे विचार में यह अद्भुत विचार है और मैं पुगनी बातों को भूलकर इस विषय में अपना पूर्ण सहयोग देने को तत्पर हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस विषय में आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं? निजी रूप से मेरा मानना है कि एकता के इस प्रयास में आपका प्रभाव और व्यक्तित्व बहुत कुछ कर सकता है। एकता की आशा को छोड़ने से पूर्व क्या आप एक बार सभी को एकत्र करने का अंतिम प्रयास नहीं चाहेंगे? मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप एक बार पुनः विचार करें कि पूरा राष्ट्र आपको किस दृष्टि से देखता है। आप पृथक्तावादी नहीं हैं इसलिए लोग अभी भी सबको जोड़ने की आशा में आपकी ओर ही देखते हैं।

कार्यकारिणी समिति बनाने का जो सुझाव आपने मुझे दिया है, उस पर मैं गभीरता से विचार कर रहा हूँ। मेरा विचार है कि आपका सुझाव निराशा का पोषक है। वह एकता की आशाओं को समाप्त करता है। वह कांग्रेस को विखंडन से नहीं बचा पाएगा, बल्कि वह आपात स्थिति का सुलभ मार्ग होगा। वर्तमान परिस्थितियों में समरूप सदन का निर्माण करने की राय का अर्थ है कि गुटों को पृथक् होने की सलाह दी जा रही है। क्या यह दुःखद उत्तरदायित्व नहीं है? क्या आप पूर्णतया आश्वस्त हैं कि मिल-जुल कर कार्य करना असंभव है? हमारी आर से ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह भूलने और क्षमा करने और लोकहित में मिल-जुलकर कार्य करने को तैयार हैं और आपसे आशा रखते हैं कि आपकी समझौता करवाने में आप सक्षम होंगे। मैंने आपसे बात भी की है और पत्र भी लिखे हैं कि कांग्रेस का निर्माण चाहे जैसे भी हुआ हो, फिलहाल उसे बदलने की कोई संभावना नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि मिली-जुली सदन हो, जिसमें सभी गुटों का प्रतिनिधि यथासंभव शामिल किए जाए।

मैं जानता हूँ कि आप सयुक्त सदन के विरुद्ध हैं। क्या आपका विरोध सिद्धांतों पर आधारित है (अर्थात् आपके विचार में सयुक्त रूप में कार्य अशुभव है) अथवा आपका विचार है कि गांधीवादी (यह शब्द मैं इस कारण इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कोई अन्य शब्द मुझे नहीं मिला। आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे) लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिए? यदि दूसरी बात है तो कृपया मुझे स्पष्ट रूप में बताएं ताकि मैं इस विषय पर पुनर्विचार कर सकूँ। यदि पहला कारण है, तो कृपया इस पत्र में मैंने जो बातें कहीं हैं, उससे प्रकाश में स्थितियों का एक बार पुनः अवलोकन कर लें। हरिपुरा में जब मैंने आपको सुझाव दिया था कि समाजवादियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तो

आपने स्पष्ट रूप में अपनी सहमति जाहिर की थी। अब क्या परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि आप मुझे मेरी इच्छा से ससद का चुनाव करने को कह रहे हैं ?

आपने अपने पत्रों में दो गुटों का जिक्र किया है, जो एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत हैं। इस विषय में आपने विस्तार से कुछ नहीं लिखा और यह भी स्पष्ट नहीं किया कि जिस विरोध का जिक्र आपने किया, वह कार्यक्रम आधारित है अथवा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है। व्यक्तिगत संबंध मेरे विचार से खत्म हो जाने वाली घटना है। हम झगड़ा भी कर सकते हैं और अपने मतभेदों को मिटाकर हाथ भी मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कांग्रेस के इतिहास में स्वराज आंदोलन की घटना को ही ले सकते हैं। जहाँ तक मेरी जागरूकी है, देशबन्धु और पंडित मोतीलालजी के काफी दिनों तक परस्पर विरोधी संबंध रहने के बाद भी उनके संबंध आपके साथ अत्यधिक मधुर और मानवीय रहे। ग्रेट ब्रिटेन में आपातकालीन स्थिति में तीन मुख्य दल साथ मिल कर ससदीय कार्य को अजाम देते हैं। फ्रांस जैसे देश में संयुक्त ससद ही है। क्या हम अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की अपेक्षा कम देशभक्त हैं ? यदि ऐसा नहीं है तो फिर संयुक्त ससद के रूप में हम कार्य करने में अक्षम क्यों हैं ?

यदि आपको लगता है कि आपका विरोध कार्यक्रम आदि पर आधारित है, न कि व्यक्तिगत संबंधों पर, तो कृपया इस विषय में अपने विचारों से मुझे भी अवगत कराए। क्या आपको लगता है कि हमारे कार्यक्रमों में भिन्नता है ? यह भी क्या मौलिक रूप में इतनी कि हमारे लिए मिलकर कार्य करना असंभव हो गया है ? मैं जानता हूँ कि कुछ मतभेद हैं, किंतु कार्यकारिणी के सदस्यों के त्यागपत्र के उत्तर में भी मैंने यही लिखा है कि हमारे मतभेदों की अपेक्षा हमारे मतैक्य के बिंदु अधिक हैं। अभी भी मेरी यही राय है। त्रिपुरी का इससे कोई वास्ता नहीं है।

स्वराज मुद्दे पर अल्टीमेटम देने के मेरे विचार पर आपने अपने किसी पत्र में राय व्यक्त की है कि अभी वृहद रूप में अहिंसक आंदोलन छेड़ने का वातावरण नहीं है। किंतु क्या राजकोट में वृहद अहिंसक आंदोलन नहीं था ? क्या अन्य राज्यों में आप ऐसा नहीं कर सकते ? इन प्रांतों के लोग सत्याग्रह के विषय में अपेक्षाकृत कम प्रशिक्षित हैं। ब्रिटिश भारत में हमें अधिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त है— याहें कहने को ही हो। यदि प्रांतों के लोगों को लोक-स्वतंत्रता तथा सरकारी जिम्मेदारी के विरुद्ध संघर्ष के लिए आज्ञा दी जा सकती है तो ब्रिटेन शासित भारत को क्यों नहीं ?

अब गांधीवादियों के सहयोग से त्रिपुरी कांग्रेस में राष्ट्रीय मांग प्रस्ताव पारित किए जाने के विषय को ले। यद्यपि इसमें वही व्यर्थ की बातें और घिसै-पिटे नारे हैं, फिर भी कुछ अर्थों में मेरे अल्टीमेटम के विचार और आगामी संघर्ष के लिए तत्पर रहने की बात से मेल खाती है। क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हैं ? यदि हाँ, तो एक कदम और आगे बढ़कर आप मेरी योजना को क्यों स्वीकार नहीं करते ?

अब मैं पंडित पत के प्रस्ताव पर आता हूँ। इसके महत्वपूर्ण हिस्से में (मेरा मतलब अंतिम भाग से है) दो मुद्दे हैं। पहली बात में कार्यकारिणी समिति को आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरे, उसकी संरचना आपकी इच्छानुसार होनी चाहिए। यदि आप स्वेच्छा से निर्मित संसद की सलाह देते हैं और वह बना दी जाती है, तो लोगों को यही महसूस होगा कि वह आपकी इच्छानुसार ही बनाई गई है। किंतु क्या यह कहा जा सकेगा कि उसमें आपका पूर्ण विश्वास है? क्या अभाक की सभा में सदस्यों को मैं यह बात कह सकूंगा कि आपने ही ऐसी संसद के निर्माण की राय दी थी और आपको इस पर पूर्ण विश्वास है? यदि आप ऐसे संसद के निर्माण की सलाह देते हैं, जिस पर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है, तो क्या आप पत प्रस्ताव को ही प्रभावी नहीं बना रहे? अपनी राय में आप क्या ठीक काम कर रहे हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस प्रश्न पर भी विचार कर लें। यदि आप पत प्रस्ताव से सहमत हैं, तो आपको न केवल कार्यकारिणी समिति के विषय में अपनी राय व्यक्त करनी होगी बल्कि आपको एक ऐसी समिति के गठन की राय भी देनी होगी, जिसमें आपको पूर्ण विश्वास हो।

आपने अभी तक पत प्रस्ताव के गुणों के विषय में कुछ नहीं कहा है। क्या आप उस स्वीकृति देते हैं? या फिर आप उस एकमत से पाम प्रस्ताव को स्वीकृति देना चाहेंगे, जो हमने सुझाया है और जो आप के सिद्धांतों में विश्वास व्यक्त करता हो साथ ही आपके दिशा-निर्देश में भी विश्वास रखता हो और जिसमें कोई विवादस्पद मुद्दा भी न हो? ऐसे प्रस्ताव को पारित करने के पश्चात् कार्यकारिणी की समिति को नियुक्त करने में अध्यक्ष की क्या स्थिति होगी? मैं यह प्रश्न आपसे पुनः इन्हीं लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान सविधान आपकी ही कृति है और आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। इसी संदर्भ में एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप इस प्रस्ताव को मेरे प्रति अविश्वास मानते हैं? यदि ऐसा है तो मैं बिना शर्त तत्काल पद त्याग दूंगा। प्रेस बयानों में मेरे इस प्रश्न पर कुछ समाचारपत्रों ने टिप्पणी की है कि मुझे स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि इस प्रस्ताव का महत्व क्या है। इसे समझने की बुद्धि मुझमें है, किंतु कई मौकों ऐसे भी आते हैं जब व्यक्तिगत निर्णय उसके मार्गदर्शक नहीं बन सकते। स्पष्ट रूप से कहूँ तो अध्यक्षीय युक्तय से मेरी सन्तुष्टता को इतना मिला है। किंतु अब मैं इस पद पर एक दिन भी और बने रहना नहीं चाहता- जब तक कि मैं लोकहित कार्य को आगे न बढ़ाऊँ। मेरी ओर से जो दरी या हिचक हो रही है उसका केवल एक ही कारण है और वह यह है कि निर्णय करना आसान कार्य नहीं है। मेरे सहयोगियों के दो गुट हैं। पहल वालों का मानना है कि मुझे किसी समझौते की बातचीत किए बिना अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। दूसरा गुट मुझ पर बने रहने का दबाव डाल रहा है जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मेरी आत्मा स्पष्ट करना चाहती है कि मैंने अतिशय क्षण तक उच्च पदों में एकता बनाए रखने का पूरा-पूरा प्रयास किया। मुझे मालूम है कि वर्तमान परिस्थितियों में मेरे त्यागपत्र का क्या

अर्थ लिया जाएगा और इसके क्या परिणाम होंगे। यहाँ मैं यह भी बताऊँ कि पहले गूट के समर्थकों को अर्थात् वे लोग जो मुझे समझौते की अंतिम लड़ाई तक लड़ने को प्रेरित करते हैं विश्वास है कि आप बिना पक्षपात के इन मुद्दों पर पूर्ण विचार करेंगे और दोनों पक्षों को एक करने में सफल हो जाएंगे।

मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यदि आप यह कह देते हैं कि पत्र प्रस्ताव का अर्थ अविश्वास है, तो मैं तत्काल त्यागपत्र दे दूँगा। आप भलीभाँति जानते हैं कि आप जो भी कहते हैं, या करते हैं, उसे मैं अंधविश्वासी की भाँति स्वीकार नहीं कर लेता—जैसा कि देश के अन्य लोग करते हैं, तो फिर मुझे त्यागपत्र क्यों देना चाहिए जबकि आप स्वीकार करते हैं कि प्रस्ताव का अर्थ अविश्वास है? कारण सीधा और स्पष्ट है—मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती कि भारत का एक महान व्यक्ति यह स्वीकार करे—यद्यपि स्पष्ट शब्दों में न कहे—कि प्रस्ताव स्वीकृति के द्वारा मुझे त्यागपत्र दे ही देना चाहिए। ऐसा व्यवहार शायद आपके प्रति व्यक्तिगत आदर और इस विषय में आपकी राय के कारण ही कर पाऊँगा।

शायद—जैसा कि कुछ समाचारपत्रों ने भी सुझाया है—आप भी यही मानते हैं कि पुराना व्यक्ति ही पुनः कार्य-भार सभाल ले। ऐसी स्थिति में मैं आप से प्रार्थना करूँगा कि आप पुनः राजनीति में उतर आएँ, कांग्रेस के सदस्य बन जाएँ और कार्यकारिणी की बागडोर सभाल लें। यह सब कहने के लिए मुझे क्षमा करें। इससे मैं किसी को आघात पहुँचाना नहीं चाहता। आप में और आपके लेफिटनेट्स और चुने गए लेफिटनेट्स में जमीन-आसमान का अंतर है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो आप के लिए कुछ भी कर देंगे, किंतु उनके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होंगे। क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे कि पुराने नेता के निर्देशों के बावजूद कई गांधीवादियों ने अध्यक्षीय चुनाव में मेरे पक्ष में अपना मत दिया? यदि आपके व्यक्तित्व को खींचकर बीच में न ले आया जाए तो मुझे उनका समर्थन मिलता रहेगा। पुराने नेता की कोई नहीं मानेगा। त्रिपुरी में वह पुराने नेता सामने नहीं आएँ और बहुत चतुराई से उन्होंने मुझे आपके विरुद्ध इस्तोमाल किया। किंतु आप में और मुझ में कोई झगडा नहीं था। तत्पश्चात् उन्होंने कहा था कि त्रिपुरी में उनकी जीत हुई है और मेरी हार हुई है। वास्तविकता यह है कि न उनकी जीत हुई और न मेरी हार हुई। वह आप की विजय थी (बिना किसी संघर्ष के) किंतु नारायारी विजय, जो सम्मान खोकर प्राप्त की गई हो।

मैं विषयांतर कर रहा हूँ। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सीधे और स्पष्ट रूप में सामने आएँ और कांग्रेस के मामलों में हस्तक्षेप करें। इससे समस्याएँ सुलझेंगी और जो पुराने नेतृत्व के विरोधी हैं—निस्संदेह विरोधी हैं—स्वतः ही खत्म हो जाएँगे।

यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मेरे पास एक वैकल्पिक सुझाव भी है। कृपया हमारी इच्छानुसार आजादी के संघर्ष को चलाते रहें और इसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार

को अल्टीमेटम देकर करे। इस दशा में हम सभी अपने पदा से कार्यमुक्त हो जाएंगे। यदि आप चाहेगें, तो हम आपकी पसन्द के लोगों को अपनी दृष्टानुसार ये पद थमा दंगे। किन्तु एक ही शर्त है कि स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रहना चाहिए। मेरे जैसे कुछ लोगों का विश्वास है कि जो परिस्थितियाँ व मौकें हमें आज उपलब्ध हैं, वे बार-बार नहीं मिलते। इसलिए संघर्ष जारी रखने की खातिर हम लोग कोई भी बलिदान देने को तत्पर हैं।

यदि अत तक आपका मानना यही है कि सगुक्त उचित नहीं, समजातीय मन्त्रिमंडल के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं— और यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी इच्छानुसार मन्त्रिमंडल का चुनाव करूँ तो मैं चाहूँगा कि आगामी कांग्रेस तक आप अपना विश्वास मुझ पर व्यक्त करें। इस बीच यदि हम स्वयं जो सेवा करने के योग्य सिद्ध नहीं कर पाएँ तो कांग्रेस के समक्ष व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे और स्वतः ही कार्यभार से मुक्त कर दिए जाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों में आप के विश्वास-मन का अर्थ है अभा का का विश्वास-मन प्राप्त कर लेना। किन्तु यदि आप हममें अपना विश्वास व्यक्त नहीं करते और हमें समजातीय मन्त्रिमंडल बनाने की सलाह देते हैं तो आप मत प्रस्ताव को तरजीह नहीं दे रहे हैं।

10880

एक बार पुनः मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे यह अवश्य बता दें कि सयुक्त मन्त्रिमंडल के खिलाफ आपका सिद्धांतों के कारण विरोध है अथवा आपकी इस इच्छा के कारण कि पुराने नेताओं का जितना प्रतिनिधित्व मैंने अपने 25 मार्च के पत्र में लिखा था, उसकी अपेक्षा अधिक होना चाहिए।

पत्र समाप्त करने से पूर्व एक-दो निजी बातों पर भी बात करना चाहूँगा। आप ने अपने एक पत्र में इशारा किया है कि छोड़े कुछ भी उँ जाएँ, हमारे व्यक्तिगत संबंध बिगड़ने नहीं। मैं भी हृदय से यही चाहता हूँ। मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूँगा कि जीवन में यदि मुझे किसी बात पर अभिमान है, तो वह यही है कि मैं एक सज्जन पुरुष का पुत्र हूँ— अतः स्वयं भी एक सज्जन पुरुष हूँ। देशबन्धु दास प्रायः हमें कहा करते थे कि जीवा राजनीति से बड़ा है। यह शिक्षा मैंने उन्हीं से पाई है।

मैं एक दिन भी उस राजनीति में रहना नहीं चाहूँगा जहाँ रहकर मुझे सज्जनता के उन मानदंडों से नीचे गिरना पड़े जो बचपन से मेरे दिलोदिमाग में भरे गए हैं और जो मानदंड मेरे खून में बसे हो। मेरे पास यह जानने का कोई मार्ग नहीं है कि एक व्यक्ति के रूप में मेरे विषय में आपकी क्या राय है क्योंकि आप मुझे बहुत कम जानते हैं। फिर मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने भी मेरे विषय में बहुत-सी बातें आप तक पहुँचाई हैं। मुझे पता चला है कि पिछले कई महीनों से मेरे विरोध में बहुत धीमी गति से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक प्रचार किया जा रहा है। यह बात मैं बहुत पहले आप को बताना चाहता था किन्तु उस समय मेरे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं थे कि कौन मेरे बारे में क्या प्रचार कर रहा है। बाद में मुझे काफी सूचनाएँ प्राप्त हुईं कि क्या कहा जा रहा है— यद्यपि अभी

मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूँ कि मेरे विरुद्ध प्रचार करने वाले कौन लोग हैं।

एक बार फिर मैंने विषयांतर कर दिया। एक पत्र में आपने आशा व्यक्त की है कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेंगा। महात्माजी। मुझे पर विश्वास करें, इन दिनों मैं यही प्रार्थना करता रहा हूँ कि ईश्वर मुझे अपने देश को स्वतंत्र कराने और देशवासियों के भलाई के मार्ग पर ले जाने की चेतना दे। मैंने सदा आवश्यकता पड़ने पर ईश्वर से शक्ति और प्रेरणा की मांग की है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह देश सदैव जीवित रहता है जिसके देशवासी उसके लिए आवश्यकता पड़ने पर जीवन-दान को भी तैयार हो। यह नैतिक (अथवा आध्यात्मिक आत्माहुति आसन नहीं है) किंतु जब भी मेरे देश को मेरे बलिदान की आवश्यकता पड़े, ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करें।

आशा है, स्वास्थ्य सुधर रहा होगा। मैं भी धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ।

आदर सहित प्रणाम—

आपका स्नेहाकांक्षी,

सुभाष

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, अप्रैल 7, 1939

राजेनबाबू से हुई टेलीफोन पर बातचीत में आगे मैं यह चाहता हूँ कि आप दिल्ली से राजकोट के लिए रवाना होने से पहले एक बैठक हमारे साथ अवश्य करें। इससे आपको अधिकाधिक तीन दिन की देरी होगी। पत्राचार से कोई परिणाम नहीं निकल रहा और मेरा विचार है कि व्यावैतगत रूप से मिलकर बहुत-सी बातें हल हो सकेंगी। रही स्थान की बात, तो यदि आप के लिए स्वास्थ्य के कारण यहां आना समभव नहीं तो मैं डॉक्टरों की राय को न मानते हुए दिल्ली पहुंच जाता हूँ। जैसा कि मैंने त्रिपुरी जाने के लिए भी किया था। मुझे लगता है कि मुझे अपने स्वास्थ्य की कीमत पर भी कार्यकारिणी समिति की समस्या और कांग्रेस की एकता के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। यदि आगामी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक के लिए बात स्थगित कर दी गई, तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी तथा रहस्य बना रहेगा, जिससे लोगों के मन में शकितिया पैदा होंगी—सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1939

तुम्हारा टेलीफोन-संदेश मिला। राजकोट के कार्य से आज रात ही राजकोट जा रहा हूँ। तात्कालिक कर्तव्य की बलि दिए बिना इसे स्थगित करना संभव नहीं था। जिस क्षण राजकोट से कार्यमुक्त होऊंगा, तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूंगा। तब तक मेरी राय मानकर

अपना गत्रिगडल बनाओ और अपना कार्यक्रम प्रकाशित करवाओ। रविवार प्रात राजकोट पहुंच जाऊंगा। प्यार-बापू।

महात्मा गांधी की ओर से

अप्रैल 7, 1939

तुम्हारा तार। मैं असमर्थ हू। मेरा राजकोट जाना आवश्यक है। मेरी राय है कि शरत और अन्य प्रतिनिधियों को राजकोट भेज दो। वह वायुयान से आ सकते हैं। राजकोट स दस दिन पहले निकल पाना संभव नहीं है। प्यार -बापू।

महात्मा गांधी के लिए

मेरे प्रिय महात्माजी,

झीलगुडा, 10 अप्रैल

अनेक तारों और छोटे पत्रों के अतिरिक्त मैंने आपको 4 और महत्वपूर्ण पत्र लिखे हैं जो मैंने 25 मार्च (26 को डाक में डाला) 29 मार्च और 31 मार्च तथा 6 अप्रैल को लिखे हैं जिनमें कांग्रेस की सामान्य दशा पर व विशेष रूप से कार्यकारिणी की समिति पर विशेष रूप से चर्चा की है। मुझे खेद है कि पत्राचार इतना लंबा चला कि मैं चाहता था कि एक ही लंबे पत्र में ये सब बातें लिख पाता किंतु दो बाधाएँ थीं। पहली लंबा पत्र लिखने में थकान और श्रम तथा दूसरा आपके पत्रों में नए मुद्दे जो मेरे उत्तर की अपेक्षा रखते थे। मुझे आशा है कि इस शृंखला का यह मेरा अखिरी पत्र होगा। यहाँ मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ मुझे गलत समझ जाने की संभावना है। अपने पिछले पत्रों के मुख्य मुद्दों को याद करते हुए आपसे अंतिम अपील करता हूँ।

1. सदस्य भ्रष्टाचार एवं हिंसा—यदि मैं आपको ठीक से समझ पाया हूँ तो आप अल्टीमेटम और शीघ्र ही राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करने के विचार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप यह महसूस करते हैं कि हम लोगों में अत्यधिक भ्रष्टाचार और हिंसा फैली है। पिछले कई माह से हम कार्यकारिणी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और मेरे विचार से सभी इस बात पर एकमत भी हैं— सिर्फ इसके कि मैं नहीं मानता कि ये बातें इतनी अधिक हैं कि हम तत्काल पूर्ण स्वराज के संघर्ष को छेड़ न पाएँ। इसके विपरीत हम जितना ही सवैधानिक मार्ग से मटकते रहेंगे लोगों को पद व प्रतिष्ठा की भूख में लिप्त रहने देंगे, उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना अधिक रहेगी। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि मुझे आज के यूरोप की कुछ राजनीतिक पार्टियों का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान है और

बिना किसी विरोधाभास के नैतिक दृष्टि से भी निर्णय करे, ता हन उनसे किसी भी रूप में कम नहीं हैं बल्कि कुछ मामलों में उनसे बढ़कर ही होंगे। इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा मुझे उचित नहीं जान पड़ता। फिर देश की आजादी के लिए सघर्ष और बलिदान तो भ्रष्टाचार को खत्म करने में ही सहायक होगा और फिर यदि कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति हमारे बीच उच्च पद पर आसीन होगा भी, तो जनता के समझ आ जाएगा। फिर, ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष हैं कि जब महान राजनीतिज्ञों ने देश के बाहरी शत्रुओं से युद्ध प्रारंभ किया, ताकि गृहयुद्ध के शत्रुओं को समाप्त कर सकें।

सदर्थ हिंसा की भावना का होना— मैं अपने पहले बयान पर ही स्थिर हूँ। उच्च पदों पर बैठे कांग्रेसियों व उनके समर्थकों में पहले की अपेक्षा आज हिंसा की भावना बहुत कम हो चुकी है। इस विषय में भी मैं अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ। अतः तर्क-वितर्क की आवश्यकता नहीं है। यह समभव है कि कांग्रेस विरोधियों में आज हिंसा की भावना हो, उसी के परिणामस्वरूप दंगे भड़क रहे हैं जिन्हें कांग्रेस सरकार जबर्दस्ती दबा रही है— वह एक अलग मुद्दा है। इससे हमें यह विचार नहीं बनाना चाहिए कि कांग्रेस में तथा उसके समर्थकों में हिंसा की भावना बढ़ रही है। क्या यह उचित है कि हम स्वतंत्रता संग्राम को तब तक स्थगित रखें— जब तक कि अन्य पार्टियाँ जिनका कि हमसे कोई संबंध नहीं है (उदाहरण के लिए मुस्लिम लीग) अहिंसक विचारधारा वाली नहीं हो जातीं।

2. सदर्थ पंडित पत का प्रस्ताव— मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस प्रस्ताव को जिस रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया, स्वीकार करते हैं और अपनी स्वीकृति देते हैं— अथवा हम लोगों द्वारा सुझाए गए संशोधनों के बाद सर्वसम्मति से पास होने देना चाहते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप उस प्रस्ताव को मेरे प्रति अविश्वास का मत मानते हैं ? आपकी सुविधा के लिए नीचे मैं मूल प्रस्ताव और उसका संशोधित रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मूल रूप

कांग्रेस में उत्पन्न हुए वैचारिक मतभेदों और अध्यक्षीय चुनाव के सन्दर्भ में पैदा हुए विवादों को दखते हुए यह आवश्यक है कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे और सामान्य नीति की घोषणा करे।

1. यह कांग्रेस अभी भी उन मूलभूत नीतियों द्वारा निर्देशित व्यक्तियों पर दृढ़ है, जो महात्मा गांधी के मार्ग निर्देशन में बनाई गई थी। इसका दृढ़ विचार नहीं है कि इन नीतियों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए और भविष्य में भी कांग्रेस के

कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इन्हीं नीतियों का पालन किया जाना चाहिए। कार्यकारिणी द्वारा पिछले वर्ष में किए गए कार्य में यह कांग्रेस पूर्ण विश्वास व्यक्त करती है और उसके किसी भी सदस्य के प्रति किसी प्रकार की टिप्पणी पर खेद व्यक्त करती है।

2 आगामी वर्ष में उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि महात्मा गांधी ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं— और देश को इस कठिन परिस्थिति से निकाल सकते हैं। कांग्रेस यह आवश्यक समझती है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अतः वह अध्यक्ष से अनुरोध करती है कि वे कार्यकारिणी का चुनाव या गठन गांधीजी की इच्छानुसार करें।

सशोधित रूप

कांग्रेस में उत्पन्न हुए वैचारिक मतभेदों और अध्यक्षीय चुनाव के सबंध में पैदा हुए विवादों को देखते हुए यह आवश्यक है कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे और सामान्य नीति की घोषणा करे।

1 यह कांग्रेस अभी भी उन मूलभूत नीतियों द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों पर दृढ़ है जो महात्मा गांधी के मार्ग निर्देशन में बनाई गई थी और इसका दृढ़ विचार गहरी है कि इन नीतियों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए और भविष्य में भी कांग्रेस के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इन्हीं नीतियों का पालन किया जाना चाहिए। यह कांग्रेस पिछले वर्ष कार्यरत कार्यकारिणी के प्रति अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करती है।

2 आगामी वर्ष में उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कांग्रेस चाहती है कि महात्मा गांधी का मार्गदर्शन व सहयोग आगे भी मिलता रहे जैसा कि पिछले वर्षों में मिलता रहा है।

3 सदस्य कांग्रेस समाजवादी पार्टी— मेरे 31 मार्च के पत्र में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्य में जो टिप्पणी थी वह समाचारपत्रों की रिपोर्टों तथा अनुमानों पर आधारित थी। कुल मिलाकर जो प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है यह यह था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कार्यकारी नेता अपनी दुर्लभ नीतियों पर चलते रहेंगे, जिससे कि वे भविष्य में नई नीति पेश कर सकें— अर्थात् पुराने पर्यवेक्षकों को समर्थन दे सकें। मैंने सोचा कि कहीं इससे आप यह अनुमान न लगा लें कि पूरी कांग्रेस समाजवादी पार्टी हमारा साथ छोड़ देगी और भूतपूर्व नेताओं का साथ देगी। परिणामतः मैं आपको यह बताना चाहता था कि मुख्य नेतागण जो

भी करे, किंतु कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अधिकांश लोग हमारे साथ ही रहेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि त्रिपुरी में अपने सहयोगियों के प्रति उनके नेताओं ने तटस्थता की नीति अपनाई थी। कुछ प्रांतों ने विद्रोह किया। उच्च पदों पर आसीन लोगों में से अधिकांश लोगों ने नैतिकता के कारण या अनुरासन के कारण नेताओं का अनुपालन किया। जो सूचनाएँ मुझे मिलीं, उनके बारे में आपको लिखने का अर्थ यह नहीं है कि यह उस आभास की गारंटी है, जो मुझे प्रेस की रिपोर्टिंग से हुआ, जिसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं के भविष्य की नीति का पता चलता है। अतः इस प्रकार पार्टी में अलगाव का प्रश्न ही नहीं पैदा होना चाहिए।

4 सदस्य समजातीय बनाम संयुक्त मंत्रिमंडल— इस विषय में आपके तर्कों को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा और उन पर विचार किया है। किंतु अभी तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। समझ है कि मेरी दृष्टि के लिए आपके पास अन्य तर्क भी हों। आपका मूल विचार यह है कि लोगों में मौलिक मतभेद इतने अधिक हैं कि संयुक्त रूप में कार्य करना संभव नहीं है। हरिपुरा कांग्रेस में आपके विचार हमारे विचारों में मेल खाते थे। अघाष्टीय चुनाव की शाम तक संयुक्त रूप में कार्य करना संभव था। फिर उसके बाद ऐसी क्या बात हो गई, जिससे यह कार्य असंभव हो गया और आपके विचारों में मूलभूत सिद्धांतों को लेकर हमारे मतभेद क्या हैं ?

मैं यह भी जानना चाहूँगा कि संयुक्त सदन के लिए आपकी आपत्ति क्या केवल सिद्धांतों के कारण ही है अथवा उस 50-50 के अनुपात को लेकर है, जिसका जिक्र मैंने अपने 25 मार्च के पत्र में किया था ? उस पत्र में मैंने सुझाव दिया था कि मैं सात व्यक्तियों के नाम सुझा सकता हूँ और सात व्यक्तियों के नाम सरदार पटेल द्वारा सुझाए जा सकते हैं, जिन्हें आपकी स्वीकृति से पास किया जा सकता है। आप उपर्युक्त अनुपात के अनुसार चाहें तो चौदह के चौदह व्यक्तियों के नाम सुझाने में सक्षम हैं— यदि आपको यह अनुपात उचित नहीं लगता, यद्यपि यह हमारे संयुक्त सविधान के मार्ग में बाधक होगा, तो कृपया आप मुझे सूचित करें, ताकि मैं इस विषय में पुनर्विचार कर सकूँ।

5 श्री शरत बोस को सुझाव— आपने मेरे भाई को 24 मार्च के अपने पत्र में लिखा है— "यदि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि समलने की गुंजाइश नहीं तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों की एक बैठक हो जाए, ताकि एक दूसरे के सामने अपने हृदय की बात रख सकें और निष्कर्ष पर पहुंच सकें"— इस विषय में आपने बाद के पत्रों में जिक्र तक नहीं किया है। मैं आपका एक से अधिक बार लिख चुका हूँ कि हमारी ओर से कांग्रेस के उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों में एकता लाने

का प्रत्येक प्रयास संभव है। मैंने यह भी लिखा था कि हनारी ओर मेरे जैसे ही अन्य व्यक्ति हैं, जो आपको पृथक्तावादी नहीं मानते और जो एकता के लिए आपकी ओर देख रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सिर्फ भूतपूर्व अध्यक्ष तथा उसके समर्थकों को ही गांधीवादी गाने, आप हमारे विचारों और योजनाओं को स्वीकार क्यों नहीं करते ?

6 सदस्य मेरे वैकल्पिक सुझाव—

क मेरा पहला सुझाव यह है कि स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उस स्थिति में आप हमसे जो भी बलिदान आवश्यक समझे, मांगेंगे— जिसमें पदत्याग भी शामिल है, हम दे देंगे। संघर्ष जारी रखने की स्थिति में हम बिना शर्त सहयोग देने का वायदा करते हैं।

ख यदि आप समझते हैं कि संघर्ष जारी रखना संभव नहीं है और भूतपूर्व अध्यक्ष को गद्दी सौंपना चाहिए, तो मेरा सुझाव है कि आप चार आना कांग्रेस के सदस्य बन जाएं और कार्यकारिणी का नियंत्रण सीधे अपने हाथों में ले लें। ऐसा करने से उन कतिनाइयों से झुटकारा मिल जाएगा, जो आपके द्वारा भूतपूर्व अध्यक्ष को पुनः पद देकर पैदा होगी।

ग यदि ये सुझाव भी आपको उचित न जान पड़े अथवा मजूर न हों और आप मुझे समाजातीय कार्यकारिणी बनाने की सलाह देते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपना विश्वास मत आगामी कांग्रेस तक अवश्य दें। आपके विश्वास मत से अधिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आप के रूढ़िवादी समर्थकों को संतोष हो जाएगा। ऐसा करने से विभाजन से बचा जा सकेगा और कार्य करना संभव हो पाएगा। इस संबंध में मैंने अपने 6 अप्रैल के पत्र में भी आप से करबद्ध प्रार्थना की थी कि पत्र प्रस्ताव के तहत कार्यकारिणी का गठन आपकी इच्छानुसार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आपका विश्वास मत भी प्राप्त होना चाहिए। इस प्रस्ताव को देख लेने के पश्चात् आप के लिए यह संभव नहीं होगा कि आप ऐसी कार्यकारिणी के गठन की सलाह दें, जिसमें आपका विश्वास न हो।

घ यदि तीनों सुझाव आपको मजूर न हों, तो आपके समक्ष एक ही रास्ता है कि आप कार्यकारिणी के गठन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लें और अपने निर्णय की घोषणा के बाद आप मुझे अपने भविष्य का मार्ग चुनने की स्वतंत्रता दें।

7 सदस्य आपका मोन— अपने एक पत्र में आपने कहा था कि आप इसलिए मोन हैं, क्योंकि मैंने आप से चुप रहने का अनुरोध किया था। मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। त्रिपुरी में स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेसियों में आपस में दरार बढ़ती जा रही थी और मेरा विचार था कि केवल आप ही एकता ला सकते हैं, तब मैंने महसूस किया कि यह अति आवश्यक है कि आप पूरी स्थिति

पर निष्पक्ष रूप से विचार करे। मत प्रस्ताव के समर्थक नई दिल्ली की ओर भाग रहे थे, अतः मेरा यह विचार स्वाभाविक था कि ये आप को उसके एक पक्ष से अवगत कराएंगे, जो त्रिपुरी में घटा। इसीलिए मैंने आप से प्रार्थना की थी कि आप तब तक कोई सार्वजनिक बयान जारी न करें, जब तक कि त्रिपुरी की पूरी कहानी अर्थात् दूसरे पक्ष की बात भी न जान ले। आप ने मेरी बात मानी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उसी का परिणाम है कि आज समस्त देश उच्च पदस्थ कांग्रेसियों के बीच फिर से एकता स्थापित करने और कांग्रेस को गृह-युद्ध से बचाने के लिए आपकी ओर नज़रे लगाए बैठे हैं। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा होता है— ईश्वर रक्षा करे— कि आप भी विभाजन को स्वीकृति दे देते हैं, तो एकता की सभी आशाएँ धूल में मिल जाएगी और समभव है कि हम लोग गृह-युद्ध में घिर जाए। किंतु अब मैं अनुभव करने लगा हूँ कि अधिक देर तक आप पर यह जिम्मेदारी नहीं डाले रखनी चाहिए। परिणामस्वरूप यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए तो— और यदि आपको त्रिपुरी की कहानी के दोनों पक्षों की पूरी जानकारी मिल चुकी है— तो आप कोई भी सार्वजनिक बयान या अपना मत देने को स्वतंत्र हैं। मैं आप को याद दिलाना चाहूँगा कि कांग्रेसियों के सभी वर्ग (केवल पुराने कार्यकर्ता नहीं) आपकी राय जानना चाहते हैं। निष्कर्ष-स्वरूप मैं कहना चाहूँगा कि जब आप अक्टूबर 7 तारीख को राजकोट के लिए रवाना हुए तो जो तार आपने मुझे भेजा उसे पाकर मुझे बहुत निराशा हुई। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने मेरी ओर से बिडला हाउस में टेलीफोन द्वारा सूचित किया था कि मैं आपसे मिलने को कितना उत्सुक हूँ। क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे पत्राचार से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है और आमने-सामने बात होना अति आवश्यक है। फिर दिन में मेरे डॉक्टर ने भी बिडला हाउस में फोन पर श्री महादेव देसाई से बात की और उन्हें बताया कि आप यहाँ आने का प्रयत्न अवश्य करें और कम से कम 8 तारीख के पूर्व दिल्ली छोड़कर न जाए, किंतु खेद है कि राजकोट आपको खींचकर ले गया। मुझे आशा है कि यह राजकोट के लिए बदलाव होगा, किंतु कांग्रेस के लिए अभिशाप नहीं बनेगा। यदि आपको अक्टूबर 8 रातकोट न जाना पड़ता, तो आज त्रिपुरी की कथा का इतिहास कुछ और होता। आप में स्थिति को सभालने की शक्ति है, किंतु आप यहाँ उपस्थित नहीं थे— यद्यपि मैंने और रवागत समिति ने बार-बार आप से उपस्थित रहने का अनुरोध किया था। वस्तुतः जब आपने ठाकुर साहब को अल्टीमेटम दिया था तो स्वाभाविक था कि संपूर्ण भारत आप पर निर्भर था और आपके देशवासियों के एक धर्म का विचार था, और आज भी है कि आप राजकोट सघर्ष स्थगित कर सकते थे— कम से कम कुछ सप्ताह

के लिए, जिससे राजकोट राज्य के लोगों को कोई हानि नहीं होने वाली थी।

(सर मॉरिस स्टेर के निर्णय के संबंध में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि उन्होंने उस पर हस्ताक्षर वीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से किए हैं न कि व्यक्तिगत रूप से)।

मेरा पत्र आवश्यकता से अधिक लंबा हो गया है, अतः मुझे यहीं समाप्त करना चाहिए। आशा है आपकी यात्रा सुखद रही होगी और स्वास्थ्यलाभ भी हो रहा होगा। मैं लगातार स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ।

प्रणाम सहित—

आपका स्नेहाकाशी,
सुभाष

महात्मा गांधी की ओर से

राजकोट

10 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय सुभाष,

तुम्हारा 6 तारीख का पत्र मुझे यहाँ के पत्र पर मिला। मैंने बिना किसी पक्षपात के विरोधियों की मीटिंग का सुझाव दिया था किंतु उसके बाद इतना कुछ घट चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ उपयोगी परिणाम निकल सकतें हैं। वे लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने और अधिक फडवाहट पैदा होगी। दरार बहुत गहरी है, शक्य है, लोगों पर रोक लगाने का कोई मार्ग नहीं। मुझे एक ही मार्ग दिखाई देता है कि प्रत्येक वर्ग को उसकी इच्छानुसार कार्य करने दिया जाए।

विरोधियों से संयुक्त रूप से कार्य करवा पाने में स्वयं को अक्षम समझता हूँ। मेरे विचार में वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो देश की भलाई ही होगी।

पता प्रस्ताव की मैं व्याख्या नहीं कर सकता। जितना ही उस पदका हूँ, उतना ही उसे भाषण करता हूँ। इसे तयार करने वाला का महत्त्व ठीक रहा होगा किंतु वह वर्तमान समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए आप उसकी व्याख्या अपने अनुभव के तथा बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करें।

मैं कोई कार्यकारिणी तुम पर लादना नहीं चाहता न ही लादूँगा— तुम्हें भी लक्ष्मीनी नहीं चाहिए। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तुम्हारी कार्यकारिणी का विश्वासनाम दिलाने की गारंटी नहीं देता, न तुम्हारी नीतियों का स्वीकृति दिलाने का विश्वास ही दिला

सकता हूँ। सदस्यों को स्वयं निर्णय करने दो। यदि तुम्हें मत प्राप्त नहीं होता, तो विपक्ष का नेतृत्व करो— जब तक कि बहुमत प्राप्त न कर लो।

वया तुम्हें मालूम नहीं कि जहा-जहा मेरा प्रभाव है, वहा-वहा मैंने आंदोलन को रोक दिया है। त्रावणकोर और जयपुर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। राजकोट में, मैं यहा आने से पूर्व में आंदोलन समाप्त कर आया। मैं दोहराना चाहूंगा कि वातावरण अहिंसक नहीं है। क्या रामपुर से तुमने कोई सबक नहीं सीखा? मेरे विचार से इसने हमारे लक्ष्य को बहुत हानि पहुंचाई है। मेरे विचार में यह पूर्व नियोजित था। कांग्रेसी इसके उत्तरदायी हैं— जैसे उड़ीसा में, रामपुर में हुआ। क्या तुम यह महसूस नहीं करते कि हम दोनों व्यक्ति किसी ही एक बात को अलग-अलग दृष्टि से देखते हैं और विरोधी निर्णयों पर पहुंचते हैं, तो फिर हम राजनीतिक घरातल पर कैसे मिल सकते हैं? अतः वहा मतभेद रहने दें— किंतु सामाजिक, नैतिक और निगमों के घरातल पर सहमत हो। मैंने आर्थिक घरातल की बात नहीं की, क्योंकि वहा भी हम लोगों में मतभेद है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम विरोधियों को एकमत होकर कार्य करने की राय देने की अपेक्षा उन्हें अपने-अपने मार्ग पर अपने कार्य करने की स्वतंत्रता दे दे, तो देश का अधिक हित कर पाएंगे। दिल्ली में मैंने तुम्हें तार द्वारा सूचित किया था कि मैं धनबाद पहुंचने में असमर्थ हूँ। राजकोट की मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था।

मैं ठीक-ठाक हूँ। वा को मलेरिया ने घेर रखा है। आज पाचवा दिन है। मैं उन्हें अपने साथ ही ले आया था। मुझे आशा है कि तुम निर्णयात्मक कार्य करते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। तुमने अपने पिता का जो वर्णन किया, वह दिल को घू लेने वाला है— मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त है। एक बात मैं भूल गया। किसी ने मुझे तुम्हारे विरुद्ध नहीं भड़काया है। जो मैंने शेगाव में कहा, वह मेरा व्यक्तिगत आकलन था। यदि तुम्हें यह लगता है कि पुराने लोगों में से कोई तुम्हारा व्यक्तिगत विरोधी है तो तुम्हारा विचार गलत है।

प्यार,

बापू

महात्मा गांधी के लिए

डीलमुंडा पो आ. माननूम

13 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी,

मैंने सोचा था कि 10 तारीख का पत्र मेरा अंतिम पत्र होगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज प्रातः मैं जल्दी उठ गया, क्योंकि नींद ने मेरा साथ नहीं दिया और प्रातः काल की रोशनी

में मैं सामान्य समस्याओं पर विचार करता रहा। फिर मैंने पूरा पत्र-व्यवहार पुनः पढ़ा और इस निर्णय पर पहुँचा कि कुछ विषय अभी स्पष्ट करने शेष हैं।

30 मार्च के पत्र में आपने लिखा है कि शिवाजी ने 15 फरवरी को हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि हमने मौलिक सिद्धांतों के बारे में मतभेद हैं। अपनी बातचीत में हम कुछ मतभेदों को खोज पाए थे। किंतु मेरे विचार से वे मतभेद मूलभूत सिद्धांतों को लेकर थे। अपने पत्रों में जिन मतभेदों का जिक्र आपने किया, उनसे अधिक मतभेदों की चर्चा हमने तब की थी। उदाहरण के लिए आपने भ्रष्टाचार, हिंसा आदि प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपने अल्टीमेटम देने के मेरे सुझाव और सघर्ष जारी रखने के विचार का विरोध किया है क्योंकि आपको यह लगा कि वर्तमान हिंसक परिस्थितियों में अहिंसक जन-आंदोलन समझ नहीं है। लेकिन क्या ये मतभेद मौलिक सिद्धांतों से संबद्ध हैं और क्या ये संयुक्त कार्य करने की आशाओं को धूमिल करते हैं? कांग्रेस का प्रश्न पर कांग्रेस को ही निर्णय लेना होगा। हम व्यक्तिगत रूप से अपने विचार और योजनाएँ सामने रख सकते हैं, किंतु यह कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वह इन्हें स्वीकार कर ले अथवा अस्वीकार कर दे। मेरा मुख्य मुद्दा अल्टीमेटम देने का और स्वतंत्रता सघर्ष को जारी रखना था, जिसे त्रिपुरी ने कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, किंतु मैंने उसके लिए कोई शिथिलता नहीं की थी। आज भी मेरा विश्वास है कि मैं सही कर रहा था। एक दिन आएगा, जब कांग्रेस भी इस स्वीकार करेगी। उम्मीद करता हूँ कि वह दिन जल्दी ही आएगा। इस बात को स्वीकार कर लेने के बाद कि उपर्युक्त मतभेद हैं— फिर भी हम लोग संयुक्त रूप से कार्य करने में अक्षम क्यों हैं? ये मतभेद आज अचानक उतार नहीं हो गए हैं, बल्कि काफी समय से विद्यमान थे— फिर भी इन सब के बावजूद हम लोग मिलकर कार्य कर रहे थे। ये मतभेद और कुछ अन्य मतभेद भविष्य में भी जारी रहेंगे— तब भी हमें मिलकर काम करना ही होगा। (यानी लोक-हित के लिए एकत्र होना ही होगा)।

आपको याद होगा कि शिवाजी ने हम लोगों ने संयुक्त मंत्रिमंडल व समाजातीय मंत्रिमंडल के प्रश्न पर ही लगभग एक घंटे तक बातचीत की थी किंतु हमने तब भी मतभेद था। तीन घंटे के हमारे वार्तालाप के अंत में मैंने आपसे कहा था कि मैं सरदार पटेल का समर्थन प्राप्त करने का हर साधन प्रयास करूँगा। समझ है कि यदि मैं बीमार न पड़ा होता और वर्षा में 22 फरवरी की कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग मिले होते, तो संयुक्त रूप से कार्य कर घाना शापद आसान हो जाता।

आपके 30 मार्च के पत्र में एक और टिप्पणी है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ और जिसका जिक्र मैं भूतवश पहले नहीं कर पाया। आपने कहा है कि यदि मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बहुमत प्राप्त हो जाए तो मैं उन लोगों की कार्यकारिणी गठित कर लूँ जो मेरी नीतिशास्त्र में विश्वास रखते हों। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि यदि हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का समर्थन प्राप्त हो भी जाए, तो भी हमें संयुक्त प्रतिनिधि

का गठन करना चाहिए— क्योंकि सदन में वही लोग होने चाहिए, जो कांग्रेस की सामान्य समिति के सदस्य हों तथा जिन्हें यथासंभव कांग्रेस का विश्वास भी प्राप्त हो। आज भारत की जो स्थिति है और विश्व की स्थिति को भी देखते हुए मेरी दृष्टि में समजातीय कार्यकारिणी सैद्धांतिक रूप से गलत कदम है। यही समय है जब हमें अपने नेशनल फ्रंट को विस्तृत करना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग सर्कीर्ण गुटवादी दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करेंगे ?

भ्रष्टाचार के विषयों पर सामान्यतः हम एकमत हैं— सिवाय इसके कि मेरा विचार है कि आप इसे बड़ा-बड़ा कर देख रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यदि पूरे भारत पर दृष्टि डौड़ाए, तो भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई दिखेगी ? यदि वह बड़ा भी है तो भी क्या हम राष्ट्रीय संघर्ष चलाने में अक्षम हो गए हैं ? भ्रष्टाचार के कारणों पर विचार करें, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या संघर्ष को स्थगित रखना और अधिकारी वर्ग में लालच का बढ़ते चला जाना ही इसके मुख्य कारण नहीं हैं ? मैंने अपने पिछले पत्र में लिखा था कि बलिदान और कष्ट शायद इस भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब रहे और हमारा राष्ट्र नैतिक धरातल पर ऊपर उठ सके।

6 तारीख को राजेन बाबू मुझमें मिले थे। हमने भ्रमिकों के प्रश्न पर तार्कालाप किया और फिर कांग्रेस के विषय में चर्चा चली। पहले जब मैंने आप से पत्राचार प्रारंभ किया था तब मुझे आशा थी कि इस प्रकार हम कार्यकारिणी की समस्या को हल कर लें— शेष समस्याएँ हमारे मिलने तक स्थगित रखी जा सकती हैं। किंतु जैसे-जैसे हमारा पत्र-व्यवहार आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि इससे भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अतः जब राजेन बाबू आए, तब तक मेरी आपसे मिलने की इच्छा बहुत तीव्र थी— हालाँकि डॉक्टर की राय में यह उचित नहीं था। मुझे आशा थी कि शायद इससे कोई हल निकल आए। राजेन बाबू ने मेरे कहने पर बिडला हाउस में टेलीफोन कर मुलाकात करने का आग्रह किया था। किंतु जब राजेन बाबू ने मुझे कोई उत्साहजनक उत्तर नहीं दिया, तो मैंने सोचा— मुझे पुनः प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए दोपहर में मेरे डॉक्टर ने पुनः बिडला हाउस में फोन किया और मैंने एक्सप्रेस तार भेजा— जिनका आपने उत्तर दिया कि राजकोट की स्थिति आपको तत्काल दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर रही है। तब मुझे महसूस हुआ और आज भी कहता हूँ कि राजकोट ने आपकी आत्मा को खरीद लिया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत हानि पहुँचाई। मेरे जैसे लोगों के लिए कांग्रेस का मुद्दा राजकोट के आमंत्रण की अपेक्षा हजार गुना अधिक महत्वपूर्ण था। कोई भी समझ सकता था कि सर मौरिस ग्वेर के फँसले के पश्चात् आपकी अनुपस्थिति में सरदार पटेल राजकोट की परिस्थिति का बखूबी समाल सकते थे। दहरहाल, अब कुछ भी कहने का कोई लाभ नहीं, जबकि आपने निर्णय लिया और उसी के अनुरूप कार्य किया।

7 अप्रैल के तार में आपने कहा था कि मेरे भाई शरत व अन्य प्रतिनिधि वायुयान

द्वारा राजकोट जाकर आपसे मुलाकात कर सकते हैं। यह बात उचित नहीं जान पड़ती। यदि सीधे पत्राचार ही सतोषजनक परिणाम नहीं दे पा रहे ह तो भला इतनी दुरुह और नाजुक समस्या को प्रतिनिधि कैसे हल कर पाते ? नहीं मेरे विचार में प्रतिनिधियों को राजकोट भेजना से परिस्थितिया में सुधार नहीं हो सकता। केवल हमारी सीधी बातचीत ही कोई हल निकाल सकती थी।

आपका 10 तारीख का पत्र अभी मिला है। अभी मैं उन पर विचार किया। मुझे खेप के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके अधिकार उतारो ने मुझे निराश किया है। पूरे पत्र से निराशा की गंध आ रही है, जिसमें मैं सहभागी नहीं बन सकता। मुझे दुःख है कि आपने व्यक्तिगत मुद्दों पर अधिक चर्चा की है। आपको हमारी देशभक्ति पर भरोसा होना चाहिए था कि राष्ट्रीय आपात स्थिति में हम लोग इन मतभेदों से ऊपर उठ सकेंगे। यदि हम कांग्रेस में एकता नहीं रख सकते, तो भला देश की एकता की कल्पना कैसे कर सकते हैं ?

पत्र प्रस्ताव के संबंध में आपने मुझे कोई व्यावहारिक राय नहीं दी है। यदि राज्यों में अहिंसक आंदोलन छिड़वाने में आप सक्षम हैं तो आप जन-साधारण की स्वतंत्रता और राज्यों में जिम्मेदार सरकार की जीत की आशा कैसे कर सकते हैं ? अधिकार हमारा मुख्य उद्देश्य अहिंसक लोक-सघर्ष ही है और उससे बचकर हमें मध्यम नीति अथवा आपकी आत्मबलिदान की नीति को ही अपनाना पड़ेगा। आप कहते हैं कि जहा-जहा आपका प्रभाव था, वहां आपने जवझा आंदोलन का समाप्त कर दिया है। हम जानते हैं कि ऐसा आपने राजकोट में किया और वहां आपने अपनी जिदगी दाप पर लगाकर सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। क्या यह राजकोट के लोगों के लिए और आपके देशवासियों के लिए ठीक था ?

आपका जीवन अपना नहीं है कि जब चाहे, उसे दाव पर लगा दे। देशवासी राजकोट की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र के लिए आपका निर्देशन व मार्गदर्शन मांग सकते हैं। जहां तक राजकोट के लोगों का प्रश्न है— यदि वे अपनी बलिदान और प्रयासों के बिना आपके आत्मबलिदान द्वारा स्वराज प्राप्त करते हैं तो वे सदा के लिए राजनीतिक रूप से अधिकसित रह जाएंगे और वे उरा स्वराज की रक्षा करने में भी असमर्थ रहेंगे जो आप उन्हें दिलाएंगे। अतः मैं जहां विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सघर्ष करने हैं वहां आप कितने मामलों में कितनी बार अपना जीवन दाप पर लगाते रहेंगे ?

आप हमारे राजनीतिक व आर्थिक धरातल पर एकजुट हान के बारे में पूरी तरह निराश हो चुके हैं। आपने आर्थिक मुद्दे जी बगल उठाईं। शायद आप भारत के लिए हमारी औद्योगिक योजना की नीति को अस्वीकार करते हैं फिर भी हम औद्योगीकरण के साथ-साथ लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्ष में भी हैं। राजनीतिक मतभेदों के विषय में मैं यह समझ पाने में असमर्थ हू कि आप किन मतभेदों को मूलभूत मतभेद मानते हैं।

एकता और सयुक्त रूप से कार्य करने के हमारे मार्ग की बाधाएँ क्या हैं ? यदि आपकी राय में कार्य असंभव है, तो ऐसा लगता है— कम-से-कम फिलहाल तो जरूर— कि यह बात कांग्रेस के लिए निराशाजनक है। इन दिनों मैं बराबर यही सोच रहा था कि आपके जरिए हम दरार को पाटने में सफल हो पाएंगे और इस प्रकार एक राष्ट्रीय आपदा को रोकने में समक्ष होंगे।

असहमति के जिन मुद्दों की घर्षा आपने की है— वे अच्छे, बुरे अथवा निरर्थक ही क्यों न हों, लेकिन ऐसे मुद्दों हैं— जो सदा बने रहेंगे। परिणामस्वरूप यदि आज संयुक्त रूप से कार्य करना कठिन है, तो हमेशा ही कठिन होगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में हमारे पास निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अपने घुमा और आनंदमय आशावाद के रहते, जो हमें भारत के उज्ज्वल भविष्य के प्रति आश्वस्त कराता है, भला हम इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं ?

आपने अपने कई पत्रों में राय दी है कि मुझे अपने कार्यक्रम व नीतियों का निर्धारण कर उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। किंतु कांग्रेस की ओर से मैं एक विशेष विधि से कार्यकारिणी के गठन के लिए नियुक्त किया गया हूँ और यही मेरा प्रथम कर्तव्य है। अपने अध्यक्षीय भाषण में मैंने त्रिपुरी कांग्रेस में अपना कार्यक्रम पेश किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। वर्तमान समय में मैं यह महसूस नहीं करता कि मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए, जबकि कार्यकारिणी का मुद्दा अभी हल नहीं हो पाया है।

अपने पहले पत्र में आपने लिखा था कि पहल मुझे करनी चाहिए। उसी के अनुसार मैंने अपने विचार और आज हमारे समक्ष खड़ी समस्या के संबंध में अपने सुझाव आपको भेजे थे। मैंने महसूस किया कि मेरे सभी सुझाव अथवा अधिकांश सुझाव आपकी सहमति प्राप्त नहीं कर सके। अतः अब समय है कि पहल आप करें। कार्यकारिणी के सदस्यों के विषय में अपनी इच्छा की जानकारी मुझे दें। पत्र प्रस्ताव का मानना है कि कार्यकारिणी का गठन न केवल आपकी इच्छानुरूप होना चाहिए, बल्कि उत्तम में आपका विश्वास भी व्यक्त होना चाहिए। आपके विचार हेतु मैं कुछ वैकल्पिक सुझाव भेज रहा हूँ। सर्वप्रथम मैंने राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करने का सुझाव दिया था, जिससे हमारी बहुत सी समस्याएँ टल हो जातीं। यह सुझाव आपको उचित नहीं लगता। दूसरे, यदि मुझे आपकी राय के अनुसार अपनी इच्छानुसार कार्यकारिणी का चुनाव करना है, तो कृपया आप मुझे अपना विश्वास-मत प्रदान करें। आपके अनुसार यह भी संभव नहीं है। तीसरा सुझाव मैंने यह दिया था कि आपको आगे आना चाहिए और कार्यकारिणी का दायित्व समाल लेना चाहिए, जिससे बहुत-सी कठिनाइयाँ और समस्याएँ अपने-आप हल हो जाएगी। मेरे इस सुझाव का आपने कोई उत्तर नहीं दिया। यदि आप इसे भी अस्वीकार करते हैं, तो आपको

कदम उठाना चाहिए और स्वयं ही कार्यकारिणी के गठन का उतरदायित्व सभालना चाहिए।

हर प्रकार से एक बात तो स्पष्ट है। मुझे खेद है कि मैं आपकी राय के अनुरूप अपनी इच्छानुसार अपने पक्ष के लोगो की कार्यकारिणी नहीं बनाऊंगा। यह संलाह कांग्रेस प्रस्ताव के विरुद्ध है जिसमें कहा गया है कि कार्यकारिणी में आपका विश्वास होना आवश्यक है। फिर मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वर्तमान परिस्थितिया में स्पेच्छानुसार बनाई गई कार्यकारिणी देशहित के लिए हानिकारक होगी। यह कांग्रेस की सामान्य सभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी। इससे भी बढ़कर यह असातोष का बढावा देगी और हममें आपसी कलह भी शुरू करा सकती है।

मुझे आशा है कि अब आप त्रिपुरी कांग्रेस द्वारा अपने पर डाले गए दायित्व का निर्हन करेगे। यदि आप इससे भी इकार करेगे तो मुझे क्या करना होगा ? क्या मैं इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष रखूँ और उससे आग्रह करूँ कि वह कार्यकारिणी का गठन करे ? क्या आप मुझे कोई अन्य राय देना चाहेगे ?

आशा है वा अब पहले की अपेक्षा स्वस्थ होगी और शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य विशेष रूप से बलदृष्टि से कैसा है ? मैं धीरे-धीरे ठीक हो रहा हूँ।

सादर प्रणाम।

आपका स्नेहाकाक्षी,
सुभाष

पुनश्च— आपने (10 तारीख) के अपने पत्र में जितका अभी मुझे उत्तर देना है। विश्वास-मत के लिए मेरी प्रार्थना के उत्तर में कहा है कि मुझ द्वारा गठित कार्यकारिणी के विषय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपना निर्णय देने दो, उसमें आपकी राय या मत का कोई प्रश्न नहीं। इससे तो मैं यह अधिक उचित मानूंगा कि वे कार्यकारिणी के बैठक सबधी निर्णय भी स्वयं लें।

यदि मैं आपकी राय को व्यावहारिक रूप नहीं दे पा रहा— क्योंकि वह पत्र प्रस्ताव के विरुद्ध है और यदि आप स्वयं कार्यकारिणी के गठन को तैयार नहीं तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को चाहिए कि वह कार्यकारिणी के गठन के दायित्व को उठाए। क्या आप कोई और रास्ता सुझाएंगे ?

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 14 अप्रैल 1939

इस प्रेस रिपोर्ट से मैं बहुत विचलित हूँ कि आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कलकत्ता में उपस्थित नहीं हो पाएंगे तथा गांधी सेवा सभ की बैठक मई के द्वितीय सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में आपका होना अनिवार्य है। क्या मई के पहले सप्ताह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक आपके लिए सुविधाजनक होगी? कृपया तार भेजें—सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

राजकोट, 14 अप्रैल, 1939

मैंने पत्र भेजा है। कोई राहायता नहीं कर सकता। तुम राष्ट्रीय हित में अपनी फसद की कार्यकारिणी का चुनाव करो और अपना कार्यक्रम तैयार करो— मेरा विश्वास है कि यही उचित होगा। प्यार—बापू।

महात्मा गांधी की ओर से

राजकोट, 14 अप्रैल, 1939

तुम्हारा तार मिला। तीन मई से 10 मई तक गांधी सेवा सभ की बैठक होगी। येहतर हो, कार्यकारिणी की बैठक 28 को और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 29 को रहे। भरसक प्रयत्न करूंगा कि उपस्थित रहूँ। दा का बुखार ठीक है। कोई खतरा नहीं है। प्यार—बापू।

महात्मा गांधी के लिए

झीलगुडा, 15 अप्रैल

आज आप के दो तार मिले। खेद है, आपके कलकत्ता पहुंचने के प्रति आश्चर्य नहीं हो पाया। अ भा का फ में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आपकी सुविधा के लिए बैठक स्थगित की जा सकती है। खेद है, समाजातीय कार्यकारिणी के विषय में आपकी राय नहीं मान सकता। परिणामतः एक ही विकल्प है कि आप कार्यकारिणी नामित करें। मैंने 13 तारीख को पत्र

लिखा था। आज पुन लिख रहा हू। यदि किसी कारणवश आप नागित नहीं करेंगे तो इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। हमें आमने-सामने बैठकर बातचीत द्वारा समझौते का अंतिम प्रयास करना चाहिए। मेरे 13 और 15 तारीख के पत्रों पर विचार करने के पश्चात कृपया सुविधाजनक तिथि की सूचना दे। प्रणाम-सुभाष।

महात्मा गांधी के लिए

श्रीलगुडा

15 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी

आज ही मैंने आपको तार भेजा है जिसमें कलकत्ता में आयोजित की जा रही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में आपकी उपस्थिति का जिक्र किया था, जो बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि यदि आवश्यक जान पड़ा तो अ भा का क की बैठक की तिथि आपकी सुविधाजनक स्थिति भी की जा सकती है। कृपया मुझे सूचित करें कि किस तिथि में आप यहां आ सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण वाले कई मित्रों ने मुझे कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले कार्यकारिणी का गठन अवश्य हो जाना चाहिए। उनका विचार है कि कार्यकारिणी के गठन के बगैर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित करना व्यर्थ है। उनका मानना है कि यदि पत्राचार द्वारा हल नहीं निकला, तो हमें व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा अंतिम प्रयास भी करना देख लेना चाहिए। हमारे मिलने के लिए यदि आवश्यक समझा गया तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक स्थिति भी की जा सकती है।

मैं व्यक्तिगत रूप से इनके स्थगन के विरुद्ध हू (क्योंकि देरी का सारा दोष मुझ पर ही लगाया जा सकता है), जब तक कि आप स्वीकृति न दें। किंतु मैं गहराई से महसूस करता हू कि यदि पत्राचार हम किन्हीं मतोपप्रद परिणामों तक न पहुंच पाए, तो हमें अवश्य मिल लेना चाहिए और हमारी मुलाकात और बातचीत से भी यदि हल नहीं निकलता, तो कम-से-कम यह सतोष तो रहेगा कि हमने सारे प्रयास करके देख लिए।

अब मुझे वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करने दें। मुझे खेद है कि समजातीय कार्यकारिणी के गठन की बाबत आपकी राय का अनुपालन नहीं कर सकता (यहां मैं उन कारणों को दुहराऊंगा नहीं जिनका विस्तार में उल्लेख में अपने पिछले पत्रों में कर चुका है)। लिहाजा अब आपको उस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लेना चाहिए जो पत प्रस्ताव के परिणामस्वरूप आप पर डाला गया है। दूसरे शब्दों में, आपको कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों की घोषणा करनी होगी। आपके ऐसा करने से समस्या का अंत होगा-यानी कार्यकारिणी का चुनाव राश्व होगा- और कार्यकारिणी के चुनाव के बाद अ भा का

क की कार्यकारिणी की बैठक समभव हो पाएगी। हम यही आशा कर सकते हैं कि सब ठीक-ठाक हो जाएगा और कोई अडचन पैदा नहीं होगी।

यदि किसी कारणवश आप कार्यकारिणी के चुनाव से इकार करते हैं, तो दुविधा में पड़े रहेगे। अनिर्णय की स्थिति में यह मामला अ भा का क के समक्ष ले जाना पडेगा। मेरे विचार से सबकी राय यही है कि अ भा का क की बैठक से पहले ही कार्यकारिणी की समस्या हल कर ली जानी चाहिए, ताकि वह बैठक की बजाय युद्ध का मैदान बनकर ही न रह जाए।

मैं नहीं जानता कि फिलहाल आपके मतिष्क में क्या है— किंतु मुझे पता है कि अब आप कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों की घोषणा करेगे और यह दुविधा समाप्त हो जाएगी। यदि आप कुछ और सोचते हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करुंगा आप उन दुष्परिणामों पर गौर करे, जो तब सामने आएंगे, जब हम कार्यकारिणी की समस्या हल किए बगैर फलकत्ता में आयोजित अ भा का क की बैठक बुलाएंगे। यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो कि हम अ भा का क की बैठक को स्थगित करके उससे पहले ही एक बैठक आयोजित कर ले।

हाल ही में एक विचार मेरे दिमाग में पैदा हुआ है। हम समजातीय कार्यकारिणी के चुनाव पर तो बहुत चर्चा कर रहे हैं, किंतु क्या हम यह जानते हैं कि इसका आशय क्या है ? उदाहरण के तौर पर लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा कांग्रेस के पश्चात जो कार्यकारिणी गठित की गईं उसे क्या आप समजातीय मानते हैं ? फिर समजातीय या संयुक्त कार्यकारिणी के प्रश्न पर झगडा करने का अर्थ क्या है ? यदि उन्हें आप संयुक्त कार्यकारिणी मानते हैं, और यदि वे पिछले तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य कर सकती हैं— तो भला अब यह संभव क्यों नहीं है ? इससे मुझे यह सूझा है कि यदि हम समजातीय और संयुक्त कार्यकारिणी की सैद्धांतिक चर्चा करनी छोड़ दे, तो हम उनके नाम सुझा सकते हैं, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिश्वस्त होंगे तथा जो कांग्रेस की सामान्य सभा के सदस्य होंगे। कृपया समस्या के इस पहलू पर भी विचार करे।

फिर आप भ्रष्टाचार एवं अहिंसा जैसी समस्याओं के प्रति अत्यधिक गभीर हैं। शायद आप इन्हें मौलिक समस्याएं मानते हैं, फिर, हमारा मतभेद आज उपस्थित भ्रष्टाचार व हिंसक प्रवृत्ति के अनुपात को लेकर तो है ही— लेकिन क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हैं कि भ्रष्टाचार, हिंसा आदि को समाप्त कर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ? यदि ऐसा है तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम बिल्कुल एकजुट होकर कार्य नहीं करेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाएंगे ?

इस पत्र को मैं अधिक लंबा नहीं करूंगा। मैंने अपना बहुत-सा बोझ आप पर डाल दिया है। मैं पुन कहूंगा कि हमारे सैद्धांतिक विचार कुछ भी क्यों न हो, पर हमें व्यक्तिगत

वार्तालाप के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। कार्यकारिणी के विषय में हमारे विचार कुछ भी हो, लेकिन हम व्यक्तियों के नाम तो सहमति से चुन ही सकते हैं। महत्वपूर्ण समस्याओं पर हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन कार्यवाही के लिए हम एकमत हो सकते हैं।

आशा है कि बा तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रही होगी और श्म के बावजूद आपका भी स्वास्थ्य सतोषजनक होगा। मैं तेजी से स्वस्थ हो रहा हू।

आदर सहित प्रणाम।

आपका स्नेहाकाक्षी
सुभाष

महात्मा गांधी की ओर से

राजकोट, 17 अप्रैल, 1939

तुम्हारा पत्र व तार मिला। अ भा का क की बैठक 29 को ही रखो। मैं आऊंगा। तुम पर समिति लादना मेरे लिए असमय है। यदि तुम गठित नहीं करते तो अ भा का क को चुनने दो। संयुक्त कार्यकारिणी मुझे अव्यावहारिक प्रतीत होती है। तुमने रोक हटा ली है, सो समय मिला तो जगहिल में बयान जारी करूंगा। प्यार - बापू।

महात्मा गांधी के लिए

शीलगुडा, 18 अप्रैल, 1939

यदि आप बयान जारी करते हैं, तो कृपया मुझे पत्राचार जारी करने की अनुमति दें। पिछला पत्र 15 को लिखा है - सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

राजकोट, 18 अप्रैल, 1939

पत्राचार प्रकाशित करो, जिससे बयान जारी करना आवश्यक नहीं रहेगा। प्यार - बापू।

महात्मा गांधी की ओर से

राजकोट, 19 अप्रैल, 1939

24 को अवश्य चल दूंगा। 27 को प्रातः कलकत्ता पहुंचूंगा। शायद सोदपुर में रहूंगा। हेमप्रभा देवी सदा आग्रह करती हैं। डॉक्टर रॉय ने चिकित्सक की दृष्टि से एक अन्य राय दी है। कल तक में बुखार से पीड़ित था, जो लगातार बढ़ रहा है। आशा है रयानगी से पूर्व नियंत्रित हो जाएगा। तुम्हारे पत्र में अनेको सुझाव के बावजूद भी असहाय हूँ। आपसी अविश्वास के इस वातावरण में पत्र प्रस्ताव की शर्तें पूरी करो। दोनों पक्षों में शका और मतभेद जारी है। मेरी राय यही है कि तुम्हें निडर होकर समिति का गठन कर लेना चाहिए। तुम्हारे जो विचार हैं वे उचित नहीं हैं। प्यार - बापू।

महात्मा गांधी के लिए

(1)

झीलगुडा 20 अप्रैल, 1939

अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि आप 27 को कलकत्ता आ रहे हैं। अपनी निजी सुविधा के लिए बलोक-हित में आप कहीं भी ठहरे, कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको शहर के बाहर नदी के किनारे ठहरने का सुझाव देना चाहता था। बहरहाल, कलकत्ता में सतीशबाबू से विचार-विमर्श करने के पश्चात् आपको तार भेजूंगा। कल जवाहरलालजी यहीं थे। हम चाहते हैं कि आप यात्रा के दौरान कलकत्ता के आस-पास एक दिन के लिए रुक जाए, जहाँ हम दोनों आपसे व्यक्तिगत वार्तालाप हेतु मिल सकें। यदि आपका यह विचार उचित जान पड़े तो आप तार द्वारा अपने मार्ग की सूचना दे दें। मैं किसी सुविधाजनक स्टेशन पर रुकने का प्रबंध करा दूंगा। 21 तारीख को कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा हूँ - सुभाष।

महात्मा गांधी के लिए

(2)

20 अप्रैल, 1939

आपके ज्वर के प्रति चिंतित हूँ। शीघ्र लाभ की कामना करता हूँ। जवाहरलालजी और मेरा विश्वास है कि हमारे मिलने से अवश्य शुभ परिणाम निकलेगा। लोकहित में सभी कांग्रेसियों का सहयोग प्राप्त करना समभव हो पाएगा। कलकत्ता में हमारी मुलाकात को दृष्टि में रखते हुए हम दोनों का विचार है कि मुलाकात से पूर्व पत्राचार को प्रकाशित करना उचित नहीं है। प्रणाम - सुभाष।

महात्मा गांधी के लिए

शीलगुडा पोस्ट ऑफिस
जिला मानभूम, बिहार,
20 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय महात्माजी

आज ही आपको निम्न तार भजा है

महात्मा गांधी, राजकोट। आपके ज्वर के प्रति चिंतित हू। शीघ्र लाभ की कामना करता हू। जवाहरलालजी का और मेरा मानना है कि हमारी मुलाकात से शुभ परिणाम निकलेगे। लोक-हित में सभी कांग्रेसियों का सहयोग करना सभव हो पाएगा। कलकत्ता में हमारी मुलाकात को दृष्टि में रखते हुए हम दोनों का विचार है कि पत्राचार को मुलाकात से पूर्व प्रकाशित करना उचित नहीं है। प्रणाम - सुभाष।

गिफ्तले तीन राप्ताह से हममें तथा पत्राचार चल रहा है। जहां तक कार्यकारिणी के गठन का संबंध है, उससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है— फिर भी, इनका एक और लाभ यह हुआ कि हम अपने विचार स्पष्ट कर सकें। फिर भी वर्तमान समस्या यही है कि हम अधिक समय तक कार्यकारिणी के बिना काम नहीं चला सकते। देश की भीतरी परिस्थितियों व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि कांग्रेसियों के पदों का समाप्त कर दिया जाए और संयुक्त मोर्चे का गठन किया जाए। हम मली-भाति जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति निरंतर बिगड़ रही है। ब्रिटिश सनद के संक्षेप पेश सशोधित दल द्वारा सरकार प्रांतीय सरकारों को रादन की कोशिश में इ— ताकि जो अधिकार उन्हें प्राप्त हैं वे युद्ध की स्थिति में उनके पास न रह सकें। यह बात तो बिना शक निश्चित है कि चारों ओर से कठिनाइयों का घेरा बढ़ रहा है। इसका सामना करने की आशा हम अभी कर सकते हैं जब हम लोग शीघ्र ही अपने मतभेदों को भुटा दें और उच्चपदों में एकता और अनुशासन को कायम कर सकें। यह कार्य अभी सभव होगा जब आप सामने आकर नेतृत्व संभालते हैं। ऐसी स्थिति में आप अनुभव करेंगे कि हम सभी आपका सहयोग देने और आपका अनुपालन करने का हर सभव प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने और हिंसक प्रवृत्तियों को समाप्त करने के विषय में हम लोग एकमत हैं— यद्यपि आज के भ्रष्टाचार व हिंसा के अनुपात में हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं। तबहा तक कार्यक्रम का रासध है उसका निर्णय अ भा का क द्वारा होगा— हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने विचार और कार्यक्रम इनके सम्मुख पेश कर सकता है। कार्यक्रम के विषय में मेरी राय है कि इसका निर्णय हमारे सम्मुख पेश होने वाली कठिनाइयों पर निर्भर है तथा उस समय इस विषय में मतभेद रहने का प्रश्न ही नहीं रह जाएगा।

कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से पूर्व मुलाकात का मैं

ध्ययता से इतजार कर रहा हू। अन्य प्रांतों की माति बगाल में भी यह मत बन रहा है कि कार्यकारिणी की समस्या को सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद आपसी सहमति से हल कर लेना चाहिए। मत प्रस्ताव के अंतर्गत कार्यकारिणी के गठन का उत्तरदायित्व आपका है और जब आप यह उत्तरदायित्व ले लेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा यथासंभव सहयोग आप के साथ है।

कल जवाहर यहीं थे। वर्तमान परिस्थितियों पर हमने विस्तृत चर्चा की। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि हमारे विचारों में समानता है।

मेरे विचार से कलकत्ता के निकट किसी स्टेशन पर यात्रा में विश्राम करना उचित रहेगा, यहाँ हम लोग एकता वार्तालाप भी कर पाएँगे। यदि आप नागपुर की ओर से आएँगे, तो मिदनापुर (खड़गपुर) सबसे उचित रहेगा। यदि आप चोकी की ओर से आएँगे, तो बर्दवान के नजदीक कोई जगह ठीक रहेगा। इस विषय में मैंने आपको तार भी भेजा है। आपके उत्तर का इतजार रहेगा। यदि यह संभव हुआ तो हम कलकत्ता में मिलेंगे। मैंने जवाहर से प्रार्थना की है कि वे भी इस वार्तालाप में शामिल हों और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है।

आपके ज्वर के बारे में चिंतित हू। प्रार्थना करता हू कि शीघ्र ही खत्म हो जाए।
प्रणाम।

आपका स्नेहाकांक्षी
सुभाष

महात्मा गांधी के लिए

कलकत्ता, 22 अप्रैल, 1933

सतीश बाबू से बात हुई, उन्होंने शांत वातावरण में आपके ठहरने का समर्थन किया है। अतः मार्ग में रुकना आवश्यक नहीं। समाचारपत्रों से पता चला कि आप दिल्ली मार्ग से आ रहे हैं। आपके तार के अनुसार आप नागपुर मार्ग से पहुंच रहे हैं। कृपया मार्ग की सूचना दे - सुभाष बोस।

नोट- पत्राचार के बीच के दिनों में अंतिम तार भेजने के पश्चात् अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कलकत्ता में पूर्व निर्धारित तिथि में सम्पन्न हुई। 129 अप्रैल, 1939 को उस बैठक में नेताजी ने अपना त्यागपत्र दे दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष उन्होंने जो बयान दिया, वह इस पुस्तक के पृष्ठ 107 पर है। अपना त्यागपत्र देने से पूर्व बोस ने निम्न पत्र पढ़कर सुनाया, जो उन्हें गांधीजी की ओर से प्राप्त हुआ था - सपादक।

महात्मा गांधी की ओर से

मेरे प्रिय सुभाष,

पत्र प्रस्ताव की शर्तों के आधार पर तुमने मुझसे कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम सुझाने की बात की है। जैसा कि मैं अपने पत्रों और तारों में भी जिक्र कर चुका हूँ— मेरे लिए यह कार्य करना कठिन है। त्रिपुरी के पश्चात् बहुत कुछ घट चुका है। तुम्हारे विचार जानने के पश्चात् और यह जानते हुए कि किस तरह अनेक सदस्यों में मौलिक मतभेद हैं— मुझे लगता है कि यदि मैंने तुम्हें नाम सुझाए तो वह तुम पर जबरदस्ती करना होगा। इन संदर्भ में मैं अपने पत्रों में विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। तीन-तीन दिनों के व्यक्तिगत वार्तालाप के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेरी राय बदल सकता। ऐसी स्थिति में तुम अपनी समिति का चुनाव करने को स्वतंत्र हो। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम पूर्व-सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके आपसी समझौते की सभावनाएँ खोज सकते हो और मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि तुम लोग एक हो गए हो। जो कुछ घट चुका है उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। तुम और भूतपूर्व सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। मेरे लिए यह बहुत दुःखद विषय है कि आपसी समझौता संभव नहीं है। मुझे आशा है कि जो भी कदम उठाया जाएगा वह आपसी सहयोग के आधार पर ही उठाया जाएगा।

प्यार सहित,

तुम्हारा
बामू

सोदपुर, 29/4/39

महात्मा गांधी के लिए

कलकत्ता, 5 मई, 1939

पत्राचार प्रकाशित कराना चाहता हूँ, कृपया अपनी राय तार द्वारा प्रेषित करें—सुभाष।

महात्मा गांधी की ओर से

वृंदावन (घंघारण), 6 मई, 1939

पत्राचार प्रकाशित करें। प्यार—बामू।

बोस-नेहरू का पत्र-व्यवहार

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

आनन्द भवन

इलाहाबाद, 23 अप्रैल, 1938

मेरे प्रिय सुभाष,

मंत्रियों से मुलाकात और कार्यकारिणी के सबंध में तुम्हारे पत्र और तार मिले। क्या तुम हनार कार्यालय को इस आशय के निर्देश भेजोगे कि वह इन बैठकों के लिए आमंत्रण पत्र जारी करे? मंत्रियों से मुलाकात में किसे आमंत्रित करना है? प्रधानमंत्री और ससदीय सदस्यों को मेरा सुझाव है कि कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को मंत्रियों से मुलाकात की सूचना दे देनी चाहिए। यदि वे चाहेगे, तो उपस्थित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को भी कह दिया जाना चाहिए कि वे अपने अन्य मंत्रियों को सूचित कर दें कि यदि वे इस बैठक में उपस्थित होना चाहें, तो उनका स्वागत है।

तीन दिन के लिए मैं लखनऊ जा रहा हूँ। 27 तारीख को इलाहाबाद लौटूंगा। उसके पश्चात् पाच दिन यहाँ रहूंगा, फिर गढ़वाल जाऊंगा। क्या तुम सहायक सचिव के द्वारा अपना उत्तर कार्यालय के पते पर भेज सकते हो, ताकि तुम्हारे निर्देशों के अनुपालन में देरी न हो सके?

तुम्हारा शुभेच्छु

जवाहर

सार्जेंट सुभाषचंद्र बोस, 38/2, एल्विन रोड कलकत्ता।

जवाहरलाल नेहरू के लिए

ट्रेन में

19 अक्टूबर, 1938

मेरे प्रिय जवाहर,

तुम अवश्य सोच रहे होओगे कि मैं कैसा अद्भुत व्यक्ति हूँ कि तुम्हारे सभी पत्रों का जवाब नहीं देता, हालांकि वे सब मुझे प्राप्त हो गए हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों को तुमने जो पत्र लिखे हैं, वे सभी ने पढ़े हैं। यहां के समाचारों की सूचना तुम्हें कृपलानी व अन्य मित्रों से मिलती ही रहती है। युद्ध सकट के क्षणों में तुम्हारे बयान समयोचित थे और हमारे लिए उपयोगी भी।

इन भतीनों में मैंने तुम्हें कितना याद किया उसका तुम अदाजा नहीं लगा सकते। मेरा ख्याल है कि तुम्हें परिवर्तन की अति आवश्यकता है। मुझे खेद है कि तुम स्वयं को पर्याप्त शारीरिक आराम नहीं देते हो। बहुत मिलाकर खाना का प्रश्न अच्छा है— *सफ्टर* को धर्मवाद। यूरोप में तुम्हारी गतिविधियाँ और कार्यों के विश्व में जनता को सूचित किया जाता रहता है। मैं तुम्हारे बयानों में भी दिलचस्पी लेते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यूरोप के प्रवास के दौरान तुमने इतना उपयोगी कार्य किया— हालाँकि यहाँ हमें तुम्हारी जमी खलती रही।

कई समस्याएँ तुम्हारे लौटने को इंतजार में हैं। हिंदू-मुस्लिम प्रश्न है। श्री जिनका अन्यायपूर्ण रूप से अडे हुए हैं। अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के दोनों पक्षों में दरार पड़ चुकी है। बागमथियों ने गलतफहमी किया जिसे महात्माजी ने गभीरता से लिया है। फिर, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न भी है।

मुझे आशा है कि तुम योजना समिति की अध्यक्षता स्वीकार करोगे। यदि इसे सफल करना है, तो तुम्हें अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए।

प्यार,

तुम्हारा शुभेच्छु
सुभाष

पुनश्च कथं मे वगैरे से कलत्रता पहुच रहा हू।

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

प्रतिनिगत और शुभ

इलाहाबाद

4 फरवरी 1939

मेरे प्रिय सुभाष

दिल्लीवालों ने शान्तिनिर्वाह में लगभग एक सप्ताह तक बात की कि हम स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। ताम्रपत्र में वह दारिद्र्य कार्य था, क्योंकि आनेश्वर्य की कई सारी बातें बनी हुई हैं और हमने प्रती नहीं तथा था रहा कि स्थितियाँ क्या रूप लेंगी। हमें इन स्थितियों का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये हम पर निर्भर करती हैं— विशेष रूप से तुम पर।

जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारे चुनाव लड़ने में कुछ लाभ हुआ है, तो कुछ हानि भी हुई है। मुझे आगे वाले नुकसान का आभास था। अभी भी मेरा सतृप्तित निवारण नहीं है कि यह देहतर रहता कि ऐसा निराश संघर्ष इस प्रकार न उत्पन्न होता। किंतु यह

बात तो बीत चुकी, अब भविष्य हमारे सम्मुख है। इस भविष्य को हमें वृहद दृष्टिकोण से देखना है। व्यक्तिगत रूप में निश्चित ही हमने से किसी का भी शेखी में आना उचित नहीं है, क्योंकि जैसा हम लोग चाहते थे वैसी घटनाएँ घटी नहीं। कुछ भी हो, हमें अपने लक्ष्य के प्रति सत्र कुछ समर्पित करना है। इस परिप्रेक्ष्य में सही मार्ग खोजना कठिन है। मेरा मन भविष्य के प्रति चिंतित है।

सबसे पहला कार्य जो हमें करना है, वह यह है कि हमें जहाँ तक संभव हो, एक दूसरे की विचारधारा को ठीक से समझना है। यदि ऐसा होता है, तो यह प्रस्ताव पारित करना सरल कार्य है। किंतु यदि हमारे मन-मस्तिष्क दूसरों के उद्देश्यों व कार्यों के प्रति शकालु और दुरायुह से भरे होंगे, तो भविष्य का निर्माण कर पाना आसान कार्य नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में मुझे गांधीजी व बल्लभभाई के सांनिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ तथा उनके विचारों को जानने का मौका मिला। हम लोगों की बहुत लंबी बातचीत हुई है। हम एक दूसरे को आश्चर्य करने में असफल रहे। हम लोगों ने काफी हद तक एक दूसरे को प्रभावित किया है और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक दूसरे को काफी समझे भी हैं। 1933 तक, जेल से बाहर आने पर मैं गांधीजी से मिलने पूना गया था, जब वे उपवास के परिणामस्वरूप स्वस्थ लाभ कर रहे थे।

हम लोगों ने अपने संघर्ष के विभिन्न पक्षों पर लंबी बातचीत की, फिर पत्र-व्यवहार किया, जो बाद में प्रकाशित भी हुआ। उस वार्तालाप और पत्र-व्यवहार में हमारे वैचारिक और मूलमूल मतभेद उभर कर सामने आए। वे बातें भी उभरीं, जिन पर हम लोग एकमत थे। तभी से कभी कार्यकारिणी में और कभी व्यक्तिगत रूप से विस्तृत चर्चा होती रहती है। कई अवसरों पर मैंने पद से— यहाँ तक कि कार्यकारिणी से— त्यागपत्र देने का विचार भी किया। फिर मैंने स्वयं को ऐसा करने से रोक़ा, क्योंकि मैंने विचार किया कि वर्तमान संकट की घड़ी में एकता की अति आवश्यकता है। शायद मैं गलत था।

अब वह संकट इस प्रकार उभर कर आया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले कि मैं अपना कार्य निर्धारित करूँ मुझे यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे राय में कांग्रेस को कैसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए? मैं इस विषय में पूरी तरह से अंधेरे में हूँ। दोनों पक्षों के संघर्ष में तथा फेडरेशन के विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। फिर भी जहाँ तक मुझे याद है, इन प्रश्नों पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय हम नहीं ले पाए। इन पर हमने तुम्हारी अध्यक्षता में कार्यकारिणी में विस्तृत चर्चा की है। मैं नहीं जानता कि किन लोगों को तुम वामपंथी मानते हो, किन्हें उदारवादी। अध्यक्षीय चुनाव के दौरान जिस प्रकार तुमने ये शब्द प्रयोग में लाए, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि गांधीजी व कार्यकारिणी में उनके समर्थक उदारवादी नेता हैं। उनके विरोधी, वे जो भी हो, वाममार्गी हैं। मुझे यह बात ठीक नहीं लगती। मेरे विचार में तथाकथित वामपंथी अधिक उदार हैं। राजनीति में कठोर भाषा, आलोचना करने की क्षमता और पुराने कांग्रेसी नेताओं पर टिप्पणी करना वाममार्गी

की पहचान नहीं है। मुझे तो एना लगता है कि भविष्य में जो सबसे बड़ा संकट हमारे सामने उपस्थित होने वाला है वह पदों पर बने रहने का और उन व्यक्तियों के उत्तरदायित्व की स्थिति का, जो किसी प्रकार के उत्तरदायित्व से रहित हैं और वस्तुस्थिति को मत्नी-भाति जानना नहीं चाहते। वे रक्त काटि की बौद्धिकता से दूर हैं। वे ऐसी स्थिति ला खड़ी करके जिमसे पतिक्रिया अवश्य पैदा होगी और वास्तविकता को बहा ले जाएगी। चीन का नयाहरण हमारे सामने है। मैं भारत को उस मार्ग पर चलने देना नहीं चाहता। काश ! मैं कुछ कर पाता।

मेरा विचार है कि प्रायः वाममार्ग और सुधारवादी शब्द का प्रयोग गलत या भ्रांति पैदा करने वाला होता है। यदि इन शब्दों की अपेक्षा हम नीतियाँ के विषय में बर्चा करें तो उचित रहेगा। आप किस नीति में विश्वास करते हैं ? फेडरेशन मिराची ? अच्छी बात है। मेरे ख्याल से कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य उसके पक्ष में हैं। इस विषय में उनकी कमजोरी पर अगुती रखना उचित नहीं है। फिर क्या तुम्हारे लिए यह अधिक उचित नहीं है कि तुम इस विषय को कार्यकारिणी की बैठक में उठाओ ? इस विषय पर परन्तव प्रशंसा करा और तब प्रतिक्रिया देखो ? निश्चय ही अपने सहयोगियों से इस विषय पर विस्तृत बर्चा किए बगैर उनपर उनका पीछे हटने का दावापेण अनुचित था। फेडरेशन के मंत्रियों पर तुम्हारे द्वारा लगाए गए दोषों के बारे में मैं जो कुछ तुम्हें कह चुका हूँ उसे दुहराना नहीं चाहूँगा। अधिकांश लोगों का यही मत है कि कार्यकारिणी के तुम्हारे सहयोगी दोषी पक्ष से हैं।

तुम्हें याद होगा कि यूरोप से मैंने तुम्हें और कार्यकारिणी को लंबी रिपोर्ट भजी थी। फेडरेशन के प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए और तुम्हारे निर्देश क्या हैं— इस विषय में हमने लंबी बातचीत की थी। तुमने मुझे कोई सुझाव नहीं भेजा है यहाँ तक कि पत्र प्राप्ति की सूचना तक नहीं दी। मेरे विचारों से गांधीजी सहमत थे। मुझे बताया गया कि कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी इससे सहमत थे। अभी तक मुझे तुम्हारी प्रतिक्रिया के विषय में कुछ पता नहीं लग पाया है। लेकिन क्या मुझे सूचित करने के अलावा तुम्हारे लिए यह मौका नहीं था कि तुम इस विषय में कार्यकारिणी से विस्तृत बातचीत करते और किमी निष्कर्ष पर पहुँचते ? खेद है कि इस विषय में और अन्य मुद्दों पर भी तुमने कार्यकारिणी में बहुत निराशाजनक रुख अपनाया— जबकि बाहर कई बार तुमने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वास्तव में तुमने अधिकांश की अपेक्षा प्रवक्ता की भूमिका अधिक निर्भर है।

पिछले वर्षों में अखिल भारतीय कांग्रेस समिती के कार्यालय की स्थिति बहुत बिगड़ी है। तुमने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और भेजे गए पत्रों के उत्तर भी बहुत कम दिया— जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय के कई कार्य अनिश्चित काल तक

के लिए लटक रहे। इस समय जबकि सस्था पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, तब हमारा मुख्यालय कार्य करने में अक्षम है।

हमारे सम्मुख राज्य से सबद्ध प्रश्न हैं। हिंदू-मुस्लिम प्रश्न है। किसानों और श्रमिकों से संबंधित प्रश्न हैं। इन विषयों पर तोगो के विभिन्न दृष्टिकोण हैं तथा कई विवाद हैं। इनमें से किसी विषय पर तुम्हारी क्या राय है, जिनके बारे में तुम्हारे सहयोगियों में मतभेद हैं ? बंबई व्यापार सघर्ष बिल को ही लो। मैं उसकी कुछ बातों से असहमत हूँ और यदि उक्त समय में यहाँ होता, तो निश्चित रूप से उन्हें परिगठित करा देता। क्या तुम भी असहमत हो ? यदि हाँ, तो तुमने उनमें परिवर्तन कराया ? विभिन्न प्रांतों की सामान्य स्थिति का ही लो। मुझे नहीं मालूम है कि बंगाल सहित अन्य प्रान्तों पर तुम्हारे विशेष विचार या दृष्टिकोण क्या हैं।

प्रांतीय कांग्रेस सरकारें तेजी से सकट की ओर बढ़ रही हैं। पूरी जगहना है कि राज्यों में जारी आंदोलन एक बड़े सकट का रूप धारण कर लेगा जिसका सामना प्रांतीय सरकारों सहित हम तमाम लोगों को करना होगा। तुम्हारी राय में हमें क्या मार्ग अपनाया चाहिए ? बंगाल में संप्रबल सरकार की तुम्हारी मांग का सविधान के प्रति विरोध को तुम्हारे स्वयं से कोई समानता नहीं है। सामान्यतः इसे उदारवादी कदम माना जाएगा- विशेष रूप से तब जबकि स्थितियाँ से बदल रही हैं।

फिर विदेश नीति को जैसा कि तुम मानते हो, मैं बहुत अहमियत देता हूँ। विशेष रूप से ड्रा हातात में। मेरे विचार से तो तुम्हारे लिए भी यह महत्वपूर्ण है। किंतु अभी तक मुझे यह मालूम नहीं हो पाया कि तुम्हारी नीति क्या है। मुझे गांधीजी के दृष्टिकोण की जानकारी है। मैं पूर्णतः उससे सहमत नहीं हूँ- क्योंकि हम लोगों ने पिछले दो तीन साल तक अंतर्राष्ट्रीय सकट का मिलकर मुकामला किया है तथा उन्होंने मेरे दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत न होने के बावजूद भी उसे स्वीकृति प्रदान की है।

ऐसे ही अनेक प्रश्न मेरे मन-मस्तिष्क को आक्रांत किए हुए हैं। ऐसे ही कई मुद्दों से वे भी परेशान हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने तुम्हारे पक्ष में अपना मतदान किया था। यह संभव है कि कांग्रेस के समक्ष मुद्दों उठाए जाने पर इनमें से अधिकांश लोग अपना मत बदल भी लें। तब नई स्थिति पैदा हो सकती है।

कार्यकारिणी का गठन कई समस्याएँ पैदा करेगी। अतिम समस्या यही होगी कि गठित समिति के प्रति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का विश्वास व्यक्त होना चाहिए- सामान्यतः कांग्रेस का भी। वर्तमान परिस्थितियों में यह कठिन कार्य है। यह उचित नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों की समिति गठित कर दी जाए, जो जिम्मेदारी समझ न पाए। उनका मूल उद्देश्य यही रहे कि जिसे वे उचित समझें उसी की आलोचना हो, ऐसी स्थिति के प्रति किसी का विश्वास नहीं होगा, चाहे वे वाममार्गी हों या उदारवादी। या तो उन समिति

को तोड़ दिया जाएगा या फिर वह एक महत्वहीन संगीति बन कर रह जाएगी।

संभव है कि प्रांतीय राक्षसों के कारण बल्लभभाई और यहाँ तक कि गांधीजी भी इसमें अधिकाधिक लिप्त होते चले जाएँ। इस प्रकार यह भारतीय राजनीति का मुख्य मुद्दा बन जाएगा। अन्य लोगों से गठित कार्यकारिणी कार्य करने में अक्षम हो जाएगी और गहत्व भी खो बैठेगी। पिछले दशक में या उससे अधिक समयपूर्व से कार्यकारिणी की स्थिति बहुत ऊँची रही है— भारत तथा विदेश दोनों ही में। इसके निर्णयों का कुछ अर्थ रहा है और शब्दों में शक्ति रही है। उसने अधिक शोर तो नहीं मचाया, लेकिन उसके प्रत्येक कार्य के पीछे शक्ति निहित थी। मुझे डर है कि हमारे अधिकांश तथाकथित बागमानी किसी अन्तर्गत बात की अपेक्षा कड़ी भाषा बोलने में अधिक विश्वास रखते हैं। नतीजतन जैसे कार्यकर्ता के प्रति मेरे विचार कोई बहुत प्रशंसात्मक नहीं हैं। ऐसा ही बहुत से अन्य लोग भी हैं।

हम एक व्यर्थ के विवाद में फँस गए हैं और फिलहाल उससे निकलने का कोई मार्ग नहीं है। मैं अपनी ओर से हर समय प्रयत्न करने का तैयार हूँ। लेकिन पटल और स्पष्टीकरण तुम्हारी ओर से होनी चाहिए। तभी दूरारे लोग यह निर्णय ले पाएँगे कि वे इसमें क्या फिट बैठते हैं। मेरा सुझाव है कि इस स्थिति के प्रत्येक आयाम पर विस्तृत विचार करो। उपयुक्त परिणित कठिनाइयों पर विचार करो, फिर उस पर विस्तृत नोट लिखो। इसका प्रकाशन आवश्यक नहीं है। किंतु उन्हें अवश्य दिखाया जाना चाहिए, जिन्हें तुम सहयोग के लिए आमंत्रित करते हो। ऐसा नोट चर्चा का विषय बनगा। यह चर्चा हमें वर्तमान राकट से निकलने का मार्ग प्रदर्शित करेगी। कबल बातचीत ही पर्याप्त नहीं है। वे निरर्थक होती हैं और प्रायः गलत दिशा में ले जाती हैं और हम-तुम बहुत-सी निरर्थक बातें कर चुके हैं।

मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी इस राय का विस्तार करो कि ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए। इस सदर्भ में तुम आगे क्या कदम उठाना चाहते हो और फिर बाद में क्या करने का विचार है? जैसा तुम्हें पहले भी बताया है कि मुझे यह विचार पसंद नहीं है— लेकिन हो सकता है, विस्तृत रूप में सामने आने पर यह संभव हो सके। शायद मैं इसे अधिक मत्ती प्रकार समझ सकूँ।

मैंने प्रेस में तुम्हारे बयान देखे। तुम्हारी स्थिति का समझ पाना मेरे लिए कठिन है। फिर भी गरी सलाह है कि इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करो।

जनहित के मामलों में सिद्धांत और नीतियाँ शाश्वत हैं। इसमें भी एक-दूसरे के प्रति विश्वास और अपने सहयोगियों के प्रति आस्था की आवश्यकता है। यदि विश्वास की यह कमी रहेगी तो बलाई होना असंभव है। जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, ऐसे-वैसे इस विश्वास के प्रति मेरी आस्था बड़ी है तथा सहयोगियों ने आपसी समझ के महत्व को मैं

स्वीकारता हू। मुझे उन अद्भुत सिद्धांतों से क्या लेना-देना, यदि सबंध व्यक्ति में मुझे विश्वास नहीं है।

कई क्षेत्रों की विरोधी पार्टियों ने यह स्पष्ट कर दिया है तथा हमें लोगों में अत्यधिक कटुता और सम्माननीय व्यक्तियों व स्पष्टवादियों में भी विश्वास की कमी के दर्शन हुए हैं। ऐसी राजनीति मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए इतने वर्षों तक मैं उन सब लोगों से कटा रहा। बिना किसी गुट के मैंने स्वतंत्र रूप में कार्य किया। कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सहयोग देने वाला नहीं था— हालांकि बहुत-से ऐसे लोग हैं, जिनका विश्वास मुझे प्राप्त है। मुझे लगता है कि क्षेत्रीय गिरावट अब अखिल भारतीय स्तर पर फैलती जा रही है। मैं इस विषय में बहुत चिंतित हू।

पुनः इस बात पर आए कि राजनीतिक समस्याओं के पीछे मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हैं और उन्हें सुलझाना सबसे कठिन कार्य है। एक यही रास्ता है कि सबसे स्पष्ट बात की जाए और मुझे आशा है कि हम सब लोग स्पष्ट बात कर सकेंगे। इस पत्र के पुनः तत्काल उत्तर की मुझे आशा नहीं है। कुछ दिन लगेंगे, लेकिन कृपया पत्र प्राप्त होने की सूचना अवश्य भिजवा दें।

तुम्हारा शुभाकांक्षी,
जवाहर

जवाहरलाल नेहरू को

चौराम, जिला : गया
10 फरवरी 1939

मेरे प्रिय जवाहर

कलकत्ता में तुम्हारा लंबा पत्र मिला। तुमने मेरी कमियों की ओर संकेत किया है। मैं उनमें प्रति राजग हू। लेकिन बताना चाहता हू कि इस हानि का एक अन्य पहलू भी है। फिर किसी को उन कठिनाइयों को भी भूलना नहीं चाहिए, जो मेरे मार्ग में आई हैं। इस पत्र में मैं उनके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। एक तो उससे विवाद उठ खड़ा होगा। दूसरे, इससे दूसरे लोगों पर भी आघात आएगी। मुख्य बात त्रिपुरी कांग्रेस का कार्यक्रम है। जयपकाश तुम से 12 तारीख को मिलेंगे और कार्यक्रम के बारे में मेरे विचारों से अवगत कराएंगे। मैं भी तुम से मिलना चाहता था, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। फिर भी मैं 20 तारीख को इलाहाबाद में तुमसे मिलने का प्रयास करूंगा।

राजकोट आदि के विषय में तुम्हारा बयान देखा। ब्रिटिश सरकार राजाओं के माध्यम से कांग्रेस से झगड़ना चाह रही है, किंतु हम उनके जाल में नहीं फसना है। राज्यों की समस्याओं पर झगड़े हुए राजाओं से अलग हमें ब्रिटिश सरकार के सामने स्वराज

का मुद्दा सीधे-सीधे रखना है। इस विषय पर तुम्हारे ज्ञान में कुछ नहीं कहा गया और मुझे शक है कि हम कहीं अपने मुख्य उद्देश्य से इधर-उधर तो नहीं भटक रहे। यदि हम स्वराज की बात छोड़कर ब्रिटिश सरकार से झगड़ा करेंगे और वह भी प्रांतीय राजाओं की समस्याओं को लेकर तो हम भटक जाएंगे। शप मिलने पर।

तुम्हारा स्नेहाकाक्षी
सुभाष

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

1 मार्च 1939

मेरे प्रिय सुभाष,

मिच के प्रतिनिधिमंडल के बारे में आपका 27 मार्च का पत्र मिला। कुछ समय पूर्व मैंने बर्हई की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पत्र लिखकर कहा था कि वे नवाश पाशा व उनके साथियों के स्वागत की समुचित व्यवस्था करें। मैंने सुझाव दिया था कि उनके ठहरने की व्यवस्था ताजमहल हाटल में ही जा सकती है। जबलपुर तक के लिए रेलवे में उनका प्रथम श्रेणी में आरक्षण करा दिया जाए। चूंकि नवाश पाशा आ रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक था। अभी भी मेरी राय है कि किसी भी कौमल पर वे जबलपुर तक प्रथम श्रेणी में ही जाएं। उसके बाद उनका कार्यक्रम निश्चित किया जा सकता है और आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। शक है कि वे हमारी राय से सहमत हों।

मेरे विचार से उनकी यात्रा का व्यय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को वहन करना चाहिए, यदि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी इस व्यय को वहन करने को तैयार हो तो तीक है। नियमानुसार उनके रहने की व्यवस्था उच्चकोटि के होटल में की जानी चाहिए। यश उनका प्रवास अल्पावधि का है कवल पंद्रह दिन का— इसमें से तीन-चार दिन त्रिपुरी में व्यतीत हो जाएंगे तीन दिन यात्रा में। अतः वे अधिक स्थानों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। दिल्ली तो अवश्य ही आएंगे। यदि शक हुआ तो वे कलकत्ता और लखनऊ भी जाएंगे। मेरा विचार है कि उन लोगों के पहुंचने के बाद आप उनसे कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

यदि वर्धा में कांग्रेसकारिणी की बैठक हुई तो शायद मैं अनौपचारिक रूप से इस विषय की चर्चा वहा उठाऊंगा— क्योंकि मिस के प्रतिनिधिमंडल के व्यय की राशि की रवीकृति लेनी होगी।

मैंने त्रिपुरी स्वागत समिति के सदस्यों से भी बात की है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जबलपुर के होटलो में तथा कांग्रेस कैंप में— दोनों ही जगह उनके ठहरने का प्रबंध करवा दिया है।

आपका शुभाकांक्षी
जवाहर

श्री सुभाषचंद्र बोस
38/2, एल्गिन रोड, कलकत्ता

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

आनंद भवन
इलाहाबाद, 16 मार्च, 1939

मेरे प्रिय सुभाष,
आशा है, आपका स्वास्थ्य अब ठीक हो रहा होगा और त्रिपुरी की थकावट भी मिट चुकी होगी।

जैसा कि आपने सुना ही होगा, मौलाना आजाद कल इलाहाबाद स्टेशन पर गिर पड़े। उन्हें चोट आई है। आशका है कि टखने के पास हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। समभव है, उन्हें छ या आठ सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करना पड़े। अभी वे यहीं हैं। एक सप्ताह बाद उन्हें कलकत्ता भिजवाया जाएगा। मैं उनके टखने के जोड़ का स्कीयाग्राम डॉ. विधानचंद्र राय की सलाह पर परामर्श हेतु तथा कलकत्ता के सर्जनों की राय हेतु भिजवा रहा हूँ।

मिन्न का प्रतिनिधिमंडल फिलहाल लखनऊ में है और आज रात दिल्ली के लिए रवाना होगा— वहां तीन दिन रुकेगा। उसके पश्चात् उनका आगरा, लाहौर और पेशावर जाने का कार्यक्रम है। रास्ते में शायद वे अलीगढ़ और बनारस भी जाएं, किंतु अभी निश्चित नहीं है। दिल्ली में वे अपना कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। वे दो दिन के लिए कलकत्ता भी जाना चाहते हैं। सही तिथि निर्धारित नहीं, लेकिन समभवत वे 27 के आसपास पहुंचेंगे। जैसे ही तिथि निश्चित हो जाएगी, मैं आपको और बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी को भी सूचित करूंगा।

कलकत्ता में वे होटल में ठहरे तो उचित रहेगा। लखनऊ और दिल्ली में वे होटलों में ही ठहरे हैं। उनके कलकत्ता के कार्यक्रम के विषय में आप बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बता सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। हम उन्हें मुस्लिम लीग जैसी गैर-कांग्रेसी

पार्टियों से मिलने के पूरे अवसर देना चाहते हैं— किंतु सनारोह कांग्रेस या निजी सम्बन्धों द्वारा किए जाने हैं।

कल शाम मैं दो दिन के लिए गांधीजी से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। 20 की शाम तक यहाँ लौट आने की आशा है।

इस पत्र की प्रति बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव को भी भेज रहा हूँ।

आपका शुभाकांक्षी

जवाहरलाल नेहरू

श्री सुभाषचंद्र बोस

धनबाद बंगाल

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

सुभाषचंद्र बोस

झीतगुड़ा

सोमवार को धनबाद भेजा गया तार मिला होगा। उत्तर भी प्रतीक्षा है। मिस के प्रतिनिधिमंडल के कलकत्ता में 27 को प्रातः पहुंचने की ज़म्बिद है। व वहाँ तीन दिन रुकेंगे।

जवाहरलाल नेहरू

22 3 39

जवाहरलाल नेहरू के लिए

झीतगुड़ा पोस्ट ऑफिस

जिला सानभूमि, बिहार

28 मार्च 1939

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे लग रहा है कि कुछ समय से आप मुझ से खास नाराज से हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे विरुद्ध सभी मुद्दों को बहुत उत्साहपूर्वक उठाया है। जो बातें मेरे पक्ष में हो सकती थीं, उनकी आपने उपेक्षा की है। मेरे राजनीतिक विरोधी मेरे विरुद्ध जो कुछ कहते हैं, आप मान लेते हैं— जबकि उनके विरुद्ध जो कहा जा सकता है उससे आपके मूढ़ लेते हैं। आगे मैं उपर्युक्त बातों पर विस्तृत चर्चा करूंगा।

आप मुझे अचानक नापसंद क्यों करने लगे— मेरे लिए यह एक रहस्य बना हुआ है। जबसे मैं 1937 में नजरबंदी से बाहर हुआ हूँ, तभी से आपको व्यक्तिगत जीवन व

राजनीतिक जीवन में अत्यधिक सम्मान व इज्जत की दृष्टि से देखता रहा हूँ। राजनीति के क्षेत्र में मैंने आपको सदा बड़ा भाई और नेता माना है। समय-समय पर आपसे सलाह भी लेता रहा हूँ। पिछले वर्ष जब आप यूरोप में वापस आए, तो मैं इलाहाबाद आकर आपसे मिला और आपसे पूछा था कि आप हमारा नेतृत्व किस प्रकार करेंगे ? जब भी इस दृष्टि से मैंने आपसे बात की, तो आपके उत्तर अस्पष्ट और गैर-जिम्मेदाराना थे। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष जब आप यूरोप से लौटे, आपने मुझे यह कहकर चुप करा दिया कि मुझे गांधीजी से परामर्श करना चाहिए— फिर मैं आपसे बात करूँ। गांधीजी से आपकी मुलाकात के बाद जब हम वर्धा में मिले, तो भी आपने निश्चित तौर पर मुझे कुछ नहीं बताया। बाद में कार्यकारिणी के सम्मुख कुछ प्रस्ताव रखे, जो न तो नए थे और न ही देश को कोई दिशा देने वाले थे।

अध्यक्ष पद का पिछला चुनाव नितांत कटु व विवादास्पद था, जिसके विषय में बहुत-सी बातें कही गईं। कुछ मेरे पक्ष में और कुछ विपक्ष में। आपके शब्दों और बयानों में प्रत्येक बात मेरे विरुद्ध ही कही गई। दिल्ली में एक भाषण के दौरान आपने कहा था कि मेरे लिए मत प्राप्त करने हेतु लोगों को आश्वस्त करना आपको पसंद नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपके मस्तिष्क में वास्तव में क्या है, किंतु आप इस तथ्य से भली-भांति परिचित थे कि मेरी चुनाव अपील डॉ. पट्टाभि की अपील के बाद ही प्रेस में प्रकाशित हुई। आप जान-बूझकर या अनजाने में इस बात से पूर्णतया परिचित थे कि दूसरे पक्ष की ओर से प्रचार अधिक था। डॉ. पट्टाभि के लिए मत प्राप्त करने हेतु कांग्रेस-मंत्रिमंडल के तंत्र का अधिकतम इस्तेमाल किया गया। दूसरे पक्ष के पास बाकायदा सगठन (गांधी सेवा संघ कांग्रेस मंत्रालय और शांति चर्खा संघ तथा ए. आई. वी. आई. ए.) थे, जो तत्काल प्रचार-कार्य में जुट गए। फिर उनके साथ, आप सहित बड़े-बड़े नेता थे— जो मेरे खिलाफ थे, फिर महात्मा गांधी का नाम और प्रभाव भी उनके साथ था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां भी उन्हीं के हाथों की कठपुतलियां थीं। उनके विरुद्ध मेरे पास क्या था— केवल मैं एक व्यक्ति। क्या आप जानते हैं— जैसा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से मान्य है कि कई स्थानों पर तो डॉ. पट्टाभि की अपेक्षा गांधीजी तथा गांधीवाद के पक्ष में प्रचार हुआ— हालांकि कुछ लोग तो इस प्रकार के दुष्प्रचार से अभिमत भी हुए। फिर भी जनसभा में खड़े होकर आपने मेरे विरुद्ध आवाज उठाई और वह भी झूठी बातों के आधार पर।

अब मुझे त्यागपत्र की बात बताने दे। 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दिया। सभी ने सीधा-स्पष्ट पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति पूर्णतः स्पष्ट कर दी। मेरी बीमारी की सोचकर उन्होंने मेरे विषय में एक भी शब्द गलत नहीं कहा— हालांकि यदि वे चाहते तो मेरी कड़ी आलोचना कर सकते थे। किंतु आपका बयान— कैसे उसकी ध्याख्या करूँ ? कटु शब्दों से बचना चाहता हूँ। केवल यही कहूंगा कि यह आपके लिए उचित नहीं था। (मुझे बताया गया कि आप चाहते थे कि आपके बयान को त्यागपत्र के साथ शामिल किया

जाए, किंतु यह बात मानी नहीं गई) फिर आपका बयान से यह लगता था कि आपने त्यागपत्र दे दिया है— जैसा कि अन्य सदस्यों ने किया है— किंतु अभी तक जनसामान्य के लिए आपकी स्थिति रहस्यमय बनी हुई है। जब सफट आता है तो आप अपने मन को किसी एक दिशा में स्थिर नहीं कर पाते। परिणामतः जनसामान्य को यह आभास होता है कि आप दो नावों पर सवार हैं।

आपके 22 फरवरी के बयान पर फिर तौंट आए। आपका विचार है कि आप जो भी कहते या करते हैं उससे पीछे सही तर्क होता है। किंतु विभिन्न परिस्थितियों में जब आप फटम उठाते हैं तो लोग पाय भौंचक्के और हैरान रह जाते हैं। कुछ उदाहरण ले। 22 फरवरी के अपने बयान में आपने कहा था कि आप पुनः चुनाव के विरुद्ध हैं तथा अल्मोडा से 26 जनवरी को जारी बयान में आपने कुछ कारणों का भी जिक्र किया। आपने स्पष्ट रूप में अपनी बात पलट दी। फिर पुनः मुझे बर्बई के कुछ मित्रों ने बताया कि आपने पहले उनसे कहा था कि आपको मेरे चुनाव लड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है— बशर्ते कि मैं वाममार्गी प्रतियोगी के रूप में खड़ा होऊँ। अल्मोडा से जारी बयान में आपने यह कहा कि हमें व्यक्तियों को भूलकर सिर्फ सिद्धांतों और लक्ष्यों को याद रखना चाहिए। आपको पद भंडसूस नहीं हुआ कि आप उस समय व्यक्तियों को भूलने की बात कर रहे हैं जबकि कुछ व्यक्तियों से ही सबधित मुद्दा सामने है। सुभाष बोस के पुनः चुनाव में खड़े होने के मामले में आप व्यक्तियों को नीचा दिखाकर सिद्धांतों को ऊँचा कर रहे हैं। यदि मौलाना आज़ाद पुनः चुनाव के लिए खड़े होते हैं, तो आपको लंबी प्रशस्ति लिखने में हिचकिचाहट नहीं होती। यदि सुभाष बोस बनाम सरदार पटेल या किसी अन्य की बात हो, तो सुभाष बोस को पहले व्यक्तिगत बातों का खुलासा करना होगा। जब त्रिपुरी ने सरदार बोस कुछ बातों पर शिकायत करते हैं, तो (अपने आपको गांधीजी के कट्टर समर्थक कहने वाले लोगों के व्यवहार के प्रति) वे आपके अनुसार व्यक्तिगत प्रश्न उठा रहे हैं तथा उन्हें सिद्धांत और कार्यक्रमों की बातों तक ही सीमित रहना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी अल्पबुद्धि इसको समझने में अक्षम है।

अब मैं व्यक्तिगत प्रश्न पर आऊँ, जो मेरे विषय में आपकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। आपने कहा है कि अपने बयान में मैंने अपने सहयोगियों का गलत कहा है। आप उनमें शामिल नहीं थे— और फिर यदि मैंने दोष लगाए, तो वे दूसरों पर थे। अतः आप अपने बारे में नहीं बोल रहे, बल्कि दूसरों का पक्ष ले रहे थे। वहील अपने मुक्तिकल की अपेक्षा अधिक वाकपटु होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैंने सरदार पटेल (तथा राजनबाबू और मौलाना) से त्रिपुरी में बात की, तो उन्होंने मुझे यह आश्चर्यजनक समाचार सुनाया कि मेरे विरुद्ध उन्हें जो शिकायत है, वह कार्यकारिणी की बारदोली बैठक से भी पहले से पिछली जनवरी से है। जब मैंने बताया कि लोगों को सामान्यतः यही विश्वास है कि मुझ पर आरोप या मुझसे शिकायत मेरे चुनावी बयान के

बारे में हैं, तो उन्होंने कहा कि वह तो अतिरिक्त शिकायत है। अतः आपके मुवकिल उस मुद्दे को उतना महत्व नहीं देते, जितना एक वकील के रूप में आप देते हैं। त्रिपुरी में जब सरदार पटेल तथा अन्य लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिए गए, तो उन्होंने वायदा किया था कि बैठक के बाद पुनः मिलेंगे— लेकिन वे लोग नहीं आए यह जानने के लिए कि कार्यकारिणी की बारदोती बैठक से पहले क्या बात पता चली, जिसकी उन्होंने घर्चा की थी मैं इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा पाया। किंतु मेरे भाई शरत ने सरदार पटेल से इस विषय में बातचीत की, तो उन्हें बताया गया कि उनकी मुख्य शिकायत सितंबर 1938 में दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मेरे रवैये के प्रति थी, जिसमें समाजवादियों ने वॉक-आउट किया था। इस दोषारोपण से मुझे व मेरे भाई को अति आश्चर्य हुआ— किंतु एक बात स्पष्ट हो गई कि सरदार पटेल व अन्य लोगों को मुख्य बातों से कोई सरोकार नहीं था, जिन्हें आपने इतना महत्व दिया। वास्तविकता यह है कि जब मैं त्रिपुरी में था तब बहुत से सदस्यों ने (मैं आपको बता दू कि मेरे समर्थकों में नहीं) मुझे बताया कि 'शिकायती मुद्दा तो वास्तव में भुलाया जा चुका था, लेकिन आपके बयानों ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस सदस्य में मैं आपको बता दू कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद से आपने लोगों में मेरी इज्जत को इतना कम कर दिया है, जितना कि त्यागपत्र देने वाले 12 सदस्य भी नहीं कर पाए थे। यदि मैं इतना बड़ा खलनायक हूँ, तो यह आपका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है कि आप जनता के समक्ष मेरी असलियत पेश करें— पर शायद आपको यह ध्यान आ जाए कि यह शोतान इतने बड़े नेताओं, जिसमें आप और महात्मा गांधी तथा प्रांतीय सरकारें भी शामिल हैं, के विरोध के बावजूद पुनः चुनाव जीत गया। अखिर कुछ बात तो रही होगी। उराने अपने अध्यक्षकाल में देश की कुछ तो सेवा की होगी, तभी तो वह बिना किसी संगठन की सहायता व अनेक विरोधों के बावजूद इतने वोट हासिल कर सका।

22 फरवरी के अपने बयान में आपने आगे कहा है कि 'मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को सुझाव दिया है कि यह पहला और अति आवश्यक मुद्दा है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। किंतु अभी तक इसे हल करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।' इन प्रतिक्रियाओं को लिखने से पहले क्या तनिक भी यह विचार आपको नहीं आया कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सरदार पटेल व अन्य सदस्यों की एक बैठक बुलाई जाए, जबकि 22 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक होनी ही थी? क्या आप सोचते हैं कि मैं कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित होने से बच रहा था? यह सत्य है कि मैंने 15 फरवरी को महात्मा गांधी के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया, यद्यपि उन्होंने एक बार इसका सकेत दिया था। उस समय आपके आदेश का अनुपालन करके मैं सिद्धांतों और कार्यक्रम को व्यक्तिगत मुद्दे की अपेक्षा अधिक महत्व दे रहा था। आपको बता दू कि जब महात्मा गांधी ने मुझे बताया कि सरदार पटेल व अन्य लोग उस

समिति में मुझे सहयोग नहीं देगे— तो मैंने उन्हें बताया कि जब हम 22 तारीख को मिलेंगे, तो इन विषयों पर बात करेंगे और मैं उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। आप इस बात से शायद सहमत होंगे कि अस्त्रमति यदि कोई है तो वह महात्मा गांधी के सदस्य में नहीं, बल्कि कार्यकारिणी के सदस्यों से संबद्ध है तथा इसलिए कार्यकारिणी से इस विषय में बात की जानी आवश्यक है।

उपर्युक्त बयान में आप मुझसे अपेक्षा रखते थे कि मैं लिखित रूप में इस बात की व्याख्या करूँ कि धाममार्गी और उदारवादी शब्दों का क्या अर्थ है। मैंने सोचा कि आप ही ऐसा अंतिम व्यक्ति हैं, जो मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आप आचार्य कृपलानी तथा स्वयं अपने द्वारा हरिपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भ्रमण गण को जाने वाली रिपोर्ट को भूल गए हैं? क्या आपने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा था कि उदारवादी धाममार्गीयों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या महज आपका ही यह सुविधा प्राप्त है कि जहां आवश्यकता हो, वहां आप धाममार्गी व उदारवादी शब्दों का प्रयोग कर लें— तो क्या अन्य लोगों का इन शब्दों के प्रयोग की इजाजत नहीं?

आगे आपने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैं राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर रहा। मेरे विचार में मेरी एक नीति है, चाहे वह ठीक हो या गलत। त्रिपुरी के अपने अखिल अध्वक्षीय भाषण में मैंने इसका स्पष्ट उल्लेख किया था। भारत और विदेश की स्थितियों के बदलने पर मेरे विचार में हमारी मुख्य समस्या— हमारा एकमात्र कर्तव्य यही है कि हम लोग ब्रिटिश सरकार के सम्मुख स्वराज की मांग को उठाए। इसके साथ-साथ हमें प्रांतीय लोगों को एक साथ पूरे भारत में आंदोलन छेड़ने की एक ठोस योजना देकर उनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा। मेरे विचार में मैंने त्रिपुरी से पूर्व अपने विचारों का स्पष्ट संकेत उस समय आपको दिया था, जब हम शांति निरंजन और फिर बाद में आनंद भवन में मिले थे। जो मैंने अभी लिखा है वह तो क्रम-से-क्रम निश्चित नीति ही है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी नीति क्या है? अभी हात ही के मात्र में आपने राष्ट्रीय मांग पर प्रस्ताव पास किए जाने की त्रिपुरी कांग्रेस की घड़ी की है और आप उसे अग्रिम महत्व दे रहे हैं। खद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतनी खूबसूरती से व्यर्थ का प्रस्ताव पारित करना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। इस प्रकार हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यदि स्वराज हेतु हमें ब्रिटिश सरकार से झगड़ना है और हम समझते हैं कि यह मौका भी ठीक है तो हम स्पष्ट कहना चाहिए और कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। आप एक से अधिक बार मुझे यह बता चुके हैं कि अल्टीमेटम देने का विचार आपको पसंद नहीं। पिछले 20 वर्षों से महात्मा गांधी बार-बार ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम देते आ रहे हैं। इसी अल्टीमेटम देने तथा आवश्यकता पड़ने पर युद्ध छेड़ने की तैयारी के कारण ही वे ब्रिटिश सरकार से इतना कुछ पाने में कामयाब हुए हैं। यदि आप वास्तव में यह मानते हैं कि अपनी राष्ट्रीय मांग सामने रखने का समय आ गया है

तो अल्टीमेटम देने के अतिरिक्त और क्या मार्ग है ? अभी उस दिन राजकोट के मुद्दे पर महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम दिया है। क्या आपको अल्टीमेटम देने का विचार इसलिए पसंद नहीं, क्योंकि यह मैं सुझा रहा हूँ ? यदि ऐसा है तो फिर स्पष्ट रूप से बिना हिचक के कहने में क्या कठिनाई है ?

संक्षेप में, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आंतरिक राजनीति के विषय में आपकी नीति क्या है ? मुझे याद है कि आपके किसी बयान में मैंने पढ़ा था कि आपका विचार है कि राजकोट और जयपुर का मुद्दा सब मुद्दों पर छाया रहेगा। आप जैसे प्रमुख नेता के द्वारा ऐसी टिप्पणी पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे कोई अन्य मुद्दा स्वराज के मुख्य मुद्दे को ढक लेगा। इतने बड़े देश में राजकोट एक छोटी-सी जगह है। राजकोट की अपेक्षा जयपुर कुछ बड़ा शहर है लेकिन जब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध देश के सघर्ष का मुद्दा उठता है, तो ये सब बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। फिर, हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि भारत में 600 के लगभग प्रांत हैं। यदि हम मुख्य सघर्ष को भूलकर इन छोटी-मोटी टालू नीतियों को अपनाते रहे, तो हमें नागरिक स्वतंत्रता और राज्यों में उत्तरदायी सरकार पाने में कम-से-कम 250 वर्ष लग जाएंगे। क्या उसके पश्चात ही हम स्वराज के विषय में सोचेंगे ?

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आपकी नीति शायद अधिक अस्पष्ट है। मुझे यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि कुछ अरसा पहले आपने भारत में यहूदियों को शरण देने संबंधी प्रस्ताव को कार्यकारिणी के सम्मुख रखा। उस समय आपने स्वयं का अपमानित महसूस किया, जब कार्यकारिणी ने (संभवतः महात्मा गांधी की स्वीकृति से) से इतने अस्वीकार कर दिया। विदेश नीति के मामले में राष्ट्र के भले का विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। सोवियत रूस का उदाहरण ले- अंदरूनी राजनीति में कम्युनिज्म होने के बावजूद वह अपनी विदेश नीति पर भावांगो को हाथी नहीं होने देना चाहता। यही कारण है कि वह अपने हितों को दृष्टि में रखते हुए फ्रेंच साम्राज्यवाद से समझौता करने में भी नहीं हिचकिचाया। फ्रैंको-सोवियत समझौता व चेकास्लोवाक-सोवियत समझौता ऐसे ही उदाहरण हैं। आज भी सोवियत रूस ब्रिटिश राजशाही से समझौता करने को आतुर है। अब आप की विदेश नीति क्या है ? कृपया बताएं।

संबेदनशीलता और नैतिकता से विदेश नीति नहीं निर्धारित होती। हर समय पिछली बातों को उठाते रहना उचित नहीं। जर्मनी व इटली जैसे देशों की भर्त्सना करते रहना भी उचित नहीं और ब्रिटेन तथा फ्रेंच उपनिवेशवाद को अच्छे आधारण का प्रमाणपत्र देना भी आवश्यक नहीं।

पिछले लंबे समय से मैं प्रत्येक सबद्ध व्यक्ति से, जिसमें आप और महात्मा गांधी भी शामिल हैं, यह मांग कर रहा हूँ कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी राष्ट्रीय मांग का अल्टीमेटम के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।

अधिकांश भारतीय जनता मेरे कदम से सहमत है और ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों ने भी मेरी नीति का समर्थन करते हुए अपने हस्ताक्षरित कागजात मेरे पास भिजवाए हैं। आज जब आप मेरी गलती निकाल रहे हैं कि त्रिपुरी प्रस्ताव की रुकावटों के बावजूद मैंने कार्यकारिणी का गठन नहीं किया, तब भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अचानक आपकी नजर में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो उठी है। आज यूरोप में क्या हुआ ? क्या मैं पूछ सकता हूँ ? असमाव्य क्या है ? क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रत्येक विद्यार्थी यह नहीं जानता कि वसंत ऋतु में यूरोप में क्या होने वाला है ? क्या तब मैंने बार-बार इसका जिक्र नहीं किया जब मैं ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम देने की बात की ?

अब मैं आपके बयान के दूसरे हिस्से की बात करता हूँ। आपने कहा कि 'यह कार्यकारिणी फिलहाल अस्तित्व में नहीं है तथा अध्यक्ष को संभवतः उनकी इच्छानुसार अपने प्रस्ताव तैयार करने व कांग्रेस के सम्मुख उन्हें पेश करने की खुली छूट मिल गई है। उसकी इच्छानुसार कोई बैठक नहीं हुई— यहाँ तक कि रोजमर्रा के कार्य के लिए भी नहीं।' मुझे आश्चर्य है कि आप कैसे अर्द्धसत्य, बल्कि पूर्णतः झूठ आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। कार्यकारिणी के 12 सदस्यों ने अचानक अपने त्यागपत्र मेरे मुँह पर दे मारे, फिर भी आप उन्हें दोष देने की बजाय मुझे ही दोष दे रहे हैं। शायद मैं प्रस्ताव पास करने के लिए स्पतंत्रता चाह रहा था। फिर मैंने रोजमर्रा के कार्य करने से आपको रोका क्या ? कांग्रेस के लिए प्रस्ताव पारित करने के मुख्य कार्य के संबन्ध में यद्यपि मैंने त्रिपुरी कांग्रेस तक कार्यकारिणी की बैठक स्थगित करने को कहा था, तब क्या मैंने सरदार पटेल से तार द्वारा यह नहीं कहा था कि अन्य सदस्यों से विचार-विमर्श कर लिया जाए और तार द्वारा मुझे अपनी राय बताएँ ? यदि आपको इस विषय में कोई शक हो तो कृपया सरदार पटेल को भेजे गए मेरे तार को देखें। तार इस प्रकार था

सरदार पटेल, वर्धा

महात्माजी को भेजा गया मेरा तार देखें। खेद के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस अधिवेशन तक कार्यकारिणी की बैठक स्थगित कर दी जाए। कृपया सहयोगियों से बात करके अपनी राय से सूचित करें—सुभाष।

त्रिपुरी कांग्रेस के सपन्न होने के 7 दिन बाद आपने मुझे तार भेजा जिसमें कहा था कि मैं कांग्रेस के मामले में रोड़ा अटका रहा हूँ। आपके न्यायप्रिय मस्तिष्क में त्रिपुरी कांग्रेस ने पंडित पत का प्रस्ताव पास करते समय भी यह नहीं सूझा कि मैं बेहद बीमार था, कि गांधीजी भी त्रिपुरी नहीं पहुँचे थे और हम लोगों की मुलाकात जल्दी संभव नहीं थी। क्या आपको यह कभी महसूस नहीं हुआ कि इस अटकन का कारण स्वयं कांग्रेस है, जिसने मुझसे असद्वहानिक रूप से कार्यकारिणी के गठन की शक्ति छीन ली। यदि पंडित पत के प्रस्ताव द्वारा स्वविधान की अयहेलना न हुई होती तो मैं 13 मार्च 1939 को ही कार्यकारिणी का गठन कर चुका होता। कांग्रेस अधिवेशन के समाप्त होने के सात दिन बाद आपने मेरे विरुद्ध

जन-आदोलन खडा कर दिया— हालाकि आपको मेरे स्वास्थ्य का पता था, फिर आपका तार, जो आपने मुझे भेजा, मुझे मिलने से पहले ही प्रेस में प्रकाशित हो गया। त्रिपुरी से लगभग पंद्रह दिन पूर्व तक कांग्रेस के मामलों में अनिश्चय की स्थिति बनी रही जो कि कार्यकारिणी के सदस्यों के त्यागपत्र से उत्पन्न हुई थी। तब क्या आपने उसके विरोध में एक भी शब्द कहा? क्या आपने सवेदना भर एक भी शब्द मुझे कहा? अपने हाल ही के पत्रों में से एक पत्र में आपने लिखा है कि आप जो लिखते या बोलते हैं, उसे किमी का प्रतिनिधित्व नहीं माना जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश आपको कभी यह आभास नहीं हुआ कि आप दूसरों के समक्ष उदारवादियों के लिए क्षमायाचक की भूमिका में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए आप अपना 26 तारीख का अंतिम पत्र ले। उसमें आपने कहा है कि "आज मैंने समाचारपत्रों में आपका बयान पढ़ा। मुझे डर है कि इस प्रकार का तर्कपूर्ण बयान हमारी अधिक सहायता नहीं करेगा।"

आज जब हम पर हर ओर से आक्रमण हो रहा है— अनावश्यक रूप से अपमानित किया जा रहा है, जैसा कि वे कह रहे हैं— आपने विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा, आपने मुझे सहानुभूति का भी एक शब्द नहीं कहा। किंतु जब मैं अपने पक्ष में कुछ बात कहता हूँ, तो आपकी प्रतिक्रिया होती है कि ऐसे तर्कपूर्ण बयान लाभकारी नहीं। मेरे विरोधियों द्वारा लिखे तर्कपूर्ण बयानों पर क्या आपने कुछ कहा? शायद आप उन पर आखे सेकते हैं।

22 फरवरी को दिए बयान में आपने पुनः कहा है कि "ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि स्थानीय कांग्रेसी झगड़े भी सामान्य तौर-तरीके से निपटाए नहीं जा रहे, बल्कि सीधे उच्च पदस्थ लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है— जिसके परिणामस्वरूप कुछ विशिष्ट गुटों व पार्टियों के साथ पक्षपात हो रहा है और अनिश्चय की स्थिति बढ़ रही है। कांग्रेस के काम में व्यवधान पड़ रहा है। यह देखकर मुझे अत्यधिक दुःख होता है कि हमारे संगठन के मूल में नई-नई विधियाँ लागू की जा रही हैं, जिससे सामान्य विवाद बढ़कर उच्चाधिकारियों तक फैल रहे हैं।"

इस प्रकार के दोषारोपण को पढ़ कर दुःखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि आपने सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त किए बिना बयान जारी किया। कम-से-कम आप मुझसे तो तथ्यों की जानकारी ले ही सकते थे। मैं नहीं जानता, ऐसा लिखते समय आपके मस्तिष्क में क्या था। एक मित्र ने मुझे बताया कि उस समय आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मामलों पर विचार कर रहे थे। यदि ऐसा है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि दिल्ली के विषय में मैंने वही किया, जो मुझे उचित लगा।

इस सदस्य में कि उच्चाधिकारी हस्तक्षेप करते हैं, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शायद आप वह सब भूल चुके हैं, जो आपने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किया था, या शायद अपनी ओर अंगुली उठाना कठिन कार्य है। 22 फरवरी को आपने मुझ पर यह

आरोप लगाया कि मैं उच्च पद पर बैठकर हस्तक्षेप कर रहा हूँ। क्या आप भूल गए कि 4 फरवरी को आपने मुझे एक पत्र लिखा था, जिसमें मुझ पर अनिश्चित और निष्क्रिय अध्यक्ष होने का दोष लगाया था। आपने लिखा, "आप अध्यक्ष की अपेक्षा प्रवक्ता का कार्य अधिक कर रहे हैं।" सबसे खेदजनक दोषारोपण तो यह था कि मैं विघटनकारी के रूप में कार्य रहा हूँ और किसी गुट या पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ। तो क्या कांग्रेस सगठन के कार्यकारी प्रमुख की (यदि व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं तो) यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह प्रेस में इतने आरोप लगाने से पूर्व कम-से-कम जांच पड़ताल तो कर लेता ?

यदि चुनाव विवाद को कोई पूर्ण रूप में देखे, तो यही सोचेगा कि चुनाव पूरा होने के पश्चात् सब कुछ भुला दिया जाएगा, कुठारी दबा दी जाएगी—जैसा कि बाक्सिंग के पश्चात् होता है—प्रतिद्वंद्वी आपस में हाथ मिला लेंगे। किंतु सच्चाई और अहिंसा के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। परिणाम को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं किया गया। मेरे विरुद्ध शिकायतों को पाला जाता रहा और बदले की भावना पनपती रही। कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों की ओर से आपने मेरे विरुद्ध टटा उठा लिया। आपको यह सब करने का पूरा अधिकार था। किंतु आपको क्या यह विचार कभी नहीं आया कि मेरे पक्ष में भी कुछ कहा जा सकता है ? क्या मेरी अनुपस्थिति में कार्यकारिणी के सदस्यों को डॉ. पट्टाभि को अध्यक्ष पद के लिए चुनना उचित था ? क्या सरदार पटेल द्वारा चुनावी प्रचार में महात्मा गांधी के नाम और अधिकार का प्रयोग करना उचित था ? क्या विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी मत प्राप्त करने के लिए कांग्रेसी मंत्रालयों का दुरुपयोग सही था ?

इस तथाकथित बदनामी के सबंध में मैं जो मुझे कहना था, पहले ही कह चुका हूँ—प्रेस बयान में भी और त्रिपुरी में कमेटी के समक्ष की गई टिप्पणियों में भी। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या आप भूल गए कि जब लार्ड लोथियन भारत-यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने जनसमूह के समक्ष यह टिप्पणी की थी कि फंडरल स्कीम के विषय में सभी कांग्रेसी नेता पंडित नेहरू से सहमत नहीं हैं ? इस टिप्पणी का महत्व या औचित्य क्या है ?

जपने 22 फरवरी के बयान में आपने शिकायत की है कि उच्च पदाधिकारियों में आपसी शक और विश्वास की कमी है। मैं आपको बता दूँ कि अध्यक्ष के चुनाव तक यह शक बहुत कम मात्रा में था। कार्यकारिणी के सदस्यों में विश्वास की कमी आपके शासनकाल की अपेक्षा कुछ कम ही थी। आपके ही अनुसार हमने कभी भी परिणामस्वरूप त्यागपत्र देने का विचार नहीं बनाया, जबकि आप ऐसा विचार कई बार बना चुके थे। मेरे विचार से तो यह सारी मुसीबत तब शुरू हुई, जब मैंने चुनाव जीत लिया। यदि मैं हार जाता तो जनता को इस प्रकार की तथाकथित बदनामी सुनने को न मिलती।

आपको यह घोषणा करते रहने की आदत है कि आप अलग-थलग हैं तथा आप किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही आप किसी पार्टी से संबद्ध हैं। प्रायः आप

इस बात को ऐसे दुहराते हैं, जैसे कि आपको इस बात पर अभिमान है या फिर आप इससे बहुत प्रसन्न हैं। कभी आप स्वयं को समाजवादी— कट्टर समाजवादी— कहते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक समाजवादी किस प्रकार एक व्यक्तिवादी हो सकता है!—जैसा कि आप प्रायः घोषणा किया करते हैं। दोनों बातें एक-दूसरे के विपरीत हैं। आप जैसे व्यक्तिवादी द्वारा समाजवाद कैसे लाया जा सकता है— यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। गुटनिरपेक्षवादी होने का लेबल लगाकर व्यक्ति सब गुटों में प्रसिद्धि पा सकता है। किंतु उनकी कीमत क्या है? यदि कोई व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों या विचारों में विश्वास रखता है, तो उसे वास्तविक जीवन में भी वही कर दिखाना चाहिए। यह कर पाना तभी संभव है, जब वह पार्टी या संगठन से संबद्ध हो। मैंने तो किसी भी देश में बिना पार्टी या संगठन के समाजवाद को पनपते नहीं देखा। यहां तक कि महात्मा गांधी की भी अपनी पार्टी है।

एक और विषय जिस पर आप प्रायः अड़े रहते हैं, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा— अर्थात् राष्ट्रीय एकता। मैं और मेरे विचार से पूरा देश इसके लिए समर्पित है। किंतु इसकी भी एक निरिक्त सीमा है। जिस एग्रेटा की बात हम करते हैं, उसे कार्यो की एकता से कायम रखना चाहिए, न कि निष्क्रियता से। हर अवस्था में विघटन बुराई ही नहीं है, बल्कि उन्नति के लिए कई बार यह आवश्यक हो जाता है। जब रूस की डेमाक्रट पार्टी बोलशेविक्स और मेनशेविक्स में सन् 1903 में विभाजित हुई, तो लेनिन ने सुख की सांस ली। उसे मेनशेविक्स के व्यर्थ के झंझ से मुक्ति मिली। उसने महसूस किया कि उन्नति का मार्ग अतंत खुल ही गया। भारत में जब उदारवादियों ने कांग्रेस से स्वयं को अलग कर लिया, तो किसी भी प्रगतिवादी व्यक्ति ने इस विघटन को बुरा नहीं माना। परिणामतः जब 1920 में बहुत-से कांग्रेसियों ने कांग्रेस से अपने को हटा लिया, तो शेष कांग्रेसियों ने उनका शोक नहीं मनाया। ऐसे विघटन उन्नति में सहायक होते हैं। बाद में हमने एकता को पूजा बना लिया। इसमें काफी खतरा है। इसे कमजोरी के कवच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समझौतों का बहाना बनाया जा सकता है, जो कि पूर्णतया उन्नति-विरोधी है। आप अपना ही उदाहरण लें। आप गांधी-इर्विन समझौते के विरुद्ध थे, किंतु एकता के लिए आपने इसे स्वीकार कर लिया। फिर आप प्रांतों में कार्यालयों के विरुद्ध थे, किंतु जब कार्यालयों को स्वीकृति मिल गई, तो फिर आप इसे स्वीकार कर बैठे। तर्फ के लिए मान लें कि कांग्रेस फेडरल स्कीम को मान गई होती, तो अपने दृढ़ सिद्धांतों के बावजूद शायद एकता के कारण उसे भी स्वीकार कर लिया जाता। उस समय राजनीतिक आस्था का ध्यान भी नहीं रहता। क्रांतिकारी आंदोलन में एकता अपने-आप में अंत नहीं है, बल्कि एक साधन है। यदि यह उन्नति में सहायक है, तभी यह स्वीकार्य है। यदि यह प्रगति में बाधा बनता है, तो यह बुराई बन जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यदि कांग्रेस बहुमत से फेडरल स्कीम को स्वीकार कर लेती, तो आप क्या

करते ? आप उस निर्णय को स्वीकार कर लेते या उसके विरुद्ध विद्रोह करते ?

इलाहाबाद से प्रेषित 4 फरवरी का आपका पत्र बहुत रोचक था, जिससे स्पष्ट होता है कि तब आप मेरे विरुद्ध उतने नहीं थे, जितने कि बाद में हो गए। उदाहरण के लिए आपने उस पत्र में लिखा है "मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके चुनाव लड़ने से लाभ भी हुआ है और हानि भी हुई है।" बाद में आपने विचार बना लिया कि मेरा पुनः चुनाव लड़ना गलत था। फिर आपने लिखा है कि "हमें भविष्य को वृहद दृष्टिकोण से देखना होगा न कि सकुचित व्यक्तिगत दृष्टि से। निश्चय ही हममें से किसी के लिए भी इसमें उलझना बेकार है, क्योंकि जैसा हम चाहते थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। जो भी हो, हमें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना ही है।" इसमें स्पष्ट होता है कि आपने पहले दोषारोपण वाले मुद्दे को इतना महत्व नहीं दिया, जितना कि बाद में दिया। फेचल यही नहीं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस मुद्दे पर विद्रोह भी धीरे-धीरे बाद में बढ़ा और उस आपन स्वयं ही बढ़ाया। इस सबघ में शायद आपको याद हो कि जब हम शांति निकेतन में मिले थे तब मैंने आपको सुझाव दिया था कि यदि सब कोशिशों के बावजूद हम कार्यकारिणी के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो हमें कांग्रेस को चलाने के उतरदायित्व से बचना नहीं है। तब आप मुझसे सहमत थे। बाद में किन कारणों से, मुझे मालूम नहीं, आप दूसरे पक्ष से जा मिले। निश्चय ही आप कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं, किंतु फिर आपके समाजवाद और वामपथ का क्या होगा ?

4 फरवरी के अपने पत्र में आपने एक से अधिक बार आरोप लगाया है कि मेरी अध्यक्षता में एक बार भी फेडरेशन जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार नहीं किया गया। यह बड़ा अजीब आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है क्योंकि आप स्वयं ही छह माह तक देश से बाहर थे। क्या आप जानते हैं कि श्री भूलाभाई देसाई द्वारा लंदन में दिए गए भाषण पर जब हंगामा खड़ा किया गया था तब मैंने कार्यकारिणी को सुझाव दिया था कि हमें फेडरेशन को खिलाफ प्रस्ताव पारित करना चाहिए ? पूरे देश में फेडरेशन-विरोधी प्रचार किया जाना चाहिए ? किंतु मेरे उस प्रस्ताव को अनावश्यक माना गया। क्या आप जानते हैं कि सितंबर में जब दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो यह आवश्यक समझा गया कि फेडरेशन की भर्त्सना करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी समर्थन दिया ?

अन्य जो दोष आपने अपने पत्र में मुझ पर लगाया वह यह है कि मैंने कार्यकारिणी के मुद्दों में बहुत शक्त रख अपनाया है— बल्कि मैंने अध्यक्ष की अपेक्षा प्रवक्ता की भूमिका अधिक निभाई है। ऐसा दयान दिया जाना उचित नहीं था। क्या यह कहना अनुचित होगा कि कार्यकारिणी के अधिकांश समय पर आपका अपना नियंत्रण था ? यदि कार्यकारिणी में आप जैसा दात करने वाला एक भी सदस्य होता तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी अपना कार्य भी पूरा कर पाते। फिर आपका व्यवहार ऐसा था कि आप प्रायः अध्यक्ष के

कार्यो मे हस्तक्षेप करते रहते थे। आपको बाहर करने के उपरांत ही मैं स्थिति से निपट सफ़्या था, लेकिन उरारो हम दोनों का विरोध खुले-आम उजागर होता। कड़वा सत्य तो यह है कि कभी-कभी तो आपने कार्यकारिणी मे एक बिगडैल बच्चे की भांति आचरण किया और अपना घेय खो बैठे। अब इतने व्यर्थ के वाद-विवाद के पश्चात आप किस निर्णय पर पहुँचे हैं ? आप घटो हफ़ आगे बढ-चढ कर बोलते रहेगे, फिर अचानक पीछे हट जाते हैं। सरदार पटेल व अन्य लोग बडी चतुराई से आपसे कार्य करा लेते हैं। वे आपको खुली छूट देते हैं कि आप लगातार बोलते चले जाए। फिर वे अचानक आप पर जिम्मेदारी डाल देगे कि आप उनके प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करे। एक बार यदि आप प्रारूप तैयार करते हैं, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं— चाहे वह किसी का भी प्रस्ताव क्यों न हो। मैंने तो आपको कभी अत तक अपने विचार पर स्थिर रहते नहीं देखा।

एक अन्य अद्भुत आरोप जो मुझ पर लगाया गया, वह यह है कि पिछले वर्षों मे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की बहुत दुर्दशा हुई है। मैं नहीं जानता कि आपकी राय मे अध्यक्ष के कर्तव्य क्या हैं। मेरे विचार मे वह किसी क्लर्क या सचिव से ऊपर की वस्तु है। अपने अध्यक्ष-काल मे आप सचिव के कार्य अधिक करते थे। किंतु यह तो कोई कारण नहीं है कि अन्य अध्यक्ष भी वही कार्य करें। इसके अतिरिक्त मेरी मुख्य कठिनाई यह थी कि सचिव के कार्यालय व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय मे बहुत दूरी थी और महासचिव मेरे अनुकूल व्यक्ति नहीं था। यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि महासचिव मेरे प्रति उतना वफ़ादार नहीं था, जितना कि किसी सचिव को अध्यक्ष के प्रति होना चाहिए (मैं जानबूझकर इसे इतना घटा कर कह रहा हूँ)—वास्तविकता तो यह है कि कृपतानोजी मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझ पर थोप दिए गए थे। शायद आपको याद हो कि मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के एक हिस्से को कलकत्ता ट्रांसफर कराने की भरसक कोशिश की थी, ताकि मैं ठीक प्रकार से कार्य का निरीक्षण करने मे सक्षम हो सकूँ। आप सबने अपने मुह मोड लिए और अब अचानक आप लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बारे मे दोष दूढ़ने चल निकले। यदि आपके अनुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की स्थिति बहुत बिगड गई है तो इसके लिए दोषी मैं नहीं, बल्कि महासचिव हैं। आप मुझ पर केवल यह दोष लगा सकते हैं कि मेरे अध्यक्ष-काल मे महासचिव के कार्य में बहुत कम हस्तक्षेप हुआ और इसके परिणामस्वरूप महासचिव ने अधिक शक्ति का प्रयोग किया। परिणामस्वरूप, यदि कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की दशा बिगडी, तो उसका उत्तरदायित्व महासचिव पर है, न कि मुझ पर।

मुझे आश्चर्य है कि तथ्यो की जानकारी के बिना आपने मुझ पर दोष लगाया है कि मैंने बर्बई-व्यापार-सघर्ष बिल को उसकी वर्तमान दशा मे पारित होने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने वस्तुतः बाद के दिनों मे मुझसे संबधित मामलो मे तथ्यो की

जानकारी किए बिना दोषारोपण करने की कला में निपुणता हासिल कर ली है— कभी-कभी तो सार्वजनिक तौर पर भी। यदि आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि इस सदर्भ में मैंने क्या किया तो बेहतर होगा कि आप सरदार पटेल से पूछें। केवल एक कार्य जो मैंने नहीं किया— वह यही था कि इस मुद्दे पर मैंने उनसे सबंध समाप्त नहीं किया। यदि यह गलती है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे क्या आप जानते हैं कि बर्बई सी एस पी ने इस बिल को अपना पूर्ण समर्थन दिया था ? आपकी बात करें, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने उस बिल को पारित होने से रोकने के लिए क्या किया ? जब आप बर्बई वापस पहुंचे, तो आपके पास उसका विरोध करने का पर्याप्त समय था और मेरा विश्वास है कि कई श्रमिक संगठन आपसे मिले भी थे, उन्हें आपने आश्वस्त भी किया था। तब आपकी स्थिति मुझ से बेहतर थी क्योंकि आपका प्रभाव मेरी अपेक्षा गांधीजी पर अधिक था। यदि आप प्रयत्न करते तो जहां मैं विफल रहा वहां आप सफल हो सकते थे। क्या आपने वैसा किया ?

एक और विषय जिस पर आप प्रायः मुझसे रुष्ट रहते हैं— वह है साझा मंत्रिमंडल का विचार। एक सैद्धांतिक राजनीतिज्ञ के रूप में आपका निश्चित मत है कि संयुक्त मंत्रिमंडल उचित है। क्या इस पर न अंतिम निर्णय सुनाने से पहले आप एक कार्य करेंगे ? आप दा सप्ताह के लिए असम की यात्रा पर जाएं और वहां से लौटकर मुझे बताएं कि वर्तमान साझा सरकार प्रगतिवादी है या पतिक्रियावादी सस्था है ? इलाहाबाद में बैठे रहकर समझदारी की बातें करना जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं कहा तक उचित है ? सादुल्ला मंत्रिमंडल के पतन के बाद जब मैं असम गया तो मुझे एक भी कांग्रेसी ऐसा नहीं मिला, जिसने कांग्रेस के साझा मंत्रिमंडल की मांग नहीं की हो। वास्तविकता यह है कि वह प्रातः प्रतिक्रियावादी मंत्रिमंडल के अधीन कई शिकायतें पाले हुए हैं। स्थिति निरंतर बिगड़ रही है और भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेसी लोगो ने असम में तब सुख की सांस ली, तब उनमें आत्मविश्वास लौटा, जब उन्हें नए मंत्रिमंडल के आगमन की आशा बंधी। यदि आप पूरे देश में सरकार से निकल जाने की नीति को स्वीकृति दे दें तो मैं उसका स्वागत करूंगा— साथ ही बंगाल तथा असम जैसे प्रांतों के कांग्रेसी भी उसका स्वागत करेंगे। किंतु यदि कांग्रेस पार्टी सात प्रांतों में सरकार में बने रहने को स्वीकृति दे सकती है, तो शेष प्रांतों में भी साझा मंत्रिमंडल को स्वीकृति दे सकती है। यदि आप असम की प्रगति से परिचित होते, तो सभी कठिनाइयाँ और अवरोधों के बावजूद साझा मंत्रिमंडल द्वारा कार्य सभालने के बाद आप अपना विचार अवश्य बदल लेंगे।

मुझे डर है कि बंगाल के बारे में आप कुछ नहीं जानते। दो वर्षों की अपनी अध्यक्षता में आपने इस क्षेत्र का दौरा करने का विचार कभी नहीं बनाया, जबकि इस प्रांत को आपके दौरे की अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि यह उस समय शोषण के दौर से गुजर रहा था। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि हक मंत्रिमंडल के दौरान इन

प्रात की क्या दशा हुई ? यदि आप उस समय कुछ करते, तो आज सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञ की भांति न बोल रहे होते। तब आप मेरी इस राय से सहमत होते कि यदि प्रात को सुरक्षित रखना है, तो हक मन्त्रिमंडल को हटा दिया जाना चाहिए तथा वर्तमान परिस्थितियों में एक बेहतर साझा मन्त्रिमंडल का गठन किया जाना चाहिए। किंतु ऐसा कहने के साथ-साथ मैं बताना चाहूंगा कि मेरी राय में साझा मन्त्रिमंडल का प्रस्ताव इसलिए पैदा हुआ, क्योंकि पूर्ण स्वराज का संघर्ष रोक दिया गया। कल ही पूर्ण स्वराज का संघर्ष शुरू कर दें, तो साझा मन्त्रिमंडल की मांग खत्म हो जाएगी।

अब मैं आपके 20 तारीख के तार की चर्चा करूंगा जो आपने मुझे दिल्ली से भेजा था। उसमें आपने लिखा था कि "अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए तथा राष्ट्रीय समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में कार्यकारिणी का गठन करना आवश्यक है।" कार्यकारिणी के तत्काल गठन के सभी समर्थक हैं किंतु आपके तार से जो एक बात मुझे महसूस हुई— वह यह थी कि आपको मेरी कठिनाइयों के मददेनजर मुझसे जरा-सी भी सहानुभूति नहीं थी। आप भली-भांति जानते थे कि यदि पत्र प्रस्ताव पारित न हुआ होता, तो कार्यकारिणी का गठन 13 तारीख को ही हो गया होता। जब यह प्रस्ताव पारित हुआ, कांग्रेस को मेरे गंभीर रूप से बीमार होने का पता था, फिर महात्मा गांधी त्रिपुरी में नहीं पहुंचे थे और हम लोगों का मिलना निकट भविष्य में कठिन था। मैं जान सकता हू कि यदि कार्यकारिणी के गठन के बिना एक माह बीतता है, तो लोग स्वभाविक रूप से वेचैन तो होंगे ही— किंतु विरोध त्रिपुरी सम्मेलन के ठीक एक सप्ताह बाद शुरू हुआ। जैसा मत-विभाजन के मामले में हुआ था, एक बार फिर आपने ही यह विरोध मेरे विरुद्ध प्रारंभ किया। क्या महात्मा गांधी के बिना कार्यकारिणी का गठन संभव था ? मैं गांधीजी से कैसे मिल सकता था ? क्या आप भूल गए कि पिछले वर्ष कार्यकारिणी की बैठक हरिपुरा कांग्रेस के लगभग छह सप्ताह बाद हुई थी ? क्या आप सोचते हैं कि आपका तार प्रेस में प्रकाशित होने के बाद गिने-धुने लोगों के एक वर्ग व प्रेस द्वारा मेरे विरुद्ध छेड़ा गया आंदोलन उचित था ? क्या मैं जान-बूझकर कांग्रेस कमेटी के मामलों में अडचन डाल रहा था या जान-बूझकर कार्यकारिणी के गठन से बचने का प्रयास कर रहा था ? यदि मेरे विरुद्ध छेड़ा गया आंदोलन उचित नहीं था, तो क्या आपने एक जन-नेता होने के नाते यह जरूरी समझा कि उस वक्त जबकि मैं बीमारी की हालत में विस्तर पर पड़ा था, आप मेरी ओर से दो शब्द बोलते ?

आपके द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप कि मेरी अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दुर्दशा हुई— की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हू। इस सब में एक शब्द और कहना चाहूंगा। तब क्या आपको ख्याल नहीं आया कि महासचिव की आलोचना करने के साथ-साथ आप मेरी व सभी कार्यकर्ताओं की आलोचना भी कर रहे हैं ?

अपने तार में आपने राष्ट्रीय समस्याओं की गंभीरता का संकेत किया है, जिस

कारण आप चाहते हैं कि तत्काल कार्यकारिणी का गठन हो जाना चाहिए— हालांकि आप कहते हैं कि आप उन समिति में शामिल नहीं होना चाहते। कृपया बताएं कि वे गभीर राष्ट्रीय समस्याएँ क्या हैं ? पहले पत्र में आपने लिखा था कि सबसे गभीर समस्या राजकोट और जयपुर की है। क्योंकि महात्माजी उन समस्याओं को हल करने में जुटे थे, इसलिए कार्यकारिणी या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हरतक्षप अर्थात् अखिल था।

फिर आपने अपने तार में पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा की है। मैंने समाचारपत्रों में देखा कि आपके यह कहने के बाद— ऐसे लोग जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ नहीं है और जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझना ही नहीं चाहते और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भारत के लाभ के लिए इस्तेमाल करने के इच्छुक ही नहीं हैं— वे अचानक बोहेमिया और चेकोस्लोवाकिया के मामले में घिरे हुए हैं। निश्चय ही मुझे पर आक्रमण करने का यह सरल उपाय था। पिछले दो माह में यूरोप में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी जिसकी अपेक्षा नहीं की गई थी। चेकोस्लोवाकिया में जो हुआ वह म्युनिख-समझौते का ही अन्त था। यन्त्रविच्छन्न तो यह है कि यूरोप से प्राप्त सूचना के आधार पर मैं पिछले छ माह से कांग्रेसी मित्रों से बराबर कह रहा हूँ कि यूरोप में वसंत ऋतु में सकट पैदा होगा जो गर्मियों तक चलेगा। इसलिए मैं अपनी ओर से कदम उठाए जाने की बात पर बल दे रहा हूँ— और यह कदम है ब्रिटिश सरकार को पूर्ण स्वराज के लिए अल्टीमेटम दे दिया जाए। मुझे याद है कि जब एक बार हाल ही में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर आगस चर्चा की (शांति निकेतन या इलाहाबाद में) और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी राष्ट्रीय भाग का रखने के लिए इसे एक तर्क के रूप में इस्तेमाल किया, तो आपका उत्तर था कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद अभी कुछ वर्ष तक चलते रहेंगे। अचानक आप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के विषय में अत्यधिक उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। विस्तृत मैं आपको बता दूँ कि आपका या गांधीवादी गुट का कोई इरादा नहीं है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भारत के पक्ष में इस्तेमाल करें। आपके तार में स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सकट को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक तत्काल बुलाई जानी आवश्यक है। किसलिए ? केवल लंबा-चौड़ा प्रस्ताव पारित करने के लिए जिसका परिणाम कुछ नहीं ? — या आप अपना मन बदलकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह बताएंगे कि अब हमें पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ना चाहिए एवं ब्रिटिश सरकार के सामने पूर्ण स्वराज की मांग रखते हुए एक अल्टीमेटम तैयार करना चाहिए ? नहीं मैं चाहता हूँ कि या तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गभीरता में ले और अपने लाभ हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से लाभ उठाएँ या फिर उस पर चर्चा करना बिल्कुल छोड़ दें। यदि वास्तव में हम कुछ करना नहीं चाहते, तो तमाशेबाजी की क्या आवश्यकता है ?

मुझे सूचना मिली है कि जब आप दिल्ली में थे, तो आपने महात्माजी को इस आशय का संदेश दिया था कि वे इलाहाबाद जाकर मौलाना आज़ाद से मिलें। समय है कि यह सूचना गलत भी हो। यदि ऐसा नहीं है तो क्या आपने उन्हें यह सुझाव भी दिया

किं वे एक बार धनवाद भी अवश्य जाए ? 24 को जब मेरे सचिव ने आपस फोन पर प्रेस की इस रिपोर्ट का खंडन किया कि महात्माजी डॉक्टर की राय के मुताबिक धनवाद जाने में अरामर्थ हैं, तो आपने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की कि उन्हें धनवाद जाना चाहिए—जबकि आप इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि मुझे जल्दी गांधीजी की इच्छानुसार कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए। टेलीफोन पर आपने सूचना दी थी कि धनवाद उनके कार्यक्रम में नहीं है। क्या आपके लिए महात्माजी को धनवाद-यात्रा के लिए मनाना कठिन कार्य है ? क्या आपने कोशिश की ? आप कह सकते हैं कि उन्हें राजकोट के मामले में दिल्ली पहुंचना था। किंतु वे वायसराय से मुलाकात कर चुके थे और जहां तक सर मौरिस ग्वेर से मुलाकात का सबंध था, वहां सरदार पटेल को करनी थी, न कि महात्माजी को।

राजकोट मामले के विषय में मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। आपने समझोते की उन शर्तों पर पर्याप्त विचार किया, जिससे महात्माजी की भूख-हडताल समाप्त हो सकी। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है, जिसने महात्माजी के जीवित बच जाने से प्रसन्नता और सुख का अनुभव न किया हो। किंतु यदि हम समझोते की शर्तों को तर्क के आधार पर देखें, तो क्या पाएंगे ? पहली बात— सर मौरिस ग्वेर जो फेडरल स्कीम के अभिन्न भाग थे, उन्हें मध्यस्थ बनाया गया। क्या यह स्कीम को चालाकीपूर्वक स्वीकृति देना ही नहीं था ? दूसरे— सर मौरिस न तो हमारे पक्ष के व्यक्ति थे, न ही स्वतंत्र व्यक्ति थे। साफ तौर पर जाहिर है कि वे सरकारी आदमी थे। यदि ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी विवाद में मध्यस्थ के रूप में हम हाईकोर्ट के जज या सेशन जज को स्वीकार करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार तो उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ही लेगी। उदाहरण के लिए, प्रांतीय कंदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने के मामले में सरकार सदा यही कहती है कि कागजात हाईकोर्ट अथवा सेशन के दो जजों के सम्मुख पेश किए गए हैं। किंतु इस बात को हमने कभी भी सतोषजनक हल के रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर राजकोट के मामले में हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए ?

इस सबंध में एक और बात, जो मैं समझ नहीं पाया। शायद उस पर आप कुछ रोशनी डाल सकें। महात्मा गांधी वायसराय से मिलने गए। समय पर मुलाकात भी हुई। तो अब वे वहां किस इंतजार में हैं ? सरदार पटेल को तो इंतजार करना है क्योंकि सर मौरिस ग्वेर उनसे मिलना चाहते हैं। यदि वायसराय से मुलाकात के पश्चात् भी गांधीजी दिल्ली में ही अटक रहे हैं, तो क्या इससे ब्रिटिश सरकार का महत्व अनावश्यक रूप से बढ़ेगा नहीं ? 24 मार्च के अपने पत्र में आपने लिखा था कि महात्माजी कुछ दिन तक दिल्ली में ही व्यस्त रहेंगे। वे वहां से निकल नहीं सकते। मेरे विचार से तो दिल्ली में टिके रहने की अपेक्षा गांधीजी के पास और भी कई महत्वपूर्ण कार्य करने को पड़े हैं। सकट या अवरोध, जिसकी आपने इतनी शिकायत की है, वे तत्काल समाप्त हो सकते हैं— यदि

महात्माजी थोडा-सा भी हाथ बटाए। इस विषय मे आप खुद तो धुप्पी साधे रहते हैं। सारा दोष मुझ पर डाल दिया जाता है।

23 मार्च के पत्र मे आपने कहा है कि बाद मे कुछ लोगो से बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार सोचने वाले कौन लोग हैं ? बैठक बुलाने का उनका क्या उद्देश्य है ? शायद स्थिति को ठीक प्रकार समझना चाहते हो। समाचार तेजी से और दूर-दूर तक फैलता है। मुझे सूचना मिली है कि कुछ एम एल ए (केंद्रीय) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सपत्न्यो के हस्ताक्षर करा रहे हैं कि बैठक होनी चाहिए— जैसे कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बच रहा हूँ और कांग्रेस के कार्यों में जानबूझ कर रुकावट डाल रहा हूँ। क्या आपने दिल्ली मे या अन्य स्थान पर ऐसा कोई समाचार नहीं सुना ? यदि हा, तो क्या इस प्रकार का कार्य उचित एव सम्मानजनक है?

उसी पत्र में (23 मार्च) आपने राष्ट्रीय माग प्रस्ताव की चर्चा भी की है और शरत ने उसका विरोध किया, इसकी भी चर्चा की है। जहाँ तक शरत के व्यवहार का प्रश्न है वे आपको इसके विषय मे स्वयं लिखेंगे। किन्तु इस विरोध के वातजुद गह कहना कहा तक उचित है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ ? कई लोगो से मैंने सुना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसलिए नहीं कि उसमे कुछ गलत था बल्कि इसलिए कि उसका व्यावहारिक महत्व कुछ नहीं था। यह वैसे ही प्रस्तावो मे से एक था, जो कांग्रेस की प्रत्येक बैठक के बाद प्रस्तावित किया जाता है और सर्वसम्मति से पारित भी हो जाता है। पता नहीं आप उस प्रस्ताव के विषय मे इतने उत्तेजित क्यों है ? उसका व्यावहारिक महत्व क्या है ?

इसी सबध मे यह कहने से भी मैं स्वयं को नहीं रोक पा रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रस्ताव अधिक उलझन वाले और लंबे होते हैं। उन्हें थीसिस या निबध कहा जाना चाहिए, न कि प्रस्ताव। प्रारंभ मे हमारे प्रस्ताव छोटे, सक्षिप्त आर व्यावहारिक होते थे। मैं तो कहूँगा कि यह नया आकार और प्रारूप आपने ही प्रदान दिया है। जहाँ तक मेरा सबध है मैं तो लंबे थीसिस की अपेक्षा व्यावहारिक प्रस्ताव को ही अधिक पसंद करूँगा।

अनेक बार आपने अपने पत्र में कांग्रेस मे इन दिनों पनप रही जोखिम उठाने की प्रवृत्ति का संकोच किया है। वास्तव मे आपका उससे अनिप्राय क्या है ? मुझे ऐसा लगता है कि आपके मरितीक मे कुछ खास व्यक्ति है। क्या आप नए स्त्री व पुरुषो द्वारा कांग्रेस मे शामिल होकर महत्वपूर्ण स्थिति मे आने के विरुद्ध हैं ? क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कुछ मुख्य लोगो के हाथो मे ही सीमित रह जाए ? यदि मेरी याददाश्त ठीक है तो शायद संयुक्त प्रांत प्रातीय कमेटी या कौंसिल ने इस सदभ मे एक नियम बनाया था कि कांग्रेस के कुछ खास सगठनो मे तीन साल से अधिक समय तक एक ही व्यक्ति को कार्य-भार नहीं सभाले रखना चाहिए। निश्चित रूप से यह नियम अधीनस्थ सगठनो

पर लागू होना था— जबकि मुख्य सगठनों में एक ही व्यक्ति कई दशका तक अधिकारी बना रह सकता था। आपके अनुसार तो एक प्रकार से हम सभी लोग जोखिम से खेलने वाले हैं, क्योंकि जीवन स्वयं एक दीर्घकालीन जोखिम है। मैंने सोचा था कि जो व्यक्ति स्वयं को प्रगतिवादी मानते हैं, वे कांग्रेस सगठनों के प्रत्येक पद पर नए लोगों का स्वागत करेंगे।

आपके लिए यह सोचने का कोई आधार नहीं है कि (यहां मैं आपके 24 मार्च के पत्र का जिक्र कर रहा हूँ) शरत ने वह पत्र मेरी ओर से लिखा था। उनका अपना अलग व्यक्तित्व है। जब व यज्ञ से कलकत्ता लौटे थे उन्हें गांधीजी का तार मिला था, जिसमें उन्होंने उनसे लिखने का आग्रह किया था। यदि गांधीजी ने इस प्रकार टेलीग्राम न दिया होता, तो मेरे विचार से वे लिखते ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि महात्माजी को लिखें उनके पत्र में कुछ बातें ऐसी हैं, जिनमें मेरी भावनाएं भी झलक रही हैं।

शरत को लिखें आपके पत्र के सदर्थ में मैंने जो कुछ बातें महसूस कीं, उनका जिक्र मैं अवश्य करूंगा। आपके पत्र से पता चलता है कि त्रिपुरी के माहौल और वहां जो कुछ घटा, उससे आपको बहुत आश्चर्य हुआ है। यद्यपि मैं स्वतंत्रतापूर्वक इधर-उधर घूम नहीं सकता फिर भी स्वतंत्र स्रोतों से मेरे पास वहां के माहौल की निगडती स्थिति की सूचना मिलती रही है। आप किसी स्थान की जानकारी प्राप्त किए बिना या कुछ सुने बिना कैसे वहां घूम सकते हैं— मुझे आश्चर्य होता है।

दूसरे, आपने टिप्पणी की है कि त्रिपुरी में व्यक्तिगत विवादों ने अन्य मुद्दों को बुरी तरह घेर लिया। आपका कहना ठीक है। बस, आप यह जोड़ना भूल गए होंगे— यद्यपि आप समिति में तथा खुले अधिवेशन में कुछ नहीं बोले, फिर भी आपने किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा इन व्यक्तिगत विवादों को अधिक उछाला और जनसाधारण की नजर में भी इसे मुख्य मुद्दा बना दिया।

शरत को लिखें पत्र में आपने लिखा है कि “किसी भी व्यक्ति का यह कहना मूर्खता है कि चुनाव की बीमारी नकली है और मेरे विचार से मेरे किसी भी सहयोगी ने ऐसा कुछ नहीं कहा”— आपका यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि त्रिपुरी में तथा उससे पहले मेरे विरोधी इस विषय में एक आंदोलन छेड़े हुए थे। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि बाद में आप मेरे विरोधी बनते चले गए (इस पत्र की शुरुआत में भी मैंने जिक्र किया है)। मुझे नहीं लगता कि शरत ने त्रिपुरी के माहौल आदि के विषय में जो कुछ लिखा, वह बढ़ा-चढ़ा कर लिखा है।

आपने त्रिपुरी में मिली कुछ रिपोर्टों की भी चर्चा की है। आपको यह बात शोभा नहीं देती कि जो रिपोर्ट हमारे विरोध में है, वह आपको अधिक प्रभावित करती है। मैं आपको कुछ सदाहरण देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि बंगाल ही एकमात्र प्रांत नहीं है, जहां टिकट को लेकर विवाद खड़ा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि ऐसी ही शिकायत

आंध्र प्रदेश में भी हुई थी ? किंतु आपने केवल बंगाल का ही जिक्र किया। फिर, क्या आप जानते हैं कि जब मूल रसीद खो जान के बाद बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से जुप्लीकेंट रसीद बनाकर दी गई, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंगाल कांग्रेस कमेटी को चेतावनी दी थी तथा उससे कहा था कि प्रतिनिधिमंडल को टिकट देते समय सावधानी से काम ले ? क्या आपने यह भी जानने का प्रयास किया कि गलती अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय की थी अथवा बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की थी ?

फिर आपने प्रतिनिधियों को लाने के लिए बहुत-सा पैसा खर्च करने की बात कही है। क्या आप नहीं जानते कि किस ओर पूजीपति या पैस वाले लोग हैं ? क्या आपने लाहौर से लारिया भर-भर कर पजाबी प्रतिनिधियों को लाने की बात नहीं सुनी ? किसके इशारे पर उन्हें लाया गया ? शायद डॉ. किचलू इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें। पंजाब से आई एक प्रतिष्ठित कांग्रेस कार्यकर्ता नं, जो मुझसे पाच दिन पूर्व मिली, बताया कि उन्हे सरदार पटेल के निर्देश पर यहा लाया गया है। मैं नहीं जानता। फिर भी आपमें निष्पक्षता का कुछ तो भाव होना ही चाहिए था।

त्रिपुरी में कांग्रेस के मंत्रियों की भूमिका के विषय में भी मुझे दो टिप्पणियां करनी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकार सदस्यों द्वारा इस आशय की प्रार्थना की गई थी कि बोटिंग मतपत्र द्वारा की जाना चाहिए। मेरे कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि वे खुले-आम कांग्रेस-मंत्रियों के विरुद्ध वोट देगे, तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसका अर्थ क्या है ? दूसरे, मैं मंत्रियों द्वारा इस प्रकार के विघटनकारी पचार के खिलाफ हूँ। इसमें दो राय नहीं कि उन्हें सवैधानिक अधिकार प्राप्त है- लेकिन यदि प्रत्येक प्रांत में ऐसा होने लगा- तो शीघ्र ही कांग्रेस ससदीय पार्टी में दरार पैदा हो जाएगी। जब तक मंत्रियों का कांग्रेसी एम एल ए तथा एम एल सी का एकजुट समर्थन प्राप्त नहीं होगा वे कैसे कार्य कर सकते हैं ?

क्या आप नहीं मानते कि त्रिपुरी कांग्रेस में (सदस्यों की समिति समेत) पुराने कांग्रेसियों ने जनता की नजरों में उदारशील भूमिका निभाई तथा मंत्रियों ने लोगों का मन जीत लिया ? यदि शरत ने यही बात कह दी, तो क्या वे शलत थे ?

यह बात सरासर अपमानजनक है कि आप शरत को लिखे पत्र में टिप्पणी करे, "त्रिपुरी प्रस्ताव ने कांग्रेस-अध्यक्ष और गांधीजी के मध्य सहयोग की कल्पना की थी।"

उपर्युक्त पत्र में आपने कहा कि त्रिपुरी कांग्रेस में और उसके पहले आपने कांग्रेसियों में सहयोग पैदा करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। क्या आपको यह दुःखद तथ्य बता दू कि बाकी लोगों की राय इसके विपरीत है ? उनके विचारानुसार त्रिपुरी कांग्रेस ने कांग्रेसियों के बीच जो दरार पैदा की है उसकी जिम्मेदारी आप पर है।

अब मैं आपसे कहूंगा कि कृपया आप अपनी नीति व कार्यक्रम स्पष्ट करें। अस्पष्ट

सामान्य नीतिया नहीं, बल्कि स्पष्ट, सत्य और विस्तृत। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वास्तव में आप क्या हैं— समाजवादी, वामपंथी, कैदवादी, उदारवादी, गांधीवादी या कुछ और ?

शरत को लिखे आपके पत्र में दो वाक्य प्रशंसनीय हैं— “जिस बात का मुझे अत्यधिक दुःख है, वह यह है कि व्यक्तिगत बातों ने सभी राजनीतिक मुद्दों को ढांप रखा है। यदि कांग्रेसियों में मतभेद हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वे उच्च पदों तक पहुँचेंगे तथा नीति व उद्देश्यों के मुद्दों तक भी पहुँच जाएंगे।” यदि आप केवल अपनी ही बात पर अड़े रहते, तो कांग्रेस की राजनीति में कितना अंतर पड़ सकता है।

जब आप यह कहते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे कि त्रिपुरी ने क्या रुकावट थी तो मैं आपकी सरलता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। वास्तव में त्रिपुरी कांग्रेस ने केवल पत्र प्रस्ताव पारित किया था तथा उस प्रस्ताव पर तुच्छता और अनुचित होने का आरोप लगा। अध्यक्षीय चुनाव के पश्चात् सत्य और अहिंसा के समर्थकों ने पूरे विश्व को बता दिया कि वे बहुमत प्राप्त दल के मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे और इसी भावनावश उन्होंने कार्यकारिणी से त्यागपत्र भी दिया। त्रिपुरी में उन्होंने कुछ नहीं किया और केवल बाधा उत्पन्न की। उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार था, किंतु जिस बात को वे व्यवहार में ला नहीं सकते, उसके विषय में बात फगो करते हैं ?

इस लंबे पत्र को समाप्त करने से पहले कुछ बातें और कहना चाहूंगा। त्रिपुरी में बंगाल के प्रतिनिधियों को टिकट दिए जाने संबंधी मुसीबत का आपने जिक्र किया है। उस दिन मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा कि कलकत्ता के जन समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि उसने यू पी के कुछ प्रतिनिधियों से सुना— ऐसी ही समस्या यू पी में भी पैदा हुई थी।

क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि पत्र प्रस्ताव पारित करने का मूल उद्देश्य महात्मा गांधी को मेरे विरुद्ध करना था ? क्या आप ऐसी हरकत को उचित मानेंगे, जबकि महात्माजी व मेरे बीच, कम-से-कम मेरी ओर से, तो कोई अविश्वास पैदा नहीं हुआ। यदि पुराने योद्धा मुझसे झगड़ना चाहते थे, तो स्पष्ट रूप में वे सामने क्यों नहीं आए ? उन्होंने महात्मा गांधी को इस बीच में क्यों खींचा ? बेशक यह चालाकी भरा कदम था, किंतु क्या ऐसा कदम सत्य और अहिंसा से मेल खाता है ?

मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ कि क्या सरदार पटेल का यह घोषित करना उचित था कि मेरा पुनः चुनाव देश-हित में नहीं होगा ? आपने एक शब्द भी इस विषय में नहीं कहा कि उन्हें अपने ये शब्द वापस ले लेने चाहिए। इस प्रकार आपने उनके द्वारा लगाए गए आरोप का समर्थन ही किया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महात्माजी की इस टिप्पणी से आप क्या तक सहमत हैं कि आखिरकार मैं देश का दुश्मन नहीं हूँ। क्या आप समझते हैं कि यह टिप्पणी उचित है ? यदि नहीं, तो क्या आपने मेरी ओर से

महात्माजी को कुछ कहा ? जब हम त्रिपुरी में थे, तो कुछ लोगों ने समाचारपत्रों में यह प्रकाशित करवा दिया था कि पत्र प्रस्ताव को महात्माजी का समर्थन प्राप्त है। उनकी इस चतुराई से आप कहा तक सहमत हैं ?

और अब पत्र प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विचार है ? त्रिपुरी में अफवाह थी कि आप उसे लिखने वालों में से एक हैं। क्या यह सत्य है ? क्या आप उस प्रस्ताव को पास करते हैं— हालांकि मतदान के समय आप तटस्थ रहे थे ? उसके विषय में आपकी क्या राय है ? क्या आप के विचार से वह अविश्वास-प्रस्ताव था ?

मुझे दुःख है कि मेरा पत्र अनावश्यक रूप से लंबा हो गया है। निरचय ही आपका हांसला जवाब द देगा। किंतु मैं क्या करूँ— इतनी सारी बातें थीं कि मुझे लंबा पत्र लिखना ही पड़ा। सनव है, मैं आपजों पुनः पत्र लिखूँ या शायद प्रेस में बयान जारी करूँ। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ लेखों में आपने मेरे अध्यक्ष-काल की तीव्र आलोचना की है। अभी यह खबर पक्की नहीं है। जब मैं आपका लेख पढ़ूँगा तो उस विषय में कुछ कहने योग्य होऊँगा और तभी हम अपने कार्य की तुलना कर पाएँगे। विशेष रूप से इस विषय में कि दो वर्षों में आपने वामपंथ के कार्य को कितना आगे बढ़ाया और मैंने एक वर्ष की अवधि में कितना कार्य किया।

यदि मैंने कट्टी भाषा का प्रयोग किया हो या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। आप स्वयं कहते हैं कि स्पष्टवादिता जैसी श्रेयस्कार कोई चीज नहीं है और मैंने स्पष्टवादिता—शायद कठोर स्पष्टवादिता—से काम लिया है।

धीमी गति में मैं ठीक हो रहा हूँ। आशा है आप भी स्वस्थ होंगे।

आपका शुभाकांक्षी,

सुभाष

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

व्यक्तिगत एवं गोपनीय

इलाहाबाद

3 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय सुभाष,

28 मार्च का तुम्हारा लंबा पत्र मिला और मैं जल्दी ही उसका उत्तर भी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि तुमने पूर्ण स्पष्टता से लिखा और मुझे यह स्पष्टता दिया कि तुम मेरे विषय में तथा अन्य घटनाओं के विषय में क्या महसूस करते हो। स्पष्टवादिता से प्रायः कष्ट होता है किंतु फिर भी यह वाछनीय है— विशेष रूप से उन लोगों के मध्य, जिन्हें मिलकर कार्य करना है। इससे व्यक्ति को दूसरे की नजर से अधिक स्वयं को

आलोचनात्मक दृष्टि से समझने का अवसर मिलता है। तुम्हारा पत्र इस दृष्टि से बहुत उपयोगी है और मैं इसके लिए तुम्हारा आभारी हूँ।

टाइप किए 27 पृष्ठों के पत्र का उत्तर देना आसान कार्य नहीं है— जिसमें अनेक घटनाओं, विभिन्न नातियों और कार्यक्रमों का जिक्र भी हो। मुझे डर है कि मेरा उत्तर जितना विस्तृत और पूर्ण होना चाहिए, शायद नहीं हो पाएगा। इन मुद्दों पर सही ढंग से चर्चा करने की कोशिश में व्यक्ति को पुस्तक या वैसी ही कोई चीज लिखनी पड़ेगी।

तुम्हारा पत्र विशेष रूप से मेरे आचरण पर अभियोग-पत्र है तथा मेरी विफलताओं का परीक्षण है। तुम स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि अभियोगी का उत्तर देना कितना कठिन कार्य है। किंतु जहाँ तक विफलताओं या कमियों का सबंध है, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मुझे खेद है कि मुझमें वे सारी कमियाँ हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हारे इस सत्य की प्रशंसा करता हूँ कि 1937 में जब से तुम गिरफ्तारी से बाहर आए हो तुमने तब से मेरी बहुत इज्जत की है— व्यक्तिगत रूप से भी और जनता में भी। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे तुमने हमेशा स्नेह रखा है तथा अब भी है और मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ— हालाँकि मैं तुम्हारे कार्यों से कभी-कभी सहमत नहीं होता हूँ। किसी हद तक मेरे विचार से हमारा आचरण भिन्न है। साथ ही, जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति हमारी सोच भी एक नहीं है। अब मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर दूँगा और पैराग्राफ का जवाब एक-एक करके दूँगा।

मैं भूल चुका हूँ कि पिछले नवंबर में यूरोप से लौटने के बाद इलाहाबाद में तुमसे मिलने पर मैंने क्या कहा था। कलकत्ता से कराची जाते हुए तुम कुछ समय तक वहाँ रुके थे। मैं यह नहीं सोच पा रहा हूँ कि उस समय गांधीजी की चर्चा क्यों की गई थी— तभी तो मैं कोई निश्चित उत्तर दे सकता हूँ। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि प्रश्न क्या था। लेकिन शायद मेरा अभिप्राय यह रहा होगा कि भविष्य में मेरा कार्यकाल विभिन्न मुद्दों पर गांधीजी की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। तुम्हें याद होगा कि मैंने हरिपुरा से पहले और बाद में क्या कहा था। उस समय मैं कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में अपने सबंध में बहुत दुःखी था और सदस्यता छोड़ना चाहता था। इसका कारण यही था कि मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं कोई लाभकारी कार्य कर नहीं कर पा रहा हूँ। गांधीजी भी समजातीय समिति के पक्ष में थे और मैं उसका एक भाग नहीं बन सकता था। उस समय मेरे सामने एक ही मार्ग था कि मैं स्वयं को घुमघाव अलग रख लूँ और बाहर रहकर सहयोग देता रहूँ या गांधीजी व उनके गुट को चुनौती दूँ। मैंने महसूस किया कि भारत के लिए हमारे कार्य की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा या फिर निश्चित रूप से विघटन होगा। यह कहना व्यर्थ है कि किसी भी कीमत पर एकता कायम रहनी चाहिए। कभी-कभी एकता दुःखदायी सिद्ध होती है। उस समय उसे छोड़ देना ही हितकर है। यह उस समय की स्थितियों पर निर्भर करता है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि गांधीजी को अलग करने से या कर देने

से हम बहुत कमजोर हो जाएंगे और सकट की घड़ी उत्पन्न हो जाएगी। मैं इस सकट का सामना करने को तैयार नहीं था। उरा रागय मैं कुछ ऐसी स्थितियों को भी नापसंद करता था, जो तब पैदा हो रही थीं तथा गांधीजी के सामान्य रुख से भी अप्रसन्न था। कुछ मुद्दों के प्रति कुछ प्रांतीय मंत्रियों के रुख से भी मैं अप्रसन्न था।

मैं यूरोप धला गया और जब वापस लौटा तो पुनः उसी समस्या से सामना हुआ। उसी समय तुम मुझसे मिले थे। शायद तभी मैंने तुम्हें बताया था मेरे मन में क्या है। मेरा मत स्पष्ट था, लेकिन मेरा कार्य इसी बात पर निर्भर था कि गांधीजी का स्थितियों के प्रति रुख क्या है। यदि उनका आग्रह अभी भी समजातीय फ़ेडरेशन के लिए था, तो मेरा बाहर हो जाना ही ठीक था। यदि नहीं, तो मैं कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में सहयोग देने को तैयार था। इस मुद्दे पर मैं कांग्रेस का विघटन करने को तैयार नहीं था। मैं भारत के सकट से तथा अंतर्राष्ट्रीय सकट से चिंतित था। और यह महसूस कर रहा था कि कुछ माह बाद हमें बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। वह संघर्ष गांधीजी के नेतृत्व और सहयोग के बिना प्रभादशाली नहीं हो सकता।

इस संघर्ष के प्रति मेरा विचार फ़ेडरेशन के आधार पर नहीं था। मैं चाहता था कि कांग्रेस फ़ेडरेशन को मृत मुद्दा मानकर आत्मनिर्णय तथा कास्टीट्यूट असेंबली की माग पर ध्यान दे और विश्व सकट के परिप्रेक्ष्य में इसे सामने रखे। मेरा विचार था कि फ़ेडरेशन के मुद्दे पर आवश्यकता से अधिक संघर्ष करने से यह मुद्दा खत्म होने वाला नहीं और यह हमारी मोच और क्रिया को कुट कर रहा है और मूल मुद्दों पर कार्य करने से हमें रोक रहा है। जब मैं इंग्लैंड में था तब तुमने एक बयान जारी किया था कि तुम अतः तक फ़ेडरेशन के विरुद्ध संघर्ष करते रहोगे। यदि कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर भी लिया, तो भी तुम्हारा संघर्ष जारी रहेगा। इस बयान का इंग्लैंड में विपरीत प्रभाव पड़ा। सबका कहना यही था कि यदि कांग्रेस-अध्यक्ष इस मुद्दे पर त्यागपत्र देने की सोच रहे हैं तो कांग्रेस भी उसे स्वीकार करने को तैयार होगी। मैं स्वयं को असहाय अनुभव करता था और उस बयान को समझ नहीं पाया। इस आधार पर मैंने दो प्रस्ताव बनाए। उन दोनों में कोई विशेष बात नहीं थी- केवल जोर किसी अन्य बात पर दिया गया था। जैसा कि तुम जानते हो, कार्यकारिणी के सभी प्रस्ताव इसी विचार से बनाए जाते हैं कि शेष सभी सदस्य भी उससे सहमत हो। स्वयं को खुश करने के लिए प्रारूप बनाना आसान कार्य है लेकिन वह अन्य लोगों की स्वीकृति नहीं पा सकता। कार्यकारिणी के समक्ष इन प्रस्तावों को रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि पूरे देश को गानसिक रूप से अगनी कांग्रेस में अधिक विस्तृत और दूरगामी प्रस्तावों को पारित करने के लिए तैयार करना है। मेरे प्रस्तावों को स्वीकार किया गया और मुझसे कहा गया कि उन पर कांग्रेस के समक्ष विचार किया जाना चाहिए।

इसी कार्यकारिणी में मैंने यहूदियों से संबंधित प्रस्ताव सुझाया था। तुम्हें याद होगा

कि इससे पहले जर्मनी में यहूदियों की सामूहिक हत्या की जा रही थी। ऐसा पूरे विश्व में हो रहा था। मैंने महसूस किया कि हमें इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहिए। तुमने कहा है कि तुम्हें तब बहुत आश्चर्य हुआ, जब तुमने देखा कि मैंने प्रस्ताव पारित कर यहूदियों के लिए शरण मागी है। मुझे आश्चर्य है कि तुम इसके इतने विरोधी थे, जबकि जहां तक मुझे याद है, तुमने उस समय इस विषय में कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं किया था। लेकिन क्या मेरे प्रस्ताव को भारत में यहूदियों के लिए शरण खोजने की सजा देना उचित है? पुराना प्रारूप मेरे सामने है, जो कहता है 'समिति को उन यहूदियों को— जो विशेषज्ञ हैं या किसी कार्य में विशेष निपुण हैं— तथा उन यहूदियों को जो भारतीय मानदंडों को मानकर यहां रहने को तैयार हों' नौकरियां देने में कोई आपत्ति नहीं। यहूदियों की सहायता करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव नहीं रखा गया था (जबकि ऐसी सहायता— जहां तक समभव हो— दी जानी चाहिए) बल्कि अपने देश को सही कीमत पर वैज्ञानिक व औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त लोग उपलब्ध कराना था। वियना में नाजियों का आधिपत्य स्थापित होने के उपरांत कई देशों ने वहां अपने विशेष आयोग भेजे, ताकि वहां से अच्छे व्यक्तियों को चुनकर लाया जा सके। तुर्की व ऐसे विशिष्टों से बहुत लाभ उठाया। मुझे भी यही लगा कि टेक्नीशियनों व विशेषज्ञों के चुनाव का यह सही मौका है। कम वेतन पर उनके यहां आ जाने से हंग अन्व लोगों के वेतन भी कम कर सकते थे। वे एक अवधि-विशेष के लिए यहां आए, न कि स्थाई तौर पर रहने के लिए। फिर कुछ गिने-चुने लोग ही आते इससे निश्चित लाभ तो हमें होता ही— साथ ही, वे हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण व मानदंड को भी स्वीकारते।

कांग्रेस के अध्यक्षीय चुनाव के पश्चात् दिल्ली में मेरे भाषण की तुमने चर्चा की है। मुझे खेद है कि जिस रिपोर्ट की चर्चा तुमने की है, उसे मैंने नहीं देखा— हालांकि कुछ लोगो ने मुझे बताया था। वास्तविकता यह है कि मैंने तुम्हारे अध्यक्षीय चुनाव के विषय में कुछ नहीं कहा। मैं दिल्ली और पंजाब कांग्रेस की समस्याओं और झगड़ों का जिक्र कर रहा था। मैंने कहा था कि पद की लालसा की दृष्टि से प्रचार हो रहा है, इसलिए मैंने उसकी भर्त्सना की थी। समभव है, पत्रकार के मस्तिष्क में तुम्हारा चुनाव रहा हो— जो कुछ मैंने कहा, उसे उसने तोड़-मरोड़ कर पेश किया हो। जो लोग बैठक में उपस्थित थे, उनसे मैंने पूछा तथा उन्होंने उससे अपनी सहमति व्यक्त की, जो कुछ मैंने कहा था।

तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारी अपेक्षा डॉ. पट्टाभि का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ। चुनाव के लिए प्रचार में मैं कोई चुलाई नहीं देखता। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे इस कथन का आशय क्या है कि डॉ. पट्टाभि के लिए मत प्राप्त करने में कांग्रेस मंत्रालयों की मशीनरी का उपयोग किया गया। मैं नहीं जानता इस उद्देश्य के लिए क्या मशीनरी है, यू. पी. में तो मैंने इसे कार्यरत नहीं देखा— तुम्हारा प्रचार तो अवश्य हुआ। मैं नहीं जानता कि हमारे मंत्रियों ने कैसे मतदान किया, किंतु मैं यह सोचने पर विवश हू कि आधे से अधिक लोगों ने डॉ. पट्टाभि को अपना मत नहीं दिया। शागद इसने

भी कम लोगों ने दिया हो। एक मंत्री ने मतदान से इकार किया। एक ने खुले-आम तुम्हारा प्रचार किया और सामान्य राय यही थी कि वे तुम्हारे पक्ष में काफी मत प्राप्त करने में सफल भी हुए।

लोगों के मध्य तुम्हें नीचा दिखाने का तुम्हारा आरोप बिल्कुल गलत है। मैंने दिल्ली में या कहीं भी ऐसा कुछ नहीं किया।

अब मैं अपने उस बयान पर आता हूँ, जो मैंने कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के त्यागपत्र देना पर दिया था। दो दिन तक तर्क-वितर्क होता रहा। तब कहीं जाकर मैंने यह कदम उठाया, जबकि कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों का रुख अधिक आक्रामक था। बैठक से पूर्व मैंने इसे रोकने की भी कोशिश की थी। दुबारा भी मैंने ऐसा ही प्रयास किया। किन्तु कई बातों ने इसको पहले से अधिक कठिन बना दिया। तुम जानते हो कि तुम्हारे अध्यक्षीय बयान से सदस्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति मैं कितना नाराज था। मैंने बार-बार तुम्हें समझाया था। जब तुम गांधीजी से मिलना जा रहे थे, तब भी मैंने विशेष रूप से तुम्हें बताया था कि राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने से पहले इस बात को स्पष्ट करना अति आवश्यक है। जयप्रकाश भी मेरी बात से सहमत थे। दो व्यक्तियों के मध्य शक और अविश्वास की दीवार होने पर राजनीतिक परिघर्षों का कोई लाभ नहीं। तुमने अपने बयान में जो कहा, वह बिल्कुल अनुचित था। कांग्रेस-अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए उचित नहीं है कि वह ऐसे बयान दें। सब लोग उसे जानते हैं, अतः उसकी किसी भी बात के प्रति वचनबद्ध हो जाते हैं। तुमने लोगों के नाम नहीं लिए यह सच है— किन्तु तुम्हारे बयान को पढ़ने वालों ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसमें कार्यकारिणी के सदस्यों की ओर सपेक्ष है। इससे बड़ा अपमान एक व्यक्ति का और क्या हो सकता है कि वह जिरा कार्य के लिए प्रतिबद्ध है, कहा जाए कि उसने ही भटक गया है तथा फेडरेशन के अतर्गत मंत्रालयों का वितरण आपस में घुसघुसा कर रहा है। वह बयान अद्भुत था जिससे कई लोगों को कष्ट हुआ।

इस प्रकार के बयान से तुम्हारे और गांधीजी के बीच सहयोग में अडचन पैदा हुई है। मैं उत्सुक था कि आप दोनों के मध्य सहयोग अवश्य होना चाहिए, वरना बहुत बड़ी क्षति होगी। इसीलिए मैंने तुम्हें विवश करने का प्रयास किया था कि यह रुकावट दूर होनी चाहिए, इसलिए तुम महात्माजी से बात करो। मैंने सोचा था कि तुम यह बात मान गए हो लेकिन बाद में जयप्रकाश और गांधीजी से यह जानकर मैं बहुत हैरान हुआ कि तुमने इस विषय में कोई चर्चा तक नहीं की। मैं स्वीकारता हूँ कि इस बात ने मुझे बहुत कष्ट पहुँचाया। इससे मुझे यह अनुभव भी हुआ कि तुम्हारे साथ कार्य करना कठिन है।

गांधीजी ने मुझे बताया कि तुम्हारे उनसे मिलने के बाद उन्हें आभास हुआ कि तुम उनका सहयोग पाने को उत्सुक नहीं हो— यद्यपि तुमने सरसरी तौर पर उनके सहयोग की चर्चा की थी। ऐसा लग रहा था कि तुम उन लोगों को मिलाकर कार्यकारिणी का गठन करने को उत्सुक थे, जिनके विषय में तुमने अपना मन पक्का कर लिया था (शायद उन्हें

आश्चर्य भी किया हो)। तुम ऐसा करने में पूर्णतया सक्षम थे, किंतु इससे स्पष्ट था कि तुम गांधीजी व उनके गुट के सहयोग की अपेक्षा कुछ और चाहते थे।

पजाब दिल्ली और आंध्र में नेल्सोर के चुनावों में तुम्हारे कार्य से मुझे आश्चर्य हुआ— कार्य से उतना नहीं, बल्कि जिस प्रकार तुमने उसे किया, उससे। तुमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को सूचित किए बिना और आंध्र में प्रादेशिक कमेटी को बताया बिना कदम उठाए। दिल्ली में तुमने प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी को अग्रिम रूप में सूचित किए बिना कार्य किया। मेरे विचार से तुम्हारा दिल्ली का निर्णय ठीक नहीं था। किंतु वह उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मुझे लगा कि तुम व्यक्तियों व गुटों से प्रभावित होकर उस सामान्य कार्य-प्रणाली का उल्लंघन कर रहे हो, जो सामान्यतः कार्यालय द्वारा अपनाई जानी चाहिए। यह प्रणाली खतरों से भरपूर है।

तुमने कहा कि उच्चाधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप के क्षेत्र में कोई भी अध्यक्ष आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति हूँ। किंतु जहाँ तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यों का प्रश्न है, मुझे याद नहीं कि कभी मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के कार्यों में दखल दिया हो— हालांकि उसे प्रभावित मैंने कई बार किया। मेरी नीति थी (इस सबंध में एक ज्ञापन भी जारी किया गया था) कि जब तक बहुत आवश्यक न हो या दूसरा मार्ग न रह जाए, तब तक प्रांतीय मुद्दों पर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

जय विभिन्न कारणों से मैं अत्यधिक चिंतित था, तभी गांधीजी व वल्लभभाई के नाम तुम्हारा तार मिला। उसका यही आशय निकाला गया कि तुम कार्यकारिणी की बैठक में हमसे मिलना नहीं चाहते यहाँ तक कि रोजमर्रा का कार्य भी निगटाना नहीं चाहते। जैसा कि तुमने कहा— तुम्हारी इच्छा ऐसी नहीं थी, किंतु तार का तो यही आशय था। यह संभव था कि तुमसे और पूछताछ की जाती कि तुम्हारा मतलब क्या है— किंतु ऐसा करना निःशुभक था, क्योंकि ऐसा करने से तुम पर दबाव पड़ता कि तुम वह काम करो, जो तुम करना नहीं चाहते थे।

इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि तुम अपनी पसंद के सहयोगियों के साथ कार्य करना चाहते हो और कार्यकारिणी के पुराने सदस्य बाधक हैं और तुम उन्हें नहीं चाहते हो, इसलिए उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। यदि वे ऐसा न करते, तो तुम्हारे साथ अन्याय होता। देश व अपने को वे लोग धोखा देते तथा यह लोकतांत्रिक पद्धति के भी विरुद्ध होता। मैं समझ नहीं पा रहा कि वे कैसे अपने पदों पर बने रहते और उनके त्यागपत्रों से बाधा किस प्रकार उत्पन्न हो गई। त्यागपत्र न देने से कठिनाई खड़ी हो जाती— उससे तुम्हारे उस कार्य में भी बाधा पैदा होती जो तुम सोच रहे थे कि यह उचित है।

तुमने ठीक कहा है कि मैंने मूर्खतापूर्ण रवैया अपनायी। मैंने त्यागपत्र नहीं दिया,

लेकिन ऐसा महसूस कराया, जैसे कि दे दिया हो। इसका कारण यह कि मैं अपने सहयोगियों के रुख से सहमत नहीं था। यह मेरा दृढ़ विश्वास था कि इन परिस्थितियों में मैं तुम्हें सहयोग नहीं दे सकता था किंतु दूसरों के साथ भी सबंध तोड़ने पर उतारू था। वास्तव में दूसरी बात अधिक उचित प्रतीत हुई, क्योंकि उससे अनावश्यक रूप में खिंचे चले आ रहे अध्याय का अंत समभव था। यदि तुम 'नेशनल हेरॉल्ड' में मैंने जो लेख-शृंखला लिखी, उसके प्रारंभिक लेख पढ़ो, तो शायद तुम यह जान पाओ कि मेरा दिमाग तब क्या सोच रहा था।

22 फरवरी के मेरे बयान में त्यागपत्र के तिक्र का प्रश्न ही नहीं था। मेरा वह बयान व्यक्तिगत बयान था। उसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए था। मुझे विवश किया गया कि मैं भी अन्य लोगों के साथ त्यागपत्र दे दू। मैंने मना किया था, मैंने तो उनका त्यागपत्र तब तक देखा भी नहीं था जब तक कि वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं गया।

क्या मैं थाडा स्पष्ट करू कि पिछले दो माह से मेरे मन को किन बातों ने परेशान कर रखा है ? मैं दो कारणों से तुम्हारे चुनाव लड़ने के विरुद्ध था। एक तो इन परिस्थितियों में गांधीजी से सबंध-विच्छेद होता और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो (ऐसा होना क्या आवश्यक था ? — उसकी बात करना मैं यहा आवश्यक नहीं समझता। मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा)। फिर, इससे वामपथियों को भी धक्का पहुंचता। वामपथ इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह इस बोझ को अपने कंधों पर उठा सकता। फिर, जब कांग्रेस में वास्तविक प्रतिद्वंद्विता प्रारंभ होती, तो वह हार जाता और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी होती। मुझे आशा थी कि डॉ. पट्टाभि की तुलना में तुम चुनाव जीत जाओगे। किंतु यह आशा थी कि क्या तुम गांधीवादी के साथ इस स्पष्ट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस को अपने साथ रख पाओगे ? यदि किसी कारणवश तुम कांग्रेस में बहुमत पा भी लोगे तो भी गांधीजी के बिना देश का पूर्ण समर्थन तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा तथा कार्य करना कठिन हो जाएगा— साथ ही, तुम्हें संघर्ष करने में भी कठिनाई हो जाएगी। देश में पहले से ही अपरोध पैदा करने की प्रवृत्तियां पनप रही थीं और उन्हें नियंत्रित करने की अपेक्षा हम लोग उनमें इजाजा कर रहे थे। इसका अर्थ था कि हम अपने राष्ट्रीय संघर्ष को कमजोर कर रहे थे, जबकि आवश्यकता उसे मजबूत करने की थी।

इन दो कारणों से मैं तुम्हारे द्वारा चुनाव के विरुद्ध था। बंबई के कुछ मित्रों ने तुम्हें जो कुछ बताया वह ठीक नहीं है। मैंने जो कहा था, वह यह था कि यदि तुम वास्तव में वामपथी सिद्धांतों और नीतियों के प्रति घबनबद्ध हो तो तुम्हारे चुनाव लड़ने का कुछ अर्थ है— क्योंकि तब चुनाव में विचारों और नीतियों की शिक्षा मिलेगी। किंतु व्यक्तिगत आधार पर इस चुनाव से कोई हानि या लाभ नहीं है। उपर्युक्त बातों के मद्देनजर तुम्हारा चुनाव लड़ना मुझे उचित नहीं लगा।

मेरी 26 जनवरी और 22 फरवरी की टिप्पणियों में अंतर है, किंतु उनमें दृष्टिकोण

के अंतर की झलक नहीं है। पहली टिप्पणी मैंने तुम्हारे चुनाव लड़ने से पूर्व की थी। मैं, जहां तक संभव हो पक्ष लेने से बच रहा था। मुझसे डॉ. पट्टाभि के लिए अपील करने को कहा गया था। मैं उस पर राजी नहीं हुआ था। इसलिए मेरे बयान को जान-बूझकर तोड़ा-मरोड़ा गया। बाद में कुछ बातें और मुझे पता चलीं। मैंने तुम्हारा चुनावी बयान देखा। और भी बहुत-सी घटनाएँ घटीं, जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है। मुझे पता चला कि तुम बहुत-से पुराने सदस्यों के निकट संपर्क में हो, जो तुम पर बहुत-सा प्रभाव डाल रहे हैं। वे लोग व्यक्तिगत रूप में तो ठीक थे, किंतु मेरे विचार से वे वामपंथी विचारधारा के नहीं थे। इसीलिए मैंने उन्हें राजनीति की भाषा में अपसरवादी कहा है। किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के लिए खतरे का सामना करना अच्छी बात है, किंतु राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का निश्चित अर्थ है और किसी भी प्रकार वह सबद्ध व्यक्ति के लिए सम्मानजनक नहीं हो सकता। मैं इस अवसरवादिता को किसी भी रूप में पसंद नहीं करता और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में इसे हानिकारक मानता हूँ। व्यर्थ के वाममार्गी नारे-जिनका वाममार्गी सिद्धांतों व उद्देश्यों से कोई मेल नहीं है- हाल ही में यूरोप में देखने में आए हैं। इससे फासीवाद का विरासत हुआ और अधिकांश लोगों से दूरी भी कायम हो गई। ऐसी ही स्थिति भारत में भी हो सकती है। यह विचार मेरे मन-मस्तिष्क पर हावी था, इसलिए मैं चिंतित था- इस तथ्य को जानकर तो और भी ज्यादा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में तुम्हारी और मेरी राय अलग-अलग है। तुम नाजी जर्मनी व फासिस्ट इटली के विरोध के समर्थक नहीं हो, यह जानकर मुझे दुःख हुआ। पूरी स्थिति को देखते हुए मैं वह दिशा नहीं खोज पाया, जिस ओर तुम हमें ले जाना चाहते हो।

मैं तुम्हारी दिशा से भली-भांति परिचित तो नहीं- हालांकि सामान्य संकेत से मैं परेशान अवश्य हुआ हूँ- इसलिए फरवरी के प्रारंभ में मैंने तुम्हें पत्र लिखा था और कहा था कि सब कुछ स्पष्ट रूप में कहो। तुम्हारे पास तब वक्त नहीं था और बाद में तुम बीमार पड़ गए, लिहाजा मेरी परेशानियाँ बनी रहीं और वे सब मेरे मन को उलझाती रहीं। इन्हीं की झलक तुम्हें मेरे फरवरी के बयान में और बाद में 'नेशनल हेराल्ड' में लिखे लेख में मिली। विषय तत्वों के मेल से कार्यकारिणी का गठन करने की संभावना कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था, किंतु उसका विरोध किया जाना भी तर्कसंगत नहीं था। मैं नहीं जानता कि इसमें मैं कैसे शामिल हो सकता था। पहली कार्यकारिणी से भी मुझे काफी परेशानियाँ थीं, तो भी कई मतभेदों के बावजूद हम एक-दूसरे को भली-भांति समझते थे और कई वर्षों तक मिल-जुलकर कार्य कर सके। ऐसी स्थिति में सदस्य बने रहने से मैं सहमत नहीं था- लघु कार्यकारिणी से भी मैं उन कुछ लोगों के बीच सबद्ध नहीं होना चाहता था, जो आपसी समझ से गये थे।

एक निजी पक्ष भी मैं स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहूँगा। मुझे यह लग रहा था कि तुम पुनर्वुनाव के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। राजनीतिक दृष्टि से इसमें कोई बुराई

भी नहीं थी— तुम अपना चुनाव पुन कराने के इच्छुक हो भी सकते थे— किंतु मुझे निराशा इसलिए हुई क्योंकि मैं तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठ चुका व्यक्ति मानता था। मुझे लगता था कि यदि तुम इसके उलट कार्य करते तो नीतियों और गुटों को अधिक प्रभावित कर पाते।

वल्लभभाई ने तुम्हारे बारे में जो कहा, उसका जिक्र करते हुए तुमने सकेत किया है कि मैंने तुम्हारे विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। जहां तक चुनाव के समय दिए गए बयानों का प्रश्न है उनमें से एक भी बयान मुझे पसंद नहीं है फिर भी मेरी याददाश्त के मुताबिक मुझे कोई ऐसा बयान याद नहीं जिसमें मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। वल्लभभाई का यह पाप्य कि तुम्हारा चुनाव लड़ना देश के लिए हितकर नहीं वस्तुतः निजी रूप से तुम्हारे भाई को भेजे गए टेलीग्राम में प्रयुक्त हुआ था। मेरे विचार से एक व्यक्ति पत्र या तार में जो कहता है और खुले-आम जो कहता है, उसका अर्थ बदल जाता है। इस तथ्य का यह संदेश तुम्हारे भाई को भेजा गया, महत्वपूर्ण है। इस टिप्पणी का अभिप्राय उनको अपमानित करना नहीं था। यदि वल्लभजी की मान्यता थी कि गांधीजी के नेतृत्व में भारत की भलाई है और तुम्हारे चुने जाने से उनका नेतृत्व मिताने में कठिनाई पैदा होती, तो वे ऐसा सोचने और कहने के लिए वैसे ही पूर्ण स्वतंत्र थे, जैसे हम गांधीजी का कितना ही सम्मान क्यों न करें, किंतु इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि उनके नेतृत्व से देश को खतरा हो सकता है और हानि पहुंच सकती है।

मैंने तुम्हें लिखा था कि तुम्हारे पुन चुने जाने से कुछ भलाई और कुछ बुराई हुई है। मेरी अब भी वही राय है— हालांकि लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है, क्योंकि इरारो हमारे उच्च पदों पर बैठे लोगों में अवराध पैदा हुआ है। भलाई इस अर्थ में हुई कि इसने पुराने नेताओं की योग्यता को हिलाकर रख दिया। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि तुम्हें मिलने वाले मतों ने उनकी अयोग्यता के विरुद्ध मत दिया है। यह उनके उन तरीकों का भी विरोध है, जिन्हें उन्होंने अपनाया। मैंने बार बार गांधीजी तथा अन्य लोगों से इस विषय में कहा था किंतु उन्होंने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस विरोध में कुछ बात तो थी जिसने अध्यात्मिक चुनाव में अपना रूप स्पष्ट किया।

तुमने मुझे याद दिलाया है कि एक ओर मैं शीर्ष पद से तुम्हारे हस्तक्षेप का विरोध करता हू, तो दूसरी ओर 4 फरवरी के पत्र में तुम्हें लिखा है कि तुम एक अकर्मण्य और शान प्रकृति के अध्यक्ष हो। यह सत्य है— जिस हस्तक्षेप की मैंने चर्चा की है, वह तुम्हारे पुन चुनाव से ठीक पहले और बाद का है। उससे पहले के कार्यकाल से उसका कोई संबंध नहीं है। जब मैं तुम्हारी निष्क्रियता की बात करता हू, तो मेरा सकेत पिछले एक वर्ष में कार्यकारिणी के प्रति तुम्हारे रुख की ओर है। मुझे उम्मीद थी कि तुम कार्यकारिणी को अपना नेतृत्व प्रदान करोगे— हालांकि मैं विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं था और न मैं प्रांतीय मामलों में अध्यक्ष के हस्तक्षेप को पसंद ही करता हू।

तुमने अपनी अनुपस्थिति में कार्यकारिणी की एक ऐसी बैठक की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने तुम्हारे पीछे से लॉ पट्टाभि की अध्यक्ष पद के लिए खडा करने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि इस विषय में बल्लभभाई के बगान से कुछ मलतफहमिया उठ खडी हुई। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मुझे इसे स्पष्ट करने का मौका दिया है। जहाँ तक मुझे मालूम है, ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। बारदोली में हुआ यह था कि मैंने और गांधीजी ने मौलाना आजाद पर जोर डाला था कि वे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़े हो और वे मान भी गए थे— किंतु चुनाव लड़ने में हिचकिचा रहे थे। जिस दिन मैं बारदोली से रवाना होने वाला था (जिस दिन तुम गए थे), तब मैं गांधीजी व अन्य लोगों को अलविदा कहने गया।

हममें से कुछ लोग गांधीजी की कुटिया के बरामदे में खड़े थे। शेष लोग कौन-कौन थे, भूल गया। पर मौलाना आजाद और बल्लभभाई का मुझे ध्यान है— मौलाना ने पुन कहा कि वे इस जिम्मेदारी को उठाने में तैयार रहे हैं। तब बल्लभभाई ने कहा था कि यदि मौलाना मना कर देते हैं, तो हम डा पट्टाभि को चुनाव लड़ने के लिए कह सकते हैं। मुझे लॉ पट्टाभि का नाम भुझाया जाना उचित नहीं लगा, अत इसका विरोध किए बिना मैंने पुन इस बात पर जोर दिया कि मौलाना को चुनाव लड़ने के लिए यहाँ जाना चाहिए। उसके बाद मैं बारदोली से रवाना हो गया। इलाहाबाद पहुंचने पर मुझे एक तार मिला कि मौलाना मान गए हैं। वहाँ से मैं सीधे अल्मोडा चला गया और अध्यक्ष पद के चुनाव तक वहीं रहा।

प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों के विषय में सच्चाई यह है। बातों को स्पष्ट कर दिया जाए— तुमसे अनेक दफे कहने के बाद मुझे यह महसूस होने लगा था कि इसके बिना गांधीजी का द तुम्हारा मिलकर कार्य करना असम्भव है। इस विषय में मेरी और अधिक रुचि नहीं थी। इस बारे में गांधीजी, राजेंद्र बाबू या सरदार पटेल क्या सोचते हैं, वे स्वयं ही बताने सक्षम हैं। जो आभार उन्होंने मुझे कराया, यह यह था कि वे इस अत्यधिक महत्व देते हैं। त्रिपुरी पहुंचने पर भी मुझे यही बताया गया। मेरी निश्चित राय यही थी कि राजेंद्र बाबू द्वारा या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा यह मुझा तुम्हारे समक्ष रखा जाए और इस विषय में कोई प्रस्ताव पारित न किया जाए। लेकिन अन्य लोग इससे सहमत नहीं थे। सुझाव यह मिला कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष पेश करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाए। कांग्रेस का सामना करने से बचने के लिए ऐसा विचार नहीं था, बल्कि यह तो बैठक से पूर्व मुझे बताने के लिए था। हमेशा की भांति मुझे ही पारूप तैयार करने को कहा गया। मैंने कहा कि जहाँ तक मुझसे सम्भव होगा मैं आपका दृष्टिकोण प्रकट करने की कोशिश करूंगा— हालांकि मैं इसने कतई सहमत नहीं हूँ। मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए एक छोटा-सा प्रस्ताव तैयार कर दिया जिसमें पुरानी कार्यकारिणी में और गांधीजी के नेतृत्व तथा नीतियों में विश्वास व्यक्त किया गया

था और यह कहा गया था कि नीतियो मे बिखराव नहीं आना चाहिए। विवादो और गाधीजी की इच्छानुसार कार्यकारिणी के गठन की चर्चा तक नहीं थी। वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और बाद मे गजेन्द्र बाबू द्वारा सशोधित प्रस्ताव शायद दूसरो के विचार-विमर्श के पश्चात पेश किया गया। उस समय तक गोविंदवल्लभ पंत नहीं पहुचे थे। मुझे यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया- अत मैंने कहा यह कहा भी। मैंने कहा कि मैं हालांकि यह नहीं मानता कि दोषारोपण वाला मुद्दा आपत्तिजनक है, लेकिन कहा यह बात मुझे अनायश्यक लग रही है, क्योंकि इससे अप्रसन्नता उत्पन्न होगी। विशेष रूप से तब, जब तुम अस्वस्थ भी हो। मुझे बताया गया है कि इस प्रस्ताव मे इन मुद्दो-रो सशोधित बहुत-सी महत्वपूर्ण बाते हैं, जिन्हे स्पष्ट किए बिना उनके सम्मान को धक्का पहुंचा है, जिन पर दोष लगाया गया है- साथ ही, यह भी कि उनके लिए ऐसा करना आवश्यक है और गाधीजी की नीतियो के मुताबिक भी यह बात उचित है। फिर उन्होने यह भी बताया कि इसका बहुत हल्का-सा जिद्द है और इसे व्यक्तिगत भी नहीं बनाया गया है। इसके बिना ये कुछ भी करने मे असमर्थ हैं।

उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता था। मैंने उन्हे बताया कि कुछ मामलो मे यह प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। किंतु कुछ लोगो के सम्मान का प्रश्न था, इसलिए इससे मेरा अधिक वास्ता नहीं था; मैं इसकी वादत बहस मे नहीं पडूंगा।

उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मे मुझे पता लगा कि गोविंदवल्लभ पंत वह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। तुम भी वहा उपस्थित थे। बाद मे जब सब्जेक्ट्स कमेटी के सामने यह बात रखी गई, तो मैंने प्रस्ताव पेश करने वाले कुछ लोगो से बात की कि इसमे अभी भी कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। मैंने यह बताया भी कि मूल प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने रखने के लिए था, ताकि इस विवाद को समाप्त किया जा सके। अब क्योंकि यह कांग्रेस के सम्मेलन जा रहा है, तो इसे दूसरे रूप मे पेश किया जाना चाहिए। पुन मुझे बताया गया कि यह सम्मान का प्रश्न है और जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक सहयोग की बात सोची भी कैसे जा सकती है? तुम्हे याद होगा कि कांग्रेस से पूर्व उन्होने तुम्हे बता दिया था कि वे तुम्हे सहयोग देने मे असमर्थ हैं। वे इस प्रस्ताव को इस रूप मे देख रहे थे कि शायद यह सहयोग प्राप्त करने का एक तरीका है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं था।

खुला अधिवेशन सपन्न होने से पूर्व जब तुम बीमार थे, तब मैंने प्रस्ताव को सशोधित करने का एक और अंतिम प्रयास किया था। मैं असफल रहा क्योंकि श्री अणे के प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष रखने की बात मान ली गई। श्री अणे का विचार था और उन्होने हम यह बताया भी कि उनके प्रस्ताव को बंगाल के बहुत से मित्रो ने पास कर दिया है। हमे तो यहा तक अनुभव हो रहा था (संभव है, यह गलत हो) कि

तुमने भी उनके प्रस्ताव को पास कर दिया था। बाद में क्या हुआ, तुम जानते ही हो।

आपले दिन खुले अधिवेशन में सब्जेक्ट्स कमेटी के पडाल में जब गोविंदपल्लम पत प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तब सुरेश मजूमदार मेरे पास आए और उन्होंने सुझाव दिया कि प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राग्मुख पेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अणे के प्रस्ताव को पुन उठाया। उन्होंने कहा कि एक रात पहले इस बारे में गलतफहमी भी पैदा हो गई थी और अब इस प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकृति मिल जाएगी। मैंने उन्हें इस मतले में अपनी असमर्थता बताई, क्योंकि पत रामय उस प्रस्ताव को पेश करने की तैयारी में थे। मैंने कई बार हर समय प्रयास करके देख लिया था कि उन्हें सबधित गुटा से संपर्क करना चाहिए। बाद में उन्होंने क्या किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

त्रिपुरी की घटनाओं के परिदृश्य में क्या हुआ और प्रतिनिधियों के कैंप में क्या घटा— इसकी जानकारी मेरी अपेक्षा तुम्हें अधिक है। विशेष मौकों के अतिरिक्त मैं बहुत कम समय के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकला और मुझसे मिलने भी बहुत कम लोग आए। मैं मिस्र के प्रतिनिधियों के साथ व्यस्त था।

तुमने मेरे 'मुवतिकलों' की चर्चा की है। मुझे भय है कि मेरे ये 'मुवतिकल' मेरी वकालत के बावजूद बहुत प्रसन्न नहीं हुए। मैं उनमें अप्रिय हो गया। बहुत बड़ी 'बटादुरी' का काम यह हुआ कि मैंने सब संबद्ध लोगों को अप्रसन्न कर दिया।

दोषारोपण वाला यह प्रस्ताव असंवैधानिक था या अनुचित, इसका निर्णय तुम्हें करना है। इस विषय में मेरी राय का अधिक महत्व नहीं है। मैं तो केवल कांग्रेस का कार्य चलता हुआ देखना चाहता हूँ और आज हम जिस दुविधा में घिरे हैं, उसे हटा हुआ देखना चाहता हूँ। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा विचार है कि मैंने तुम्हारे विरोध में आदालत छेड़ा। गांधीजी से वार्तालाप के पश्चात् मैं सक्रिय हुआ और बहुत देर तक इस स्थिति पर विचार करता रहा। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से इतना प्रभावित हुआ जितना कि मुझे नहीं होना चाहिए। यूरोप में स्थिति बहुत विगड़ चुकी है। शायद युद्ध भी छिड सकता है। मेरा विचार है कि हमें घटनाओं की प्रतीक्षा शांतिपूर्वक नहीं करनी चाहिए। शरत ने गांधीजी को जो तार भेजा, उससे स्पष्ट है कि वह उनसे मिलने नहीं आ रहा। अब उस समय कुछ करना समय नहीं जब घटनाएँ तेजी से घट रही हो। फिर मैंने तार भेजने का निर्णय किया। बाद में मैंने वह गांधीजी तथा एक-दो अन्य लोगों को भी दिखाया। वह किसी पत्रकार को मैंने दिया या दिखाया नहीं। पारदर्शिता तो यह है कि उस समय महात्माजी व एक-दो अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त मैंने किसी से उसकी चर्चा तक नहीं की। अब तक मैंने उसे किसी को नहीं दिखाया। समय है कि किसी को किसी अन्य से इसकी उड़ती-उड़ती खबर मिलती हो और उसने प्रेस को

दे दी हो।

तुम सोचते हो कि कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का त्रिपुरी अधिवेशन से पूर्व त्यागपत्र दे देना तथा बाद में कांग्रेस की स्थिति का तुलना करना क्या उचित नहीं है ? उनका त्यागपत्र देने से कोई अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए— बल्कि यदि वे त्यागपत्र न देते और कार्य करते रहने पर बल देते, तो अवरोध की संभावना अधिक थी। प्रतिवाद-स्वरूप त्यागपत्र दे देने के अतिरिक्त, व्यक्तिगत रूप में तथा लोकहित में, उनके पास अन्य रास्ता नहीं था।

जब मैंने दिल्ली से तुम्हें तार भेजा था, तो मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम वहाँ नहीं आ पाओगे। मैं सोचता था कि तुम्हें सुझाव दू कि गांधीजी को तुमसे मिलने धनबाद जाना चाहिए। मेरा विचार है कि यदि तुम आमंत्रित करते, तो वे अवश्य वहाँ पहुँचते। स्वाभाविक था कि वे बिना बुलाए वहाँ जाने में झिझक रहे थे। त्रिपुरी पस्ताव सही था या गलत— कदम तुम्हें ही उठाना था जब तक कि वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी, वे कोई कदम नहीं उठा सकते थे। शायद तुम्हारा पिता था कि वे धनबाद जाने में असमर्थ थे। जब तुम्हारे सचिव ने मुझे यहाँ फोन किया, तब गांधीजी दिल्ली रवाना होने के लिए स्टेशन जाने की तैयारी में थे। यदि निकट भविष्य में मुलाकात संभव नहीं, तो तुम दोनों को पत्राचार द्वारा स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए। तुम्हारा यह कहना सरासर अन्याय है कि मैंने दिल्ली से तुम्हें जो तार भेजा वह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए था या तुम्हारे विरुद्ध आंदोलन छेड़ने के उद्देश्य से था।

यह पत्र बहुत लंबा हो गया है। मैंने इसे तुम्हारा पत्र पाने के बाद एक ही बैठक में लिखा है। अभी भी बहुत-से ऐसे मुद्दे हैं, जो तुमने उठाए हैं और जिनके विषय में मैं कुछ कह सकता हूँ। मुझे अपनी उन कमियों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिनका तुमने जिक्र किया है। मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ और उन पर शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा यह कहना भी ठीक है कि अपने अध्यक्ष-काल में मैंने एक सचिव या क्लर्क के रूप में अधिक कार्य किया। यह मेरी पुरानी आदत है कि मैं स्वयं का क्लर्क और सचिव हूँ, लेकिन इस प्रकार मैंने दूसरों का अधिकार कभी छीना नहीं। यह भी सत्य है कि मेरी वजह से कांग्रेस के प्रस्ताव बहुत लंबे और शब्दाढवर वाले होते थे, कार्यकारिणी में भी मैं बोलता अधिक था। मैंने अपने आचरण के अनुसार कार्य नहीं किया— यह भी मैं स्वीकार करता हूँ।

मुझे तुम्हारे 'लेफ्ट' और 'राइट' शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति है क्योंकि तुम उनका उचित इन्तेमाल नहीं करते। सचमुच ऐसी भी तमाम चीजें हैं। 'लेफ्ट' और 'राइट' शब्द जो हैं, वे कांग्रेस व देश में भी उपस्थित हैं। किंतु यदि इन्फ़ा सही प्रयोग नहीं किया गया, तो वे भ्रम पैदा कर सकते हैं।

मेरे विचार से मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि राजकोट और जयपुर के मुहों ने

बाकी सब बातों को आच्छादित कर लिया है। शायद मैंने कहा था कि राजकोट अर्थात् गांधीजी का उपवास तथा उसके विभिन्न अर्थ कई प्रकार से प्रमुखता पा रहे हैं।

जहां तक बंबई-व्यापार समर्थ बिल का सबंध है, मैं उनके पश्चात् भारत पहुंचा था। तब तक नियम बन चुका था। बंबई में फायरिंग हो चुकी थी। मैं यह बात अपने बचाव-स्वरूप नहीं कह रहा, बल्कि तथ्य के रूप में बता रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश में हमने नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हो या गांव की समिति का, दो वर्ष से अधिक समय तक अध्यक्ष नहीं रह सकता।

तुमने विभिन्न प्रांतों से त्रिपुरी में प्रतिनिधियों को लाने में भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। जहां तक मेरे अपने प्रदेश का सवाल है, मेरा विश्वास है कि ऐसा 'कुछ हुआ' था—हालांकि इस विषय में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। संभव है, अन्य जगह भी ऐसा ही किया गया है। क्या मैं प्रत्येक प्रदेश में जांच का सुझाव दे सकता हूँ? इससे हमारी मस्या की इज्जत में वृद्धि होगी?

पत प्रस्ताव के विषय में तुमने मेरी राय मागी है। मैं नहीं मानता कि वह अविश्वास-प्रस्ताव था, किंतु यह एक ऐसा प्रस्ताव था, जो तुम्हारे निर्णयों में विश्वास की मांग कर रहा था। दूसरे रूप में, यह गांधीजी में विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव था।

मैं समाजवादी हूँ, या व्यक्तिवादी? क्या इन दोनों विशेषणों में विरोध होना आवश्यक है? क्या हम लोग ऐसे संगठित व्यक्ति हैं कि हम स्वयं को एक शब्द या वाक्य में परिभाषित कर सकें? मेरे विचार से मैं स्वाभाविक रूप से तथा प्रशिक्षण के तौर पर एक व्यक्तिवादी हूँ, जबकि बौद्धिक रूप से समाजवादी हूँ— इससे कुछ भी अर्थ चाहे क्यों निकाला जाए। मेरा विश्वास है कि समाजवाद व्यक्तिवाद को दबाता नहीं, बल्कि मैं तो इस ओर आकर्षित ही इसलिए हुआ, क्योंकि यह असंख्य लोगों को आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी से आजाद करा सकता है। किंतु यह व्यर्थ का विषय है और इतने लंबे पत्र के बाद इस पर चर्चा करना उचित भी नहीं। इस बात को इस रूप में समाप्त करते हैं कि मैं एक असंतुष्ट व्यक्ति हूँ, जो स्वयं से और विश्व से संतुष्ट नहीं है तथा जिस ससार में वह रहना है, वह भी उसे पसंद नहीं करता।

प्रातः काल के समय मैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर कुछ भी बहने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। नियमानुसार मैं इन पर चुप भी नहीं रह सकता—जैसा तुम्हारा अनुमान है कि मैं बहुत अधिक बोलता हूँ और लिखता उससे भी अधिक हूँ। फिलहाल मैं इसमें यही छोड़ता हूँ—किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि जब मैं जर्मनी या इटली जैसे देशों की आलोचना करता हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं ब्रिटिश या फ्रांसीसी जगतिवेशी

को अच्छे आचरण का प्रमाणपत्र दे रहा हू।

मैंने एक-दो दिन पहले ही तुम्हें अपने उन लेखों की शृंखला भिजवाई है, जो मैंने त्रिपुरी से पहले 'नेशनल हेराल्ड' में दिए। एक मिल नहीं पाया था। अब मैं अलग से पूरा सट भेज रहा हू। 'फ्री प्रेस जनरल' या अन्य किसी पत्र के लिए फितहाल मैंने कोई लेख नहीं लिखा है।

तुम्हारा शुभाकांक्षी
जवाहर

श्री सुभाषचंद्र बोस
कांग्रेस अध्यक्ष
पोस्ट ऑफिस- झीलगुडा
जिला- मानभूम

जवाहर लाल नेहरू के लिए

झीलगुडा पोस्ट ऑफिस
जिला-मानभूमि
बिहार,
15 अप्रैल, 1939

मेरे प्रिय जवाहर,
मैं नहीं जानता कि हमारे पत्र-व्यवहार की प्रतिया गांधीजी तक आप भिजवा रहे हो या नहीं जैसे वे अन्य लोगों को भेज रहे हैं। यदि वे आपको प्राप्त नहीं हुईं, तो मैं आपको वर्तमान स्थिति में परिचित कराना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा तथा आपकी सलाह भी लेना चाहूंगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए।

महात्माजी लगातार समजातीय कार्यकारिणी पर जोर दे रहे हैं। मैं एक नहीं बल्कि अनेक कारणों से ऐसा नहीं कर सकता। फिर, कांग्रेस ने मुझे यह अधिकार भी नहीं दिया है कि मैं अपना कार्यक्रम निर्धारित करके उसकी घोषणा करू।

मैं केवल एक खास विधि से कार्यकारिणी का गठन कर सकता हूँ— अर्थात् पत्र प्रस्ताव के अनुसार कई वैकल्पिक सुझाव देने के पश्चात् अतत हार मानकर मैंने यह कहा कि कार्यकारिणी के गठन की जिम्मेदारी उन्हें ही सभालनी चाहिए क्योंकि मैं उनकी राय के अनुसार समजातीय कार्यकारिणी का गठन नहीं कर सकता हू। अपने अंतिम दो पत्रों में मैंने यही प्रार्थना की है कि उन्हें यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेना चाहिए।

मैं नहीं जानता कि महात्माजी स्वयं कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे या नहीं। यदि वे ऐसा करेंगे तो अडचन खत्म हो जाएगी। किंतु यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह अनिर्णीत रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इन परिस्थितियों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी क्या करेगी, मैं कह नहीं सकता।

मेरा विचार था कि यदि पत्र-व्यवहार द्वारा कोई समझौता समय नहीं हो पाता, तो हमें गांधीजी से मुलाकात करके इस ओर अंतिम प्रयास करना चाहिए। किंतु राजकोट को देखते हुए गांधीजी का कदम निश्चित ही नहीं है। यह भी पक्का नहीं कि कलकत्ता में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी उपस्थित हो पाएंगे अथवा नहीं—हालांकि उन्होंने मुझे तार द्वारा सूचित किया है कि वे वहां पहुंचने का भरसक प्रयास करेंगे।

अब यदि गांधीजी कार्यकारिणी का गठन करने से इकार कर देते हैं, तो क्या मुझे गांधीजी से मिलने का समय निकालने की दृष्टि से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को स्थगित कर देना चाहिए? क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य इस स्थगन को स्वीकृति देंगे? या फिर मुझे पर विलंब का दोषारोपण करेंगे? कई लोगों का विचार है कि जब तक हम आपस में मिलकर कोई समझौता नहीं कर लेते, तब तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक नहीं होनी चाहिए। यह स्थगन तब आवश्यक हो जाएगा यदि महात्माजी 27 से पूर्व कलकत्ता नहीं पहुंच पाएंगे जहां कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। अब स्थगन के विषय में आपकी क्या राय है?

मैं पूरा पत्र-व्यवहार आप तक भिजवा दूंगा— यदि गांधीजी ने वह आप तक आगे नहीं भेजा है।

एक और बात क्या आप कुछ घंटों के लिए यहां आ सकते हैं? तब हम बातचीत कर सकते हैं। मैं आपकी सलाह ले सकता हूँ कि आगे क्या किया जाना चाहिए।

यह पत्र सविना है और जल्दी में लिखा गया है तथा इसे मैं एक मित्र के हाथों भिजवा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि अंतिम स्थिति स्पष्ट कर पाया हूँ या नहीं। आशा करता हूँ कि सफल हुआ है।

यदि आप यहां आने का समय निकाल पाते हैं, तो समय बचाने के लिए आप तूफान एक्सप्रेस (8 डाउन) से आ सकते हैं, जो 4 बजकर 30 मिनट पर धनबाद पहुंचती है। फिर आप बर्हई मेल से रवाना हो सकते हैं, जो धनबाद से मध्यरात्रि में रवाना होती है। जामदोबा धनबाद से 9 मील की दूरी पर स्थित है। कार आपको स्टेशन पर मिल जाएगी।

आपका स्नेहकाक्षी,

सुभाष

जवाहरलाल नेहरू की ओर से

मेरे प्रिय सुभाष

17 अप्रैल, 1939

आपका 15 अप्रैल का पत्र अभी मिला। गांधीजी और आपके मध्य पत्र-व्यवहार की प्रतियाँ प्यारलाल मुद्ग तक भेजता रहा है। मैं यह नहीं जानता कि सभी पत्रों की प्रतियाँ मुझे भेजी गई या नहीं। किंतु पारम की कुछ मुझे अवश्य प्राप्त हुई हैं।

मैं यह स्वीकारता हूँ कि इस बात से मैं बहुत निराश हुआ हूँ— समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या किया जाना चाहिए। तुम्हारे सुझावों और गांधीजी के सुझावों में कोई सामंजस्य भी नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए कुछ भी कहने करने में असमर्थ हूँ। इन परिस्थितियों में स्वयं को असाहाय महसूस कर रहा हूँ। यह भी सत्य है कि हममें से कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और इस अवरोध को समाप्त करने से अपने को अलग नहीं कर सकता। यह व्यक्तिगत मामला नहीं है न ही यह सबद्वय व्यक्तियों के सम्मान का प्रश्न है, बल्कि इस सकट की घड़ी में कांग्रेस और भारत किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, यह देखने का प्रश्न है।

तुम्हारा यह सुझाव है कि मैं तुमसे मिलूँ। यह सुझाव अचानक मिला इसलिए मैं आश्चर्य-चकित हूँ। आगामी कुछ दिनों तक मैं कई कार्यों में व्यस्त हूँ। अतः यह समझ नहीं पा रहा कि उनका क्या करूँ। किंतु तुम्हें मना भी नहीं कर सकता— विशेष रूप से तब जबकि प्रश्न इतना गंभीर हो। मैं हर सभव प्रयास करूँगा कि तुमसे मिल सकूँ। तुम्हें सूचित करूँगा कि मैं कब आ सकता हूँ।

तुम्हारा शुभाकांक्षी
जवाहर

श्री सुभाषचंद्र बोस
कांग्रेस अध्यक्ष
झीलगुडा
(बिहार)

जवाहरलाल नेहरू को

झीलगुडा पोस्ट ऑफिस

अप्रैल 20, 1939

मेरे प्रिय जवाहर,

आज मैंने महात्माजी को दो तार भेजे हैं जिनमें एक को मैंने पत्र में पुन लिखा भी है। यह मैं अपने पत्र और तारों की प्रतिया भिजवा रहा हू।

तार के सदर्भ में पत्र-व्यवहार प्रकाशित न करने के लिए मैंने आपका नाम इस्तेमाल किया है। आशा है कि आप इसका प्रतिवाद नहीं करेंगे।

वाणीजी के ज्वर के प्रति मैं चिंतित हू। आशा है, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। यदि ज्वर बना रहता है (ईश्वर न करे), तो हमें क्या करना होगा ? इस बारे में कृपया मुझे कोई सलाह दें। मुझे चिंता इसलिए है कि अब वे काफी कमजोर हो चुके हैं। इस विषय में मुझे अवश्य लिखें। मैं कल अर्थात् 21 तारीख को कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा हू।

आपका स्नेहाकांक्षी,
सुभाष बोस

बोस-टैगोर का पत्र-व्यवहार

सर्वोदनाथ टैगोर की ओर से

शांति निफेतान

मेरे प्रिय सुभाष

जब मुझे आपका पत्र मिला, मैं आपको निमन्त्रण-पत्र भेजने ही वाला था। मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। कृपया मुझे सूचित करें कि आपको यहाँ आने में कब सुविधा होगी। मैं आपके स्वागत के लिए तैयार रहूँगा। देशवासियों के साथ मैं भी आपको शुभकामनाएँ देता हूँ।

आपका,
सर्वोदनाथ
20 11 38

रवींद्रनाथ टैगोर को

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सुभाषचंद्र बोस

कोषाध्यक्ष

जमनालाल बजाज

महासचिव

जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ता का पता

38/2 एल्विन रोड, कलकत्ता

टेलीफोन पार्क 59

तार- सुवासंबोस

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

स्वराज भवन, इलाहाबाद

टेलीफोन 341, तार कांग्रेस

वर्धा

14 12 38

माननीय महोदय

आपके कृपा-पत्र का उत्तर देने में देरी के लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ। जनवरी मध्य में शांति-निकेतन आना चाहता हूँ। शीघ्र ही आपको निश्चित तिथि की सूचना दूँगा और तिथि आपकी सुविधानुसार ही निश्चित करूँगा।

कृपया आदर सहित प्रणाम स्वीकार करें।

आपका आज्ञाकारी,

सुभाषचंद्र बोस

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

शांति निकेतन

मेरे प्रिय सुभाष,

जनवरी मध्य में आपके आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। दिसंबर में यहाँ लोगों की बहुत भीड़-भाड़ हो जाती है। सारी छुट्टियाँ बहुत व्यस्तता-भरी होती हैं। यह सब जनवरी के

प्रथम सप्ताह तक चलता है। यह जानकर प्रसन्नता है कि जब आप आएंगे, तो यहां के शोर-शराबे से बच सकेंगे।

आपका,
रवींद्रनाथ टैगोर
20 12 38

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

शांति निकेतन

मेरे प्रिय सुभाष
फरवरी के प्रारंभ में मुझे कलकत्ता आना होगा। संगीत भवन के सहायतार्थ हम लोग एका-
ड्रामा का प्रदर्शन करेंगे। पारमिक समारोह 4 फरवरी को होगा। उस दिन मैं जनता के
मध्य थियेटर में आपका सम्मान करना चाहता हूँ। यदि आप कुछ समय निकाल पाएंगे
तो मुझे प्रसन्नता होगी। कई दिन से यह आकांक्षा मेरे मन में पनप रही थी— आशा है कि
आपको कोई कठिनाई नहीं होगी।

आपका
रवींद्रनाथ टैगोर
14 1 39

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

श्री सुभाषचंद्र बोस

उत्तरायण
शांति निकेतन

मेरे प्रिय सुभाष,
मुझसे प्रार्थना की गई है कि मैं आपके कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आपका
प्रचार जनता के बीच करूँ। इस संबंध में मैं अपना निर्णय देता हूँ। शायद आपको
पता हो कि इस विषय में अपनी दिलचस्पी स्पष्ट करते हुए मैंने महात्माजी और
जवाहरलाल को पत्र लिखा है। उसका क्या परिणाम होगा, उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं

हे। जो लोग कांग्रेस को चलाते हैं वे किसी उद्देश्य के तहत नीतियां निर्धारित करते हैं। मैं राजनीति के मंच से बहुत दूर हूँ। मैं नहीं जानता उसका उद्देश्य क्या है। इसलिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करने का अतिरिक्त मेरा अन्य अधिकार नहीं है— क्योंकि मैं इस क्षेत्र का नहीं हूँ।

दूसरी बात मैं आपके पास इसलिए आया था कि बंगाल के भविष्य का नियंत्रण आप ले— हमारी आपसी विचार-विनिमय बढ़ाने की दृष्टि से। यदि किसी को लगता है कि अध्यक्ष पद में चुनाव के साथ यह मैत्री बढ़ाए, तो मैं मानता हूँ कि इससे आपको हानि पहुंचेगी। मैं बिना किसी बंधन के आपसे सबंध स्थापित करना चाहूंगा।

आज बंगाल की स्थिति दयनीय है। मैं चाहता हूँ कि किसी योग्य व्यक्ति को बंगाल प्रदेश का मार्ग-दर्शन सौंप दिया जाए जिसके इर्द-गिर्द बंगाली लोग एकत्रित हों। इस एकता के बलबूते पर ही बंगाल एक बार पुनः अपनी योग्यता ज़ाहिर कर पाएगा। इसी उद्देश्य से मैं थियेटर में आपका स्वागत करना चाहता हूँ। इस प्रकार हम उस उपलब्धि की अपेक्षा अधिक राफ्त हो सकते हैं जो कांग्रेस द्वारा होनी है। यह अनुभव मुझे बंगाल-विभाजन के समय हुआ। जिस तरह से बंगाल ने अपनी इच्छा उस समय जाहिर की वैसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। वह जागरूकता एक बार पुनः पैदा करने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं आप पर निर्भर करता हूँ। अन्य सभी रास्तों की अपेक्षा मैं इस मार्ग पर चलना पसंद करूंगा। यह मेरी हार्दिक इच्छा है जो मैं आपको बताना चाहता था।

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपने यहां आने की इच्छा व्यक्त की है।

आपका

रवींद्रनाथ टैगोर

19 1 39

बोस के लिए टैगोर का आह्वान

21 जनवरी 1939 में शांति निकेतन में आभकुज स्थल पर आयोजित एक सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में सुभाषचंद्र बोस का स्वागत करते हुए रवींद्रनाथ टैगोर का भाषण

पिय सुभाषचंद्र

जो आज हम कहने जा रहे हैं वह हमारे ऋषि-मुनि सदियों से कहते आ रहे हैं। स्वागत के जो शब्द आप चुन रहे हैं। वही शब्द उन्होंने आने वाले उन लोगों के लिए कहे थे—

जिनका विश्व इतजार करता है। वे शब्द कभी पुराने नहीं पढ़ेंगे। आपका जो जगह-जगह स्वागत हुआ है, देशवासियों ने जो आपको सम्मानजनक पद सौंपा है, उस पद का अर्थ उनके वेद-वाक्यों में सन्निहित है। उनके संदेश ने आपको इस सम्मानजनक स्थान पर ला खड़ा किया है। मेरे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि इस अवसर के द्वारा आप मुझे जान पाएंगे। मेरे इस वाक्य से आप हैरान हुए होंगे। आप कह रहे होंगे कि मैं तो आपको जानता हूँ। ठीक है, किंतु वह पूर्ण सत्य नहीं है— क्योंकि मुझे जानने में देश में कई अड़चने हैं। बंगाल मुझे आधा ही जान पाया है। अभी तक मुझे अंग्रेजों का नीकर ही माना जाता है। बस यही मेरा परिचय बनकर रह गया है। यह जानने में विलंब हो रहा है कि मेरे देश ने मुझे किसी और उद्देश्य से आमंत्रित किया है, उसे मानने से मस्तिष्क झिझक सकता है। मैं किसी को दोष नहीं देता। हमारे कवि कालिदास ने कहा है कि शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। शब्द और अर्थ एक-दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार मैंने कला की देवी के चरणों में बैठकर अर्थ खोजा है। आप एक अरसे से मुझे देख रहे हैं। आपको कुछ प्रसन्नता भी हुई होगी। समय-समय पर आपको कष्ट भी हुआ होगा। लेकिन अर्थ की खोज वह स्वयं खोज नहीं है। उसे तो त्याग देना चाहिए— आपको यह जान लेना चाहिए। उस अर्थ की खोज का मैं भक्त हूँ, अन्यथा आप पूर्णता में मुझे समझ नहीं पाएंगे।

यदि आप अभिव्यक्ति और मूल-तत्त्व को मिलाकर देखें, तो आप समझ पाएंगे कि मेरे अदर की एकता भले के लिए है। यह मेरा सौभाग्य ही है कि कभी-कभी शब्द और अर्थ की पुकार मुझे एक साथ आदोलित करती है। युवावस्था में मैं इस पुकार को सुन सकने के कारण ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद मैं साधना में उतर गया जिसका लोगो को आनास तक नहीं हुआ। किसी को उसे देखने की आवश्यकता नहीं थी अतः उन्होंने देखा भी नहीं। वे देखने में असफल रहे, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपरी दर्शन किए। मैं देखने में अस्पष्ट लगता हूँ। मैं मूल-तत्त्व का अन्वेषी हूँ। उस कार्य में मेरी सफलता आप लोगों तक पहुँच चुकी है— किंतु यदि आप आकर निरीक्षण करेंगे, तो देखेंगे कि यह कार्यक्षेत्र मेरा अपना है। आप अपनी भलमनसाहत की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे, बल्कि आपको पूरे विश्व का अनुभव है। आपने देखा है— यूरोप में आपने देखा कि किस प्रकार खोजी लोग मूलतत्त्व की खोज में साधनारत हैं। आपने देखा है कि कार्य और बलिदान के जरिये किस तरह उन्होंने विवाह किया है। विभिन्न दृष्टियों के जरिये उन्होंने जीवन को क्या-क्या दिया है। इन सबके मध्य ही व्यक्ति की मानवता की पहचान है। यही जागरूकता यदि यहाँ भी पैदा हो जाए— यदि आप लोग भी बलिदान व प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर सकें— तो आपको प्रसन्नता ही होगी। मैं आपको गौरव के साथ वह जागरूकता पदान करना चाहता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप देश के नेता के रूप में पधारें हैं और देश ने आपको स्वीकृति प्रदान की है। आपको यह जानना होगा कि देश के लिए किस प्रकार की साधना यहाँ हो रही है, उसे आपको पहचान देनी होगी,

स्वीकार करना होगा। यदि आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो कार्य की पूर्णता का अनुभव होगा। यहाँ कई कमियाँ भी हैं। मैंने काफी-कुछ सहा है। मेरा दुःख असीम है। 40 वर्षों तक मैंने बहुत कष्ट के साथ, दुःख के साथ गरीबी में उधार में दयकर कार्य किया है। बहुत-सी बदनामी अपराध य धोर निराशा सही है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने आपको अपने कार्यक्षेत्र में आमंत्रित किया है। किसी और कारण से नहीं, बल्कि आपको अपने से परिचित कराने के लिए ही।

मैंने पूरे मन से आपको देश का नेता स्वीकार किया है। अपनी इसी भावना को मैं जनता के सम्मुख कहना चाहता हूँ। आप बंगाली राष्ट्र के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। बाकी देश के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। अपनी इच्छा में उन पर लाद नहीं सकता। मैं बंगाली हूँ, बंगाल को जानता हूँ। बंगालियों की आवश्यकता अत्यधिक है। इसलिए यदि मैं इस उद्देश्य के लिए आपका आह्वान करता हूँ, तो आपको इनका उत्तर देना होगा। मैं आपको राष्ट्रीय-हित के लिए कलकत्ता में 3 फरवरी को आमंत्रित करता हूँ। यहाँ आप हमारे मित्र के रूप में आए हैं। यदि हमारी परिस्थितियों को देखकर आप हमारे कष्ट दूर कर सकते हैं, तो कृपया कीजिए। मैं समय ठीकाण तूंगा। आप समय-समय पर यहाँ आते रहें। आज मैं अतिप्रसन्न हूँ कि आज आपने राष्ट्रीय कर्तव्य के बोझ से दबे होने के बावजूद हमारे साथ कुछ समय बिताना स्वीकार किया।

यहाँ मैंने उन लोगों का सम्मान करने की व्यवस्था की है, जिन्हें देश में तिरस्कृत किया गया। पिछार्थी जो बेकार शिक्षा पद्धति के शिकार बने— वे व्यक्ति जिन्हें कई प्रकार की गुलामी सहनी पड़ी— उन्हें शांति उपलब्ध नहीं हुई तथा सौंदर्य य स्वतंत्रता से दूर रखा गया और दिया और कुछ नहीं गया, बस कवल पाठ याद कराए जाते रहे। मैंने यथाशक्ति उन लड़के-लड़कियों को जेल से आजाद करने का प्रयास किया है। आप उस प्रसन्नता की प्रशंसा करेंगे क्योंकि आप स्वयं जेल में रह कर कष्ट का अनुभव कर चुके हैं। हमारे सब बच्चे वेही ही जेल भुगत रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वह कितना फटकारी और दुःखदायक है। जिस समय बच्चों का मस्तिष्क प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए, जिस समय उन्हें प्रसन्नता में डूबे रहना चाहिए पेड़-पौधों में खेलना-कूदना चाहिए पशु-पक्षियों के साथ खेलना चाहिए उस समय उनसे चक्की चलवाई जा रही है। हमने देखा है कि उन्हें कौसी शिक्षा प्रदान की जा रही है। हम तोतो का गुट तैयार कर रहे हैं— बोलने वाले पक्षियों का। वे पक्षी पिंजरे में बँधे हैं, जिन्होंने कुछ विदेशी वाक्यांश याद कर लिए हैं। मैं हार गया हूँ। मैं जो पाना चाहता था उसमें मैं असफल हुआ था सफल- पता नहीं लेकिन मैं उन्हें प्रसन्नता और आजादी का स्वाद चखाना चाहता था। इस वातावरण में जो प्रसन्नता लड़के-लड़कियों को मिल रही है, वह उनका अधिकार है। आखिर इसीलिए तो वे पेदा हुए हैं। फूल क्यों खिलते हैं ? दिन खत्म होने पर पक्षी क्यों चहचहाते हैं ? क्या उन्हें अपना खूबसूरत समय कक्षाओं में बैठकर रेखांकित पदों को याद करने में ही व्यर्थ

गवाना होगा ? यदि व्यक्ति को सौंदर्य के आनंद से वंचित रखा जाए, तो यह उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है ! इसीलिए मैंने यह सब शुरू किया। मैं हार गया, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कब तक बोझ उठा सकता है ? मैंने हर प्रकार का कष्ट उठाया है। मैं यह नहीं कह सकता कि कोई उपलब्धि नहीं है, किंतु मेरी सतुष्टि के लायक नहीं।

दूसरे स्थानों व देशों के लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। वे केवल प्रशंसा करके ही नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने इसकी नकल भी की है। आपने यह देखा होगा। उन्होंने यह समझ लिया है कि शिक्षा और जीवन का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जो शिक्षा को जीवन से अलग कर देते हैं वे इसका दम घोट देते हैं। वे मानव-मस्तिष्क को टुकड़े-टुकड़े करके बचाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ मैंने शिक्षा को जीवन से जोड़ा है— प्रसन्नता, आह्लाद, कला और हर चीज से जोड़ा है। मैंने स्वतंत्रता और प्रसन्नता का रचाव बचाने का प्रयत्न किया है। इसमें नवीनता है। देशवासी मुझसे पूछते हैं कि मेरा पाठ्यक्रम क्या है ? कौन-कौन सी पुस्तकें आप पढ़ते-पढ़ाते हैं ? व्याकरण कितना सिखाते हैं ? क्या आप इन्हे सब कुछ याद कराने में सफल हुए हैं ? आपके पास भवन कितने हैं ? लोग सरस्वती को खींच-खींच कर कारागार में डालना चाहते हैं। वह सब यहाँ देखने को नहीं मिलता, तो वे दुःखी होते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे राष्ट्र के पास जो खजाना और साधना है, उसे उन्होंने पूरी तरह रिक्त कर दिया है। जो कार्य मैंने शुरू किया, वह पूर्ण नहीं हो पाया है। यह किसी आयोग का ऐच्छिक कार्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने में मैं असफल रहा हूँ। वह मेरी शक्ति से बाहर की चीज है। यदि आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मेरे कार्य को स्वीकृति देगे और अपनाएंगे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

टैगोर के आह्वान पर बोस की प्रतिक्रिया

21 जनवरी, 1939 को शांति निकेतन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा सम्मान किए जाने पर सुभाषचंद्र बोस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की

गुरुदेव,

इस बार मेरे यहाँ आने को एक नया अर्थ मिला है। पिछले कई वर्षों से शाश्वत दो बार— मैं गद्दा आ चुका हूँ। किंतु मेरे आज के आगमन का नया महत्व है। सिद्धांततः मेरे यहाँ आने के दो कारण हैं। पहला, आपने मुझे आमंत्रित किया है— और दूसरा कारण यह है कि मुझे अपने अदर से यहाँ आने की प्रेरणा मिली।

यह आशय करना अनुचित है कि साधारण भारतीय आसानी से यह समझ पाएंगे कि आपकी समेकित साधना क्या है। उन साधारण लोगों में से एक मैं भी हूँ। इसलिए

मैं आपकी साधना की महानता और उत्कृष्टता को एक हठयोगी उत्साह के रूप में ग्रहण कर पाऊंगा, क्योंकि इस ठीक से समझने की समझ एक दिन में पैदा नहीं होती। समझ धीरे-धीरे आती है और पूरा जीवन लग जाता है। फिर भी मुझे विश्वास है कि यदि हम इसी राह पर चलते रहे तो यह विस्तृत आकार अवश्य लेगी।

आपके हृदय में दुःख और अवसाद हैं। शायद इसलिए कि आपके देशवासी आपको समझ नहीं पाए हैं। वे आपकी साधना को जान नहीं पाए हैं। किंतु क्या इस कारण आपको अपने देशवासियों को दोष देना चाहिए? यदि वे आपको इतनी आसानी से समझ पाते, तो आपके बराबर होते। जिस सत्य को रचनाकार जानता है उसे समझने में साधारण व्यक्ति को काफी समय लगता है। हम केवल यह दावा कर सकते हैं कि हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूरे मन से रचनाकार के सत्य को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अपनी योग्यता के अनुसार आपकी साधना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय में आप देशवासियों को दोष नहीं दे सकते। यह प्रत्येक दश और प्रत्येक व्यक्ति में देखा गया है कि साधारण लोग कभी भी उस व्यक्ति की सराहना नहीं करते जो नया मार्ग अपनाता है और जो व्यक्तियों का सामना सच्चाई से करवाता है—उल्टे पैर साधना के मार्गों और सत्य के खोजी का ही परेशान करते हैं। इसलिए हमारे देशवासियों के चरित्र में जिन गुणों की खोज आपन की, वे केवल हमारे देशवासियों में ही नहीं, बल्कि मानव-मात्र में पाए जाने वाले गुण हैं। मानव मस्तिष्क कितना भी बेचारा क्यों न हो—इसमें से जो आशावादी है वे महसूस करते हैं कि पूरी गरीबी घालाकी और गदगी के पीछे दिव्यता छिपी है और जिस वास्तविक साधना को आज हमारे देशवासी समझ नहीं पा रहे उसे एक दिन अवश्य समझने और उरो अपनाएंगे।

समय-समय पर प्रश्न उठाया जाता है—हम लोगों में घर्षा भी चलती है—शायद यह आपके साथ भी हुआ हो कि आपके बाद आपकी साधना का क्या होगा? उस दिन फलकत्ता में मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि सत्य पर आधारित कोई भी साधना कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब तक आपके देशवासी समझ नहीं पाएंगे कि आप उन्हें क्या सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें समझाने में सफल नहीं हो पाएंगे और तब तक आपकी दिखाई पड़ने वाली व्यावहारिक साधना समाप्त नहीं होगी। एक दिन जब आपके जीवन में परिलक्षित सच्चाई और साधना भारतीय लोगों के हृदय में स्थान बना लेगी—तो शांति निकेतन रहे न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक राष्ट्र के हृदय में सच्चाई और साधना की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक आपके शांति-निकेतन की आवश्यकता और उपयोगिता बनी रहेंगी। तब तक हर हालत में शांति-निकेतन बना रहेगा। केवल यही नहीं बल्कि यह साधना भारत के कोने-कोने में स्वीकारी भी जाएगी।

हमसे वे लोग, जो अपना अधिकांश समय देश के राजनीतिक जीवन में लगाते हैं, अतन्त जीवन की रिकतता के विषय में बहुत गहराई से पिचार करते हैं। हमें उस खजाने की प्रेरणा की आवश्यकता है, जो गस्तिष्क को पुष्ट करता है और जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र ऊँचाइयों पर नहीं पहुँच सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम साधना वाली सच्चाई और प्रेरणा पा लेंगे, तो अपने कार्य-जीवन में पूर्णता और सफलता पा सकेंगे और बाह्य जीवन में सफल हो जाएंगे।

इसमें कोई शक नहीं कि आज हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमारा लक्ष्य इससे भी महान है। हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि देश का प्रत्येक स्त्री-पुरुष तथा पूरा राष्ट्र हर दृष्टि से सच्चाई को पहचान सके। राजनीतिक स्वतंत्रता इस खोज में केवल एक माध्यम है। जो आदर्श आज हमारे सामने है, जिस स्वप्न ने आज हमें घेर रखा है— वह बहुत महान है। मैं नहीं जानता कि हम लोग उस स्वप्न और आदर्श को वास्तव में कितना पा सकेंगे। हमें नहीं मालूम कि इस उद्देश्य के लिए हम लोगों में कितनी शक्ति है। जितनी भी शक्ति और क्षमता हमलोगों के पास है, उन्हीं से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। इसके साथ ही, जितनी शक्ति और क्षमता व्यक्तिगत रूप से हमारे पास है, उसको देखते हुए हमने जो मार्ग चुना है— वह सच्चाई का मार्ग है। जो लोग हमारा अनुगमन करेंगे, वे निश्चित ही हमसे अधिक नाकतवर शक्तिशाली और सक्षम होंगे। हम इस आशा के साथ कार्य कर रहे हैं कि वे हमारी गलतियों और भूलों को सुधारने के योग्य बनेंगे। अपने राष्ट्र, केवल राष्ट्र ही नयों, पूरी मानवता को आदर्श मार्ग दिखाया है। आपने केवल पथ ही नहीं दिखाया, बल्कि उस पर चलने का निर्देश भी दिया है। अतः आपके प्रयास केवल पत्र और साहित्य तक ही सीमित नहीं रहे आपकी साधना अनन्त की आराधना ही नहीं रही, बल्कि आपने बाह्य सच्चाई के लिए अंतरात्मा को भी लगा दिया है। हम आपके समक्ष स्वयं को विनयपूर्वक सौंपना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का और हमारे राष्ट्र का भी उद्देश्य यही है। अपने जीवन काल में हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे अथवा नहीं, लेकिन अतर्पण से तो हमने इसे स्वीकार कर ही लिया है। हम इसका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे। हमसे कुछ लोग, जो थोड़ा-बहुत कार्य कर रहे हैं, आपसे असीम प्यार, उत्साह और प्रेरणा पाकर घन्य हैं। इसके अतिरिक्त, तब हमें हर प्रकार की कठिनाई और खतरे का सामना करना पड़ता है, जब हम कारागार का कष्ट झेलते हैं। जब हम कुठित होते हैं और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तब हम उस अनन्त स्नेह और प्रेरणा को याद करते हैं, जो हमें हमारे देशवासियों, देश के नेताओं तथा रक्षाधीनता समग्रियों से मिली है। तब हमें महारूस होता है कि हमें तिगुना आशीर्वाद प्राप्त है— लिहाजा, अस्थायी खतरों व कठिनाइयों की कोई परवाह नहीं।

हम लोग बलिदान का अर्थ गलत रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें बहुत दुःख और कष्ट है— जबकि वास्तविक बलिदान में कोई कष्ट नहीं है।

कोई भी व्यक्ति दुःख के आभास के साथ बलिदान नहीं कर सकता। बलिदान में अन्त सुख की अनुभूति ने आपके जीवन को बहुत परिवर्तित किया है, वही प्रसन्नता और उत्साह हमें भी प्रेरणा दे। जीवन के हर क्षण में हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं— क्योंकि हमें मालूम है कि जब तक हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, हमें यह आभास रहेगा कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। हम सभी को यह महसूस होता है कि हमारी यात्रा में आपके आशीर्वाद का महत्वपूर्ण स्थान है।

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

श्री सुभाषचंद्र बोस

उत्तरायण

मेरे प्रिय सुभाष

अपरिहार्य कारणों से तथा शारीरिक कमजोरी के लगातार बढ़ने से मैं फिलहाल स्वागत-समारोह को स्थगित करने के लिए बाध्य हूँ। पूरी रिपोर्ट आपको सुरेन तथा सुधाकांत से मिल जाएगी।

कृपया दिमाग में हल्की-सी भी यह शका पैदा न होने दे कि आपके प्रति मेरी श्रद्धा और प्रेम में कोई कमी आई है। यहीं समाप्त करता हूँ। 27 1 39

आपका

रवींद्रनाथ टैगोर

देशनायक

रवींद्रनाथ टैगोर

सुभाषचंद्र

बंगाल के कवि के रूप में 'लोगों का नेता' होने का सम्मान आपको प्रदान करता हूँ। गीता से हमें यह भरोसा मिला है कि समय-समय पर बुराई का नाश करन के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। जब देश की आत्मा पर हर दिशा से बदकिस्मती का आक्रमण हो रहा हो, उसका रुदन सामने आ रहा हो तो उसे बचाने वाले आगे आते हैं।

पापी ताकतों के आंतरिक व बाह्य षड्यंत्र के कारण, हम लोग उन शक्तियों का मुकाबला करने में और उनके आक्रमण से स्वयं को बचाने में असमर्थ हैं।

राष्ट्रव्यापी सकट की घड़ी ने हमें शक्तिशाली व्यक्तित्व की सेवाओं की आवश्यकता है। निडर आत्मविश्वास से पूर्ण एक ऐसे जन्मजात नेता की आवश्यकता है, जो हमारी प्रगति को खतरा पैदा करने वाले दुर्भाग्य का सामना कर सके।

सुभाषचंद्र ! मैंने वह भोर देखी है जो आपकी राजनीतिक साधना की शुरुआत की साक्षी है। अनिश्चय के उस धुंधले प्रकाश में मेरे हृदय में दुविधा थी और मैं आपको इस रूप में जिस रूप में आप आज हैं, स्वीकार करने में झिझक रहा था। आज आप दोपहरी का सूर्य बन चुके हैं, इसमें राक-सुबहा की कोई गुंजाइश नहीं। इन वर्षों में आपको बहुत से अनुभव भी हुए होंगे। आज आपमें परिपक्व नस्तिष्क और अबाध क्षमता है कि जो कार्य आपने शुरू किया है उसे पूरा भी कर सकते हैं। आपकी शक्ति में जेल-यात्रा, बीमारी सजा आदि के कारण इजाफा हुआ होगा। इन्होंने आपकी सहानुभूति का दायरा बढ़ाने में सहायता की होगी आपकी दृष्टि को विस्तार प्रदान किया होगा, ताकि क्षेत्रों की सीमाओं से हटकर आप इतिहास के परिदृश्य पर गहन दृष्टि डाल सके।

बंगाली नस्तिष्क यदि तार्किक नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अपने मानसिक सुख के लिए वह तर्क-वितर्क करने में सुख की अनुभूति करता है और अपनी बुद्धि की स्वतंत्रता पर गर्व करता है— साथ ही शक की हर गोजना का स्वयं ही विरोध करता है। कोई भी व्यावहारिक पस्ताव कोई सगठन अपने विध्वंसकारी धर्मसकट में सुरक्षित नहीं है, किंतु यह समय व्यर्थ के दिमागी खेल में व्यस्त होना का और चीजों को विध्वंस की ओर ले जाने का नहीं है। यही इच्छा, जो बंगाल की है, उसके तहत हम लोग आपसे कहते हैं कि आप हमारे मार्गदर्शक बन और चाहते हैं कि शक्ति से आप अपना स्थान बनाएं। उस रचना से लोगों की आत्मा आपके व्यक्तित्व में अपनी झलक देखेगी। इस इच्छा-शक्ति का आभास मुझे बंगाल-विभाजन आंदोलन के समय हुआ। जो तलवार इसके जीवित शरीर को दो हिस्सों में काटने को उठी, उसे इनके प्रतिरोध ने रोक दिया। उस दिन बंगालियों ने कंबल बैठकर तर्क-वितर्क ही नहीं किया, बल्कि शक्तिशाली औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ हानि-लाभ पर विचार किया। उसने दृढ़ निश्चय किया और बाधा हट गई।

बाद की पीढ़ी में हमने इस इच्छा शक्ति का दर्शन बंगाल के युवाओं के हृदय में किया है। वे उस अग्नि को लेकर पैदा हुए हैं जो स्वतंत्रता की मशाल जला सकती है। किंतु उन्होंने स्वयं को जला लिया और मार्ग से भटक गए। दुर्भाग्यपूर्ण गलती के निष्फल होने से उन्होंने शहीदी में अपनी उदारता का परिचय दिया— ऐसी उदारता, जो भारत के किसी अन्य प्रांत में देखने को नहीं मिली। यह तथ्य हमारे इतिहास में सदा जगमगाता रहेगा कि इन नाजवानों ने अपने देश की एकता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। वे देश को अविभाज्य देखना चाहते थे।

कमजोरी के निपेधात्मक प्रमाण-पत्र द्वारा हमारे युवावर्ग के नस्तिष्क में निराशावाद को पनपने नहीं देना चाहिए। जहां भी शक्ति ने अपनी छाप छोड़ी है, हमें समझ लेना

चाहिए कि वहीं सच्चाई भी रही होगी। यह वर्ग उन जीवित बीजों की भांति है जो भविष्य की आशा अपने गर्भ में छिपाए हुए है। आपके जीवन का कार्य यही होगा कि बंगाल की धरती को वे सभी नवजात आशाएँ आपके प्रयासों से फल-फूलें, जो फिलहाल अस्पष्टता पर गर्व करता है— साथ ही, शक की हर योजना का स्वयं ही विरोध करता है। कोई भी व्यावहारिक प्रस्ताव कोई रागटन अपने विध्वंसकारी धमसकट में सुरक्षित नहीं है, किंतु यह समय व्यर्थ के दिमागी खेल में व्यस्त होने का और चीजों को विध्वंस की ओर ले जाने का नहीं है। यही इच्छा, जो बंगाल की है उसकें तहत हम लोग आपसे कहते हैं कि आप हमारे मार्गदर्शक बनें और चाहते हैं कि शक्ति से आप अपना स्थान बनाएं। उस रचना से लोगों की आत्मा आपके व्यक्तित्व में अपनी झलक देखेगी। इस इच्छा-शक्ति का आभास मुझे बंगाल-विभाजन-आंदोलन के समय हुआ। जहाँ तलवार इसके जीवित शरीर को दो हिस्सों में काटने को उठी, उसे इसके प्रतिरोध ने रोक दिया। उस दिन बंगालियों ने केवल बैठकर तर्क-वितर्क ही नहीं किया बल्कि शक्तिशाली औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ हानि-लाम पर विचार किया। उसने दृढ़ निश्चय किया और बाधा हट गई।

बाद की पीढ़ी में हमने इस इच्छा शक्ति का दर्शन बंगाल के युवाओं के हृदय में किया है। वे उस अग्नि को लेकर पैदा हुए हैं जो स्वतंत्रता की मशाल जला सकती है। किंतु उन्होंने स्वयं को जला लिया और मार्ग संभटक गए। दुर्भाग्यपूर्ण गलती के निष्फल होने से उन्होंने शहीदी में अपनी उदारता का परिचय दिया— ऐसी उदारता, जो भारत के किसी अन्य प्रांत में देखने को नहीं मिलती। यह तथ्य हमारे इतिहास में सदा जगमगाता रहेगा कि इन नौजवानों ने अपने देश की एकता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। वे देश को अधिभाज्य देखना चाहते थे।

कमजोरी के निषेधात्मक प्रमाण-पत्र द्वारा हमारे युवावर्ग के मस्तिष्क में निराशावाद को पनपने नहीं देना चाहिए। जहाँ भी शक्ति ने अपनी छाप छोड़ी है उसे समझ लेना चाहिए कि वहीं सच्चाई भी रही होगी। यह वर्ग उन जीवित बीजों की भांति है, जो भविष्य की आशा अपने गर्भ में छिपाए हुए है। आपके जीवन का कार्य यही होगा कि बंगाल की धरती को वे सभी नवजात आशाएँ आपके प्रयासों से फल-फूलें, जो फिलहाल अस्पष्टता के धुंधलके में हैं। साथ ही, आपका कार्य यह भी होना चाहिए कि आप बंगाली विशिष्टताओं को पहचानकर उन्हें स्थाई मूल्य दिलाएँ उनकी योग्यता कल्पना, समझ तथा ग्राह्यता को सही दिशा दे— ताकि वे राष्ट्र-निर्माण में रचनात्मक कार्य कर सकें।

जन्मजात नेता कभी भी अकेले नहीं पड़ते। वे कभी भी पलायनवाद में विश्वास नहीं रखते। भविष्य के सूर्योदय का सतत संदेश उनके जीवन से अभिप्रेत होता रहता है।

मुझे आशा है कि आप हमारी मातृभूमि के लिए आशा की नई किरण लेकर आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप बंगाल के नवतृप्त का कार्य-भार सभालें और देशवासियों को सही दिशा में ले जाएँ।

किसी भी व्यक्ति को यह दुखद भूल न करने दे कि वह प्रातीयतावाद में ही अटक कर रह जाए। बंगाल को भारत से अलग-थलग न समझे। यह न सोचने लगे कि मैं अपने प्रांत को, एक राज्य को गद्दी बना लूँ— जिस पर एक शानदार व्यक्ति बैठ जाए, जो स्वयं को नए युग के राजनीतिक इतिहास का प्रतिनिधि मान ले।

आपका अथक प्रयास यही होगा चाहिए कि आप अपने देशवासियों को दृढ़प्रतिज्ञ बनाए— उनमें जीवित रहने और सघर्ष करने की इच्छाशक्ति जगाए— वे आपके जीवन से उदाहरण लेकर प्रेरणा प्राप्त करें व शक्तिशाली बनें। बंगाल को एक स्वर में स्वीकार करने दे कि यह पद आपका है। विजय द्वारा आत्मसम्मान अर्जित करके वे आपको एक योग्य नेता के रूप में सम्मानित करें।

घटुत पहले एक बैठक में मैंने अपने नेता को, बंगाल जिसकी खोज में था, सदेश दिया था। कई वर्षों के अंतराल के बाद, इस बैठक में मैं उसे अपनी बात कह रहा हूँ, जो अब पूर्ण प्रकाश में आया है। शायद मैं आने वाले सघर्ष में उनके साथ न रह पाऊँ। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और यह जानते हुए विदा लेता हूँ कि उन्होंने देश के कष्ट को अपना बनाया है। उसका फल उन्हें देश की स्वतंत्रता के रूप में मिलेगा।

(यह समाषण रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा जनवरी 1939 में लिखा गया था और प्रकाशित भी हुआ था। न जाने किन कारणों से यह प्रसारित नहीं हो पाया और टैगोर ने बोस के स्वागत के लिए जो गोजना बनाई थी, स्थगित कर दी गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ। टैगोर 1941 में दिवंगत हुए और बोस ने यह अभिभाषण नहीं देखा। शांति निकेतन में बोस का स्वागत करते समय टैगोर ने आशु-भाषण दिया था। बोस ने उसका उत्तर भी दिया, जो बाद में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ। वे भाषण इस पुरतक की पृष्ठ संख्या 95 पर प्रकाशित किए गए हैं। --संपादक)

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

सुभाषचंद्र बोस

कलकत्ता

मेरे प्रिय सुभाष,

कुछ दिन पहले कलकत्ता आने के बाद मुझे अपने देशवासियों की मानसिकता को देखने का मौका मिला है। पूरा देश आपके इतजार में है। यदि अज्ञान के कारण आप इस मौके

का चूक जाते हैं तो यह मौका आपका दुबारा नहीं मिलेगा। बंगाल से प्राप्ति होने वाली शक्ति से आप वंचित रह जाएंगे। दूसरी ओर, दूसरा पक्ष आपकी शक्ति को खत्म करने का प्रयास करता रहेगा। किसी भी कारणवश यह भूल मत कर बैठें। यह मैं आपके लिए नहीं कह रहा, बल्कि देश के लिए कह रहा हूँ। कृपया दृढ़तापूर्वक महात्माजी से जल्दी से जल्दी उनका उत्तर पाने का प्रयत्न करें। यदि वे विलंब करते हैं तो आप इस आधार पर अपना पद त्याग सकते हैं। उन्हें बताएँ कि आप भविष्य के कार्यक्रम का जल्दी ही निर्णय लेना चाहते हैं इसलिए इस विषय में देरी ठीक नहीं। आशा है आपका स्वास्थ्य प्रगति कर रहा होगा। आज ही शांति निकेतन लौट रहा हूँ। यही समाप्त करता हूँ।

2439

आपका,
रवींद्रनाथ टैगोर

(टैगोर ने गलती से पत्र नं 34 1939 की जगह 24 1939 तारीख डाल दी। बोल के त्यागपत्र पर टैगोर ने उन्हें बर्खास्त संदेश भेजा वह इस पुस्तक के पृष्ठ पर छपा गया है। -संपादक)

रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से

उत्तरायण
शांति निकेतन बंगाल

मेरे प्रिय सुभाष,
आपकी बीमारी की जानकारी से भित्ति है। बार-बार आपका बीमार पड़ना देश के लिए चिंता का विषय है।

मेरे विचार से योजनाबद्ध कांग्रेस हाउस का आपका विचार सही है। ऐसे हाउस की अति आवश्यकता है। मुझे आशा है कि लोगों के सहयोग द्वारा इसकी नींव सही ढंग से रखी जाएगी। इस हाउस के पूरा होने पर हम अपने भाग्य और प्रतिष्ठा को बढ़ता देख पाएंगे। यही समाप्त करता हूँ। 27 5 39

आपका
रवींद्रनाथ टैगोर

अन्य पत्र

ई. वुड्स के लिए

आर्टिलरी मेनसन
विक्टोरिया स्ट्रीट
लंदन, एस डब्ल्यू-1
रविवार
16138

प्रिय श्रीमती वुड्स,

सर्जेंट बजाज के पते पर पत्र और तार मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद। जब से यहाँ पहुँचा हूँ, सुबह से मध्य रात्रि तक अत्यधिक व्यस्त रहता हूँ। इसी कारण आपको पत्र लिखने में विलंब हुआ।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कल रात मेरी प्रेजीडेंट डी वेलेरा से मुलाकात हुई। हमने लंबी बातचीत की।

19 तारीख को मैं स्वदेश लौट जाऊंगा। चार दिन में भारत पहुँच जाऊंगा।

आज मैं कैम्ब्रिज और कल ऑक्सफोर्ड जा रहा हूँ।

जो कष्ट आपने उठाया, उसके लिए सादर प्रणाम तथा धन्यवाद।

आपका शुभाचिंतक,
सुभाषचंद्र बोस

श्रीमती वैटर को

होटल ग्रांड ब्रैटने
'ली पेटिट पैलेस एथेस
21।38 रात्रि

प्रिय श्रीमती वैटर,

क्षमा चाहता हूँ कि लंदन जाते समय म्यून्चेन से निकलते हुए मैं आपको पत्र नहीं लिख पाया। ज्यादा दुख इस बात का है कि चाहते हुए भी वियना नहीं आ सका। इंग्लैंड में अंतिम क्षण तक मेरा पूरा समय लग गया। यात्रा हर दृष्टि से सफल यात्रा थी। वे मेरा

अधिक समय लेना चाहते थे— फिन्तु में दे नहीं पाया, क्योंकि दूसरी ओर महात्मा गांधी तत्काल मेरा स्वदेश लौटना चाहते थे। इस कारण वियना का विचार छोड़ना पड़ा। क्षमा चाहता हूँ। भारत में कठिन समय और कठोर परिश्रम मेरा इतजार कर रहा है।

नपल्स में जौर यहाँ मौसम खराब था। इसलिए देरी से यहाँ पहुँचा। आज की रात हम यहाँ (एथेरा में) रहेंगे। कल रात बसरा (ईराक) में रहेंगे और अगली रात जोधपुर (भारत) में होंगे। 24 तारीख को रॉपहर्व तक मैं कलकत्ता पहुँच जाऊँगा।

सभी मित्रों का मेरा नमस्ते कहें और मेरी शुभकामनाएँ दें। आपका स्वास्थ्य कैसा है? डॉ. वैक्टर कैसे है? दोनों को सादर प्रणाम।

सदैव आपका शुभेच्छु
शुभापचन्द्र बोस

गस बिहारी बोस की ओर से *

25/138

टाकियो

मेरे प्रिय शुभाप बाबू,

भारत से सभाचारपत्र पाकर मुझे यह सुखद समाचार मिला कि आगामी कांग्रेस सत्र के लिए आप अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं हार्दिक शुभकामनाएँ भेजता हूँ। एक बंगाली होने के नाते मुझे आप पर गर्व है। अंग्रेजों के भारत पर कब्जा करने में कुछ हद तक बंगाली भी जिम्मेदार थे। अतः मेरे विचार से बंगालियों का यह मूल कर्तव्य बनता है कि वे भारत को आजादी दिलाने में अधिक-से-अधिक बलिदान करें। भारत के स्वाधीनता संग्राम में बंगाली अपने बलिदान और कठिनाइयों द्वारा नेतृत्व प्रदान करेंगे— यह मेरा दृढ़ मत है। अतः मैं आशा करता हूँ कि आप उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस को उचित नेतृत्व प्रदान करेंगे।

वर्तमान समय में कांग्रेस सकट की घड़ी में गुजर रही है। यह एक संवैधानिक संकट है और सरकार को सहयोग दे रही है। अपने देश में कोई भी संवैधानिक और वैधानिक संस्था ऐसी नहीं है, जो स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके क्योंकि संविधान और नियमों का निर्माण शासक वर्ग अपने लाभ और हित के लिए करता है। ब्रिटिश ट्रुकिंगेण में असंवैधानिक और अवैधानिक संस्था ही देश को आजादी के संघर्ष में नेतृत्व प्रदान कर सकती है।

* यह पत्र ब्रिटिश खुफिया एजेंसी द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण नगदनी तक पहुँच नहीं पाया।—संपादक

अवज्ञा आदालत के दौरान कांग्रेस असंवैधानिक सस्था बन गई थी। अतः वह अनंत कार्य कर सकती थी किंतु अब वह पुनः हानि-रहित सस्था बनकर रह गई है। सत्य कहें, तो कांग्रेस और अन्य उदारवादी गुटों में कोई अंतर नहीं है। यह बात नेरी समझ में नहीं आ रही कि आज तक कांग्रेसी सर सुरेद्रनाथ बनर्जी के तब के उस कृत्य की आलोचना क्यों करते रहे हैं, जब उन्होंने पद स्वीकार किया था। आज कांग्रेसी स्वयं वही कार्य कर रहे हैं, जो सर सुरेद्रनाथ तथा अन्य उदारवादियों ने तथाकथित सुधारों के नाम पर किया था, बल्कि इसका श्रेय तो उस समय के उदारवादियों को ही है, क्योंकि उन्होंने ही सभी राजनीतिक बंदियों के लिए सामान्य क्षमा-दान की मांग उठाई थी। अगो तो केवल गिने-धुने राजनीतिक बंदियों को ही रिहा किया गया है, जबकि उस समय सभी राजनीतिज्ञ बंदियों को तत्काल क्षमा कर दिया गया था। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए आज कांग्रेस को क्रांतिकारी मानसिकता से काम लेना होगा। इस समय यह एक विकासशील सस्था है— इसे विशुद्ध क्रांतिकारी सस्था बनाना होगा। जब पूरा शरीर दूषित हो तो अंगों पर दवाई लगाने से जोई लाभ नहीं होता।

अहिंसा की अधीन बंदना का विरोध होना चाहिए और मत परिवर्तित होनी चाहिए। हमें हिंसा अथवा अहिंसा— हर समय तरीके से अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। अहिंसक वातावरण भारतीय पुरुषों को स्त्रियोचित बना रहा है। वर्तमान विश्व में कोई भी राष्ट्र यदि विश्व में आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है, तो उसे अहिंसावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। हमारी कठिनाई यह है कि हमारे कानों में बहुत लंबे समय से अन्य बातें भर दी गई हैं। वह विचार पूरी तरह निफाल दिया जाना चाहिए। परलोक की अपेक्षा हमें इहलोक के बारे में पहले सोचना चाहिए— जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा भी दी है। दरिद्रनारायण को पहले भोजन, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पहले वे इस दुनिया की खुशियां ले सकें तभी हम परलोक की बात कर सकेंगे। मुसलमान कहते हैं पीर, अमीर तथा फकीर— ताकि व्यक्ति दुनिया का सामना कर सके। यदि आप फकीर नहीं बन सकते, तो अमीर बन जाएं और जीवन को जिए। यदि आप अमीर नहीं बन सकते, तो पीर बन जाएं। इराका अर्थ है काफिर को नार डालो और विश्व के लोग तुम्हें या तुम्हारी कन्न को ईश्वर की भांति पूजेंगे। गीता भी यही बताती है। अतः हमें अपना बलिदान देना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी आनन्दमय जीवन जी सके।

कांग्रेस को रिफॉर्म एक बात पर ध्यान देना चाहिए, वह है सैन्य-तैयारी। आज भी ताकतवर ही सही है— इसे हमें धाद रखना चाहिए। आध्यात्मिक वाक्यों से रक्षण को धोखा देते रहना उचित नहीं है। कांग्रेस को सबसे पहले सैन्य-नियंत्रण के लिए आंदोलन करना चाहिए— सेना के प्रत्येक अंग के नियंत्रण के लिए। शिक्षा, सफाई आदि से ही कभी स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। शक्ति आज की वास्तविक आवश्यकता है। इस

विषय पर आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। डॉ० मुजे ने अपना मिलेटरी स्कूल स्थापित करके कांग्रेस की अपेक्षा अधिक कार्य किया है। भारतीयों को पहले सैनिक बनाया जाना चाहिए। उन्हें अधिकार हो कि वे शस्त्र लेकर चल सकें।

अगला महत्वपूर्ण कार्य हिंदू-भाईचारा है। भारत में पैदा हुए मुस्लिम भी हिंदू हैं, तुर्की, पर्शिया, अफगानिस्तान आदि के मुसलमानों से उनकी इबादत-पद्धति भिन्न है। हिंदुत्व इतना कैथोलिक तो है कि इस्लाम को हिंदुत्व में समाहित कर ले— तैसा कि पहले भी हो चुका है। सभी भारतीय हिंदू हैं— हालांकि वे विभिन्न धर्मों में विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि जापान के सभी लोग जापानी हैं चाहे वे बौद्ध हों या ईसाई।

कांग्रेस को चाहिए कि यह पैन-एशिया आंदोलन का अपना समर्थन दे। भारत को चीन-जापान विवाद में जापान का उद्देश्य समझ दिना उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जापान भारत का तथा अन्य एशियाई देशों का मित्र है। उसका मुख्य लक्ष्य एशिया से ब्रिटेन के प्रभाव को समाप्त करना है। इसकी शुरुआत उसने चीन से की है।

कांग्रेस का दृष्टिकोण विश्वव्यापी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का अध्ययन करके उसे भारत के लाभ व हित में प्रयोग करना चाहिए। हमें ब्रिटेन के शत्रुओं से मैत्री करनी चाहिए। यह हमारी विदेश नीति होनी चाहिए। वास्तविक राजनीति में सपेदनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लाभ ही मूल धारणा या आधार होना चाहिए। कई कारणों से जापान आजकल इंग्लैंड, रूस और अमरीका की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। वे किसी-न-किसी प्रकार जापान को नीचा दिखाना चाहते हैं। जापान की अवनति से एशिया के एकजुट होने और स्वतंत्र होने की आशा मिट जाएगी। कांग्रेस ने जापान-विरोधी आंदोलन शुरू करके बहुत भारी गलती की है। हमें याद रखना चाहिए कि एक समय ऐसा भी आ सकता है, जब इंग्लैंड जापान से मैत्री कर लेगा और भारतीयों द्वारा जापान के दुर्दिन में चलाए गए जापान-विरोधी आंदोलन का फायदा उठाकर भारत पर नियंत्रण पा लेगा। इसलिए भारतीयों के लिए यही नीति उचित है कि वे जापान का समर्थन कर इन मौकों का फायदा उठाए और विश्व-राजनीति में अपना प्रभुत्व बढ़ाए तथा ब्रिटेन से जितना फायदा रागव हो, लें।

किसी गुलाम देश के स्वतंत्रता-आंदोलन में डिक्टेटरशिप अत्यधिक जरूरी है— जैसे युद्ध के समय डिक्टेटरशिप आवश्यक है उसी प्रकार आजकल भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में भी डिक्टेटरशिप आवश्यक है। अजशा आंदोलन के समय डिक्टेटरशिप काफी बढ़ी थी, इसीलिए आंदोलन ने काफी सफलता भी पायी। शांति-काल में प्रजातंत्र ठीक है किन्तु यदि युद्ध-काल में भी यह बना रहे, तो देश अवश्य ही सफलता में पहुँच सकता है।

हमें यह मालूम नहीं कि जीवन कैसे जीया जाए और जीवन का बलिदान कब किया जाए। यही मुख्य कठिनाई है। इस संदर्भ में हमें जापानियों का अनुसरण करना चाहिए। वे अपने देश के लिए हजारों की सख्या में मरने का तैयार हैं। यही जागृति हममें

भी आनी चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु को कैसे गले लगाया जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता की समस्या तो स्वतः हल हो जाएगी।

मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आलोचना, रुकावटों व कठिनाइयों के बावजूद आप आगे बढ़ते जाइए, राष्ट्र को सही मार्ग दिखाइए। आपको व भारत को सफलता अवरय मिलेगी।

शुभकामनाओं सहित,

आपका शुभाकांक्षी
रासबिहारी बोस

पुनश्च आपकी पुस्तक का जापानी भाषा ने अनुवाद करके एक पत्रिका में शृंखलाबद्ध छापा जा रहा है। मैं पुनः जोर देकर कहता हूँ कि हमें थल, जल और वायु सेना पर अपना नियंत्रण करना चाहिए। बाकी विभागों पर अंग्रेजों को राज करने दे।

वासंती देवी को

38/2 एल्गिन रोड,
कलकत्ता

दर्धा

6.2.38

आदरणीय मताजी

आज मैं कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा हूँ। वहाँ सँ मैं 11 तारीख को चलूँगा और 13 तारीख को हरिपुरा पहुँचूँगा।

क्या आप हरिपुरा नहीं आएंगी ? यदि आप आ सकें, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। कारण का अनुमान आप आसानी से लगा सकती हैं। जिस व्यक्ति के चरणों में बैठकर मैंने राजनीति का पाठ पढ़ा, वह आज हमारे बीच नहीं है। यदि आज व हमारे साथ होते, तो कितने प्रसन्न होते। अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाएंगी। कृपया इस पत्र का उत्तर शीघ्र दें— यदि आप कलकत्ता ने नहीं हैं— क्योंकि मैं 11 तारीख को यहाँ से रवाना हो जाऊँगा।

कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।

आपका आज्ञाकारी,
सुभाष

पुनश्च कृपया न भूले आत्मवत् मान्यते जगत' (मनुष्य अपनी ही आनृति में विश्व के दर्शन करता है)।

एव. वी कामथ के लिए

38/2, एल्लिन रोड
फलकत्ता
टेलीफोन पार्क 679

प्रिय श्री जानथ

आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। मैं आपको बधाई देने के लिए टेलीफोन करता, लेकिन मुझे यह पक्का मातूम नहीं था कि आप नौकरी छोड़ चुक हैं। आपके कार्यमुक्त होने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा।

जब आप सेवा-निवृत्त हो जाएंगे, तो आपसे मिलने को मैं उत्सुक रहूंगा। पता नहीं, उस समय मैं कहा रहूँ— शायद यात्रा में रहूँ। जपर्युक्त पते से मेरी खबर मिल जाएगी। हरिपुरा के मार्ग में यह पत्र मैं ट्रेन में लिख रहा हूँ।

कांग्रेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मानना यह है कि सेवा की हानि देश का लाभ है।

मातृभूमि की सेवा में आपका सहयोगी,
ह/ सुभाषचंद्र बोस

नागपुर मेल

12238

विल रिचर की ओर से

श्रीयुत सुभाषचंद्र बास,
1, बुडवर्न पार्क
एल्लिन रोड पोस्ट आफिस
कलकत्ता

1 मार्च 1938

प्रिय श्री बोस,

मेरे पुराने पत्र में भारतीय सुरक्षा में सहयोग की भावना व्यक्त की गई थी। मैं आपको

कुछ और बातें लिखना चाहता हूँ।

सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ— देर से ही सही, मेरी पत्नी और मैं बेगस्टीन की अपनी यात्रा से पूर्ण सतुष्ट हैं तथा आपके व आपके मित्रों के साथ बिताए दिनों से बहुत प्रसन्न भी। आपकी कृपा के लिए पुन धन्यवाद। आशा है कि हमने आपके उपचार और कार्य में अधिक व्यवधान नहीं डाला। दुर्भाग्यवश हमारे उपमहाद्वीय समाचारपत्रों में भारतीय राजनीति, विशेष रूप से हरिपुरा बैठक की अधिक चर्चा नहीं हुई।

आपने कहा है कि आप इश्योरेस पर कुछ पुस्तक पढ़ना पराद करेगे। ये पुस्तकें प्रायः इश्योरेस की शाखा विशेष से सबद्ध होती हैं। ऐसी पुस्तकें अभी मुझे नहीं मिली हैं, जो विभिन्न शाखाओं से सबद्ध हों। इसलिए मैं आपको पिटमैन्स द्वारा प्रकाशित इश्योरेस की पुस्तकों की सूची भेज रहा हूँ, जिसमें से आप अपनी इच्छानुसार पुस्तकों का चयन कर सकते हैं।

बिडजा कंपनी मेरे विचार से रूबी है, जिसमें अन्य इटालियन इश्योरेस कंपनी, एसीकुरेजियोनी जेनराती भी दिलचस्पी ले रही है।

हमने उपमहाद्वीपीय बैंकिंग की चर्चा की, जिस पर इस विषय में मैंने अपने मित्रों से भी बात की थी। उन्होंने मुझे राय दी कि दो मुख्य स्विस बैंक इस उद्देश्य के लिए ठीक हैं— इश्योरेस क्रेडिटस्टाल्ट अथवा स्वजिरीशे बैंकवेरीन। ये दोनों ही ज्यूरिख में हैं। मैं बैंक के महाप्रबंधक को जानता हूँ। मेरा समूह दोनों से व्यापारिक संबंध रखता है। इसलिए मैं आपकी ओर से, यदि आप चाहे तो, उनसे बातचीत कर सकता हूँ।

बहरहाल हमारे वार्तालाप की रिपोर्ट हमारे मुख्यालय में पहुँच गई है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग, जहाँ तक हमसे संभव होगा, आपकी सहायता करेगे। शीघ्र ही हम एक ऐसी योजना आपके सम्मुख रखेंगे जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ हमारे लिए भी ठीक हो।

इस बीच ज्यूरिख, वियना और बर्लिन गया था। दुर्भाग्य से मेरी पत्नी को वहाँ तेज नजला हँ गया। अभी तक वह ठीक नहीं हुई हैं। इसी वजह से हमारे वियना से लौटने के बाद भी वह अभी तक मिस प्यूलॉप मिलर और मिस शेकल से संपर्क नहीं कर पाई। मुझे विश्वास है कि अब तक वह आपके भतीजे को कुछ फोटा जरूर भेज चुकी होगी। अगली बार जब मैं वियना जाऊँगा, वायदे के मुताबिक तत्परी आपको भी अवश्य भेजूँगा।

मेरी शुभकामनाएँ व सादर प्रणाम।

आपका शुभाकांक्षी,

विल रिचर

श्रीमती धर्मवीर के लिए

38/2 एल्गिन रोड

कलकत्ता

मेरी प्रिय दीदी

22 3 38

क्षमा चाहता हू कि एक लंबे अरसे से मैं आपको पत्र नहीं लिख पाया— किंतु मेरा विश्वास है कि मैं दया का पात्र हू, क्योंकि मैं रात-दिन भाग-दौड़ में व्यस्त हू। यह पत्र जल्दबाजी में लिख रहा हू, फिर भी आशा करता हू कि मैं अपने विचार स्पष्ट रूप से मली-भाति व्यक्त कर पाऊंगा।

कल, सीता ने मुझे दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। वहां सतोष सेन से भी भेट हुई। पहली बार डॉ. सेन से मेरी मुलाकात विद्या में हुई थी। उसके बाद यहाँ हुई। उनके बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है— एक व्यक्ति व एक चिकित्सक दोनों ही रूपों में। उस राय पर मैं अभी भी कायम हू। लंबी बात को छोटी करके लिख रहा हू। सीता और सतोष विवाह करना चाहते हैं। लंबे अरसे से वे एक दूसरे का जानते हैं। धीरे-धीरे उनकी मैत्री प्रगाढ़ हुई है।

परिणामस्वरूप वे महसूस करते हैं कि उन्हें विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। सीता के निर्णय व चरित्र के प्रति मेरा अनंत विश्वास है। पहले भी इन विषय में मैं आपको लिख चुका हू। उनका यह निर्णय उनकी परिपक्वता का ह्रासिल है और मैं समझता हू कि यह निर्णय उचित भी है। जितना मैं उन दोनों को जानता हू, मुझे विश्वास है कि वे सुखी वैवाहिक जीवन जीएंगे। निजी रूप से मुझे उनके शुभचिंतक होने के नाते तब अत्यधिक प्रसन्नता होगी— जब आप और डॉ. साहब उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर अपना आशीर्वाद देगे।

मेरा पत्र बहुत छोटा और संक्षिप्त है— किंतु ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि दा कार्यों के बीच के खाली वक़्त में मैं यह पत्र लिख रहा हू। इस विषय पर अपनी ओर से गभीरतापूर्वक लिख रहा हू। वास्तविकता तो यह है कि जब विद्या में मैंने सतोष की मेज पर सीता का चित्र देखा, तभी मुझे इसका हल्का-सा आभास हुआ था— और मैं हमेशा ही इस प्रस्ताव को सही और उपयुक्त मानता रहा हू।

अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? आशा है डॉ. साहब और सीता भी ठीक होंगे। मैं वितकुल स्वास्थ्य हू— हालांकि काम बहुत अधिक है।

आपकी स्नेहाकाक्षी

सुभाष

सीता धर्मवीर को

38/2 एलिन रोड
कलकत्ता,
22338

मेरी प्रिय सीता,

तुम्हारा पत्र ठीक है। मेरा पत्र भी जा रहा है। इसे देख लेना। यदि ठीक समझो, तो अपने पत्र के साथ डाक में डाल देना।

मुझे खेद है कि तुम्हें लंबा पत्र नहीं लिख पाया, लेकिन आशा है यही पर्याप्त होगा। कहावत है कि बहादुरी बुद्धिमत्ता की आत्मा है। उत्तर पाने को उत्सुक हूँ। यदि कोई उत्तर आए, तो कृपया मुझे सूचित करना।

प्यार सहित,

आपका शुभाकांक्षी,
सुभाष

श्रीमती नाओमी वैटर के लिए

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सुभाषचंद्र बोस

कोषाध्यक्ष

जननालाल बजाज

महासचिव

जे बी कृपलानी

टेलीफोन 341

टेलीग्राम कांग्रेस

सदरुम इलाहाबाद

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

स्वराज भवन, इलाहाबाद

कृप

38/2 एल्लिन रोड,

कलकता

26338

मेरी प्रिय श्रीमती वैटर

मुझे खेद है कि एक जमान से आपको पत्र नहीं लिखा।

मेरे एक मित्र श्री एम घोष यूरोप की यात्रा पर अपनी पत्नी सहित निकल रहे हैं। वे वियना जाकर वहा की जीवन पद्धति देखना चाहते हैं। श्री घोष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक श्री मनमोहन घोष के पौत्र हैं। मैं आपका आभारी रहूंगा, यदि आप श्रीमती व श्री घोष को वहा घुमान में सहायता कर देंगे। यदि श्री फास्टर इन दिनों वियना में है तो कृपया इन्हें उनसे मिला दे— क्योंकि श्री घोष वहा व्यापारिक संबंध स्थापित करने के भी इच्छुक हैं। आजकल वियना का समाचार सुनकर आश्चर्य होता है। वहा के समाचारपत्रों में आस्ट्रियाई समाचारों की भरमार है तथा वियना के चित्र भी छपते रहते हैं। आशा है, आप रागी स्वस्थ होंगे। डॉ वैटर को शुभकामनाएं व आपको सादर प्रणाम।

सदैव आपका शुभाकांक्षी

सुभाषचंद्र बोस

श्रीमती एन सी वैटर

श्रीमती नाओमी वैटर के लिए

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता

सुभाषचंद्र बोस

कोषाध्यक्ष

जमनालाल बजाज

महासचिव

जे बी कृपलानी

टेलीफोन : 341

टेलीग्राम कांग्रेस

सदरम इलाहाबाद

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

स्वराज भवन, इलाहाबाद

कैंप

38/2, एल्लिन रोड

अथवा बुडबर्न पार्क

9438

प्रिय श्रीमती वैटर,

अपने मित्र को आपके पास भेजने में मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। श्री जी बी सील, जो लदन जाते हुए मार्ग में दियना घूमने आए हैं, मैंने उन्हें राय दी कि य आप से और डॉ वैटर से मिलें और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप तक पहुंचा दें। संभव है, इनके प्रवास की अल्पावधि में आप इन्हें दियना की एक-दो जगह दिखा सकें।

खेद है, लंबे समय से आपको पत्र नहीं लिख पाया— किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं आपको भुला चुका हूँ।

सादर प्रणाम।

आपका शुभाकांक्षी,

सुभाषचंद्र बोस

खेद है मैं दियना में रुक नहीं पाया। आशा है, फिर आऊंगा और आप से मिलूंगा।

पी बी सील

होटल मार्टिनेज,

कैन्स

संतोष सेन के लिए

भारतीय डाक एव तार विभाग

20 मई, 1938

तार

दबई, 20 21 सतोष सेन

48, हनुमान रोड,

नई दिल्ली

शादी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएँ। खेद है स्वयं नहीं पहुँच पाऊँगा। पत्र भेज रहा हूँ—सुभाष बोस।

सीता धर्मवीर के लिए

पर्णकुटी

परवदा हिल

पूना

21 5 38

मेरी प्रिय सीता,

बहुत दुःख है कि मैं तुम्हारी शादी के शुभ अवसर पर लाहौर नहीं पहुँच सकूँगा। इस समय मैं दबई से मैंने तुम्हें तार भी भेजा था। मैं दबई वापस 23 और 24 को पहुँचूँगा। आशा है, तुम मेरी असमर्थता महसूस कर निराश नहीं होओगी। उस दिन नग से मैं तुम्हारे साथ होऊँगा।

ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह तुम दोनों की झोली आशीर्वादों से भर द तुम्हें लया और खुशहाल जीवन प्रदान करे, ताकि तुम मातृभूमि की सेवा कर सको।

कृपया यह पत्र संतोष को भी पढ़ा देना। मैं दिल्ली भी पत्र लिख रहा हूँ, किंतु वह वहाँ शायद नहीं मिले।

मैंने तुम्हें एक छोटा-सा उपहार भेजा है— उसे स्वीकार करोगी, तो प्रसन्नता का अनुभव करूँगा।

प्यार राहित—

तुम्हारा शुभेच्छु,

सुभाष

अतुलचद्र कुमर के लिए

38/2, एलिन रोड
कलकत्ता, 3 6 38

प्रिय अतुल बाबू,

कई वर्षों से मैं मालदा नहीं आया हूँ। पिछले वर्ष जब आने की कोशिश की, तो कार्यालय के कुछ आवश्यक कार्य आ पड। इसलिए तुम्हारे आग्रह को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार तो कर लिया है, किंतु कई कारणों से मेरा 11 या 12 तारीख को आना समय नहीं हो पाएगा। यदि मेरी सुविधानुरार तारीखे निश्चित हो पातीं, तो मुझे मालदा आने मे बहुत प्ररानता होती। कृपया बाद मे मुझ से विधार-दिमर्श करके तारीख निश्चिन करे।

मेरी ओर से मालदा जिले के सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाए दे।

आपका शुभाकाक्षी:

सुभाषचद्र बोस

श्रीयुत अतुलचद्र कुमर

एम एल ए

सीता धर्मवीर को

23 6 38

(वर्धा जाते समय मार्ग मे)

मेरी प्रिय सीता,

क्षना घाहता हूँ कि तुम्हारे लाहौर के 23 मई के पत्र का उत्तर नहीं दे पाया। समयत तुम अब दिल्ली मे हो। यह कहना आनश्यक नहीं समझता कि लाहौर न जा पाने से मुझे कितनी निराशा हुई थी। आशा है, दिल्ली मे कभी मुलाकात होगी।

साथ मे सतोष के लिए भी कुछ पक्तिया लिख रहा हूँ।

कलकत्ता मे कई लोगों से मुताकात हुई, जो सतोष को जानते हैं और उनके सबधी हैं। कुछ लोग तुम्हारी शादी के अवसर पर मौजूद भी थे।

आशा है तुम स्वस्थ हो और हर चीज ठीक चल रहा होगा। समय-समय पर कृपया पत्र लिखती हो। प्यार—

तुम्हारा शुभाकाक्षी,

सुभाष

पुनश्च • मैं स्वस्थ हूँ।

बी सी रॉय की ओर से

36, दैनिकटन स्ट्रीट

कलकत्ता

18 जुलाई, 1938

मेरे प्रिय सुभाष,

बम्बई से यात्रा करते हुए ट्रेन में लिखा तुम्हारा 8 गई का पत्र मिला। तुमने मुझे लिखा है कि जैसे ही निगम में कोई पद रिक्त होगा, तो तुम शीघ्र ही मुझे नामित करोगे। मौलाना आजाद ने तुम्हें बताया होगा कि डॉ. के. एस. रॉय ने अपना त्यागपत्र मुझे भेजा है। कृपया अपना नामांकन मुझे शीघ्र भिजवा दो, ताकि मैं उसे तथा डॉ. के. एस. रॉय के त्यागपत्र को निगम और कांग्रेस म्यूनिसिपल एसोसिएशन के सम्मुख पेश कर सकूँ।

इस विषय में एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा— मैं निगम या कांग्रेस म्यूनिसिपल के सम्मुख तब तक जाना नहीं चाहता जब तक कि नामांकन वाला तुम्हारा पत्र मुझे नहीं मिल जाता। यदि मुझे नामित करने में तुम्हें कोई कठिनाई हो, तो कृपया मुझे सूचित करो— ताकि मैं डॉ. के. एस. रॉय का त्यागपत्र उन्हें वापस भिजवाऊँ, जो वे मेरे पास छोड़ गए थे।

लॉटरी ड्राक से पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में

तुम्हारा शुभाकांक्षी,

बी सी रॉय

विश्वनाथ दास के लिए

वर्ष 1938 के कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सुभाषचंद्र बोस

कोषाध्यक्ष

जमनालाल बजाज

महासचिव

जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ते का पता

38/2, एलिंग रोड, कलकत्ता

टेलीफोन पार्क 59

तार सुवासबोस

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

स्वराज भवन, इलाहाबाद

टेलीफोन 341, तार कांग्रेस

15 अगस्त, 1938

मेरे प्रिय विश्वनाथ बाबू,

इस पत्र के साथ मैं रेजाउल करीम की पुस्तक की प्रति भेज रहा हूँ। देश की सांप्रदायिक स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं लेखक को भली-भांति जानता हूँ। वह पूर्णतः राष्ट्रवादी हैं और मुझे विश्वास है कि यदि यह पुस्तक जनता में लोकप्रिय हुई, तो सांप्रदायिकता को खत्म करने में सहायक होगी। यदि आप अपने प्रात में इस पुस्तक का उपयोग कर सकें तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। इस प्रकार लेखक को सहायता और उसके कार्य में उसे प्रोत्साहन भी मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित

आपका शुभाकांक्षी,

सुभाषचंद्र बोस

सम्माननीय श्रीयुत विश्वनाथ दास

प्रधानमंत्री, उड़ीसा

अपर्णा देवी की ओर से

2, बेलताला रोड

23838

सुभाष बाबू,

मैं, कीर्तनपदावली भिजवा रही हूँ, जिसे हमने सकलित किया है।

आशा है, आप स्वस्थ हैं।

आपकी
अपर्णा दी

बी. सी. राय को

2 सितंबर, 1938

मेरे प्रिय डॉ. राय

मैं उस बयान की प्रति भिजवा रहा हूँ, जो मैं प्रेस के लिए जारी करवाना चाहता हूँ। आशा है कि मैंने तथ्यों को सही रूप में पेश किया है। यदि आपकी राय इसके विपरीत हो, तो कृपया मुझे सूचित करें।

आपका
सुभाषचंद्र बोस

कुछ मित्रों से बातचीत के दौरान पता चला है कि हाल ही में श्रीयुत प्रभुदयाल हिम्मतसिंगका के बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से त्यागपत्र दे देने के बाद उस पद को भरने के तरीके के विषय में कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। ऐसी गलतफहमी कि डॉ. बी. सी. राय को इस पद के लिए नामित किया जा सकता था। किंतु वास्तविकता यह है कि मैं नजरबंद था और जब डॉ. बी. सी. राय विधानसभा चुनावों की देख-रेख कर रहे थे तब दो प्रतियोगियों में बुराबाजार की सीट के लिए समझौता हुआ था। ये प्रतियोगी थे श्रीयुत प्रभुदयाल हिम्मतसिंगका और श्रीयुत ईश्वरदास जालान। इस समझौते के अनुसार श्रीयुत प्रभुदयाल बाबू एक या दो वर्ष के लिए सदस्य रहेंगे तथा उसके बाद वे त्यागपत्र दे देंगे। उनके स्थान पर श्रीयुत ईश्वरदास जालान को नामित किया जाएगा। डॉ. बी. सी. राय भी इस समझौते से वाकिफ थे।

कुछ माह पूर्व जब प्रभुदयाल बाबू त्यागपत्र देने की सोच रहे थे, तब श्रीयुत जालान ने डॉ. बी. सी. राय से मुलाकात की और उनसे कहा कि वे श्रीयुत जालान की उम्मीदवारी को स्वीकृति देंगे। डॉ. राय ने श्रीयुत जालान को कांग्रेस असेंबली पार्टी के नेता श्रीयुत शरत चंद्र बोस से संपर्क करने की सलाह दी क्योंकि वे श्रीयुत जालान की सहायता करने की स्थिति में नहीं थे। प्रभुदयाल बाबू ने त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने जनता में बयान दिया कि उन्होंने श्रीयुत जालान के हित में अपना त्यागपत्र दिया है। जब बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी

की कार्यकारिणी समिति के सामने यह मुद्दा उठा, तो उन्होंने मोलाना अबुल कलाम आजाद और मुझे लेकर एक उपसमिति बना दी कि हम लोग एक उपयुक्त व्यक्ति को नामित करें। उन दिनों मैं इन्फ्लूएजा से ग्रस्त था। जब यह खबर बाहर तक फैल गई कि श्रीयुत जालान को नहीं चुनने की समावना बन सकती है, तो बुराबाजार में उत्सुकता जागो। वहाँ के कुछ लोग मौलाना से मिले और उनके साथ स्थिति पर विचार-विमर्श करने के बाद उन्होंने मुझे फोन पर बताया कि स्थितियों पर गौर करने के पश्चात् वे महसूस करते हैं कि श्रीयुत जालान को नजरअदाज नहीं किया जाना चाहिए। मैंने इस रॉय से सहमति व्यक्त की। इस प्रकार श्रीयुत जालान को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। इस सदर्भ में मैं बता दूँ कि बहुत पहले से मैं डॉ॰ राय को कहता आ रहा था कि उन्हें असेंबली अध्यागमन में आ जाना चाहिए। इस बयान के अनुसार मैंने डॉ॰ के एस रॉय (भूतपूर्व एल्डरमैन ऑफ कलकत्ता कारपोरेशन) को अपने पद से त्यागपत्र देने की प्रार्थना की और उनके ऐच्छिक त्यागपत्र के परिणामस्वरूप रिक्त हुए पद पर डॉ॰ राय को निगम में लाने में सफल हुए। यदि किसी समय डॉ॰ रॉय ने इच्छा व्यक्त की कि वे असेंबली में आना चाहते हैं, तो हम किसी सदस्य द्वारा उनका लिए सीट रिक्त करा लेंगे। उन्हें चुनकर लाना संभव होगा किंतु उपर्युक्त परिस्थितियों में डॉ॰ राय को बुराबाजार चुनावी क्षेत्र से असेंबली के लिए चुना जाना संभव नहीं था।

अभिधा पुरकायस्थ (गुहा) के लिए

वर्धा के मार्ग में

3938

प्रिय बहन,

तुम्हारे दोनो पत्र समय पर मिल गए थे, किंतु उनका उत्तर नहीं पाया। गलती मेरी है-कृपया मुझे क्षमा करो। कार्य की अधिकता की वजह से पत्रों के उत्तर देने में विलंब हो जाता है, किंतु पत्र प्राप्त कर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। इस समय में वर्धा की यात्रा पर हूँ। इसलिए गाडी में कुछ आराम है। 6 तारीख को कलकत्ता लौटूंगा। अगले ही दिन मद्रास की यात्रा पर निकल पड़ूंगा।

तुम्हारा पत्र पाकर मुझे विशेष हर्ष हुआ। तुम कुछ कार्य करना चाहती हो और मुझसे पूछा है कि किस क्षेत्र में जैसा कार्य करूँ, ताकि देश की सेवा कर सकूँ। कितनी महिला कार्यकर्ता ऐसे परन घूँटती हैं ? हमारे देश में महिला कार्यकर्ताओं की कमी है। इस आवश्यकता को तुम पूरा करोगी इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ कार्यकर्ता कुछ दिन

कार्य करते हैं लेकिन फिर वे अन्य कामों में लग जाते हैं। ऐसा महिला कार्यकर्ता अधिक करती है। सामाजिक और पारिवारिक दायरों से महिला कार्यकर्ता अधिक समय तक सक्रिय नहीं रह पाती। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। रुचि और स्वास्थ्य की कमी, शादी घरेलू कामकाज भी इसके कारण हैं।

इसलिए पहले मैं कइना चाहूँगा कि सेवा को मिशन के रूप में स्वीकार करा। अपने मन में निश्चित कर लो कि देश-सेवा तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगी ? मैं ऐसा कोई कारण नहीं देख रहा कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी।

अब कार्य का प्रश्न है। तुमने पूछा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर तो तुमने स्वयं दे दिया है। तुम्हें कांग्रेस का कार्य करना होगा- निरपेक्ष ही हर प्रकार से क्योंकि देश को स्वतंत्र कराए बिना कोई भी बड़ा कार्य या कोई भी महान कार्य करना संभव नहीं है।

स्वतंत्रता प्राप्त करना केवल पुरुषों का ही कार्य नहीं है- यह स्त्रियों का भी कार्य है। समाज का आधा हिस्सा महिलाएँ हैं- इसलिए यदि महिलाएँ जागरूक न हुईं तो देश भी जागरूक नहीं होगा। केवल महिला कार्यकर्ता ही समाज में स्त्रियों को जागरूक बना सकती हैं। इसलिए तुम्हें इस क्षेत्र में आना ही चाहिए। रुकावटों और फटिनाइयों से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। कार्य-लेन में वेशक कई कठिनाइयाँ आएँगी। यदि ऐसी रुकावटें हमें हानोत्साहित करनी तो व्यक्ति कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। किन्तु महिलाएँ उच्च शिक्षा पा सकती हैं ? क्या तुम उच्च शिक्षा पान के बाद देश के लिए कार्य नहीं करोगी ? उन स्थिति में हम रिल पर निर्भर करोगे ?

तुमने महिला कल्याण समितियों बनाया है। यह बहुत अच्छी बात है। कृपया अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास करो। माथ-माथ उन्हें व्यावहारिक शिक्षण भी दो ताकि निधेन महिलाएँ कुछ धनोपार्जन कर सकें। फिर घर-घर जाकर महिलाओं को शारीरिक शिक्षण दिलाओ। उन्हें लाठी और तलवार चलाना भी आना चाहिए। शरारती तत्वों द्वारा महिलाओं को बरात उठा ले जाने तथा तंग करने की घटनाएँ देश में आए-दिन घटती रहती हैं। ऐसा किन्हीं अन्य देश में नहीं होगा। हमारे यहाँ महिलाएँ अभी तक कमजोर हैं। हम महिलाओं को शक्तिशाली बनाएँ दें। यही तुम्हारा कार्य है। हमें महिलाओं का शक्तिशाली और बहादुर बनाना है तभी वे शक्तिशाली नायक पदां करेगी।

मैंने बहुत कुछ लिखा है। अब समाप्त करता हूँ। समय-समय पर मुझे पत्र लिखती रहो। तुम्हारा समाचार पाकर प्रसन्न होऊँगा। मैं लगातार लिख पान में असमर्थ हूँ। इसमें लिए तुम क्षमा करोगी। भगवान तुम्हारा भला करे।

तुम्हारा शुभाकांक्षी
सुभाषचंद्र बोस

बी. सी. रॉय की ओर से

38, वैलिगटन स्ट्रीट, कलकत्ता

10 सितंबर, 1938

मेरे प्रिय सुभाष,

तुमने जो प्रारूप मुझे भेजा है उसमें कुछ सशोधन करके उसे वापस लौटा रहा हू। वे सशोधन निम्न प्रकार हैं

1 यह वास्तविक नहीं है कि मैंने ईश्वरदास जालान और प्रभुदयाल के मध्य समझौते को स्वीकृति दी थी। उन्होंने व्यवस्था कर लेने के बाद मुझे सूचित मात्र किया।

2 जालान ने मुझसे यह नहीं पूछा था कि उनके और प्रभुदयाल के मध्य समझौता उचित है या नहीं। उन्होंने तो मुझसे यही पूछा था कि क्या मैं उनकी उम्मीदवारी को स्वीकृति प्रदान करता हू ? मेरा उत्तर था कि वे कांग्रेस असेंबली पार्टी नेता श्रीयुत शरतचंद्र बोस से सपर्क करे।

3 यह स्थिति उचित नहीं है कि यह कहा जाए कि आपने मुझे कहा था कि यदि मैं असेंबली या निगम में जाना चाहू। आपको कोई आपत्ति न हो— स्थिति यह नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है स्थिति यह थी कि यदि आप मुझे दोनों जगहों में से किसी भी जगह ले जाना चाहे, तो मैं कांग्रेस के हित में प्रसन्नतापूर्वक अपनी सेवाएँ देने को तैयार हू।

तुम्हारे इस नोट में कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनके विषय में मेरा व्यक्तिगत ज्ञान शून्य है। उदाहरण के लिए— 'बूराबाजार के कुछ क्षेत्रों में उत्सुकता थी 'बूराबाजार के कुछ लोग मौलाना से मिले' आदि-आदि। जिस विषय का मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्ञान था और जिस बातों को मैं उचित नहीं मान रहा था, उन्हीं में मैंने सशोधन किया है।

तुम्हारा शुभाकांक्षी,

बी सी रॉय

सीता सेन के लिए

द्वारा एन डी पारीख

26, मैरीन ड्राइव फोर्ट बंबई

10 10 38, (तार द्वारा- पैनडेंट बंबई)

प्रिय सीता,

मुझे अफसोस है कि मैं दिल्ली से रवाना होने से पूर्व बहुत चाहने पर भी तुमसे नहीं मिल

पाया। आखिरी दिन मैं अत्यधिक व्यस्त था और बहुत से कार्यक्रमों से घिरा था। जिस दिन वहा से चला उस दिन सुबह तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर, मैं बहुत निराश था कि चाहने पर भी तुमसे नहीं मिल पाया। किंतु इसके लिए मैं और मेरा कार्यक्रम जिम्मेदार हूँ। बहरहाल अगली बार सही।

इस बार मुझे निश्चित रूप से मलेरिया है। शायद कानपुर में भी मलेरिया ही था, कौन जाने? बहरहाल, हमने एम पी को घेर लिया है।

मैं 15 या 16 तारीख को कलकत्ता के लिए रवाना होऊंगा। आशा है दिल्ली में मौसम अब कुछ ठंडा हुआ होगा। जब मैं वहा था तो बहुत गर्मी थी। मुझे गर्मिया बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं।

विनय को प्यार और तुम सब का शुभकामनाएं।

तुम्हारा शुभेच्छु,
सुभाषचंद्र बोस

(अस्पष्ट) के लिए, जमनालाल बजाज के पत्रों में

38/2 एलिन रोड

कलकत्ता 21 अक्टूबर 1938

बढ़ई और वर्धा ने मेरी जमनालालजी से उनके त्यागपत्र के विषय में विस्तृत चर्चा हुई। मैंने बार-बार बताया था कि कई कारणों से मैं उनके त्यागपत्र को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मेरे विचार से कार्यकारिणी के सदस्य भी मेरी राय से सहमत थे। वे कारण निम्न हैं

1 यद्यपि मैं स्वीकार करता हूँ कि जमनालालजी को कुछ समय तक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, किंतु इसके लिए उन्हें त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं। जब सदस्य बीमार हो जाते हैं, तो वे आवश्यक विश्राम कर लेते हैं— लेकिन त्यागपत्र नहीं देते।

2 उनका विकल्प खोज पाना अत्यधिक कठिन कार्य होगा।

3 आठ माह का समय बीत चुका है और अब केवल चार माह का समय शेष है फिर इस अवस्था में त्यागपत्र क्यों ?

4 इस समय त्यागपत्र देने से अनेक अफवाह और अतर्कधाएं फैलेगी उनमें से कुछ कार्यकारिणी के लिए घातक होगी।

वर्धा ने मुझे जमनालालजी ने बताया कि नागपुर का एक समाचारपत्र यह प्रकाशित कर चुका है कि वे कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय संतोषजनक कार्य नहीं कर पा रहा है— इसलिए जमनालालजी को प्रधानमंत्री

बनाना आवश्यक हो गया है।

इस रिपोर्ट ने मेरे पहले अनुमानों को सही ठहराया। मैंने जमनालालजी को बताया था कि ऐसी सरासर गलत अफवाहों के कारण कार्यकारिणी को पिदरा होकर यह बयान देना पड़ेगा कि वे त्यागपत्र क्यों दे रहे हैं। ऐसे बयान के बारे में हम क्या कहेंगे? यह कहना सत्य नहीं होगा कि वे शारीरिक व मानसिक रूप से थके हुए हैं— इसलिये उन्हें आराम की आवश्यकता है— अतः उन्होंने त्यागपत्र दिया है। क्योंकि तब जनता तत्काल पूछेगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 माह तक बाहर रहे, किंतु उन्होंने तो त्यागपत्र नहीं दिया।

वर्धा में हमारी मुलाकात के अंत में जमनालालजी ने मेरे तर्कों की प्रशंसा की थी। मैंने उन्हें बताया था कि जितने समय तक आराम करना आवश्यक होगा, तब तक के लिए हम उन्हें पूर्ण विश्राम करने देंगे। लेकिन उन्हें त्यागपत्र देकर हमें दुविधा में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि मुझे अंतिम उत्तर देने से पहले वे आपसे बात करना चाहेंगे। अतः मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आपके वर्धा लौटने तक वे कार्यभार सभालें।

मुझे प्रसन्नता होगी, यदि आप उन्हें यह सुझाव दे कि इन परिस्थितियों में उन्हें त्यागपत्र देने पर जोर नहीं देना चाहिए।

प्रणाम

आपका शुभाकांक्षी,
सुभाषचंद्र बोस

एम. एन. रॉय की ओर से

22 अक्टूबर, 1938

मेरे प्रिय मित्र

पिछले सप्ताह जब मैं लखनऊ में था, तब मुझे बताया गया कि लाला शकरलाल किसी कार्य की वजह से आजकल यहाँ है और तुम्हारे निर्देशानुसार मुझसे मिलना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश मैं प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के कार्य में अति व्यस्त था, उनके पास भी समय का अभाव था— अतः हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ लौटने पर आज उनका एक पत्र मिला, जिसके साथ एक पारुप सलग्न है जिस पर हस्ताक्षर करने का मुझसे आग्रह किया गया है। यह सर्कुलर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वाम गुट बनाना है। उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम श्रीयुक्त सुभाषचंद्र बोस के सुझाव पर सूची में शामिल किया गया है। जिन लोगों से हस्ताक्षर करवाने हैं उनकी सूची भी सलग्न है।

यह कहना आवश्यक नहीं है कि मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ तथा आपको पूर्ण

सहयोग देने का वायदा करता हूँ- जैसा कि पहले भी करता रहा हूँ। यह एक गभीर प्रयास है, जिसकी सफलता प्रारम्भिक कदमों पर ही निर्भर है। इसलिए यह सोचकर कि आप इन पर उचित ध्यान देंगे मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूँ। चूंकि यह प्रारूप है इसलिए जिसस हस्ताक्षर करवाए जाने हैं- वे भी इसमें सशोधन आदि कर सकते हैं।

वैसे मैं इस प्रारूप में कही गई प्रत्येक बात से सहमत हूँ, फिर भी मेरे विचार में दो-तीन सशोधन या परिवर्तन इसे और बेहतर बना देंगे। इसलिए सुझाव देने की हिम्मत कर पा रहा हूँ।

1 अनुच्छेद पांच में प्रयुक्त शब्द 'सापदायिक' हटा देना चाहिए। अल्पसंख्यकों को संप्रैधानिक सुरक्षा दिलाने के मसले को बिना शर्त संवैधानिक स्वीकृति देना सापदायिकता को बढ़ावा देना नहीं है। राष्ट्रीय एकता के लिए भी यह खतरा नहीं है और न लोकतंत्र के ही विरुद्ध है।

2 अगले अनुच्छेद का प्रारम्भिक वाक्य भी हटा दिया जाना चाहिए। यह वाक्य घोड़े के आगे गाड़ी जोतने के समान है। उससे ऐसा लगता है कि हम औपनिवेशिक नियंत्रण में रहते हुए भी भारत की नागरिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। जबकि नागरिक स्वतंत्रता मिलना हमारे आंदोलन की सफलता पर निर्भर है।

3 अनुच्छेद 9 में कांग्रेस के धरित्र या जो वर्णन किया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार से वाम दल का कार्य कांग्रेस को भारतीय जनता की क्रांतिकारी लोकतांत्रिक पार्टी में बदलने का है। ऐसा करके ही हम वर्तमान नेतृत्व को अल्पसंख्यकों के हित के लिए सकुचित राजनीतिक गुट के रूप में प्रस्तुत कर पाने में सफल होंगे। कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता के कार्यक्रम को समझने के लिए राजनीतिक सच्चा हथियाने की खातिर भारत की शक्ति और दमित जनता की अपनी राजनैतिक पार्टी का होना अति आवश्यक है। लोकतांत्रिक क्रांतिकारी नेतृत्व तथा प्रगतिवादी सामाजिक विचारधारा द्वारा कांग्रेस लोगों की सेवा कर सकती है। इस प्रारूप में कुल मिलाकर यह बात कही गई है। इसलिए यह पैराग्राफ इसमें ठीक नहीं।

4 'अध्याय 4 में 'समय की मांग' के अंतर्गत 'सापदायिक सभटनों व नेताओं से पार्लियामेंट के स्थान पर' से मैं सहमत नहीं। इसे भी हटा दिया जाना चाहिए। हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि सापदायिक ताकतों व सभटनों का भी अपना महत्व है। इन ताकतों के पभाव से लोगों को मुक्त कराने के लिए हम सापदायिक सभटनों व नेताओं के प्रभावों को कम करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें उनके कार्यों व मामलों में विचार-विमर्श के द्वारा उनको सबके सामने स्पष्ट रूप में लाना होगा।

5 'समय की मांग' में एक शक्तिशाली स्वयंसेवी शक्ति के निर्माण की बात

वस्तुतः प्रयासों को दुहराने का अर्थ दे रहा है। यदि हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता-सेनानी तैयार करना है, तो हमें कांग्रेस के सदस्यों को क्रियाशील बनाना होगा। स्वैच्छिक बल के निर्माण के विचार से ऐसा आभास होता है कि कांग्रेस के सामान्य सदस्यों पर प्रभावशाली युद्ध के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता।

6 मैं स्वीकार करता हूँ कि हस्ताक्षर करने वाले लोगों की सूची के विषय में मुझे कुछ उलझन है। गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को मिलाकर वाम दल बनाने की कोई सार्थकता नहीं है। इस सदर्भ में मैं आपका ध्यान कामरेड मसानी के नेतृत्व में सी एस पी के रुख की ओर आकर्षित करने पर विवश हूँ जो उन्होंने कम्युनिस्टों के प्रति अपनाया था। कांग्रेस के अंदर ही क्रांतिकारी वाम दल का निर्माण करना खतरनाक है। कामरेड मसानी का बर्बई औद्योगिक-सघर्ष बिल तथा सामान्य हड़ताल के प्रति अपनाया गया रवैया वाम दल की योजना के अनुकूल नहीं है। यदि मैं वास्तव में वाम दल के निर्माण को सहायता पहुंचाना नहीं चाहता, तो मेरे लिए यह बहुत कठिन कार्य है कि मैं ऐसे लोगों का साथ दूँ, जिनका रवैया फ़ासिस्टवादी ताकतों को सहायता देना हो। मुझे आशा है कि आप अपने प्रभाव द्वारा कम्युनिस्ट-विरोधी और सी एस पी की अवसरवादी नीतियों पर नियंत्रण करने में सफल हो पाएंगे— तभी आपकी प्रेरणा से प्रारंभ किए गए कार्य को सफलता मिल पाएगी भले ही वे प्रयास वास्तविक नेतृत्व के बिना ही किए जा रहे हों।

इन टिप्पणियों के साथ मैं वाम दल के प्रति अपनी बफादारी की घोषणा करता हूँ और यदि मेरे सुझाव स्वीकार न भी किए गए, तो भी घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति देता हूँ। यद्यपि मुझे आशा है कि वे आपके सुझावों के अनुसार घोषणा-पत्र में परिवर्तन लाने को अवश्य तैयार हो जाएंगे।

आपका शुभाकांक्षी

एम एन रॉय

- पत्र की एक प्रति लाला शंकरलाल को सूचनार्थ प्रेषित कर दी है।
- निम्न नोट को पद संख्या 6 में 'गांधीवादी विचारधारा' के साथ जोड़ना है— यदि मैं अन्य लोगों की सूची समर्थन में दूँ, तो वह इस कार्य के लिए अधिक उपयोगी रहेगा। आपसे सूचना मिलने के पश्चात् मैं कुछ नामों का सुझाव दूंगा।

सेवा में,

सुभाषचंद्र बोस

38/2, एल्लिन रोड,

कलकत्ता

'दैनिक दूरबीन' के लिए

1938 के लिए कार्यकर्ता

अध्यक्ष .

सुभाषचंद्र बोस

कोषाध्यक्ष

जमनालाल बजाज

महासचिव

जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ता का पता

38/2, एल्गिन रोड,

कलकत्ता

टेलीफोन पार्क 59

तार सुवासबोस

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

स्वराज भवन इलाहाबाद

टेलीफोन 341, तार कांग्रेस

सदेश

बंगाल और असम में एक राष्ट्रवादी मुस्लिम दैनिक समाचारपत्र की अति आवश्यकता है। बंगाल के लोगो, विशेष रूप से मुस्लिम जनता, में स्वतंत्रता के सदेश को फैलाने के लिए इसकी जरूरत है। स्वतंत्रता की प्रकृति, स्वतंत्रता-प्राप्ति के साधन स्वतंत्रता प्राप्त होने पर साधारण जनता को क्या आर्थिक लाभ मिलेंगे— ये सब बातें यदि बंगाल की मुस्लिम जनता में प्रचारित की जाएं तो वे भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अवश्य आकर्षित होंगे। तब उन्हें पता चलेगा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय संस्था है अतः यदि स्वतंत्रता पानी है, तो कांग्रेस में शामिल होने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

मुस्लिम बंगाल के लिए राष्ट्रीय दैनिक 'दूरबीन' का प्रकाशन मौलवी रेजाउल करीम के संपादन में किया जा रहा है। मैं इस अखबार को शुभकामनाएं देता हूँ और इसकी तरक्की की कामना करता हूँ।

सुभाषचंद्र बोस

23 10 38

अमला नंदी (शकर) के लिए

1938 के लिए कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सुभाषचंद्र बोस

कोषाध्यक्ष

जगनालाल बजाज

महासचिव

जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ता का पता

38/2, एल्गिन रोड,

कलकत्ता

टेलीफोन पार्क 59

तार - सुवासबोस

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

स्वराज भवन, इलाहाबाद

टेलीफोन 341, तार कांग्रेस

प्रिय अमला

11 11 38

तुम्हारी पुस्तक 'सात सागरों पर' ने मुझे नए प्रकार की खुशी दी है। यूरोप के कुछ सभ्रांत व्यक्ति भारतीय सिद्धांतों को कितनी इज्जत देते हैं, उसकी व्याख्या तुम्हारी पुस्तक में कई स्थानों पर हुई है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह तुम्हें उन लोगों की कोटि में खड़ा करे, जो भविष्य में भारतीय संस्कृति व साधना के लिए सम्मान का कारण बनेंगे।

हमेशा की तरह मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ हैं।

तुम्हारा शुभाकांक्षी,

सुभाषचंद्र बोस

प्रिय सुश्री अमला नदी

कलकत्ता

एम. एन. रॉय की ओर से

13, मोहिनी रोड, देहरादून

1 फरवरी, 1939

मेरे प्रिय मित्र,

यह आवश्यक नहीं था कि मैं बधाई संदेश भेजू। ऐसी औपचारिकताओं की अपेक्षा अन्य कई गंभीर कार्य हमें करने हैं। मैं नहीं जानता कि मेरी ओर से दिया गया कोई सुझाव

स्वागत योग्य है या नहीं। मैं जनता में या व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे पत्राचार में उसे व्यक्त नहीं करता हूँ। किंतु मालदा से तुम्हारा विचार सुनने के बाद मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ कि निम्न पत्रिका लिखूँ।

मेरे विचार में, गांधीजी के बयान के बाद तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं नहीं जानता, उस बयान ने तुम पर क्या प्रभाव डाला है। मैं इस गांधीवादी रूप में युद्ध की घोषणा मानता हूँ— अर्थात् असहयोग जो कि कांग्रेस की अदरुनी शक्तियों द्वारा जानबूझकर यह रुकावट पैदा की जा रही है ताकि तुम्हें और तुम्हारे सहयोगियों को नीचा दिखाया जा सके। गांधीजी के बयान का स्पष्ट अर्थ यह है कि कांग्रेस-अध्यक्ष के रूप में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है तथा जिनोंने तुम्हारे चुनाव का विरोध किया वे ठीक थे। उस असमर्थता का तार्किक निर्णय यही है कि आपका कांग्रेस की एकता के लिए और गांधीजी के नेतृत्व में अपना बलिदान देना चाहिए। मेरी निश्चित धारणा है कि इस प्रकार का बलिदान एकता के लिए अत्यधिक मूल्यवान है पर कांग्रेस का अत्यधिक हानि पहुँचा सकता है। यह सोचना सरासर गलत है कि सुधारवादी गांधीवादी नेतृत्व को कायम रखना ही एकमात्र उपाय है और यही कांग्रेस का एकता का एकमात्र उपाय है। वस्तुतः में क्रान्तिकारी संगठन की एकता विकास और शक्ति के लिए यह अति आवश्यक है कि समय-समय पर ऐसे तत्वों को निकाल बाहर किया जाए जो अपनी इच्छा को पूरे संगठन पर बाध देते हैं। इस चुनाव में यह मित्र कर दिया है कि कांग्रेस के अधिकांश लोगो का विश्वास पुराने नेताओं पर से उट चुका है। यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अधिकांश व्यक्तियों के निर्णय को तार्किक रूप में पेश करें। उस हौसले से प्रयत्न से काम कर जा महान सस्था के चुने गए नेता से अपेक्षित हैं।

जहाँ तक यह प्रश्न है कि आपको क्या करना चाहिए— मैं यही सुझाव देना चाहूँगा जो पिछले वर्ष आपके चुनाव के बाद दिया था कि इस वर्ष ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप स्थगित जो इस पद पर बनाए न रखें। मैं आपके समर्थक कामपथियों के बयान से अभिभूत हूँ कि उनका मानना है कि आपको उन पुराने नेताओं से सहयोग प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए जो बहुमत के विश्वास को झुठला रहे हैं। इस वर्ष के अध्यक्षीय चुनाव के परिणाम का महत्व गांधीजी के स्वयं के चरित्र पर स्पष्ट आक्षेप है। यह उनकी हार है। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए इस बारे में सशय की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस को नया नेतृत्व प्रदान किया जाना चाहिए था जो गांधीवादी सिद्धांतों और लक्ष्यों से पूर्णतः मुक्त हो जो कि अब तक कांग्रेसी राजनीति का निर्धारण करते आए हैं। गांधीवादी सिद्धांतों को उपनिवेशवाद-विरोधी ईमानदार राजनीति के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। कामगारों के लक्ष्यों को इस प्रकार की किसी भी परिकल्पना में मिलाया नहीं जा सकता।

विघटन से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर अलाव की आँटी

रेखा खींचने में कोई हानि नहीं है। मुट्ठी-भर नेता जिन्हें सगठन में अंधविश्वास प्राप्त है, वे कांग्रेस को उसके उद्देश्यों से दूर ले जा रहे हैं। जब बहुमत के समर्थन द्वारा एक नया नेतृत्व कार्य करने का तैयार है और कांग्रेस को सही मार्ग पर लाने की कोशिश में है, तब कांग्रेस के पुराने नेताओं को यह सोचना चाहिए कि वे कांग्रेस के प्रति वफादार रहना चाहते हैं या व्यक्तिगत अभिमान के कारण इसे छोड़ देना चाहते हैं।

सक्षेप में, आप अभी भी कार्यकारिणी में पुराने नेताओं को अवसर प्रदान कर सकते हैं कि वे अपने नेतृत्व के समाप्त हो जाने के बावजूद सेवा कर सकते हैं। किंतु यदि उन्हें आगे के बहुमत के समर्थन से अध्यक्षीय चुनाव जीतने के बाद कार्यकारिणी के चुनाव में हस्तक्षेप करने की छूट दी जाए, तो यह कदम आत्मघाती होगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है, वह यह है कि कांग्रेस के नए नेता में ऐसा साहस और ऐसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि वह गांधीजी की इच्छाओं के बावजूद तब स्वतंत्र रूप में कार्य कर सके जब देश में क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता हो।

इस तथ्य को सामने रखकर कि हारा हुआ अवसरवादी गुट युवा वामदल के नेतृत्व के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने में हर संभव शक्ति का प्रयोग करेगा, ताकि उसे नीचा दिखा सके— हमें चाहिए कि हम कार्य को रागदित रूप में करें, न कि किसी बहुत बड़े राजनीतिक प्रदर्शन पर बल दें। वाममार्ग की विजय का उत्साह मनाना जल्दबाजी होगी। दुर्भाग्य से संवैधानिकता बड़े नेताओं के छोटे-से क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि मंत्रालयों को स्वीकार कर लेने के कारण यह सगठन के उच्च एवं निम्न पदों तक फैल चुका है। जो लोग वाममार्गियों के साथ दिखाई देते हैं, वे भी सुधारवादी कारणों से भ्रष्ट हैं। पूरे देश की जिला कांग्रेस कमेटियाँ ऐसे ही तत्वों के नियंत्रण में हैं। इस नियंत्रण से आज भी क्षेत्रीय स्वनियंत्रित सगठन लाभ उठा रहे हैं। नए वाममार्गी नेता का प्रथम कर्तव्य यही होगा कि वह इन लघु संस्थाओं को ऐसे अपाठित तत्वों के नियंत्रण से बचाए। दूसरे शब्दों में, सबसे पहले सगठन की समस्या को हल करना होगा।

इस प्रकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिवालय का गठन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नीचे से ऊपर तक सगठन के निर्माण का उत्तरदायित्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिवालय का होना चाहिए। ऐसे केंद्रीकृत निर्देशन व नियंत्रण द्वारा उन प्रांतीय झगड़ों और रात्रु-गुटों का अंत संभव हो सकता है, जो फिलहाल कांग्रेस में उपस्थित हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सगठन सचिव का पद किसी अनुभवी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए।

कठोर और निर्णायक कदमों का सुझाव देने में मैं उन समस्याओं को कम करके नहीं आंक रहा, जो सामने उपस्थित होने वाली हैं। मुझे लगता है कि नई अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का उदारवाद के प्रति रुझान रहेगा। इससे इस स्पष्ट नीति में बाधा पैदा होगी कि आप के सहयोगियों को बहुसंख्या में कार्यकारिणी में शामिल किया जाए।

आपको देशबन्धु के अनुभव को दुहराना होगा और आपातकाल के लिए तैयार रहना होगा। इस कठिनाई का सामना करने के उद्देश्य से आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्तमान कार्य-पद्धति का अनुगमन नहीं कर सकते।

विशु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पेश की गई कठिनाइयों को धार करने की एक लोकतांत्रिक पद्धति भी है। यह सदस्यों का बहुमत (मेरा अभिप्राय मूड से है) को नहीं दर्शाती। वह मार्ग यही है कि आप विशेष अधिवेशन बुलाए, जो कि निश्चित रूप से आपकी नीति का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विरुद्ध पेश करेगा। इस विशेष अधिवेशन में निर्णयार्थक बहुमत जिसे निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाएगा वामपन्थियों द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा— जिनके द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण का कार्य शैले की समितियों पर नियंत्रण स्थापित करके तथा प्राइमरी सदस्य का राजनीतिक स्तर रद्द कर दिया जाएगा।

अतः मैं, कांग्रेस द्वारा जिस नीति का अनुपालन आप चाहते हैं वह उस शक्तियों में पूर्ण रूप से वर्णित होनी चाहिए जिसे कांग्रेस अधिवेशन में परिष्कार के लिए पेश किया जाना है। इस प्रकार आप पुराने नेताओं की वास्तविकता को उजागर करने का उपसर्ग पाएंगे।

यह प्रस्ताव कारगरिणी का समर्थन पेश किए जाने है जिसके वर्तमान महान को सुवाचिक वे आप द्वारा अध्यक्षीय चुनाव में पेश की गई स्पष्टवादिता के कारण उन प्रस्तावों का पारित नहीं करेगा। उस दिशा में आपको अपने प्रस्ताव सीधे कांग्रेस के समर्थन पेश करने होंगे तथा पुराने नेताओं की स्पष्ट नीति का चुनने-अपन विरोध करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार वास्तविक गुरु स्वयं ही और उच्च राजनीतिक स्तर पर विवाद उठे पड़ा होगा। इससे आंदोलन के विकास में बहुत मदद मिलेगी।

यह कहना आवश्यक नहीं है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी मैं सहयोग की आवश्यकता हो, मुझे पर निर्भर कर सकते हो। पत्र-व्यवहार में अधिक नहीं कहें, जो भ्रम तथा कई सुझावों में विस्तृत चर्चात्मक अभिविद्धि है, जो मितल पर ही सम्भव है। इस माह के मध्य में मेरी कल्पना आन की स्थापना है। तब हम व्यक्तिगत रूप से उन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं ?

शुभकामनाओं और हार्दिक बधाई के साथ

आपका शुभकामी
एम एन रॉय

मुस्तफा अल नाहस पारा के लिए

डी एल टी

मुस्तफा अल नाहस पारा
हेलियोपोलिस
काहिरा
मिस्र

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं आपको ओर आपके सहयोगियों को कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में त्रिपुरी में 10 मार्च को सादर आमंत्रित करता हूँ और बाद में कुछ दिन मिस्र के नेता के रूप में यहाँ ठहरने का आमंत्रण देता हूँ। आपकी यात्रा से दोनों देशों के बीच रादभावना को शक्ति मिलेगी और हमारे देशवासियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आपके प्रवास के दौरान भारत आपको हार्दिक स्वागत व सम्मान प्रदान करेगा।

सुभाष बोस
अध्यक्ष

सुभाषचंद्र बोस
38/2, एल्विन रोड,
कलकत्ता
7 फरवरी, 1939

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी महासचिव के लिए

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता

अध्यक्ष

शुभाषचंद्र बोस

कोषाध्यक्ष

जमनालाल बजाज

महासचिव

जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ता का पता

38/2 एंग्लिन रोड कलकत्ता

टेलीफोन पार्क 59

तार मुवामबोम

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

स्वराज भवन इलाहाबाद

टेलीफोन 341 तार कांग्रेस

सेवा में

कार्यकारी महासचिव

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

इलाहाबाद

28 फरवरी, 1939

प्रिय मित्र,

आप जानते ही हैं कि मिस्त्र का प्रतिनिधिमंडल त्रिपुरी कांग्रेस में भाग लेने आ रहा है। कांग्रेस अधिवेशन के बाद हमें उनके लिए दस दिन की यात्रा का कार्यक्रम बनाना है। कृपया महत्वपूर्ण प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों से यह पूछने के लिए परिपत्र भेज दें कि क्या वे इस प्रतिनिधिमंडल को अपने प्रदेशों में आमंत्रित करना चाहेंगे? क्या वे अपने प्रांत में उनका खर्च वहन कर पाएंगे? आपको उनसे यह भी कहना है कि वे उन्हें अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लाहौर दिल्ली लखनऊ आगरा इलाहाबाद, बनारस, पटना कलकत्ता मद्रास नागपुर आदि शहरों में ही घूमने लायक समय उनके पास होगा। भार्गव के स्थानों को हमें छोड़ना होगा। वे लगभग पंद्रह दिन भारत में रहेंगे। इनमें से 3-4 दिन वे त्रिपुरी में बिताएंगे। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां आपको त्रिपुरी के पते पर अपने उत्तर भिजवा सकती हैं। मैंने स्वागत समिति से त्रिपुरी में उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए कह दिया है।

आपका शुभाकांक्षी

शुभाषचंद्र बोस

एम एन. रॉय की ओर से

3 बी, स्टोर रोड
बालीगंज
कलकत्ता
5 मार्च, 1939

सेवा में,

सुभाषचंद्र बोस

अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

त्रिपुरी

प्रिय मित्र,

अपनी यात्रा से इफलूएजा लेकर लौटा हूँ। यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि आप भी बीमार थे। इसलिए हमारा पुनः मिलना संभव नहीं हो पाया तथा हम शेष विषयों पर बातचीत नहीं कर पाए। मुझे विश्वास है कि 6 तारीख के त्रिपुरी सम्मेलन में आपके समर्थकों द्वारा पेश किया जाने वाला प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। विस्तार पर पडा होने के कारण मैं 6 तारीख से पहले त्रिपुरी नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने प्रस्तावों के प्रारूप कामरेड जयप्रकाश नारायण को भिजवा दिए हैं। मेरे विचार से यह उन लोगों द्वारा पायोजित होना चाहिए जिन लोगों को भविष्य में कांग्रेस के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व सभालना है। उन प्रारूपों की प्रतियां सलग्न हैं। मुझे विश्वास है कि इन प्रस्तावों के पक्ष में बड़ी संख्या में मत (प्रतिनिधियों का) प्राप्त होगा। यदि अन्य वाममार्गी दलों ने भी अपना समर्थन दिया, तो बहुमत अवश्य प्राप्त हो जाएगा।

मैं 7 तारीख को बर्बई मेल से त्रिपुरी पहुंचूंगा। आशा करता हूँ कि अत्यधिक थन के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं।

आपका शुभाकांक्षी
एम एन रॉय

जेफ़ेब गुणानिधि विश्वास के लिए

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सुभाषचंद्र बोस

कांग्रेस

जमनालाल बजाज

गहालाघर

ज बी कृष्णगोपी

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

स्वरान भवन, इलाहाबाद

शीतगुड़ा पोस्ट ऑफिस

खिला मानभूम

बिहार

14439

मैं प्रिय श्री विश्वास

जब से मैंने समाचारपत्रों में नए मनोनीत काउंसिलरों की सूची देखी है, तभी से आपके पत्र लिखने की सोच रहा था। जब आप काउंसिलर थे, तब उन्होंने आपको लम्बाई व लक्ष्यदिशा से कार्य करने के लिए दंडित किया। आपके चरित्र की जानकारी मुझे है। जो मुझे विश्वास है कि इस बार आपका नाम शामिल न होने से आप परेशान नहीं होंगे।

मैं वर्ष 1924 में निगम से संबद्ध रहा हूँ। आपका मानना है कि मुझे किसी की बुलावट या बिना बराबर प्रस्ताव करके की जादत नहीं है। बिना बढा-चढाकर बात कहने के बावजूद मैं यह कह सकता हूँ कि यह मेरे अनुभव में पहली बार देखने में आया है कि जब मनोनीत क्रिश्चियन काउंसिलर ने निगम में अपने कर्तव्यों को एक सच्चे क्रिश्चियन के रूप में पूरा किया था। आपको समझ की में कदम करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारी अगिले मंत्री और भी गहरी होगी।

वापसी पर आपसे मिलने की प्रतीक्षा में हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में हम लोग सहयोग करने और अन्य क्षेत्रों में मिल-जुलकर कार्य करेंगे।

मैं तैजी से दयास्था-लाम कर रहा हूँ।

भावद,

आपका शुभाकांक्षी

सुभाषचंद्र बोस

अमियनाथ बोस के लिए

जागदोबा

17439

मेरे पिय अमि

पिछले दो माह से मैं बिस्तर पर हू। यह सबसे लबी व बुरी बीमारी है। मुझे ब्रोको-न्यूमोनिया कुछ और बीमारियों के साथ हो गया है (लीवर और आंतो मे सक्रमण है)। इस बीमारी के साथ-साथ राजनीतिक सकट के कारण मानसिक उद्वेग भी है। मुझे किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक आराम नहीं मिल पाया। तेज बुखार होने के बावजूद बिस्तर मे कार्य करना पडता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मैं कभी स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। किंतु सकट की घडी बीत गई है। मैं स्वस्थ होने को हू। 21 तारीख को मैं कलकत्ता जाऊंगा। वहा बंगाल प्रदश कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक भी है। तापमान सामान्य है, कमजोरी लबे समय तक चलेगी। यदि जा सका, तो गर्मियों मे परिवर्तन के लिए जाऊंगा। देखते हैं, क्या होता है!

आपके कागजात मिल गए हैं। अत आपन बयान और उसके उत्तर मे जारी बयान (जो कि अध्यक्षीय चुनाव के पहले और बाद मे जारी किए गए थे) साथ ही कांग्रेस का लेखा-जोखा भी देखा होगा। पुराने नेताओ का मानना है कि मुझे चुनाव मे 25 या 30 प्रतिशत मत प्राप्त होंगे। इसलिए नतीजे से उन्हे धक्का लगा है। उन लोगो मे बेचैनी का आलम है। उन्हे लगा कि न केवल सात प्रांतीय सरकारे उनके हाथो स फिसली जा रही हैं, बल्कि गांधीवादियो को लगा कि उनका 20 वर्ष का कार्य एक दिन मे धुल गया। उनका सारा नजला मुझ पर गिरा। देशबधु के बाद से किसी ने भी उन्हे इतनी बुरी तरह नहीं हराया था। तब गांधीजी ने बयान जारी किया। उन्होंने पुराने नेताओ को बचाते हुए कहा कि उनकी हार मेरी हार है। केद्रवादियो की राय बदलने लगी। वे हमे समर्थन देने को बाध्य थे किंतु जैसा कि उन्हाने बताया, वे गांधीजी को निकाल बाहर करने को तैयार नहीं थे।

मेरी अस्वस्थता उस समय की सबसे बुरी घटना थी। त्रिपुरी निश्चय ही हगारी हार थी। किंतु जैसा कि बर्बई के मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था, यह बिस्तर मे पडे एक ऐसे बीमार आदमी का मतला है, जो (1) पुराने नेताओं के 12 महारथियों, (2) जवाहरलाल नेहरू (3) सात प्रांतीय सरकारो (जो पुराने नेताओ का प्रचार करने मे सलग्न हैं) तथा (4) महात्मा गांधी के नाम, प्रभाव व सम्मान से सघर्ष कर रहा था। उन्होंने इस हार को नैतिक विजय की सझा दी।

हार की वजह सी एस पी (कांग्रेस समाजवादी पार्टी) के नेतृत्व द्वारा घोखा दिया

जाना भी था और कार्यों में हुई गलतियों के भी कारण। अब सी एस पी की जड़े हिल गई हैं, क्योंकि उसके नेताओं की त्रिपुरी नीति के कारण कार्यकर्ताओं में विद्रोह की भावना पैदा हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी भी सी एस पी के साथ सदार थी, लेकिन अंतिम क्षण में पदाधिकारियों के विद्रोह के कारण सी एस पी नेताओं द्वारा निर्धारित नीतियों (सी एस पी नेताओं के साथ गुप्त समझौता) का बिल्कुल उलट हुआ।

सकट की इस घड़ी में मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति ने इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी पंडित नेहरू ने। यदि वे हमारा साथ देते, तो हमें बहुत प्राप्त होता। यदि वे तटस्थ भी रहते तो भी हमें बहुत मिलता। किंतु त्रिपुरी में उन्होंने पुराने नेताओं का साथ दिया। मेरे विरुद्ध उनके प्रचार ने मुझे 12 महारथियों के कार्यों से भी ज्यादा हानि पहुंचाई। कितने दुख की बात है यह।

फिलहाल भविष्य अनिश्चित है। मेरे और गांधीजी के बीच वार्तालाप चल रहा है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे या नहीं, अभी कहना कठिन है। यह भी संभव है कि अंततः मुझे त्यागपत्र देना ही पड़े।

जनता की नजर में सी एस पी गिरी है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि इससे एम एन रॉय को लाभ हुआ है। वे आजकल बंगाल की यात्रा पर हैं। हर जगह उनका सम्मान किया जा रहा है। बंगाल में उनके प्रति सहानुभूति है, किंतु क्या वे कोई पद पा सकेंगे? यह उनके समर्थकों पर निर्भर है कि वे किन लोगों से समझौता करते हैं। वे अति व्यक्तिवादी हैं। इसलिए मिलकर कार्य करने में असमर्थ हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है।

अध्यक्षीय चुनाव और उसके बाद की घटनाएँ कितनी भी दुर्भाग्यशाली क्यों न हों, लेकिन उन्होंने राजनीतिक जागरूकता को प्रखर किया है। बाद में ये प्रगति के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हमारा भविष्य फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन अंततः है उज्ज्वल। एक यथार्थवादी के रूप में मैं यह कह रहा हूँ। 90 प्रतिशत प्रगतिशील और क्रांतिकारी शक्तियाँ हमारे साथ हैं।

मुझे खेद है कि अध्यक्षीय चुनाव के बाद जवाहर की स्थिति खराब हुई है— विशेष रूप से त्रिपुरी में उनके रवैये के कारण उनके अपने प्रशासक ही उनसे खफा हो चुके हैं। प्रतिनिधियों न डेढ़ घंटे तक उन्हें सुनने से इकार किया, वे तभी शांत हुए जब गेजदादा (शरतचंद्र बोस) ने उनसे शांत रहने की अपील की। ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज तक कभी नहीं।

प्यार,

सदैव आपका
सुभाष

एम. एन. राय की ओर से

3 बी, स्टोर रोड
बालीगज, कलकत्ता
18 अप्रैल, 1939

प्रिय मित्र,

विजयनगरम जिला कांग्रेस कमेटी ने मुझे उत्त ज्ञापन की प्रति भेजी है, जो उन्होंने तुम्हारे सम्मुख पेश किया। मुझसे कहा गया है कि विचारवादियों के मुद्दे को उठाने की आवश्यकता के बारे में आपसे कहूँ। यदि मैं उनसे इस विषय में न्याय नहीं चाहता होता तो निश्चय ही मैं ऐसा नहीं कर पाता और सबद्ध गुट का सदस्य न होता। विजयनगरम जिला कांग्रेस सगठन दो वर्षों से वामपंथी के नियंत्रण में था। पी सी सी उन्हें हटाने की कोशिश में है और इस प्रयास में वह हर प्रकार का हथकड़ा अपनाने को तैयार है। फिर भी क्रांतिकारियों के नियंत्रण को कमजोर करना संभव नहीं हुआ, क्योंकि वे अच्छा कार्य कर रहे थे तथा सभी सदस्यों का विश्वास उन्हें प्राप्त था। इस विषय का विस्तृत वर्णन ज्ञापन में किया गया है। मुझे आशा है कि आप समय निकालकर इसे पूरा पढ़ेंगे और ऐसे निर्देश जारी करेंगे, जिससे क्रांतिकारियों को दक्षिणपंथियों के पड़ोसकारी आक्रमण से बचाया जा सके। यह बता दूँ कि इस जिले के सभी तेरह प्रतिनिधियों ने आपके पक्ष में मत दिया और इस कारण भी डी सी सी उन पर आक्रमण कर रही है।

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपका स्वास्थ्य अब ठीक है। आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने योग्य हो गए हैं। आप बहुत कठिन परिस्थितियों से घिरे हैं तथा उपनिवेशवाद-विरोधी सभी लोगों से आपको पक्का और सही समर्थन मिलना आवश्यक है। मैं पूर्ण सहयोग का वायदा दोहराता हूँ तथा इस तथ्य से भी परिचित हूँ कि किन्हीं कारणों से (जिनसे मैं अनभिज्ञ हूँ) आपको मेरी दफादारी के प्रति सशय है। वास्तविकता यह है कि मुझे यह रिपोर्ट मिली है कि हाल ही में मित्रों से वार्तालाप के दौरान आपने मुझे एक कैरियरिस्ट के रूप में परिचित कराया। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। फिर भी मैं आपके उस प्रयास का स्वागत करूँगा, जो आप इस भावना को हटाने के लिए करेंगे। मुझे विश्वास है आप उचित समझेंगे, तो ऐसा अवश्य करेंगे।

शुभकामनाओं और हार्दिक बधाई सहित,

आपका शुभेच्छु,
एम एन राय

श्रीयुत सुभाषचंद्र बोस
जामदोबा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी महासचिव के लिए

वर्ष 1938 के लिए कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सुभाषचंद्र बोस

कोषाध्यक्ष

जमनालाल बजाज

महासचिव

जे बी कृपलानी

अध्यक्ष का कलकत्ता का पता

38/2, एल्गिन रोड,

कलकत्ता

टेलीफोन पार्क 59

तार सुवानबोस

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

स्वराज भवन, इलाहाबाद

टेलीफोन 341, तार कांग्रेस

झीलगुडा पोस्ट ऑफिस

जिला मानमून

बिहार

18 अप्रैल, 39

सेवा में

कार्यकारी महासचिव

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

इलाहाबाद

प्रिय मित्र

आज ही मैंने आपको निम्न तार भेजा है

कृपया सभी प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियों को तार द्वारा सूचित करें कि 23 अप्रैल को 'युद्ध विरोधी दिवस' के रूप में मनाएँ। आज ही प्रेस सूचना भी जारी की है — सुभाष बोस।

आज जो बयान प्रेस में जारी किया उसकी प्रति भी इसके साथ भेज रहा हूँ।

आपका शुभाकांक्षी

सुभाषचंद्र बोस

सीता सेन के लिए

झीलगुड़ा पोस्ट ऑफिस
जिला मानभूम
बिहार
19439

मेरी प्रिय सीता,

तुम्हारे पहले बच्चे के जन्म पर शेर्षाई का पत्र मैं बहुत पहले लिख चुका होता, जब लीला से मुझे यह समाचार मिला। उसने बताया कि तुमने काफी तकलीफें उठाई, किंतु अब पहले से बेहतर हो। मुझे आशा है कि अब तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही स्वस्थ होंगे।

पिछले दो माह से मैं बहुत कष्ट में हूँ- विशेष रूप से सकट की घड़ी में अपने स्वास्थ्य के बिगड़ जाने के कारण। बहरहाल सकट टल गया है। मैं ठीक हो रहा हूँ और जीवन के संघर्ष के लिए एक बार फिर तैयार हो गया हूँ। 21 तारीख को मैं कलकत्ता जा रहा हूँ।

सतोष के पिछले पत्र का उत्तर न दे पाने के कारण मैं उससे क्षमा चाहता हूँ जो उसने मेयो अस्पताल या किसी के विषय में लिखा था। मैं इस विषय में सहायता करने को तैयार था- हालांकि मैं नहीं जानता कि कोई परिणाम निकलेगा इसका या नहीं। किंतु अवांछित घटनाओं ने मुझे घेर लिया है यह भी नहीं जान पा रहा कि सिर के बल खड़ा हूँ या पैरों के बल।

मैं नहीं जानता कि फिर कब तुम्हें पत्र लिख पाऊंगा क्योंकि मैं उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हूँ। किंतु कृपया समय-समय पर अपनी सूचना मुझे देती रहना।

प्यार सहित,

तुम्हारा शुभाकांक्षी,
सुभाषचंद्र बोस